नालको NALCO

एक नवरत्न सीपीएसई

38वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

चौथी औद्योगिक क्रांति

इंडस्ट्री 4.0 : नेतृत्व के पथ पर अग्रसर

परिकल्पना

एल्यूमिनियम मूल्य श्रृंखला
के देशीय एवं वैश्विक दोनों उत्खनन में
महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करते हुए
धातु एवं ऊर्जा के क्षेत्र में
प्रधान और एकीकृत कंपनी बनना

यह वर्ष एक नज़र में

विवरण	एकक	2018-19
भौतिक		
बॉक्साइट	मे. ट.	72,30,546
एल्यूमिना हाईड्रेट	मे. ट.	21,52,500
एल्यूमिनियम	मे. ट.	4,40,242
विद्युत (शुद्ध)	मि. यू.	6,256
पवन ऊर्जा	मि.यू.	330
वित्तीय		
निर्यात कारोबार	₹ करोड़ में	4,793
सकल विक्रय	₹ करोड़ में	11,386
कर-पूर्व लाभ	₹ करोड़ में	2,740
कर-पश्चात लाभ	₹ करोड़ में	1,732
प्रति शेयर आय	₹	9.06
प्रति शेयर बही मूल्य	₹	56.20
लाभांश	₹ प्रति शेयर	5.75

पंजीकृत कार्यालय एवं निगमित कार्यालय
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
सीआईएनः L27203OR1981GOI000920
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर- 751 013, ओड़िशा
टेलीफोन. : 0674-2303197
ईमेल: company_secretary@nalcoindia.co.in
वेबसाईट : www.nalcoindia.com

38वीं वार्षिक साधारण बैठक
बुधवार, 18 सितंबर, 2019 को सुबह 11.00 बजे
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर - 751 013

विषय सूची

यह वर्ष एक नज़र में	1
निदेशकों की रिपोर्ट	11
नि.सा.उ. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	41
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	45
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	62
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय की रिपोर्ट	83
निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट	89
वार्षिक प्रतिफल का सार	119
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	127
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (एकल)	137
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (समेकित)	199
5 वर्षों के कार्य-निष्पादन पर एक नजर - भौतिक एवं वित्तीय	262

...और जारी गाथाएँ

▲ एल्यूमिनियम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईएनसीएएल 2019) का शुभारंभ सत्र

▲ मेक इन ओड़िशा कॉन्क्लेव में नालको पैविलियन

▲ खान एवं खनिज पर 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन में नालको स्टॉल का उद्घाटन

▲ ए.एल.यू.एम.ओ.एफ. का उद्घाटन - आई.एन.सी.ए.एल.-2019 का मैस्कट

▲ अनुगुल में नालको-एलवी प्रसाद सेकंडरी प्लस नेत्र अस्पताल का लोकार्पण

▲ पी.डी.ए.सी.-2019 में नालको

▲ आई.एम.ए.आर.सी.-2019 में नालको

▲ अखिल भारतीय साझेदार सम्मेलन

▲ मुंबई में ग्राहकों की बैठक

▲ वृंदावन गुरुकुल ट्रस्ट के साथ एमओयू

डॉ. तपन कुमार चान्द

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डॉ. तपन कुमार चान्द दिनांक 27.07.2015 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कम्पनी से जुड़े। डॉ. चान्द अत्यंत सक्षम एवं अनुभवी पेशेवर व्यक्ति हैं जिनके पास खनन और धातु क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है, जिनमें से 8 वर्ष कोयला एवं इस्पात क्षेत्र में निदेशक के रूप में कार्यकलापों को उन्होंने संभाला है।

उत्कृष्ट विद्वान और अपने विद्यार्थी काल में स्वर्ण पदक प्राप्त, उन्होंने स्लोवेनिया एवं क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एन्टरप्राइजेस में प्रशिक्षण लिया है। एक वृत्तिक के रूप में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए उन्हें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

डॉ. चान्द ने हाल ही में "एल्यूमिनियम : द फ्यूचर मेटल" पुस्तक के द्वितीय संस्करण को पेश किया है, जो कि समग्र एल्यूमिनियम मूल्य श्रृखला पर एक ही स्थान पर उपलब्ध जानकारियों के संग्रहालय जैसा है। उनकी पहले की पुस्तक 'एल्यूमिनियम : द स्ट्रेटेजिक मेटल' को अभियंताओं, उद्यमियों, अनुसंधान-कर्ताओं, शिक्षाविदों एवं निगम विश्व से भारी सराहना मिली थी।

उद्योग, व्यवसाय प्रबंधन एवं राष्ट्र निर्माण में उनके असाधारण अंशदान के सम्मान में उन्हें उत्कल विश्वविद्यालय का उच्चतम सम्मान "डी.लिट." प्रदान किया गया है। झारखंड के माननीय राज्यपाल की ओर से उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स द्वारा गठित उच्चतम प्रबंधन पुरस्कार "रवि जे मथाई नेशनल फेलो अवार्ड" से भी सम्मानित किया गया। मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके विशिष्ट अंशदान के लिए उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से "द एचिवर्स ओड़िशा अवार्ड" एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट की ओर से नेशनल फेलो अवार्ड से विभूषित किया गया। डॉ. चान्द भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने वाली सर्वोच्च संस्था, एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं।

श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्

निदेशक (उत्पादन)

श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम् 01.01.2015 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में कंपनी से जुड़े।

01.12.1960 को जन्मे, श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम् ने रसायन इंजीनियरिंग में बी.टेक पूरा करने के बाद नालको में स्नातक अभियंता प्रशिक्षु (जीईटी) के रूप में 1984 में कार्यारंभ किया था। नालको के साथ जुड़ी अपने तीन दशकों की दीर्घ सेवा के दौरान, श्री बालसुब्रमण्यम् ने एल्यूमिनियम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अभिग्रहण से लेकर समावेशन तक महत्वपूर्ण योगदान किया। अपने व्यापक वृत्तिक अनुभव के साथ, जिसमें नालको के दोनों उत्पादन संकुलों में परियोजना कार्यान्वयन से संयंत्र परिचालन शामिल है, श्री बालसुब्रमण्यम् ने निदेशक (उत्पादन) के पद पर जुड़ने से पूर्व संगठन में अत्यन्त समीक्षात्मक एवं महत्वपूर्ण पदभार संभाले।

श्री बालसुब्रमण्यम् इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स (आई आई एम) के आजीवन सदस्य, फेडरेशन इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (एफआईएमआई) की प्रबंधन समिति के सदस्य एवं भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) की ओड़िशा शाखा के ऊर्जा पैनल के सदस्य भी हैं।

श्री बसन्त कुमार ठाकुर

निदेशक (मानव संसाधन)

श्री बसन्त कुमार ठाकुर 04.07.2016 से कंपनी के निदेशक (मानव संसाधन) हैं।

19.12.1959 को जन्मे, श्री बसन्त कुमार ठाकुर पंजाब विश्वविद्यालय से इतिहास में डिग्री के साथ सामाजिक कार्यों में डिप्लोमाधारी हैं। उन्होंने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. में 1981 में अपनी आजीविका की शुरुआत की और नालको में निदेशक (मानव संसाधन) के पद पर जुड़ने के पूर्व, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, सलेम इत्पात संयंत्र समेत विभिन्न एककों में, राँची में अनुसंधान व विकास केन्द्र एवं नई दिल्ली में निगम कार्यालय में सेवारत रहे। श्री ठाकुर भर्ती, अवधारण, संघर्ष वियोजन, प्रबंध परिवर्तन, श्रमिक संबंध एवं हित प्रशासन सहित मानव संसाधन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव के साथ एक विशेषज्ञ वृत्तिक हैं। निगम संचार में उनके पास चार वर्षों का अनुभव है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में, सांगठनिक लक्ष्यों के समर्थन एवं सुदृढ़ करने की दिशा में व्यापक सांगठनिक रणनीतिक योजना संचालित करने के लिए, उन्होंने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ मिलकर कार्य किया। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में तीन दशकों के लम्बे कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन प्रणाली, समस्त मानव संसाधन कार्यकलापों की नीति और प्रक्रिया विकास, प्रशिक्षण, परामर्श, आयोजना, निदेशन और प्रबंधन को अद्यतन करते हुए मानव संसाधन विभाग के पुनः निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री ठाकुर एन.आई.पी.एम. के आजीवन सदस्य हैं एवं एन.आई.पी.एम. उत्कल चैप्टर के मानद सभापति हैं। वे सी.आई.आई. ओड़िशा एचआर-आईआर पैनल के संयोजक भी हैं।

श्री संजीव कुमार रॉय

निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)

श्री संजीव कुमार रॉय 03.02.2017 से कंपनी के निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) हैं।

श्री रॉय रामकृष्ण मिशन विद्यामंदिर, बेलुड़ मठ से बी.एससी (रसायन में ऑनर्स) और फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से रसायन इंजीनियरिंग विषय में बी.टेक और एम.टेक पूरा किया। वर्ष 1984 में उन्होंने नालको में स्नातक अभियंता प्रशिक्षु के रूप में अपनी आजीविका की शुरुआत की। वे कंपनी के एल्यूमिना परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में इस परियोजना के आरम्भ से ही तैनात थे, जहाँ उन्होंने महाप्रबंधक (परिशोधक) बनने के पूर्व दो चरणों के विस्तार कार्यक्रम सहित अनेक प्रमुख पदभार संभाले। तत्पश्चात् मई 2012 में कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक एवं विद्युत) के पद पर पदोन्नत होने के पूर्व वे अनुगुळ में कंपनी के प्रद्रावक संयंत्र में महाप्रबंधक (प्रद्रावक) के पद पर तैनात थे। श्री रॉय अप्रैल, 2015 में कार्यपालक निदेशक (उत्पादन) के पद पर मुख्यालय भुवनेश्वर में तैनात हुए। वर्ष 2018 के लिए उन्हें ओड़िशा इंजीनियर्स फोरम से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए "उत्कर्ष पुरस्कार" प्राप्त हुआ।

श्री रॉय अपनी कार्य अवधि में कंपनी के संयंत्र एवं परिचालन के साथ-साथ परियोजनाओं की संकल्पना से लेकर प्रवर्तन तक के विषद अनुभव से कंपनी की सेवा की है।

श्री प्रदीप कुमार मिश्र
निदेशक (वाणिज्यिक)

श्री प्रदीप कुमार मिश्र 23.04.2018 को निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में कंपनी से जुड़े।

12.02.1961 को जन्मे, श्री प्रदीप कुमार मिश्र उत्कल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में वर्ष 1983 में उन्होंने प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में वृत्तिक आजीविका की शुरुआत की। वे विपणन प्रबंधन के क्षेत्र में अपने साथ गहन एवं विविध अनुभव लेकर आए हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में 35 वर्षों के अपने सेवाकाल के दौरान वे भारतीय इस्पात प्राधिकरण के तीन क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रबंधक बनने सहित विभिन्न पदों पर तैनात थे। उन्होंने कार्यपालक निदेशक के रूप में 3 वर्षों के लिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण के समतल उत्पादों के घरेलू विपणन की अगुआई की। श्री मिश्र को भारतीय इस्पात प्राधिकरण में विपणन क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए गौरवान्वित जवाहर पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

श्री श्रीधर पात्र
निदेशक (वित्त)

श्री श्रीधर पात्र दिनांक 01.09.2018 से निदेशक (वित्त) के रूप में कंपनी से जुड़े। नालको से जुड़ने से पहले, उन्होंने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में 5 वर्षों के लिए सेवा की थी।

12.10.1964 को जन्मे, श्री पात्र भारतीय सनदी लेखापाल संस्था के सदस्य एवं उत्कल विश्वविद्यालय से वाणिज्य में रैंक धारक स्नातक है। श्री पात्र परिणाम-चालित एवं टीम अभिमुखी नेतृत्व के साथ एक अनुभवी वित्त एवं लेखा पेशेवर हैं एवं संगठनीय वृद्धि के प्रति संकल्पबद्धता दिखायी है। निगमित लेखा, बजटिंग एवं नियंत्रण, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर प्रबंधन, कार्यनीतिक वित्तीय एवं व्यवसाय आयोजना, संविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन, लागत उत्कर्षता एवं राजकोष कार्य में अभिज्ञता के साथ विभिन्न लोक क्षेत्र उद्यम जैसे कि ओड़िशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., इंडियन रेयर अर्थ्स लि. एवं मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. (ओएनजीसी लि. की एक सहायक कंपनी) के वित्त एवं लेखा कार्यों में इनके पास तीन दशकों से भी अधिक का अनुभव है। श्री पात्र ने लोक क्षेत्र उद्यम (पीएसयू) में अपनी नियुक्ति के अलावा पेशेवर लेखांकन संस्थानों को भी अकादमी सदस्य के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

डॉ. के. राजेश्वर राव
अंशकालिक सरकारी निदेशक

डॉ. के. राजेश्वर राव 19.02.2018 को निदेशक मंडल में शामिल हुए थे।

1 जुलाई, 1962 को जन्मे, डॉ. के. राजेश्वर राव के पास यूनिवर्सिटी ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली से समाज विज्ञान में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी (पीएच.डी.) डिग्री है। उनका संबंध त्रिपुरा संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1988 बैच से है। वे वर्तमान में, खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में अपर सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। डॉ. के. राजेश्वर राव के पास कल्याण, विकास, अभिशासन, एचआरडी, शहरी विकास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, समुदाय सशक्तीकरण आदि जैसे सेक्टर/क्षेत्रों में केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्य करने का पर्याप्त अनुभव है।

श्री अनिल कुमार नायक
अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री अनिल कुमार नायक 27.03.2018 को निदेशक मंडल में शामिल किया गया।

16.05.1962 को जन्मे, श्री अनिल कुमार नायक ने स्कूल ऑफ इंटरनैशनल स्टडीज, जेएनयू, नई दिल्ली से राजनीति में एम.ए. एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के आइवरी कोस्ट में जातीयता एवं राजनीति विकास में एम.फिल पूरा किया है। वे 15 फरवरी, 1987 को भारतीय आयुध कारखाना सेवाएँ (आईओएफएस-1986 बैच) से जुड़े। अगस्त 2015 में श्रम मंत्रालय में मुख्य श्रम आयुक्त के रूप में जुड़ने के पूर्व 41 आयुध कारखानों से संलग्न संपूर्ण संगठन के औद्योगिक संबंधों का खयाल रखने के प्रयोजन से उप महानिदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड, कोलकाता के पद पर तैनात थे। उनके पास अन्य सरकारी विभागों अर्थात् 5 वें वेतन आयोग में अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय में उप सचिव, बिहार और ओड़िशा के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ग्रे.1, खान मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। मार्च 2018 में उन्हें संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया। आपको तकनीकी एवं प्रशासनिक क्षेत्रों का व्यापक अनुभव है।

श्री दीपंकर महन्त
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्री दीपंकर महन्त निदेशक-मंडल में 21.11.2015 से अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। 20.11.2018 को तीन वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 21.11.2018 को अगले एक वर्ष की अवधि के लिए वे पुनः नियुक्त किए गए।

12 दिसम्बर, 1965 को जन्मे, श्री दीपंकर महन्त ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. किया और लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन के उद्देश्य के साथ मेसर्स कोन्सोर्ट मार्केटिंग नामक एक उद्यमीय प्रयास आरम्भ किया। तत्पश्चात्, गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेञ्ज में योगदान किया और भारतीय पूँजी बाजार से जुड़कर विभिन्न स्तरों पर सेवा की। वे पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) में अपना कार्यान्वयन कर रही तथा गुणवत्तापरक सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य वाली एक कंपनी, इकोनोमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोलाबोरेटिव (इंडिया) प्रा. लि., के प्रवर्तक निदेशक थे। वे गुवाहाटी के निकट एल.बी. एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक हाथ-निर्मित कागज एकक की डिजाइन बनाने और कार्यान्वयन में सलाहकार थे। एनईसी के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (आईटीआई) के नैदानिक अध्ययन एवं एन.ई.एच.एच.डी.सी. के लिए हस्तशिल्प उत्पादों को बेचने वाले एक मार्केट कॉम्प्लेक्स का व्यवहार्यता अध्ययन एवं डी.पी.ई.पी. के लिए भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन, नेशनल बम्बू मिशन के लिए "असम में बाँस और बाँस के उत्पादों" पर अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम के लिए "असम में ईंट क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन" जैसी परियोजनाओं में ये सह-परामर्शदाता भी रहे थे। इन्होंने विभिन्न क्षमताओं में एक स्वैच्छिक संगठन विवेकानंद केंद्र की भी सेवा की है और तत्पश्चात पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय सांस्कृतिक प्रलेखन एवं अनुसंधान पर एक विशिष्ट परियोजना, विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर (वीकेआईसी) के रिसर्च काउंसिल के सहयोगी निदेशक थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीएपीएआरटी (एनईजेड) को भी इन्होंने सेवा दी थी।

वर्तमान में, ये विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं जिनमें से विवेकानन्द केन्द्र और श्रीमंत फाउंडेशन फॉर कल्चर एवं सोसाइटी प्रमुख हैं। 'आत्मज्ञान और इसके प्रबन्धन' पर शिक्षण सत्रों के लिए वे एक विषय विशेषज्ञ और प्रशिक्षक भी हैं।

श्री एस. शंकररमण
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्री एस. शंकररमण दिनांक 21.11.2015 से निदेशक-मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त किए गए थे। दिनांक 20.11.2018 को तीन वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 21.11.2018 से अगले एक वर्ष की अवधि के लिए वे पुनः नियुक्त किए गए।

19 मई, 1962 को जन्मे श्री एस. शंकररमण भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) के फेलो सदस्य हैं। श्री शंकररमण पेशियों के दुर्विकास से प्रभावित रहे हैं एवं 12 वर्ष की उम्र से व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में, ये विसक्षम एवं जरूरी सुविधाओं से वंचित लोगों की भलाई से जुड़े एक संस्थान अमर सेवा संगम के मानद सचिव हैं। वर्ष 1992 में अमर सेवा संगम से जुड़ने के पूर्व विभिन्न निगमित क्षेत्रों को व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करते हुए इन्होंने वर्ष 1985 में अपने कैरियर की शुरुआत की। अपने क्षेत्र में पुनर्वासन एवं विकास केंद्र के रूप में "अपंग व्यक्तियों के लिए स्थल" की स्थापना करते हुए एवं गाँव में जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए समाज के साथ अपंग व्यक्तियों को जोड़ने के उद्देश्य से स्व-सहायी पहलों के मॉडल विकसित करते हुए अपंग व्यक्तियों को सशक्त बनाना इनका लक्ष्य रहा है।

वे अपंग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक चैम्पियन हैं एवं इनका मानना है कि अपंगता कोई रोधक या बाध्यता नहीं है, बल्कि एक स्थिति है जिसे पुनर्वासन एवं समर्थता के सही मेल से सुव्यवस्थित किया जा सकता है। आधुनिकतम बुनियादी सुविधाओं एवं हर उम्र, वर्ग एवं अपंगता की हर श्रेणी में उच्च दर्जे के पुनर्वासन कार्यक्रम की सुविधा से इन्होंने अपनी प्रेरणा से अमर सेवा संगम का विकास करके एक छोटी-सी शुरुआत की जिसे आज अपंग व्यक्तियों के पुनर्वासन क्षेत्र में सक्षम नेतृत्व के मौजूदा दर्जे तक पहुँचाया है। उन्हें नवीकरण के लिए अशोक फेलोशिप से सम्मानित किया गया और उनकी सेवाओं की मान्यता स्वरूप राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से एक राज्य पुरस्कार और भारत के राष्ट्रपति से दो बार मिले राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं।

श्री प्रभात केशरी नायक
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्री प्रभात केशरी नायक एक अग्रणी सनदी लेखापाल संस्था मेसर्स पी.के. नायक एण्ड कं. के वरिष्ठ साझेदार हैं, इनके पास सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में तीन दशकों से भी अधिक का अनुभव है। विभिन्न निगमों, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों और सरकारी विभागों, एजेंसियों एवं लोक क्षेत्र उद्यमों में इनके पास वित्तीय विशेषज्ञता एवं तजुर्बे का विशाल भंडार है। उन्होंने ओड़िशा में लोक क्षेत्र उद्यमों की पुनःसंरचना के लिए डी.एफ.आई.डी. निधिबद्ध सुधार कार्यक्रम पर एडम स्मिथ इंटरनैशनल, यूके को सलाह दी है। वे विधि में डिग्री एवं इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट (आईसीएआई) में डिप्लोमाधारी है। बड़ी सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक रहने समेत वित्तीय सलाहकारी एवं लेखा परीक्षा के अलावा, उन्होंने युवा-उद्यमियों एवं स्टार्ट-अप्स का सक्रियता से मार्गदर्शन किया है। उन्होंने वित्त, कराधान एवं लेखा परीक्षा से संबंधित कई राष्ट्रीय सेमिनारों एवं सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया है। पर्यावरण की देखभाल में उन्हें काफी रुचि है एवं पशुओं से उन्हें विशेष प्यार है।

प्रो. दामोदर आचार्य
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

प्रो. दामोदर आचार्य दिनांक 21.11.2015 को स्वतन्त्र निदेशक के रूप में निदेशक-मंडल से जुड़े थे। दिनांक 20.11.2018 को तीन वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 21.11.2018 से अगले एक वर्ष की अवधि के लिए वे पुनः नियुक्त किए गए।

2 अप्रैल, 1949 को जन्मे, प्रो. दामोदर आचार्य के पास एनआईटी, राउरकेला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, आईआईटी, खड़गपुर से मास्टर एवं पीएच.डी. डिग्री है। ये वर्ष 1976 में इसी संस्था में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फैकल्टी में शामिल हुए। इन्होंने संस्था की सभी जिम्मेदारियों में अपनी अमिट छाप छोड़ी बतौर विभाग के प्रधान, अध्यक्ष जेईई, डीन (प्रायोजित रिसर्च एवं इंडस्ट्रियल कन्सल्टेंसी), कार्यपालक निदेशक एसटीईपी, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष या देश के सर्वप्रथम एवं बृहत्तम आई आई टी के निदेशक के रूप में।

बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर के रूप में, इन्होंने एक सुदृढ़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी एडुकेशन प्रणाली की बुनियाद रखी, जिसका अनुकरण अन्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे।

इन्होंने आईआईटी,भुवनेश्वर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एवं इसके प्रथम मेन्टर डायरेक्टर (परामर्शी निदेशक) थे। ये चार वर्ष तक भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक-मंडल में गैर-सरकारी निदेशक रहे और आरसीएफ में तीन वर्षों के लिए स्वतंत्र-निदेशक रहे। प्रो. आचार्य एसओए विश्वविद्यालय के सलाहकारी निदेशक-मंडल के अध्यक्ष भी हैं।

श्री महेश्वर साहु
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्री महेश्वर साहु दिनांक 21.11.2015 को अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक के रूप में निदेशक-मंडल से जुड़े थे। दिनांक 20.11.2018 को तीन वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दिनांक 21.11.2018 से अगले एक वर्ष की अवधि के लिए वे पुनः नियुक्त किए गए।

श्री महेश्वर साहु ने एनआईटी, राउरकेला से वर्ष 1977 में इलेक्ट्रिकल में बी.एससी. (इंजी) की है एवं वर्ष 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से एम.एससी.की। सन् 1980 में भारतीय प्रशासन सेवा (आईएएस) मे चुने गए। वर्ष 2014 में अपर मुख्य सचिव, गुजरात सरकार के रूप में सेवा निवृत्त होने से पूर्व तीन दशकों से भी अधिक समय तक विभिन्न क्षमताओं में इन्होंने भारत सरकार एवं गुजरात सरकार की सेवा की है। ये 20 वर्षों से भी अधिक समय से उद्योग में एवं 10 वर्षों से भी अधिक समय से लोक उद्यमों के प्रबंधन की सक्रिय सेवा से जुड़े रहे हैं। इन्होंने युनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 वर्षों से अधिक समय के लिए कार्य किया। चार वाईब्रेंट गुजरात के आयोजनों में इन्होंने सक्रियता से जुड़े रहकर प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाई।

इन्होंने अनेक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निदेशक के रूप में सेवा दी है। ये कई राज्य लोक उद्यमों में अध्यक्ष/निदेशक भी थे। ये अब अनेक कंपिनयों के साथ स्वतंत्र निदेशक/अध्यक्ष के रूप में जुड़े हुए हैं। रणनीतिक प्रबंधन, लोक प्रशासन, निगमित अभिशासन आदि इनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में शामिल हैं।

सुश्री किरण घई सिन्हा
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

सुश्री किरण घई सिन्हा दिनांक 03.02.2017 से निदेशक-मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक नियुक्त हुईं।

वर्तमान में ये पटना विश्वविद्यालय की एक सीनेट सदस्य हैं। ये स्काउट्स एवं गाइड्स फेलोशिप, बिहार की अध्यक्ष भी हैं। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार समिति की सदस्य (गैर सरकारी) हैं। इन्हें महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, चम्पारन, बिहार की प्रथम अदालत की सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। इन्हें बिहार सरकार द्वारा पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अधीन राज्य स्तरीय तीन सदस्यों के प्राधिकरण के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया है। इसके पहले श्रीमती सिन्हा तीन लगातार वर्षों के लिए पटना विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्य थी।

सुश्री सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी में एम.ए. किया। ये एक एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, पटना महिला महाविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय के पद से सेवानिवृत्त हुईं। सुश्री सिन्हा 2004-10 और फिर 2010-16 के लगातार दो कार्यकालों के लिए बिहार विधान परिषद (बीएलसी) की सदस्य भी रहीं। एम.एल.सी. के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें गृह की तीन समितियों की अध्यक्षता का सुअवसर मिला, यथा- शहरी विकास समिति, राजभाषा समिति एवं बाल परिरक्षण व महिला सशक्तीकरण समिति। ये स्थानीय मंडल (पूर्वांचल), रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (2001-2004) की सदस्य और दो कार्यकालों के लिए प्रबंध मंडल एवं सदस्य, वित्त समिति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार की भी सदस्य रहीं। ये 48वें और 50वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गैर-फीचर फिल्म संवर्ग में और फीचर फिल्म संवर्ग में निर्णायक-मंडल की सदस्य भी रहीं। संयुक्त राष्ट्र, यू०एस०ए० (2007) में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन के राज्य प्रतिनिधि-मंडल में ये एक सदस्य थीं।

श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्री एन एन शर्मा दिनांक 06.09.2017 से निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक नियुक्त हुए हैं।

12 अगस्त 1950 को जन्मे, श्री एन एन शर्मा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.एससी की है। वर्तमान में, वे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेकनोलॉजी (बीआईएमटीईसीएच), ग्रेटर नोएडा में सेन्टर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पान्सिबिलिटी एण्ड सस्टेनिबिलिटी के अध्यक्ष हैं। वे एसीसी लि. के समाज लेखा परीक्षा समिति के सदस्य भी हैं। श्री शर्मा ने एनटीपीसी, एनएचपीसी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं एनपीसीआईएल जैसे निगमों के नि.सा.उ. वृत्तिकों के क्षमता विकास कार्यक्रम का संचालन किया है। समाज विकास के क्षेत्र में इनके पास कार्य करने का तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। आई.एफ.सी.आई. द्वारा स्थापित राजस्थान कन्सल्टेन्सी ऑर्गेनाइजेशन (आर.ए.जे.सी.ओ.एन.) एवं अन्य विकास संगठनों के प्रबंधक निदेशक थे और उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के प्रथम महाप्रबंधक भी थे।

उन्होंने यूएनडीपी एवं यूएनआईडीओ के साथ भी कार्य किया है और विश्व बैंक तथा डीएफआईडी, यूके द्वारा समर्थित परियोजनाओं से भी जुड़े हुए थे।

श्रीमती अचला सिन्हा
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक

श्रीमती अचला सिन्हा दिनांक 08.09.2017 को निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक नियुक्त की गई हैं।

श्रीमती सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एम.ए., पंजाब विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में एम.फिल., भारतीय लोक प्रशासन संस्था (आईआईपीए), नई दिल्ली से एडवान्स प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एपीपीपीए) की है।

वे 1982 बैच के भारतीय रेल की यातायात सेवा अधिकारी (आईआरटीएस) हैं। उन्होंने पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल से सहायक वाणिज्य प्रबंधक के रूप में अपनी आजीविका की शुरुआत की थी, तीन दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न क्षमताओं में रेल मंत्रालय में i) निदेशक (पर्यटन), ii) कार्यपालक निदेशक (सांख्यिकी और आर्थिक) एवं उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में मुख्य यातायात प्रबंधक और पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर में मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (एचओडी) के रूप में कार्य किया है।

अपने मूल संवर्ग, भारतीय रेल से बाहर प्रतिनियुक्ति पर : उप सचिव, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य मंत्रालय, बिहार सरकार, निदेशक संपदा, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार; अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के रूप में तीन बार सेवा की है।

उन्होंने वार्षिक रेल सप्ताह के दौरान अपने असाधारण कार्य-प्रदर्शन के लिए महाप्रबंधक पूर्व रेलवे पुरस्कार एवं आईआईपीए, नई दिल्ली की ओर से 30 वें एडवान्स प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एपीपीपीए) में सर्वश्रेष्ठ महिला भागीदारी का पुरस्कार जीता है। भारतीय रेल और साथ ही नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार की कार्यप्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए कई संकल्पनात्मक लेख भी लिखा है। इनमें से कई संकल्पनाओं पर चर्चा की गई है एवं कार्यान्वित की गई है।

श्री एस.डी साहु
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

श्री आर.एस. दास
कार्यपालक निदेशक (खान एवं परि.)

श्री सोमनाथ हंसदा
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री डी. महापात्र
कार्यपालक निदेशक (उत्पादन)

श्री एम.पी. मिश्र
कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक एवं विद्युत)

श्री एस. चौधरी
मु.म.प्र(सु.स्वा.प,ह.ऊ,कोयला एवं सं.गु.प्र)

श्री एस. सामंतराय
कार्यपालक निदेशक (विपणन) प्रभारी

श्री एन.के. महान्ति
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल

(बायें से दायें): (खड़े हुए हैं): श्री एस.के. रॉय, श्री दीपंकर महन्त, श्री पी.के. नायक, श्री बी.के. ठाकुर, श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, श्री एस. पाल, श्री पी.के. मिश्र

(बैठे हुए हैं) श्रीमती अचला सिन्हा, श्रीमती किरण घई सिन्हा, प्रोफेसर दामोदर आचार्य, श्री महेश्वर साहु, डॉ. टी.के. चान्द, डॉ. के राजेश्वर राव, श्री ए.के. नायक, श्री एन.एन. शर्मा, श्री एस. शंकररमण

बॉक्साइट ('000 मे.टन में)

2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
5739	6340	6825	7025	7230

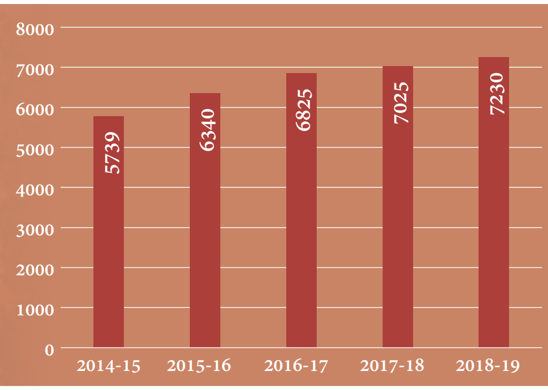

एल्यूमिना हाईड्रेट ('000 मे.टन में)

2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1851	1953	2100	2106	2152

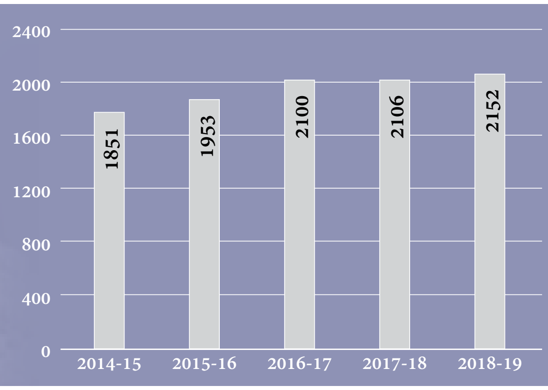

एल्यूमिनियम ('000 मे.टन में)

2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
327	372	387	426	440

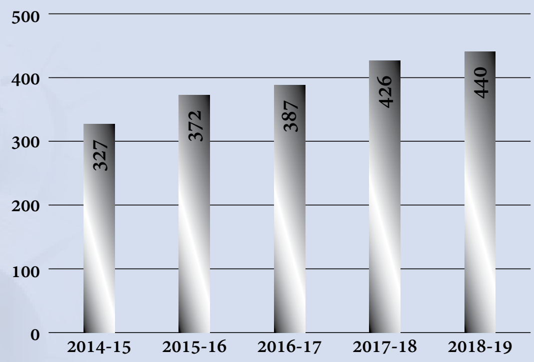

विद्युत उत्पादन (मि.यूनिट)

2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
5131	5841	6066	6547	6256

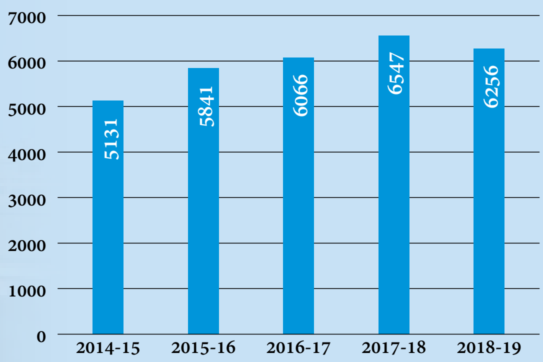

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल एवं समेकित) और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ आपकी कंपनी की 38वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करते हुए आपके निदेशकगणों को बहुत प्रसन्नता हो रही है।

कार्य-निष्पादन के प्रमुख अंश:

भौतिक कार्य-निष्पादनः

उत्पादन	एकक	2018-19	2017-18
बॉक्साइट	मे.ट.	72,30,546	70,25,109
एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.ट.	21,52,500	21,05,500
एल्यूमिनियम	मे.ट.	4,40,242	4,25,515
विद्युत (शुद्ध) - ग्र.वि.सं.	मि.यू.	6,256	6,547
पवन ऊर्जा	मि.यू.	363	252

- बॉक्साइट खान (पंचपटमाली खानों के उत्तर-मध्य ब्लॉक) ने लगातार तीसरे साल 68.25 लाख मे.ट. के परिवहन (उत्पादन) के साथ 100% क्षमता की उपयोगिता हासिल की है।

  दक्षिण ब्लॉक से परिवहन 4.06 लाख मे.ट. है एवं दोनों खानों का संयुक्त परिवहन 72.31 लाख मे.ट. है जो कि पिछले वर्ष से 2.9% की वृद्धि के साथ स्थापना से अब तक सर्वाधिक है।

  वर्ष के दौरान 74.14 लाख मे.ट. का कुल बॉक्साइट उत्खनन भी स्थापना के दिन से अब तक के सर्वाधिक स्तर पर रहा है, इसमें पिछले वर्ष की तुलना 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- एल्यूमिना परिशोधक ने 21.53 लाख मे.ट. एल्यूमिना हाईड्रेट उत्पादन के साथ 102.5% मानकी क्षमता (अर्थात 21 लाख मे.ट.) हासिल किया है, जो स्थापना के समय से सर्वाधिक रहा है।

  एल्यूमिना परिशोधक के वाष्प सृजन संयंत्र (एसजीपी) ने 512 मि.यू. के साथ उच्चतम शुद्ध विद्युत उत्पादन हासिल किया, पिछले वर्ष की तुलना में 5.8% की वृद्धि दर्ज की गई।

- एल्यूमिनियम प्रद्रावक ने पिछले 8 वर्षों में 4.40 लाख मे.टन की उच्चतम ढली धातु का उत्पादन किया, पिछले वर्ष की तुलना में 3.3% की वृद्धि दर्ज की गई।

नया उत्पादः कंपनी ने स्ट्रॉन्टियम रूपांतरित 6XXX सीरीज एल्यूमिनियम बिलेट का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

प्रद्रावक ने वायर रॉड, बिलेट, टी-इंगट, हरे एनोड एवं रॉड युक्त एनोड में स्थापना के दिन से उच्चतम उत्पादन हासिल किया है।

स्थापना के समय से सामान्य 13,450 कि.वा.घं./मे.ट. की तुलना में 13,370 कि.वा.घं./मे.ट. की न्यूनतम विशिष्ट डीसी विद्युत खपत।

स्थापना के समय 1.52 लाख मे.ट. के मूल्य वर्धित उत्पादों का उच्चतम उत्पादन, पिछले वर्ष की तुलना में 10.9% की वृद्धि दर्ज की गई।

ग्र.वि.सं.: ग्र.वि.सं. में 2,662 कि.कैलोरी/कि.वा.घ. की सर्वकालीन न्यून स्टेशन ताप दर हासिल की। ग्र.वि.सं. ने 0.830 कि.ग्रा/कि.वा.घ. के लक्ष्य की तुलना में 0.792 कि.ग्रा./कि.वा.घं. की विशिष्ट कोयला खपत हासिल की। कोयले की खपत में लगभग 2.7 लाख मे.ट. की कमी आई।

पवन विद्युत: देश के विभिन्न स्थानों में 4 पवन विद्युत एककों ने पिछले वर्ष में उत्पादित 252 मि.यू. की तुलना में 363 मि.यू. का उत्पादन किया है, इसमें 44% की वृद्धि दर्ज की गई।

विशेष उच्च मूल्य के एल्यूमिनियम मिश्र धातु संयंत्र की स्थापना के अवसर पर, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु से चर्चा करते हुए श्री अनिल मुकिम, सचिव खान, डॉ. टी.के. चान्द, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, नालको, श्री ए.के. नायक, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय के साथ अध्यक्ष डीआरडीओ एवं निदेशक (परिचालन), मिधानी।

विक्रय कार्य निष्पादन:

रसायन:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी ने 12,44,256 मे.टन के कुल एल्यूमिना निर्यात के साथ 13,17,633 मे.टन की कुल एल्यूमिना बिक्री दर्ज की। वर्ष 2017-18 के लिए तदनुरूपी आँकड़े क्रमशः 13,37,416 मे.टन एवं 12,76,775 मे.टन थे। वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में एल्यूमिना बिक्री में मामूली कमी एल्यूमिनियम धातु के वर्धित उत्पादन के कारण हुआ है।

धातु:

2018-19 के दौरान कंपनी ने 4,40,597 मे.टन की एल्यूमिनियम धातु की बिक्री की, जो कि 2017-18 के दौरान अर्जित 4,26,316 मे.टन के विक्रय आँकड़े से 3.35% अधिक है। कुल एल्यूमिनियम बिक्री में 4,02,134 मे.टन की सर्वकालीन उच्च देशी बिक्री एवं 38,463 मे.टन की निर्यात बिक्री शामिल है। कुल देशी धातु बिक्री में प्रद्रावक संयंत्र से प्रभावित 3,10,702 मे.टन एवं स्टॉक यार्ड से 91,432 मे.टन की बिक्री सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में मालसूची 892 मे.टन के अब तक के न्यून स्तर पर आ गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त बिक्री का सार नीचे तालिका में वर्णित है:

विवरण	एकक	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
निर्यात			
एल्यूमिना	मे.टन	12,44,256	12,76,775
एल्यूमिनियम	मे.टन	38,463	75,847
देशीय			
एल्यूमिना एवं हाईड्रेट	मे.टन	73,377	60,641
एल्यूमिनियम	मे.टन	4,02,134	3,50,469
कुल धातु बिक्री	मे.टन	4,40,597	4,26,316
कुल रसायन बिक्री	मे.टन	13,17,633	13,37,416

वित्तीय कार्य निष्पादन:

वित्तीय कार्य निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
प्रचालनों से राजस्व (सकल)	11,499	9,618
अन्य आय	326	300
कुल आय	11,825	9,918
खपत हुई कच्ची सामग्री	1,920	1,465
कोयला सहित विद्युत एवं ईंधन	2,927	2,748
कर्मचारी परिलाभ व्यय	2,072	2,261
अन्य व्यय	1,690	1,749
मूल्यह्रास एवं ऋणशोधन व्यय	476	480
कुल व्यय	9,085	8,703
विशिष्ट मदों के पूर्व लाभ	2,740	1,215
जोड़/(घटाव): विशिष्ट मद [आय/(व्यय)]	—	824
कर-पूर्व लाभ	2,740	2,039
कर के लिए व्यय	1,008	697
कर पश्चात लाभ	**1,732**	**1,342**

वित्तीय कार्य निष्पादन (₹ करोड़ में)

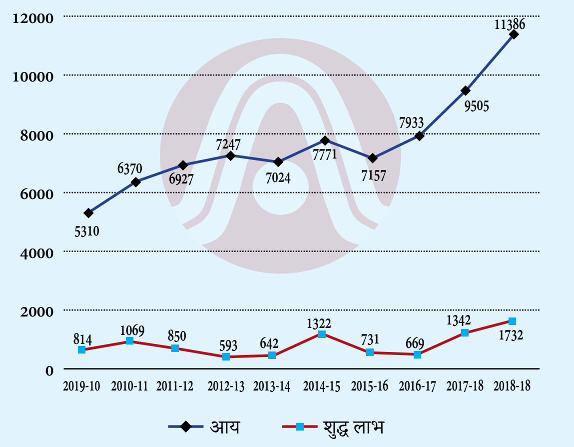

भावी दृष्टिकोण:

एल्यूमिना:

वैश्विक एल्यूमिना बाजार में वित्तीय वर्ष 2018-19 में अधिकांशतः अस्थिरता रही। उत्पादन में रुकावट आने से विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिना परिशोधक - नार्स्क हाउड्रो के 6.3 मे.ट./व. एल्यूनॉर्ट की उत्पादन क्षमता आधी हो गई। सितम्बर में संयंत्र को संपूर्ण रूप से बंद किए जाने की आशंका में विश्व की एल्यूमिना की आपूर्ति में संभावित कमी आने के कारण बहुत अधिक अस्थिरता आ गई। तथापि, एल्यूनॉर्ट परिशोधक का अगस्त/सितम्बर, 2019 तक 75%-80% उपयोगिता हासिल करने का लक्ष्य है एवं 2 मे.टन/वर्ष का अल तवील्हा को

दिसम्बर, 2019 तक अपना पूर्ण उत्पादन पाने की अपेक्षा है। अन्य के साथ, इन कारकों से एल्यूमिना के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2019-20 के दौरान एल्यूमिना के मूल्य यू.एस. डॉलर 300 से 350 प्रति मे. टन की श्रेणी में रहने की अपेक्षा की जा रही है।

एल्यूमिनियमः

वर्ष 2018-19 के दौरान वैश्विक एल्यूमिनियम उद्योग एल्यूमिनियम के मूल्यों में अति अस्थिरता की साक्षी बना। अप्रैल 2018 में यू.सी. रसल पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने के तुरंत बाद कीमतें बढ़ गई जो कि बाद में वापस ले ली गई थी। जनवरी-मार्च 2019 तिमाही से ही मूल्यों में नीचे का रुझान प्रदर्शित हुआ है। अमेरिकी-चीनी व्यापार प्रतिबंधों पर अनिश्चितता बने रहना ही बाजार के इस नकारात्मक रुख का मुख्य कारण है एवं आशंका है कि इससे धातु की मांग प्रभावित होगी। वर्ष 2019 में वैश्विक एल्यूमिनियम बाजार में बहुतायात आपूर्ति की आशा की जाती है एवं अधिकांश क्षमता वृद्धि (लगभग 3 मिलियन टन) चीन में होने की उम्मीद की जाती है। यह कारण चीनी निर्यातों को संभवतः उच्च स्तर पर ले आएगा। वर्ष 2019-20 के दौरान एल्यूमिनियम के मूल्य के यू.एस. डॉलर 1750 से 1800 प्रति मे.टन की श्रेणी में व्यापार करने की उम्मीद की जाती है।

देशीय बाजार में, नियमित उच्च खपतकारी क्षेत्र जैसे कि ऑटोमोबाइल, निर्माण, विद्युत आदि द्वारा चालित एल्यूमिनियम की मांग सुदृढ़ बने रहने की संभावना है। पिछले कुछ वर्ष से आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिए जाने से आर्थिक क्षेत्र में तेज़ी से विकास हुआ है और इसमें और अधिक गति आने की संभावना है। देशीय प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादकों ने लगभग पूरी क्षमता में उपयोगिता हासिल कर ली है। तथापि, एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम के गिरते वैश्विक मूल्यों से उनकी लाभकारिता पर दबाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि देशी मूल्य एलएमई मूल्यों से जुड़े हुए हैं। एल्यूमिनियम आयात की बढ़ती आशंका - जो वर्ष 2018-19 में कुल एल्यूमिनियम को खपत का 58.9% था, बनी रही। इसके प्रत्युत्तर में सरकारी सहयोग से देशीय उत्पादकों को बाजार में अपनी भागीदारी एवं लाभकारिता को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

लाभांश एवं विनियोजनः

वर्ष के दौरान कंपनी ने @ ₹4.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से कुल ₹839.53 करोड़ अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। निदेशक मंडल में आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु ₹1.25 प्रति इक्विटी पर ₹233.20 करोड़ के अंतिम लाभांश का भी प्रस्ताव दिया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹1072.73 करोड़ का कुल लाभांश भुगतान हुआ, जबकि पिछले वर्ष ₹1101.77 करोड़ का लाभांश भुगतान हुआ था। प्रयोज्य लाभांश वितरण कर सहित लाभांश भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष के 98.76% की तुलना में कर-पश्चात लाभ 74.65% है।

प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹ में)

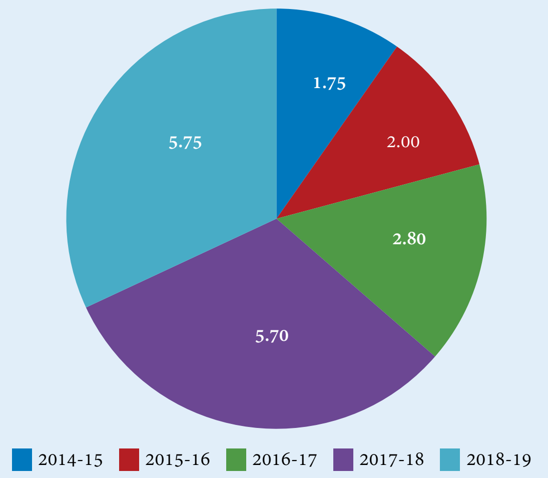

समझौता ज्ञापन कार्य-निष्पादनः

वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं अन्य निर्धारित मानदंडों की उपलब्धियों पर, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, 'उत्कृष्ट' श्रेणी मिलने की आशा है।

कच्चे माल का प्रतिभूतिकरणः

- ओड़िशा सरकार द्वारा खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) आरएमसी, 2015 के अनुसार पंचपटमाली बॉक्साइट खान (केन्द्रीय एवं उत्तरी ब्लॉक) के खनन पट्टे को वर्तमान 31.03.2020 से 16.11.2032 तक विस्तार किया गया एवं पंचपटमाली बॉक्साइट खान (दक्षिण ब्लॉक) के खनन पट्टे को 31.03.2020 से 19.07.2029 तक विस्तार किया गया।
- ग्र.वि.सं., नालको, अनुगुल (1200 मे.वा. ताप विद्युत संयंत्र) की कोयला सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, 47,16,480 मे.टन जी8 से जी14 ग्रेड कोयले के वर्तमान एफएसए को 30 अप्रैल, 2023

तक नवीकृत किया गया था। 8,90,000 मे.ट. जी12 एवं जी 13 ग्रेड कोयले का ब्रिज लिंकेज कोयला, जो 1 मई, 2019 को समाप्त हो रहा था, का नवीकरण 31 मार्च, 2021 तक किया गया।

- आपकी कंपनी के एसपीपी की कोयला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, 8,73,324 मे.ट. देशीय कोयले के वर्तमान 2 एफएसए का नवीकरण 30 अप्रैल, 2023 तक किया गया। इसी प्रकार 50% देशीय कोयले के साथ टीजी-IV (1,01,000 मे.ट.) के एफएसए का नवीकरण 23 दिसम्बर, 2021 तक किया गया।
- लिंकेज नीलामी ट्रेन्च-II में एसपीपी के लिए उपर्युक्त के अलावा, मेसर्स एनसीएल से 2 लाख मे.ट.प्र.व. जी8 ग्रेड कोयले को बुक किया गया था एवं 21 जुलाई, 2017 को एफएसए पर हस्ताक्षर किया गया था, जो 5 वर्ष की अवधि अर्थात 20 जुलाई, 2022 तक के लिए वैध है।
- आपकी कंपनी ने एसपीपी, दामनजोड़ी के लिए नवम्बर, 2018 एवं दिसम्बर, 2018 में आयोजित ट्रेन्च-IV की लिंकेज नीलामी में अतिरिक्त लिंकेज कोयले के लिए भाग लिया है एवं मेसर्स एनसीएल के ब्लॉक - बी से 59,688 मे.ट. जी9 ग्रेड कोयले को बुक किया है जिसके लिए 29 मार्च, 2019 को एफएसए हस्ताक्षरित हुआ एवं 5 वर्षों के लिए अर्थात 28 मार्च, 2024 तक वैध है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने मेसर्स एमसीएल से 1,06,900 मे.ट. कोयले (स्पर-1 एवं 2 से 39,200 मे.ट. जी12 ग्रेड कोयले, स्पर 5 एवं 6 से 42,000 मे.ट. जी12 ग्रेड कोयले एवं सारदेगा साइडिंग से 25,700 मे.ट. जी13 ग्रेड कोयले) लिंकेज नीलामी कोयले को बुक किया है एवं 9 अप्रैल, 2019 को एफएसए पर हस्ताक्षर किया गया था यह 5 वर्षों के लिए अर्थात 8 अप्रैल, 2024 तक वैध है।
- अतएव, उपरोक्त पर विचार करने से आपकी कंपनी ने अभी तक एसपीपी, दामनजोड़ी के लिए 22.75 लाख मे.ट. एल्यूमिना हाईड्रेट उत्पादन के लिए 14.78 लाख मे.टन की आवश्यकता के तहत देशीय स्रोत से 12,90,412 मे.ट. लिंकेज कोयला सुनिश्चित की है।
- उत्कल डी एवं ई कोयला ब्लॉक खानों को कोयले के लिए आपकी कंपनी को आबंटित किया गया है। लंबित सांविधिक अनुमतियों (लघुकृत पट्टा क्षेत्र, परिवर्तन, सुरक्षा क्षेत्र की वन अनुमति के लिए नियम और शर्तों के मसले) को पाने एवं जल्द से जल्द उन्हें परिचालनीय बनाने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यान्वयन के अन्तर्गत परियोजनाएँ

एल्यूमिना परिशोधक की 5 वीं धाराः

आपकी कंपनी ₹5,540 करोड़ के पूँजी व्यय से अपने निवर्तमान एल्यूमिना परिशोधन में 5वीं धारा की स्थापना की प्रक्रिया में है जिससे 2.275 मे.ट.प्र.व. की वर्तमान संस्थापित क्षमता (कुल क्षमता 3.275 मे.ट.प्र.व.) में 1.0 मे.ट.प्र.व. की क्षमता जुड़ेगी, जो मेसर्स रियो टिंटो अल्कान इंटरनेशनल लिमिटेड (आरटीएआईएल) के मध्यम दबाव पाचन की उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी।

आपकी कंपनी ने पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय अनुमति और ओड़िशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) जैसी प्रमुख सांविधिक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली हैं। मेसर्स थाइसेंक्रप्प इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लि. को इस परियोजना के लिए ई.पी.सी.एम. सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एल्यूमिना परिशोधक के वाष्प एवं विद्युत संयंत्र के लिए मेसर्स एम.एन. दस्तुरको को ई.पी.सी.एम. सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। परियोजना के लिए मूलभूत अभियांत्रिकी कार्य मेसर्स आरटीएआईएल द्वारा पूरा कर लिया गया है एवं विस्तृत अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) 17% तक आगे बढ़ चुकी है। दीर्घ सुपुर्दगी संविदाएँ प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पर्यवेक्षण एवं मिट्टी जाँच-पड़ताल से सम्मिलित साइट की गतिविधियाँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं। वर्तमान चारदीवारी के बाहर आपकी कंपनी ने जो जमीन अर्जित की है, उसे प्राप्त करने में स्थानीय गाँववासियों द्वारा बाधा दिए जाने के कारण परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई जो जिला अधिकारियों के सहयोग से मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाया गया एवं जून, 2019 के अंतिम सप्ताह से कार्य शुरु हो गया।

5वीं धारा के लिए बॉक्साइट के वैकल्पिक स्रोत

एल्यूमिना परिशोधक की 5वीं धारा के विस्तार के लिए बॉक्साइट पोट्टांगी खान से प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट है। तथापि, पोट्टांगी खान से बॉक्साइट की उपलब्धता 5वीं धारा विस्तार के निर्धारित आरंभ के उपरांत प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है।

अतएव, आपकी कंपनी के निवर्तमान पंचपटमाली खान के दक्षिण ब्लॉक से बॉक्साइट प्राप्त करने के लिए ₹483 करोड़ के पूँजी व्यय पर एक क्रशिंग एवं कन्वेयिंग सिस्टम को स्थापित करने की योजना बनायी गई है।

उपर्युक्त परियोजना के लिए, ई.पी.सी.एम. सलाहकार के रूप में मेसर्स

डीसीपीएल को नियुक्त किया गया है। डिजाइन अभियांत्रिकी एवं पूर्व निविदा गतिविधियाँ अग्रिम चरण में हैं।

पोट्टांगी बॉक्साइट खानः

भारत सरकार द्वारा पोट्टांगी बॉक्साइट खान (75 मिलियन टन) आपकी कंपनी के पक्ष में आरक्षित की गई है। वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैंः

- ओड़िशा सरकार ने दिनांक 14.05.2015 को 697.979 हेक्टेयर के लघुकृत क्षेत्र पर खनन पट्टे को प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें जारी की गई।
- दिनांक 27.07.2018 को खान योजना को आईबीएम का अनुमोदन प्राप्त हुआ।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से

पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने के लिए दिनांक 28.06.2018 को संदर्भ की शर्तें जारी की गई। आधार-रेखा पर्यावरणीय आँकड़ों का अध्ययन पूरा कर लिया गया है एवं ईआईएआईईएमपी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

- प्रतिपूरक वृक्षारोपण (सीए) योजनाओं को जमा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जून, 2019 में ग्राम सभा का संचालन किया गया है और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन अनुमति प्राप्त करने के लिए वन अधिकार प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राधिकारियों से बातचीत की जा रही है।
- दामनजोड़ी में पोट्टांगी खानों से एल्यूमिना परिशोधक तक बॉक्साइट के वहन हेतु सर्वाधिक मार्ग (रूट) निर्धारित करने के लिए कन्वेयर कॉरिडोर हेतु मार्ग पर्यवेक्षण पूरा कर लिया गया है
- वर्ष 2022, मई से खनन आरंभ किया जाना नियत है।

उत्कल डी एवं उत्कल ई कोयला प्रखंडः

- ओड़िशा सरकार द्वारा दिनांक 30.10.2017 को उत्कल-डी के खनन पट्टे को प्रदान करने के लिए आशय पत्र (एल.ओ.आई) जारी किया गया था।
- उत्कल-डी के भूमि दस्तावेज के निष्पादन द्वारा पूर्व-आबंटिती मेसर्स ओएमसी से भूमि-अंतरण निष्पादन दिनांक 31.01.2019 को पूरी कर लिया गया है।
- उत्कल-डी की वन अनुमति (एफसी) प्राप्त करने के अंश के तौर पर डीजीपीएस पर्यवेक्षण का संचालन किया गया है एवं सीए योजनाएँ जमा की गई हैं।
- उत्कल-डी के लिए, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से 301.28 हेक्टेयर खनन पट्टे क्षेत्र के लिए पूर्व-अनुमोदन प्राप्त हुआ एवं खनन पट्टा प्रदान करने के लिए संशोधित नियम और शर्तें ओड़िशा सरकार द्वारा जारी की गई हैं।
- मेसर्स एम.ई.सी.ओ.एन. (लेनदेन सलाहकार) ने उत्कल-डी एवं ई के लिए एमडीओ के चयन हेतु निविदा कागजात एवं कोयला खनन अनुबंध तैयार कर लिया है।
- कोयले की निकासी हेतु केरजेंग रेलवे स्टेशन में रेलवे साइडिंग के विकास के लिए मेसर्स राइट्स ने व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट (एफएसआर) जमा कर दिया है।

उत्कल-डी के लिए खनन गतिविधियाँ वर्ष 2019-20 में प्रारंभ होने की अपेक्षा की जाती है एवं सांविधिक अनुमतियों को प्राप्त करने के बाद उत्कल ई को संचालन के उपयुक्त बनाया जाएगा।

25.5 मे.वा. पवन विद्युत परियोजनाः

आपकी कंपनी ₹163 करोड़ के पूँजी व्यय पर कायाथार, तमिलनाडु में

25.5 मेगावाट क्षमता की एक और पवन विद्युत परियोजना जोड़ते हुए अपनी पवन विद्युत क्षमता को 198.40 मेगावाट से बढ़ाकर 223.90 मेगावाट किया जाना प्रक्रियाधीन है। उपकरणों की आपूर्ति एवं निष्पादन पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है, तथापि निष्पादन करनेवाली एजेंसी के पास नकद की परेशानी रहने के कारण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।

एलॉय वायर रॉड मिलः

एल्यूमिनियम तार की छड़ों की उपयोगिता विद्युत पारेषण क्षेत्र में हुई है। हाल के औद्योगिक विकास एवं भारत के गाँवों में विद्युतीकरण, जिससे विद्युत की मांग बड़ी है, के कारण एल्यूमिनियम तार की छड़ों की बृहद आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

वायर-रॉड मिल का शिलान्यास

आपकी कंपनी वायर रॉड क्षेत्र में अपने निर्माण आधार को बढ़ाते हुए इस अवसर को भुनाना चाहेगी। इसी लक्ष्य के साथ 100% उपयोगिता हासिल करने के लिए ईसी श्रेणी के एल्यूमिनियम वायर रॉड के 60,000 ट.प्र.व. या 40,000 ट.प्र.व. एल्यूमिनियम मिश्र धातु के वायर रॉड के लिए मिश्रधातु तार की छड़ो की निर्माण सुविधा की योजना बनायी गई है।

इस परियोजना के लिए ₹131.22 करोड़ के निवेश निर्णय पर आपकी कंपनी पहले ही सहमति दे चुकी हैं। मेसर्स एमईसीओएन को ईपीसीएम सलाहकार नियुक्त किया गया है। निविदा प्रणाली की गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। यह परियोजना वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही तक आरंभ किए जाने के लिए अपेक्षित है।

प्रद्रावक एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र का ब्राउनफील्ड विस्तारः

आपकी कंपनी 5वें पॉटलाइन (5 लाख मे.ट.प्र.व.) के संयोजन एवं निवर्तमान 4 पॉटलाइन को 180 केए से 220 केए (1 लाख मे.ट.प्र.व.) तक पॉट एम्पियर को बढ़ाते हुए और साथ ही प्रत्येक 660 मेगावाट या अन्य विन्यास के 2 एकक के संयोजन द्वारा ग्र.वि.सं. के विस्तार के साथ अनुगुल में प्रद्रावक के ब्राउनफील्ड विस्तार की योजना बना रही है। प्रद्रावक विस्तार के लिए डीपीआर एवं ग्र.वि.सं. विस्तार के टीईएफआर/डीपीआर तैयार करने हेतु मेसर्स ईआईएल एवं मेसर्स डीसीपीएल को नियुक्त किया गया है। प्रद्रावक के लिए, डीपीआर के अंतिमीकरण हेतु ईआईएल द्वारा प्रबंधन प्रस्तुतीकरण किया गया था। ग्र.वि.सं. का डीपीआर मसौदा मेसर्स डीसीपीएल द्वारा जमा कर दिया गया है। तथापी 660 मे.वा. एककों के आउटेज (बिजली के बिना कायावधि) की आपातकालीन विद्युत उपलब्धता के लिए मेसर्स ओपीटीसीएल से आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव, डीपीआर की समीक्षा की जा रही है।

व्यापार विकासः

- **गुजरात अल्कालिज एंड केमिकल्स लि.(जीएसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) में कॉस्टिक सोड़ा परियोजनाः** आपकी कंपनी ने गुजरात के दाहेज में जीएसीएल के साथ 2.7 लाख ट.प्र.व. कॉस्टिक सोड़ा संयंत्र के साथ 130 मेगावाट ग्रहीत विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी "जीएसीएल-नालको अल्कालिज एंड केमिकल प्रा.लि." का गठन किया है। परियोजना का निष्पादन जोर-शोर से चल रहा है।
- **इडको के साथ सं.उ. में अनुगुल एल्यूमिनियम पार्कः** आपकी कंपनी और ओड़िशा इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (इडको) ने राज्य में अनुप्रवाह उद्योगो के प्रचार के लिए अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि. (एएपीपीएल) की स्थापना के लिए एक संयुक्त उद्यम (जेवी) का गठन किया है।
- **एनआईएनएल के साथ संयुक्त उद्यम में कोल तार पिच संयंत्रः** आपकी कंपनी ने एन.आई.एन.एल के कोक ओवन संयंत्र में उत्पादित कोलतार के आधार पर एक कोलतार डिस्टिलेशन संयंत्र की स्थापना के लिए नीलाचल इस्पात निगम लि. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- **उच्च स्तरीय एल्यूमिनियम मिश्रधातु संयंत्रः** आपकी कंपनी ने रक्षा, एयरोस्पेस एवं ऑटोमोबी-ई क्षेत्रों के लिए सं.उ. माध्यम में उच्च स्तरीय एल्यूमिनियम मिश्रधातु संयंत्र की स्थापना हेतु मिश्र धातु निगम लि. (मिधानी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नीति आयोग ने मार्च, 2019 में सं.उ. परियोजना के लिए अनुमति दे दिया है। सं.उ. कंपनी की स्थापना के लिए दोनों कंपनी के निदेशक मंडली द्वारा सं.उ. अनुबंध के अनुमोदन की सहमति दे दी गई है।

खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) के लिए एचसीएल एवं एमईसीएल के साथ सं.उ. अनुबंध पर हस्ताक्षर होते हुए

शुद्ध मूल्य (₹ करोड़ में)

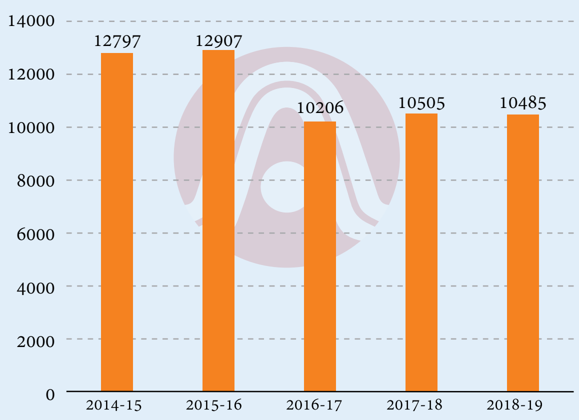

एलएमई नकद (यूएसडी/मे.टन)

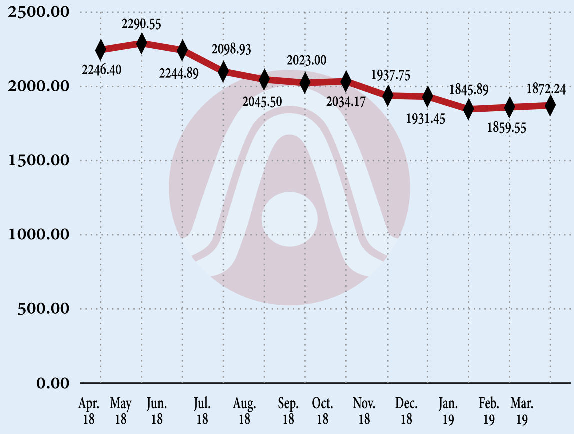

- **विदेशों में रणनीतिक खनिजों का अधिग्रहणः** आपकी कंपनी ने भारत में आपूर्ति हेतु विदेशी स्थानों में रणनीतिक खनिजों को चिह्नित करने, अर्जित करने, विकसित करने, प्रक्रिया करने एवं वाणिज्यिक इस्तेमाल हेतु के साथ भारत सरकार की मेक इन इंडिया (भारत में बनाइए) पहल को प्रोत्साहित करने हेतु एक सं.उ. कंपनी की स्थापना के लिए एचसीएल एवं एमईसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- **एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाएँ:** ओड़िशा के ढेंकनाल जिले के कामाख्यानगर ब्लॉक में एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाओं की स्थापना हेतु आपकी कंपनी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है।
- **लि-आयन सेल प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरणः** आपकी कंपनी लिथियम-आयन सेल के उत्पादन में निवेश कर रही है। लि.आयन सेल प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए आपकी कंपनी को इसरो द्वारा चयनित किया गया है एवं अप्रैल, 2019 में इसरो के साथ समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। प्रौद्योगिकी के अंतरण एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

पूंजी व्यय (कैपेक्स):

वर्ष 2018-19 के दौरान कैपेक्स में ₹919.39 करोड़ उपलब्ध हुए हैं, जो सं.उ. कंपनियों में ₹58.20 करोड़ का निवेश छोड़कर है।

जोखिम प्रबंधन नीतिः

निदेशक मंडल द्वारा जोखिम प्रबंधन नीति तैयार एवं अनुमोदित की गई है तथा यह कंपनी की वेबसाइट **www.nalcoindia.com** पर उपलब्ध है।

मानव संसाधन नीतिः

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशः

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों जैसे कि शारीरिक विसक्षम एवं भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण के मामलों में लागू राष्ट्रपति के निर्देशपत्रों एवं अन्य मार्गनिर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करती है। आपकी कंपनी ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुपालन में विसक्षम श्रेणी के लिए एक समान अवसर नीति प्रकाशित की है। 31.03.2019 को यथा 6,496 की कुल जनशक्ति में से, 1064 अनुसूचित जातियों (16.38%), 1,199 अनुसूचित जनजातियों (18.46%), 824 अन्य पिछड़े वर्ग (12.68%) 95 शारीरिक विसक्षम व्यक्ति (1.46%) एवं 14 भूतपूर्व सैनिक (0.22%) थे। 31.03.2019 को यथा, कंपनी में कुल 359 महिला कर्मचारी कार्यरत थी।

औद्योगिक संबंधः

वर्ष 2018-19 के दौरान हर मोर्चे पर कीर्तिमान कार्य-निष्पादन के अनुकूल परिवेश प्रदान करते हुए आपकी कंपनी में औद्योगिक संबंध वातावरण उत्कर्षता के शिखर पर पहुँच गया। विभिन्न एककों/निगम कार्यालय में अधिकांश ट्रेड यूनियन की पहचान प्रक्रिया शांतिपूर्वक पूरी की गई। इसके बाद, आपकी कंपनी ने 01.01.2017 से 10 वर्षों के लिए छठे दीर्घमियादी मजदूरी निपटान को अंतिम रूप लगभग तीन महीने के कीर्तिमान समय में एवं केवल 9 बैठकों में बहुत ही शांतिपूर्वक

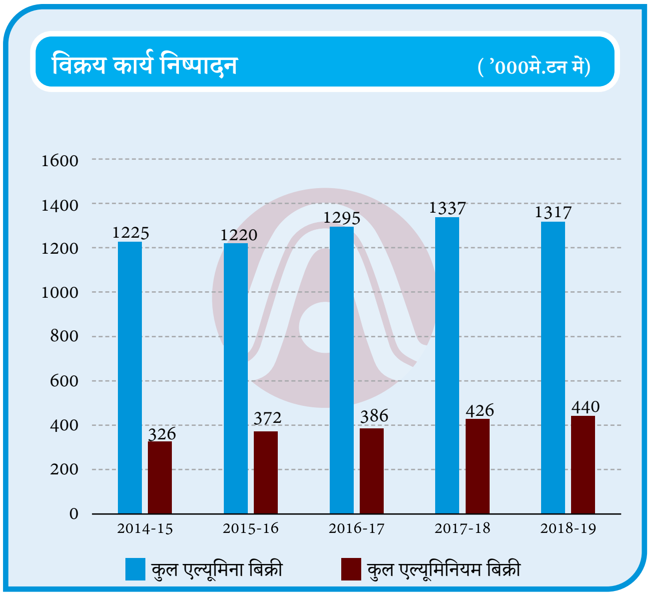

एवं सौहार्दपूर्वक पूरा किया। यह निपटान लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया गया है एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन मिलाप प्रक्रिया की कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया गया है। वर्ष के दौरान किसी औद्योगिक संबंध समस्या के कारण किसी श्रमदिन की हानि नहीं हुई थी। हमेशा की तरह, गैर-अनुशासन के प्रति शून्य सहनशीलता आपकी कंपनी के औद्योगिक संबंध की धारणा की प्रमुख विशेषता बनी रही।

सामाजिक उत्तरदायित्व 8000:

एक शालीन कार्यस्थल के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए आपकी कंपनी ने 2009-10 से ही अंतर्राष्ट्रीय मानक, सामाजिक उत्तरदायित्व 8000 (एसए-8000) अपनाया है। इस प्रमाणन से कर्मचारियों, मालिकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य हितबद्ध पक्षों समेत सभी पणधारियों के लिए कंपनी को बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, सुरक्षित

6ठा दीर्घमियादी मजदूरी समझौता

एवं स्वास्थ्यप्रद कार्य-पर्यावरण, कामकाजी घंटे, पारिश्रमिक संबंध की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया, भेदभाव एवं अनुशासनिक अभ्यासों के क्षेत्र में अधिक पारदर्शी बनने में मदद मिली है।

आपकी कंपनी ने नए संस्करण अर्थात एसए 8000:2014 मानक में अंतरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। निगम कार्यालय सहित सभी एकक आज की तिथि में एसए 8000:2014 मानक से प्रमाणित हो चुके है।

सभी एककों एवं निगम कार्यालय का प्रमाणन हर 3 वर्ष के चक्र में नवीकरण किया जा रहा है।

आई.एन.सी.ए.एल 2019 के दौरान इंडस्ट्री-एकेडेमिया वार्तालाप

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.)

नि.सा.उ. पर वार्षिक विशेषताएँ:

ख्याल रखे जाने वाले समुदायों में खुशियों को बाँटना नालको-नि.सा.उ. का लक्ष्य एवं मनोभाव रहा है। कंपनी के परिचालन क्षेत्रों के आसपास और साथ ही राष्ट्रीय हित के क्षेत्रों के समुदायों का विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन के तहत ध्यान रखा जाता है। सीधे कंपनी द्वारा एवं इसकी नि.सा.उ. की शाखा, नालको फाउंडेशन के माध्यम से ओड़िशा सरकार एवं भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा परिचालन क्षेत्रों में आंतरिक आकलन के आधार पर नि.सा.उ. परियोजनाओं / कार्यक्रमों को चिह्नित किया जाता है।

संधारणीय विकासों के लिए परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) को पूरा करने के कार्य को और प्रोत्साहित करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में गठित अपनी नि.सा.उ. नीति के तहत अनिवार्य रूप से आबंटित की जाने वाली ₹2,738.00 लाख की नि.सा.उ. निधि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में नि.सा.उ. गतिविधियों पर कंपनी ने ₹3,049.78 लाख व्यय किया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, स्वच्छता, सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति एवं

(उपर) नालको के 39वें स्थापना दिवस पर नालको की लाड़ली को वित्तीय सहयोग प्रदान करना; (नीचे) नालको फाउंडेशन द्वारा कौशल विकास परियोजना

राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण एवं विशिष्ट शहर का विकास जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। अधिक रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यावरणीय संधारणीयता एवं कौशल विकास के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा किए गए कुछ नि.सा.उ. प्रयास हैंः

- "नालको की लाड़ली" योजना के अधीन गरीब एवं प्रतिभावान कन्या छात्राओं को वित्तीय सहयोग।
- खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी के परिधीय गाँवों के गरीब पिछड़ेगत एवं आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा।
- मोबाइल स्वास्थ्य एककों (एमएचयू) के माध्यम से कंपनी के परिचालनीय क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ।
- आईकोनिक शहर - पुरी में विकासमूलक कार्य।
- वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगा एवं नवजात शिशु के साथ महिलाओं के लिए पुरी में जगन्नाथ बल्लव मठ से श्री जगन्नाथ मंदिर और साथ ही पुरी, भुवनेश्वर एवं कटक रेलवे स्टेशनों पर बैटरी संचालित वाहन सेवाएँ।
- संयंत्र परिचालन के आसपास सुविधाओं से वंचित/आदिवासी प्रभावित क्षेत्रों में सौर स्ट्रीट लाइट एवं गृह समाधान।
- परिचालन क्षेत्रों के आसपास कौशल विकास कार्यक्रम।
- परिचालन क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति परियोजनाएँ।
- विसक्षम लोगों के लिए सहायक यंत्रों का वितरण।

कंपनी अधिनियम, 2013 के विविध लागू प्रावधानों के अनुपालन में प्रस्तुत नि.सा.उ. गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक-I** में संलग्न किया गया है।

नालको द्वारा स्वच्छ आईकोनिक स्थल के रूप में पुरी का विकास एवं स्वच्छ आईकोनिक स्थल पुरी की पुनरीक्षा

कर्मचारी सामाजिक उत्तरदायित्व (क.सा.उ.)

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) एक स्व-नियंत्रित व्यवसाय मॉडल है जो एक कंपनी को स्वयं, इसके हितधारकों एवं जनसाधारण के प्रति सामाजिक उत्तरदायी बनाने में सहयोग करता है। आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय समेत समाज के हर पहलू पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में कंपनी जागरूक रह सकती है। नालको, एक नवरत्न लोक क्षेत्र उद्यम अपनी स्थापना के दिन से ही समाज के कल्याण के लिए सामाजिक रूप से उत्तरदायी रहा है।

महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय, भारत सरकार की "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान के अनुसरण में नालको द्वारा वर्ष 2015-16 से शुरू किया गया नालको की लाड़ली एक मार्गदर्शी कार्यक्रम है जो कंपनी के परिधीय विद्यालयों के प्रतिभावान एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी

गणतंत्र दिवस-2019, भुवनेश्वर में नालको की झाँकी

हुई कन्या छात्राओं को उनके अध्ययन में सहयोग देने के प्रयोजन से चालू किया गया है। इसके परिचालन क्षेत्रों के आसपास के समुदायों एवं व्यापक रूप से समाज के द्वारा इस पहल की सराहना की गई है एवं इस कार्यक्रम की सफलता पर विचार करते हुए कंपनी ने पूरे भारतीय स्तर पर इसे पहुँचाने की योजना बनायी है।

नालको ने वर्ष 2018-19 को "शेयरिंग एवं केयरिंग" वर्ष के रूप में

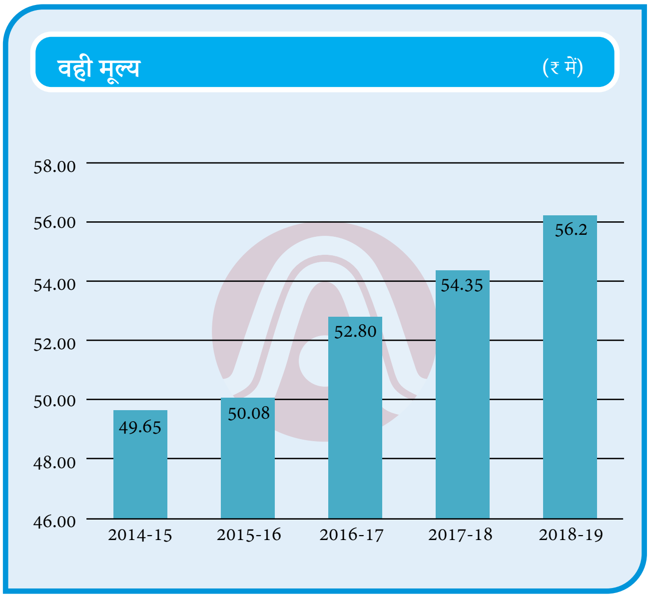

घोषित किया है। उपर्युक्त नि.सा.उ. पहल के लक्ष्य एवं प्रतिपूरण के पथ पर चलते हुए, नालको ने 1 जनवरी, 2019 को कर्मचारी सामाजिक उत्तरदायित्व (क.सा.उ.) प्रारंभ किया है एवं सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि समाज के हित के लिए अपनी स्वेच्छा से सहयोग का हाथ आगे बढ़ाएं। क.सा.उ. योजना के अंतर्गत शुरुआत में, "नालको की लाड़ली" को सहयोग देने के लिए प्रत्येक कर्मचारी ने प्रति वर्ष ₹3000 का योगदान देते हुए एक कन्या शिशु को गोद लिया है, यह राशि छात्रवृत्ति का 50% है एवं शेष ₹3000 की समतुल्य राशि का सहयोग कंपनी के आम वार्षिक नि.सा.उ. बजट से किया जाएगा।

संसदीय समितियों का दौरा

वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित संसदीय समितियों ने कंपनी का दौरा किया:

- दिनांक 23.05.2018 से 25.05.2018 तक कोयला एवं इस्पात, कोजिकोड, केरल पर स्थायी समिति का अध्ययन दौरा।

- मुंबई में 23.08.2018 से 28.08.2018 तक कोलकाता, मुंबई एवं हरिद्वार के लिए सरकारी आश्वासन (2017-18) पर समिति का अध्ययन दौरा।
- दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी एवं शिलाँग में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों की राजभाषा पर संसद समिति की तृतीय उप-समिति का जाँच/दौरा कार्यक्रम का आयोजन भुवनेश्वर में 28.09.2018 से 06.10.2018 तक किया गया।
- कोयला एवं इस्पात पर स्थायी समिति - इन विषयों पर खान मंत्रालय के प्रतिवेदन द्वारा संक्षिप्त विवरणः खान मंत्रालय के अधीन डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) एवं पीएसयू द्वारा नि.सा.उ. गतिविधियों का नई दिल्ली में दिनांक 03.10.2018 को इसका कार्यान्वयन।
- भुवनेश्वर में दिनांक 31.10.2018 को आयोजित हुआ चेन्नई, विशाखापत्तनम एवं भुवनेश्वर के लिए 29.10.2018 से 01.11.2018 तक कोयला एवं इस्पात पर स्थायी समिति के अध्ययन दौरे का आयोजन।
- भुवनेश्वर में 15.01.2019 से 19.01.2019 तक जामनगर, मुंबई एवं भुवनेश्वर के लिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण (2018-19) पर स्थायी समिति का अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-V के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसरण में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

इस रिपोर्ट में निम्न भी शामिल हैः

(क) आगे व्यापार विकास के लिए हाथ में ली गई विभिन्न पहल।

(ख) वित्तीय विवरण एवं जोखिम प्रबंधन पहलों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में विवरण।

(ग) आपकी कंपनी के विभिन्न एककों में पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में हाथ में ली गई विभिन्न पहल।

अंकीय (डिजिटल) रूपांतरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी

आपकी कंपनी व्यवसाय उत्कर्षता के लिए संपूर्ण डिजिटल रूपांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। समरूप कार्य-प्रक्रिया सुनिश्चित करने, सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता एवं निर्णय लेने में सुधार लाने हेतु विक्रय एवं वितरण, वित्त एवं नियंत्रण, सामग्री, मानव संसाधन एवं उत्पादन योजना में एसएपी उद्यम संसाधन आयोजना (ई.आर.पी) कार्यान्वित की गई है। केन्द्रीय सार्वजनिक खरीदी पोर्टल (जीईपीएनआईसी), जीईएम पोर्टल एवं एसएपी एसआरएम के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की ई-खरीदी का निष्पादन किया गया है। केन्द्रीयकृत कर्मचारी स्व-सेवा अनुप्रयोगों जैसे कि उपस्थिति एवं अवकाश, अग्रिम एवं ऋण तथा क्षतिपूर्तियों का कार्यान्वयन किया गया है। अनुगुल एवं दामनजोड़ी में कंपनी के अस्पतालों के लिए अस्पताल प्रबंधन प्रणालियाँ कार्यान्वित की गई हैं।

अभिशासन एवं निगरानी: ऑनलाइन वेब-आधारित अनुप्रयोग जैसे कि पूँजी व्यय, निधि निगरानी, अनुपालन प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई हैं। कागजरहित, दक्ष, पारदर्शी एवं सुरक्षित कार्यालय कार्य-अभ्यास के लक्ष्य पालन में, ई-कार्यालय एवं जानकारी प्रबंधन प्रणाली (के.एम.एस) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

मोबाइल एप्पः डिजिटल प्रयासों के अंश के तौर पर, आपकी कंपनी ने विभिन्न मोबाइल एप्प जैसे कि ग्राहक के लिए "नगीना", मध्यम एवं लघु उद्यम विक्रेताओं के लिए "नमस्या", नि.सा.उ. के लिए "निसर्ग" एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए "हमेशा नालकोनियन" चालू की है।

संयोजकता एवं आधारभूत संरचना: सभी संयंत्रों एवं कार्यालयों को हाई-स्पीड ड्यूएल एमपीएलएस आधारित परिपथों पर संयोजित किया गया है। दामनजोड़ी में डिसास्टर रिकवरी सेंटर के साथ व्यवसाय के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की मेजबानी भुवनेश्वर आंतरिक अत्याधुनिक डेटा सेंटर द्वारा किया जाता है। डेटा सेंटर के लिए सर्वर व्र्युअलाइजेशन को अपनाया गया है जिससे हरित अभ्यासों के अनुसरण में संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग हो पाया है। आपकी कंपनी ने सभी व्यवसाय एककों के मध्य प्रभावकारी संचार के लिए मल्टीचैनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान को अंगीकार किया है।

इंडस्ट्री 4.0: आपकी कंपनी कार्य-प्रचालनों की ज्यादा बेहतर दृश्यगोचरता, दक्षता बढ़ाने एवं सम्पत्तियों की उपयोगिता में सुधार लाने हेतु इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईआईओटी), बड़े आँकड़े एवं विश्लेषकों का इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्री 4.0 कार्य-अभ्यासों को अपनाने की प्रक्रिया में है।

आँकड़ों के विश्लेषक (डेटा एनालिटिक्स): निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए, एनालिटिक्स एवं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। मानव संसाधन एवं विपणन और उत्पादन के लिए मार्गदर्शी कार्यान्वयन प्रगति में है।

आईटी सुरक्षाः आईटी आधारभूत संरचना, अनुप्रयोगों एवं उपयोगकर्ताओं के लिए आईटी सुरक्षा के संपूर्ण दायरे को सम्मिलित करने के लिए, आईएसओ 27001 मानकों को पूरा करने हेतु आईटी अभ्यासों का अनुसरण किया जा रहा है। आईटी आधारभूत संरचना एवं अनुप्रयोग सुरक्षा में नेटवर्क गेटवे एवं एंडपॉइंट सुरक्षा समाधानों की व्यवस्था की जा रही है।

सकल गुणवत्ता प्रबंधन

- **इंटिग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस):**

  पिछली प्रमाणन संस्था के प्रमाणन चक्र की समाप्ति पर एक नई प्रमाणन संस्था अर्थात ब्यूरो वेरिटास की पहचान प्रबंधन प्रणालियों एवं ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के अनुरक्षण हेतु पुनःप्रमाणन एवं निगरानी लेखापरीक्षा के संचालन हेतु निविदा प्रणाली के माध्यम से की गई है। नवम्बर, 2018 से खान, एल्यूमिना परिशोधक एवं ग्र.वि.सं. की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली एवं एल्यूमिना परिशोधक की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की पुनः प्रमाणन लेखा परीक्षा का संचालन पहले ही शुरू कर दिया गया है। आईएमएस आंतरिक लेखापरीक्षाओं एवं प्रबंधन समीक्षा बैठकों का संचालन अनुसूची के अनुसार सभी एककों में किया गया है। 31.03.2019 को यथा, सभी एकक बैध आइएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 एवं ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणपत्रों के साथ यूकेएएस, यूके एवं आरवीए, नीदरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से संचालित है।

- **ऊर्जा प्रबंधनः**

  i) ग्र.वि.सं. के लिए आईएसओ 50001 प्रणाली की पुनः प्रमाणन लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की गई एवं एकक को पुनः प्रमाणीकृत किया गया था। ऊर्जा दक्ष ब्यूरो (बीईई) के सम्पादन, उपलब्ध एवं लक्ष्य (पीएटी) योजना में सम्मिलित सभी तीन उत्पादन एकक ग्र.वि.सं., प्रद्रावक एवं एल्यूमिना परिशोधक वैध आईएसओ 50001:2011 प्रमाणपत्रों से परिचालित हैं जो आरवीए, नीदरलैंड से मान्यताप्राप्त हैं।

  ii) ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए प्रद्रावक में 9 ऊर्जा प्रबंधन कार्यक्रम, ग्र.वि.सं. में 6 ऊर्जा प्रबंधन कार्यक्रम एवं एल्यूमिना परिशोधक में 10 ऊर्जा प्रबंधन कार्यक्रम का वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया।

- **गुणवत्ता मंडल एवं कैजेन्सः**

  i) वर्ष के दौरान गुणवत्ता मंडल गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नए गुणवत्ता मंडल (क्यू.सी.) के गठन के साथ कुल सक्रिय गुणवत्ता मंडल की संख्या बढ़कर 96 पहुँच गई है। आपकी कंपनी के विभिन्न एककों में, वर्ष के दौरान कुल 49 गुणवत्ता मंडल परियोजनाएँ पूरी की गई हैं।

  ii) ग्वालियर में क्यूसीएफआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गुणवत्ता मंडल सम्मेलन में आपकी कंपनी के विभिन्न एककों से 13 गुणवत्ता मंडलों ने हिस्सा लिया एवं इसमें से 8 गुणवत्ता मंडलों को उच्चतम मान्यता संवर्ग अर्थात "अति-उत्कृष्ट" में रखा गया एवं शेष 5 गुणवत्ता मंडलों को "उत्कृष्ट" घोषित किया गया।

  iii) एसजीए योजना के तहत कैजेन के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रद्रावक में कुल 1,077 कैजेन्स पूरे किए गए थे, एल्यूमिना परिशोधक में 836 कैजेन्स पूरे किए गए थे। ग्र.वि.सं. में 544 कैजेन्स पूरे किए गए थे एवं खान एकक में 85 कैजेन्स पूरे किए गए थे।

  iv) गुणवत्ता मंडल एवं कैजेन के तहत सुधार गतिविधियों पर जानकारी पोर्टल एल्यूमिना परिशोधक की टीक्यूएम टीम द्वारा विकसित किया गया एवं इंटरनेट पर अपलोड किया गया। प्रद्रावक एकक इंट्रानेट में भी समरूप जानकारी पोर्टल उपलब्ध है।

  v) ओड़िशा के शीर्ष के गुणवत्ता मंडलों एवं टीपीएम मंडलों के सुविधार्थ आपकी कंपनी द्वारा अप्रैल, 2018 में लगातार 23वें साल के लिए अखिल ओड़िशा गुणवत्ता मंडल सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था।

- **नालको उत्कल गौरव मधुसूदन दास (एनयूजीएमएसडी) गुणवत्ता पुरस्कारः**

  नालको उत्कल गौरव मधुसूदन दास (एनयूजीएमएसडी) गुणवत्ता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे एवं ओड़िशा के कुल 19 विनिर्माण एकक, जिन्होंने पुरस्कार के लिए आवेदन संबंधी कागजात जमा किए थे, में से प्रत्येक श्रेणी अर्थात वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के सबसे शीर्ष के एकक को दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को प्रतिष्ठित राज्य स्तर के पुरस्कार दिए गए थे।

- **लीन सिक्स सिग्माः**
  आपकी कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक में वर्ष के दौरान 05 एलएसएस परियोजनाएँ चिह्नित की गई एवं सभी 05 लीन सिक्स सिग्मा परियोजनाओं को सफलता से पूरा किया गया।

- **व्यवसाय उत्कृष्टता पहलः**
  एल्यूमिना परिशोधन एकक ने वर्ष 2018 के लिए व्यवसाय उत्कृष्टता के ईएफक्यूएम मॉडल के अनुसरण में गठित सीआईआई-ईएक्सआईएम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा की एवं इसे गोल्ड प्लस श्रेणी में रखा गया और बेंगलुरु में 23-24 नवम्बर को आयोजित सीआईआई राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया था। प्रद्रावक में, ईएफक्यूएम मॉडल के अनुसरण में पूर्णत व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए प्रस्तुतीकरण आरंभ किया गया ताकि सीआईआई-ईएक्सआईएम व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के लिए प्रतियोगिता कर सके। इसके अलावा, ग्र.वि.सं. में ईएफक्यूएम मॉडल के अनुसरण में प्रचालनीय उत्कृष्टता ढांचे के लिए प्रस्तुतीकरण आरंभ किया गया ताकि 2019 में सीआईआई-आईक्यू के बीई स्टार पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता कर सके।

- **5एस प्रणाली का कार्यान्वयनः**
  सितम्बर, 2018 में लेखा परीक्षा के उपरांत मेसर्स क्यूसीएफआई द्वारा प्रमाणन के लिए योग्यताप्राप्त एल्यूमिना परिशोधक में 5एस कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई। क्यूसीएफआई द्वारा संस्तुति के बाद जापानी वैज्ञानिकों एवं इंजीनियर के यूनियन (जेयूएसई)ने परिशोधन एकक को अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र जारी किया।

  प्रद्रावक एवं ग्र.वि.सं. दोनों में, 5 एस कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन का आकलन जून, 2018 में क्यूसीएफआई के विशेषज्ञों द्वारा किया गया, जिसे सराहा गया। दोनों एककों में नियमित 5एस प्रबंधन लेखा परीक्षाएँ एवं समीक्षाएँ की गई थी। 5एस कार्यान्वयन की तस्वीरें संबंधित इंट्रा-यूनिट वेबसाइट में अपलोड की गई थी। इसके अलावा, खानों में मेसर्स क्यूसीएफआई के सहयोग से खान-व्यापी 5एस कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्यवन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी में राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार हिन्दी का कार्यान्यवन किया जा रहा है।

- सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नियम कार्यालय, भुवनेश्वर, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल और खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में दिनांक 01.09.2018 से 15.09.2018 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया एवं क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी सप्ताह का पालन किया गया। हिन्दी-भाषी एवं गैर-हिन्दी भाषी कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए पृथक रूप से हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दामनजोड़ी में समापन दिवस समारोह में, राष्ट्रीय विख्यात कवियों द्वारा **'हिन्दी हास्य कवि सम्मेलन'** का आयोजन किया गया।

- पूर्व-होली समारोहों के अवसर पर , निगम कार्यालय, भुवनेश्वर में हिन्दी 'हास्य कवि सम्मेलन' का आयोजन किया गया था, जिसमें मशहूर हास्य कवि चकाचौंध ज्ञानपुरी और उनकी मण्डली को आमंत्रित किया गया था।

- निगम कार्यालय, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल और खान एवं परिशोधन संकुल में हिन्दी शिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया एवं कर्मचारी जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी मुद्रण (टाइपिंग) एवं हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए मनोनीत किया गया। 28 कर्मचारियों ने प्राज्ञ पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण किया एवं नियमों के अनुसार प्रोत्साहन द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। 22 कर्मचारियों का एक और दल प्रशिक्षण ले रहा है। हिन्दी में कार्य करने के लिए व्यावहारिक सत्रों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- आपकी कंपनी की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) भुवनेश्वर और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अनुगुल प्रत्येक की दो बैठकें आयोजित की गई।

- कंपनी की वेबसाइट **www.nalcoindia.com** को नवीकृत किया गया एवं हिन्दी और अंग्रजी दोनों भाषाओं में नियमित रूप में अद्यतन किया जा रहा है।

- वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में एवं राजभाषा सम्मेलनों में "कम्प्यूटर और मोबाइन फोन में हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में यूनिकोड एवं तकनीकी सुविधाएँ" विषय पर संकाय सहायता प्रदान की।

- हिन्दी में कार्य करने के लिए द्विभाषीय टिप्पणियों, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड को स्वयं से सीखने के लिए सहायता फाइल भी कंपनी की इंटरनेट वेबसाइट में अपलोड की गई है।
- निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए "निसर्ग" एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए "नमस्य" मोबाइल एप्प हिन्दी में शुरू किए गए।
- "स्वच्छ भारत अभियान" पर जागरूकता फैलाने के लिए, हिन्दी संगीत से सजा एक वीडियो क्लिप "अमृतम गम्य" का भी विमोचन किया गया।
- निगम कार्यालय, भुवनेश्वर में 27-28 अगस्त, 2018 को खान मंत्रालय के तत्वावधान में "वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावलियों के लिए आयोग" की विशेषज्ञ समिति की अंतिम बैठक की मेजबानी की गई एवं आयोजन किया गया।
- सितम्बर, 2018 में हिन्दी के कार्यान्वयन के संबंध में निगम कार्यालय की जाँच का संचालन संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किया गया। पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता की राजभाषा जाँच का संचालन मार्च, 2019 में सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, कोलकाता द्वारा किया गया।

खेलकूद

- आपकी कंपनी ने देश में खेलकूद और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना जारी रखा है। खेलकूद प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन कार्य के रूप में आपकी कंपनी ने आईटीएफ ओड़िशा इंटरनैशनल प्रो-टेनिस, स्पेशल हॉकी वर्ल्ड कप बुकलेट, भुवनेश्वर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट-2018, टेबल टेनिस चैम्पियनशिप-2018, बीजू पटनायक अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट, 60वाँ नालको कप सीनियर स्टेट बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, नालको ईस्ट जोन इन्विटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट, 20वीं अखिल ओड़िशा नालको टेनिस टूर्नामेंट, 9वाँ हॉकी सीनियर मेन नैशनल चैम्पियनशिप-2019, नालको अजित वाडेकर मेमोरियल इस्ट जोन दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट, सब-जूनियर बॉयज एण्ड गर्ल्स नैशनल चैम्पियनशिप को प्रायोजित किया।

दुति चाँद (धावक) को एशियन गेम्स में उनकी सफलता के लिए सम्मानित किया

- युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के अंश के रूप में, आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के युवा आकांक्षी खिलाड़ियों को सहयोग दिया है।
- आपकी कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है जैसे कि वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए श्री कार्तिक जिन्दल को प्रायोजित किया गया।
- ओड़िशा के युवा शतरंज खिलाड़ी, विश्वजीत महान्ति (राष्ट्रीय स्तर अंडर 7 में तृतीय पुरस्कार विजेता) को खेलकूद प्रयास के तौर पर आपकी कंपनी द्वारा वित्तीय रूप से प्रायोजित किया गया।
- आपकी कंपनी ने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की नीति के रूप में, रियो ओलम्पिक में प्रतिभागिता कर चुकी चार महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी नौकरी प्रस्तावित की। इनमें सुश्री सुनीता लाकड़ा पहले से ही कंपनी में योग दे चुकी हैं एवं नियमित रूप से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही हैं।
- आपकी कंपनी के अन्य खिलाड़ी खेलकूद के विभिन्न कार्यकलापों जैसे कि कोचिंग देने, शिविर लगाने, प्रशिक्षण प्रदान करने और साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए सेलेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं।

सतर्कता

आपकी कंपनी में स्थापित सतर्कता मशीनरी का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

- आपकी कम्पनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) के नेतृत्व में एक सुव्यवस्थित सतर्कता संगठन कार्यरत है, जो भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए हैं। अन्य सतर्कता अधिकारी जो मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता करते हैं, वे सी.वी.ओ. की सहमति से उनकी सलाह पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर चुने जाते हैं। कंपनी के अपने सतर्कता संस्थापन

तीन स्थानों, अर्थात् निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल और खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में हैं।

सतर्कता कार्यकलाप साधारणतः निरोधक, दंडात्मक, निगरानी और अभिज्ञान की प्रकृति के होते हैं।

सतर्कता विभाग के कार्यकलाप संक्षेप में निम्नवत् हैं;

- शिकायतों का अन्वेषण
- संवेदनशील क्षेत्रों में औचक जाँच
- संविदा/क्रय/बिक्री फाइलों और आन्तरिक अंकेक्षण रिपोर्टों का अध्ययन, जो कि सतर्कता मामलों के लिए सूचना पाने का एक अच्छा स्रोत है।
- प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देना।
- सी.वी.सी. परिपत्रों/ मार्गनिर्देशों का परिचालन।
- विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न कर्मचारियों को सतर्कता स्वीकृति प्रदान करना जैसे कि पासपोर्ट, पदोन्नति, त्यागपत्र/ सेवा-निवर्तन/ स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति, पुरस्कार प्राप्ति, विदेशी जिम्मेदारी, और निदेशक-मंडल स्तर पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और नियुक्ति आदि पर अनापत्ति प्रमाणपत्र।
- संपत्ति रिटर्न की जाँच-पड़ताल।
- संवेदनशील पदों पर अधिकारियों की बदली पर प्रबंधन को सलाह देना।
- अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक को सतर्कता मामलों और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों पर सलाह देना।
- सी.बी.आई. के साथ संपर्क कार्य आदि।
- ईमानदारी अनुबंध का कार्यान्वयन।
- निरोधक सतर्कता मशीनरी के अंश के रूप में, कर्मचारियों और सामान्य जनता के मध्य सचेतनता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
- कई सू.प्रौ. (आईटी) प्रयास जैसे कि लर्निंग पोर्टल, ऑनलाइन विजिलेंस क्लीयरेंस, ऑनलाइन एक्जिट प्रोसेस एवं ऑनलाइन विजिलेंस पोर्टल के लिए कदम उठाए गए हैं।
- डीओपीटी पोर्टल पर कार्यपालकों के बुनियादी एवं सतर्कता आंकड़ों का अध्ययन।

मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकलाप

मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकलाप निम्नवत् हैं:

- सी.एम.डी. के साथ संरचनात्मक समीक्षा बैठक आयोजित करने के साथ साथ सी.वी.सी. और सी.बी.आई. के बीच अच्छा संपर्क बनाए रखना।
- मंत्रालय/सीवीसी/सीबीआई को विभिन्न रिपोर्ट/रिटर्न पेश करना।
- आई.पी. (इंटीग्रिटी पैक्ट) के लिए स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों (आईईएम) के चयन में सी.वी.सी. की सहायता करना।
- भ्रष्टाचार रोधी नीतियों/उपायों को तैयार करने/अद्यतन करने में प्रबंधन की सहायता करना।
- सत्यनिष्ठा सूचकांक के विकास में प्रबंधन को सहयोग ।

सचेतक नीति

आपकी कम्पनी उच्चतम मानक की पेशेवर-दक्षता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक व्यावहारिकता अपनाते हुए एक स्पष्ट और पारदर्शी रूप में अपने घटकों के कार्यकलापों के आचरण में विश्वास करती है।

इस नीति का उद्देश्य प्रबंधकीय कार्मिक कार्यवाही को रोकने के लिए जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने और सुरक्षित सचेतक के रूप में एक ढाँचा प्रदान करना है। यह उन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करती है जो कंपनी के अंदर किसी गंभीर अनियमितता के बारे में चिन्ता प्रकट करते हैं।

इस नीति के विस्तृत विवरण आपकी कंपनी की वेबसाइट **www.nalcoindia.com** पर उपलब्ध हैं।

भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति

भ्रष्टाचार एक विशेष श्रेणी का जोखिम है। आपकी कंपनी की भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति भ्रष्टाचार को रोकने एवं भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी विधि के अनुपालन के उद्देश्य से प्रमुख सिद्धांतों एवं आवश्यकता के निर्धारण हेतु कार्यान्वित की गई है।

यह नीति आपकी कंपनी और इसके प्रबंधन की स्पष्ट, पारदर्शी एवं ईमानदार उपायों से व्यवसाय के संचालन में उच्च नैतिक मानकों की प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित करती है जिसका उद्देश्य है आपकी कंपनी की निगम संस्कृति को बेहतर बनाना, निगम अभिशासन में सर्वोत्तम कार्य-अभ्यासों का पालन एवं व्यवसाय की ख्याति को बनाए रखना।

धोखाधड़ी की सूचना देना

वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अधीन लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी की ओर से इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी में कोई भौतिक धोखाधड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है।

कम्पनी के पास एक निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी रोकथाम नीति है और इसे कम्पनी की वेबसाइट **www.nalcoindia.com** पर रखा गया है।

सत्यनिष्ठा सूचकांक विकास

एक भ्रष्टाचार मुक्त परिवेश तैयार करने के लिए सत्यनिष्ठा को कंपनी के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है जो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने, दक्षता बढ़ाने के साथ कार्मिक के नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करती है। सत्यनिष्ठा सूचकांक वित्तीय मापदंडों की बजाय कंपनी की छवि का सूचक होता है। इस विषय में, सीवीसी द्वारा वर्ष 2017-18 में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए लोक उपक्रमों में सत्यनिष्ठा सूचकांक के आकलन हेतु एक ढाँचे की परिकल्पना की गई थी। इस ढाँचे को विकसित करने में आईआईएम-अहमदाबाद के सहयोग के लिए आपकी कंपनी सहित 25 लोक उद्यम, राज्य संगठनों एवं मंत्रालय को सीवीसी द्वारा चयन किया गया था।

संगठनों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दक्षता, पारदर्शिता एवं अनुपालन लाने के लिए विस्तृत प्रश्नावलियों के साथ कार्य-निष्पादन, सत्यनिष्ठा अवबोधन, सक्षम योग्य प्रणालियों, प्रक्रिया प्रबंधन, अनुपालन बड़े मापदंड के रूप में लिए गए हैं। आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों के अवबोधन समेत इन मापदंडों के आधार पर सत्यनिष्ठा सूचकांक का आकलन किया जाएगा।

आपकी कंपनी ने समयबद्ध रूप में इस कार्य-प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए एवं आईआईडी पोर्टल में जमा दिए जाने की समयसीमा में कई क्षेत्रों में कार्य-प्रक्रियाओं में उभरे फासले को दूर करते हुए सक्रिय रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और अंततः फरवरी, 2018 में इसे दाखिल किया गया।

डीओपीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आँकड़ो का अद्यतन

सीवीसी एवं डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आपकी कंपनी ने वेब पोर्टल **"https://doptapp.nic.in/solve/"** पर कार्यापालकों के बुनियादी एवं सतर्कता आँकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन करने की सक्रियता दिखाई है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम (सू.का.अ.) के प्रावधानों के निवारण के लिए, हितधारकों द्वारा माँगी गई सूचना प्रदान करने हेतु, जिम्मेदार एक अपीलेट अधिकारी, एक लोक सूचना अधिकारी एवं नौ सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

2018-19 के दौरान सू.का.अ. आवेदनों एवं अपील के विवरण निम्नानुसार हैं:

	01.04.2018 को यथा प्रक्रियाधीन	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य लोक प्राधिकारी से अंतरित मामलों सहित)	अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित मामलों की सं.	निर्णय जहाँ अनुरोध/ अपील रद्द किए गए	निर्णय जहाँ अनुरोध/ अपील स्वीकृत हुए/ निपटाए गए	31.03.2019 को यथा प्रक्रियाधीन
अनुरोध	18	337	शून्य	107	232	16
प्रथम अपील	शून्य	61	शून्य	04	56	01

सू.का.अ. के अनुरोध एवं अपील भौतिक एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से प्राप्त होते हैं एवं जवाब दिए जाते हैं। आपकी कंपनी जनवरी, 2017 से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आर.टी.आई. पोर्टल (**www.rtionline.gov.in**) के साथ संरेखित हो चुकी है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण एवं सूचीकरण शुल्क का भुगतान

आपकी कंपनी के इक्विटी शेयरों का देश के प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजों - बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध रहना जारी है, जिनके राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए सूचीकरण शुल्क का भुगतान इन स्टॉक एक्सचेंजों को समय पर किया जा चुका है।

शेयरों की वापस खरीदी एवं विनिवेश

पहले की गई रिपोर्ट के अनुसार, 20 जून, 2018 से 22 जून, 2018 के दौरान भारत 22 ईटीएफ को 6,98,88,827 संख्यक शेयरों के अंतरण के बाद भारत सरकार की शेयरधारिता कुल प्रदत्त शेयर पूँजी का 56.59% था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने ₹5,04,83,53,950/- से अधिक नहीं, के एकीकृत विवेचन पर प्रत्येक को नकद में देय ₹75/- प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर प्रत्येक ₹5/- के अंकित मूल्य के 6,73,11,386 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर तक की वापस खरीदी को अनुमोदित किया था (कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में कुल इक्विटी शेयरों के 3.48% का सूचक)। वापस खरीद की प्रस्ताव अवधि दिनांक 13.11.2018 से 28.11.2018 (10 कार्यदिवस) तक खुली थी एवं कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी वापस खरीदी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल के अनुमोदन की तिथि से 56 दिनों के अंदर वापस खरीदी की प्रक्रिया पूरी की गई थी। आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, दिनांक 04.12.2018 को अंतिम भुगतान योग्य शेयरधारकों को किया गया एवं शेयरों की वापस खरीद दिनांक 07.12.2018 को समाप्त हुई। वापस खरीदी के बाद कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹966.46 करोड़ से ₹932.80 करोड़ आ गई। वापस खरीदी के बाद, भारत सरकार की शेयरधारिता कुल प्रदत्त शेयर पूंजी की 56.77% रह गई है।

इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने 21.02.2019 को भारत सरकार ने 8,89,86,323 संख्यक इक्विटी शेयरों का अंतरण भारत सरकार की भारत 22 ईटीएफ योजना में किया एवं उस तिथि को, भारत सरकार के पास 97,00,81,517 इक्विटी शेयर है (कुल इक्विटी शेयर -1,86,56,17,498) जो कि आपकी कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 51.998% है।

शेयरधारकों को सेवाएँ

शेयरों के अंतरण/संचरण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, लाभांश के भुगतान, शेयरों के अभौतिकीकरण एवं पुनः भौतिकीकरण और निवेशकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित सभी मुद्दों पर कंपनी के आरटीए अर्थात मेसर्स कार्वी फिनटेक प्रा. लि., हैदराबाद द्वारा कार्यवाही की जाती है।

डिपॉजिटरियों को वार्षिक अभिरक्षा/निर्गम शुल्क का भुगतान

2018-19 एवं 2019-20 के लिए वार्षिक कनेक्टिविटी शुल्क और अभिरक्षा शुल्क/निर्गम शुल्क का भुगतान मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. और मेसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. दोनों को समय पर किया गया।

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(एफ) के अनुसरण में, कंपनी द्वारा सामाजिक, पर्यावरण एवं शासन के संदर्भ में उठाए गए विभिन्न नए कदमों का वर्णन करनेवाली वर्ष 2018-19 की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट **अनुलग्नक-III** में संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

संधारणीय विकास पर रिपोर्ट

- संधारणीयता पर अनिवार्य रिपोर्ट अर्थात् सेबी की अनिवार्य अपेक्षा पर आधारित आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन पहलुओं को सम्बोधित करनेवाली व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट तैयार कर ली गई एवं प्रकाशित की गई तथा वेब में उपलब्ध कराई गई है।
- उपर्युक्त रिपोर्ट के अलावा, जीआरआई जी4 दिशानिर्देशों के साथ संरेखित, स्वैच्छिक आधार पर, एक स्व-चलित रिपोर्ट तैयार की गई है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा आय और व्यय

अनुसंधान और विकास

- 'स्ट्रॉनटियम रूपांतरित 6 XXX सीरीज एल्यूमिनियम बिलेट एवं प्रथम बिलिंग के प्रथम चरण का परीक्षण उत्पादन' पर अनुसंधान एवं विकास परियोजना दिनांक 15.12.2018 के समझौता ज्ञापन के उत्कृष्ट लक्ष्य की तुलना में दिनांक 08.12.2018 को हो सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई।

पंचपटमाली बॉक्साइट खान, कोरापुट

WA700
SB WLL
01

स्ट्रॉनटियम रूपान्तरित एल्यूमिनियम वबलेट का शुभारंभ

- 'उड़न राख एवं प्रथम बिलिंग से अति छिद्रिल पारगम्य कंक्रीट सामग्री के निर्माण एवं परीक्षण स्वरूप वाणिज्यिक उपयोग' पर अनुसंधान एवं विकास परियोजना को दिनांक 15.12.2018 के समझौता ज्ञापन के उत्कृष्ट लक्ष्य की तुलना में दिनांक 12.11.2018 को ही सफलतापूर्वक पूरी कर लिया गया।
- (i) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी एवं (ii) प्रद्रावक एवं ग्रहीत विद्युत संकुल, अनुगुल दोनों में आपकी कंपनी के आंतरिक अनुसंधान एवं विकास एककों को तीन वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 31.03.2025 तक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), भारत सरकार द्वारा पुनःप्रमाणित किए गए थे।
- एमरिऑन नैनो-प्रौद्योगिकी पर आधारित डि-फ्लोरिडाइजेशन संयंत्र के राजस्व को साझा करने के लिए दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को मेसर्स इसाव्यास टेकनोलॉजी प्रा.लि. (ईटीपीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- एल्यूमिना परिशोधन संयंत्र में सिस्कैड सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया है जो हमारे एल्यूमिना परिशोधन संयंत्र के लिए विभिन्न प्रतिरूपण अध्ययनों में मदद करता है।
- थर्मो ग्रेविमेट्रिक एनालाइजर, एक्सआरडी, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, क्यू.ई.एम.एस.सी.ए.एन. आदि समेत प्रमुख प्रयोगशाला उपकरणों को आरंभ किए जाने के साथ इस वित्तीय वर्ष के दौरान एनआरटीसी का प्रयोगशाला अनुभाग कार्य करना शुरू कर दिया है। प्रद्रावक एवं परिशोधन संयंत्रों की अपेक्षानुसार कोयले, बॉक्साइट, टेपिड रैम्मिंग पेस्ट के कई नमूनों का परीक्षण केन्द्र में किया गया है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान एक स्वधिकार आवेदन स्वीकृत एवं एक दर्ज किया गया।
- वर्ष के दौरान, दो आंतरिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ एवं चार सहयोगपूर्ण परियोजनाएँ पूरी कर ली गई हैं :
  - एनआईटी राउरकेला के साथ सहयोगपूर्ण परियोजना "प्रद्रावक संयंत्र में संपीड़ित वायु खपत निगरानी के लिए अंतःस्थापित प्रणाली" कार्यान्वित हुई।
  - एल्यूमिना परिशोधन संयंत्र की आंतरिक परियोजना "गेहूँ की भूसी के फ्लॉक्यूलेंट द्वारा कृत्रिम फ्लॉक्यूलेंट की पदली" संयंत्र की सभी तीन धाराओं में कार्यान्वित की गई।
  - प्रद्रावक संयंत्र की आंतरिक परियोजना "एनोड के ऑक्सीकरण आचरण की बेहतरी" प्रद्रावक संयंत्र के दोनों जीएपी में कार्यान्वित की गई।
- वर्ष के दौरान ग्यारह नई सहयोगपूर्ण अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ हाथ में ली गई हैं। 31 मार्च, 2019 को, पाँच आंतरिक परियोजनाएँ एवं चौबीस सहयोगपूर्ण परियोजनाएँ प्रगति पर हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन किए जाने के लिए अपेक्षित ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-IV** में दिए गए हैं।

निदेशकों के दायित्वशील विवरण

आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और 134(5) के प्रावधानों के अनुसार पुष्टि करते हैं कि;

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन करके उन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया और ऐसे निर्णय एवं अनुमान तैयार किए जो युक्तिसंगत और सही हैं और वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की स्थिति और उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
- निदेशकों ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखें तैयार किए हैं;
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विनिर्धारित किए और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; और
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ तैयार की थी और ये प्रणालियाँ पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

निगमित अभिशासन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची–V के साथ पठित विनियम 34 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में निगमित अभिशासन रिपोर्ट तैयार की गई एवं इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक**-V पर दी गई है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने निगमित अभिशासन पर एक प्रमाणपत्र जारी किया है जो निगमित अभिशासन रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

संबंधित पक्षों के साथ संविदाएँ और समझौतें

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की नीति को बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रदान किया गया है जिसे www.nalcoindia.com पर देखा जा सकता है।

आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39 की ओर आकर्षित करते हैं जो संबंधित पक्ष प्रकटन को दर्शाती है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष के साथ कोई संविदा नहीं की गई। बहरहाल, इस रिपोर्ट में फॉर्म एओसी-2 में एक रिपोर्ट **अनुलग्नक-VI** पर संलग्न है।

निदेशकगण और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक-मण्डल ने निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को नियुक्त किया है :

- डॉ. टी. के. चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
- श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)
- श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)
- श्री एस. के. रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
- श्री पी. के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्यिक)
  23.04.2018 से प्रभावी
- श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त)
  01.09.2018 से प्रभावी
- श्री एन. के. महान्ति, कंपनी सचिव

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा

कंपनी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा प्राप्त हुई है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, दोनों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंड का पालन किया है।

बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान, निदेशक-मंडल की 9 (नौ) बैठकें आयोजित की गई। बैठकों का ब्यौरा इस वार्षिक रिपोर्ट में निगमित अभिशासन रिपोर्ट (**अनुलग्नक**-V) में उपलब्ध है।

बोर्ड की विभिन्न उप समितियाँ

लेखा परीक्षा समिति सहित बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों, उनकी संरचना, संदर्भ की शर्तों, आयोजित बैठकों के विवरण इस रिपोर्ट की निगमित अभिशासन रिपोर्ट (**अनुलग्नक**-V) में दिए गए हैं।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार विनिर्धारित फॉर्म एमजीटी-9 में इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक** VII के रूप में संलग्न है।

सामान्य

आपके निदेशक उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटन या रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है क्योंकि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, इन मदों के संबंध में कोई लेन-देन नहीं किए गए:-

- अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली जमा से संबंधित विवरण।
- लाभांश, वोटिंग या अन्य से संबंधित अन्तरीय अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।
- कंपनी के कर्मचारियों को शेयर, स्वेट शेयर इक्विटी और ईएसओएस जारी करना।
- कंपनी के सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशक कंपनी से कमीशन प्राप्त नहीं करते हैं।
- विनियामक या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया, जिसका कि कंपनी की वर्तमान स्थिति या भावी परिचालनों पर प्रभाव पड़ सकता है।

आपके निदेशक यह भी उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में कोई प्रकटन या रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है क्योंकि निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की यथा संशोधित अधिसूचना और 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों को इनके लिए छूट प्रदान की है।

- धारा 134(3)(ङ) और धारा 178 (2), (3) व (4) के अनुसार, योग्यता, दायित्व, स्वतंत्रता आदि के निर्धारण हेतु मापदंड सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति।
- कंपनी (लेखें) नियमावली के नियम 8(4) के साथ पठित धारा 134(त) के अनुसार, पद्धति, जिसके द्वारा बोर्ड, इसकी समितियों और एकल निदेशकों के कार्यनिष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया।
- कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली के नियम 5 के साथ पठित धारा 197(12) के अनुसार, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक और कर्मचारी के माध्यिका पारिश्रमिक का अनुपात एवं अन्य निर्दिष्ट विवरण।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

वर्ष 2018-19 के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत एक भी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली।

ऋणों, गारंटी और निवेश के विवरण

कंपनी (मण्डल की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) विनियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत सम्मिलित ऋणों, गारंटी एवं निवेश के विवरण वित्तीय विवरण 2018-19 की टिप्पणी सं. 9 एवं 11 में दिए गए हैं।

सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम एवं संबद्ध कंपनियाँ

कंपनी (लेखा) विनियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक संयुक्त उद्यम एवं संबद्ध कंपिनयों के कार्य-निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति और इनकी प्रमुख विशेषताओं पर रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरण 2018-19 की टिप्पणी सं. 41 एवं 42 में दी गई है।

फॉर्म एओसी-1 (टिप्पणी 42) में संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनियों की मुख्य विशेषताएँ कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण का महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ उल्लेख किया जाता है कि एनपीसीआईएल नालको पावर कंपनी लिमिटेड को हटाने हेतु एमसीए को किए आवेदन के फलस्वरूप, उक्त जेवी में कंपनी के ₹0.03 करोड़ के निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया गया।

पुरस्कार और उपलब्धियाँ

- एल्यूमिना परिशोधक को पर्यावरणीय प्रबंधन पर उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए सृष्टि फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए **"गुड ग्रीन गवर्नेन्स अवार्ड 2018"** नई दिल्ली में 22 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हुआ।
- एल्यूमिना परिशोधक ने प्रतिष्ठित **"ग्रीनटेक एन्वायरनमेंट अवार्ड-2018"** प्राप्त किया।
- नालको ने जून, 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित **"निगम सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयास-2018 (संधारणीय विकास**

सीएमडी को ज्ञान उत्कर्ष पुरस्कार

नालको को आईआईआईई कोल इण्डिया उत्पादकता पुरस्कार

मूल्यांकन" पर तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान संधारणीय विकास के लिए अपनी सर्वोत्तम नि.सा.उ. गतिविधियों के पहचान स्वरूप **"कलिंग नि.सा.उ. पुरस्कार-2017"** प्राप्त किया।

- एल्यूमिना परिशोधक के वाष्प एवं विद्युत संयंत्र (एसपीपी) को नई दिल्ली में आयोजित "थर्मल पावर ओ एण्ड एम कॉन्फ्रेन्स-एक्सपो-अवार्ड्स" समारोह में मिशन एनर्जी फाउंडेशन द्वारा **"विद्युत संयंत्र निष्पादक 2018 - ग्र.वि.सं. (कोयला)"** से पुरस्कृत किया गया।
- राँची में नॉन-फेरस खनिजों एवं धातु 2018 पर 22वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एल्यूमिनियम ज्ञान क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को **"ज्ञान उत्कर्ष पुरस्कार"** प्राप्त हुआ।
- नालको के प्रद्रावक संयंत्र ने पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट अभ्यासों एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित **"स्वर्णिम मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2018"** जीता।
- नालको को निर्यात निष्पादन में उत्कर्षता के लिए प्रतिष्ठित **"दून एवं ब्रैडस्ट्रीट अवार्ड"** प्राप्त हुआ।
- डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय नि.सा.उ. सम्मेलन एवं पुरस्कार के दौरान असाधारण पेशेवर उपलब्धि एवं प्रेरणादायी सामाजिक अंशदान के लिए व्यवसाय नेतृत्व में उत्कर्षता के लिए "इंडियन अचीवर्स अवार्ड" प्राप्त किया।
- पंचपटमाली बॉक्साइट खानों ने **"ओड़िशा धातुमय खान सुरक्षा सप्ताह समारोह समिति (ओएमएमएसडब्ल्यूसीसी)"** के नाम तले आयोजित **"छमाही सुरक्षा सप्ताह समारोह, 2018-19"** के दौरान **"खानों में आपातकालीन तत्परता"** में **द्वितीय सर्वोत्तम पुरस्कार** प्राप्त किया।
- नालको की पंचपटमाली बॉक्साइट खानों ने भुवनेश्वर में भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित **20वें खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण (एमईएमसी) सप्ताह के समापन समारोह में पाँच प्रतिष्ठित पुरस्कार** प्राप्त किया।
- नालको के एल्यूमिना परिशोधक को गोल्ड प्लस संवर्ग में वर्ष 2018 के लिए प्रतिष्ठित **"सीआईआई-एक्जिम बैंक व्यवसाय उत्कर्ष पुरस्कार"** प्राप्त हुआ।
- नालको ने कोलकाता में 34वें ईईपीसी निर्यात उत्कर्ष पुरस्कार समारोह के दौरान **"ईईपीसी गोल्ड अवार्ड"** प्राप्त किया।
- नालको के प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल को अनुगुल में मानव संसाधन क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यासों को अंगीकार करने के लिए ड्रीम फाउंडेशन द्वारा **"मानव संसाधन उत्कृष्टता"** पुरस्कार प्रदान किया गया।
- नालको को **सुकिन्दा, ओड़िशा में आयोजित 36वें वार्षिक धात्विक फेरस खान सप्ताह समारोह"** के दौरान सामान्य कार्यकरण, यांत्रिक अनुरक्षण, सुरक्षा एवं अनुपालन, सेफ्टी

एल्यूमिना परिशोधक को सीआईआई-एग्जिम बैंक व्यवसाय उत्कर्ष पुरस्कार

नालको की खानों को पुरस्कार

स्टॉल नवीकरण समेत बहु श्रेणियों में एवं स्वच्छता पर स्वीकृति दी गई एवं पुरस्कार प्राप्त हुए।

- नालको ने द संवाद द्वारा शुरू किए गए **"ब्राण्ड्स ऑफ ओड़िशा प्राइड ऑफ इंडिया नि.सा.उ. (गोल्ड) पुरस्कार"** प्राप्त किया।
- नालको ने फरवरी 2019 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन-2019 के दौरान स्वच्छता-आधारभूत संरचना भवन एवं स्कूल स्वच्छता प्रयासों के लिए **"स्वच्छ भारत पुरस्कार"** प्राप्त किया।
- नालको के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉ. तपन कुमार चान्द को नि.सा.उ. को नालको की संगठनीय संस्कृति का हिस्सा बनाने में उनके प्रयासों को स्वीकृति देने में **"नि.सा.उ. नेतृत्व पुरस्कार"** प्रदान किया गया।
- प्रवासी ओड़िया समुदाय द्वारा आयोजित मुंबई में फरवरी, 2019 के दौरान अम्मा उत्कर्ष ओड़िशा के समारोह के दौरान झारखंड के माननीय राज्यपाल ने डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को सम्मानित **"ओड़िशारा बड़ापुत्र (बिज़नेस लीडरशिप) पुरस्कार"** दिया है।
- डॉ. तपन कुमार चान्द को उनकी असाधारण पेशेवर उपलब्धियों एवं प्रेरणादायी सामाजिक अंशदान के लिए **"ग्लोबल इंडियन बिज़नेस लीडर"** का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- दलाल स्ट्रीट जर्नल, भारत की सर्वोच्च मूल्यांकित इक्विटी निवेश पत्रिका ने **नालको को पिछले 5 वर्षों में सबसे तेज़ी से बढ़ने रहे एवं उच्च विकास कर रहे पीएसयू** का दर्जा दिया है। इसने नालको को वर्ष 2018 के नवरत्न के रूप में पेश किया है।
- कंपनी को वृद्धि के पथ पर अग्रसर रखने एवं विश्व में बॉक्साइट एवं एल्यूमिना के न्यूनतम लागत उत्पादक का वैश्विक मानदंड हासिल करने के लिए डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को दलाल स्ट्रीट पत्रिका द्वारा रोल ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है।

कंपनी के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्वचलित एवं समेकित दोनों वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ पहले ही उनकी टिप्पणियों के लिए महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के कार्यालय में जमा कर दी गई है। भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक ने महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड I, कोलकाता द्वारा जारी पत्र सं. 846/को.ऑर्डि/0/1-10 (नालको) 2019-20 एवं पत्र सं. 971/को.ऑर्डि./0/1-10 (नालको-सीएफएस) 2019-20 दिनांक 26.06.2019 एवं 08.07.2019 के माध्यम से 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्वचलित एवं समेकित वित्तीय विवरणियों पर 'शून्य' टिप्पणी जारी की है।

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखा-परीक्षक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स गुहा नंदी एण्ड कं., सनदी लेखापाल एवं मेसर्स पात्र एण्ड कं., सनदी लेखापाल कंपनी के संयुक्त लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए।

स्वचलित एवं समेकित वित्तीय विवरणियों पर सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट 30.05.2019 को आयोजित बैठक में बोर्ड के समक्ष पहले ही पेश की गई है।

लागत लेखा-परीक्षक

कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखापरीक्षा कंपनी पर लागू है।

कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की संस्तुति पर वर्ष 2018-19 के लिए मेसर्स तन्मय एस प्रधान एण्ड कं. को लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

आपकी कंपनी निर्धारित समयावधि के अंदर निगमित मामले मंत्रालय को अपनी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट जमा करेगी।

यहाँ उल्लेख किया जाता है कि लेखा परीक्षा की संस्तुति के आधार पर, निदेशक मंडल ने मेसर्स निरेन एण्ड कं., लागत लेखापाल को वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी का लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार मेसर्स देव महापात्र एण्ड कं., अभ्यासरत कंपनी सचिव को वर्ष 2018-19 के लिए आपकी कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षा कार्य के लिए नियुक्त किया गया। सचिवीय लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक VIII** में संलग्न है।

आंतरिक लेखा परीक्षक

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित सनदी लेखापाल फर्मों को नियुक्त किया हैः

(क) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी एवं पत्तन सुविधाएँ, विशाखापत्तनम के लिए मेसर्स राव एण्ड कुमार।

(ख) प्रद्रावक मंडल, अनुगुल के लिए मेसर्स बी.एन. मिश्र एण्ड कं. (01.07.2018 से प्रभावी)।

(ग) ग्र.वि.सं. मंडल, अनुगुल के लिए मेसर्स तेज, राज एण्ड पाल (01.07.2018 से प्रभावी)

(घ) निगम कार्यालय, भुवनेश्वर के लिए मेसर्स एसआरबी एण्ड एसोसिएट्स।

नालको - स्वच्छ भारत अभियान में एक सक्रिय साझेदार

(ङ) पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के लिए मेसर्स एमकेपीएस एण्ड एसोसिएट्स।

(च) पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए मेसर्स प्रबीर रंजन दत्ता एण्ड कं.।

(छ) दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के लिए मेसर्स राघवन एण्ड मुरलीधरन।

(ज) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के लिए मेसर्स भाटिया एण्ड भाटिया।

निदेशकगण

पिछली रिपोर्ट के बाद आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुएः

नियुक्ति

- श्री श्रीधर पात्र 01.09.2018 से कंपनी के निदेशक (वित्त) नियुक्त हुए।
- श्री डी. महन्त, श्री एस. शंकररमण, श्री पी.के. नायक, प्रो. डी. आचार्य एवं श्री एम.साहु, स्वतंत्र निदेशकगण 21.11.2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे एवं उनका कार्यकाल दिनांक 20.11.2018 को समाप्त हुआ था। तदुपरांत, आदेश सं. 2(7)/2016-मेट.I दिनांक 19.11.2018 के माध्यम से भारत सरकार ने उन्हें 21.11.2018 से एक वर्ष की अगली अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया है। अपर निदेशकगण के रूप में उनकी पुनः नियुक्ति एवं नियमित निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए आवश्यक विशेष संकल्प का प्रस्ताव किया गया है जो आगामी 38वीं वार्षिक साधारण बैठक में पारित किया जाएगा।

कार्यकाल समाप्ति

- श्री के.सी. सामल 31.03.2018 से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) नहीं रहे।

आपके निदेशकगण श्री के.सी. सामल द्वारा आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में उनके कार्यकाल के दौरान दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा लिपिबद्ध करना चाहते हैं।

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण पूरी कृतज्ञता के साथ भारत सरकार, विशेषकर खान मंत्रालय, डीआईपीएएम, डीपीई एवं भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, ग्रिडको, ओड़िशा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, महानदी कोलफील्ड्स लि॰, भारतीय रेल, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के महानिदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, कोलकाता, सांविधिक लेखा-परीक्षकों, लागत लेखा-परीक्षकों, सचिवीय लेखा-परीक्षकों, आन्तरिक लेखा-परीक्षकों, बैंकरों, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, न्यायाभिकर्ताओं और सं.उ. साझेदारों, व्यवसाय सहायकों, अन्य सरकारी एजेंसियों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उद्यमों, सम्मानित एवं माननीय देशीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों, विक्रेताओं को उनके द्वारा दिए गए उत्कृष्ट सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा अभिस्वीकृत करते हैं और आनेवाले वर्षों में भी उनके साथ इसी प्रकार के पारस्परिक व्यवसाय सहयोग की कामना करते हैं।

अंतत समभाव से, आपके निदेशकगण उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन से समृद्ध पुनश्च वर्ष के लिए निरंतर सुधार हेतु विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा की गई समर्पित, वचनबद्ध, सदुत्साह, अनवरत प्रयास और निष्ठापूर्ण सेवाओं के लिए तथा श्रमिक संघों एवं अधिकारियों के एसोसिएशनों से प्राप्त सक्रिय समर्थन और सहयोग के लिए भी अपनी सराहना एवं आभार व्यक्त करते हैं। इनकी कड़ी मेहनत, समन्वय, सहयोग एवं समर्थन से ही कंपनी की निरंतर वृद्धि मुमकिन हो पाई है।

कृते निदेशक-मंडल और उनकी ओर से

स्थान : भुवनेश्वर

दिनांक : 06.08.2019

(डॉ. तपन कुमार चान्द)

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

योग दिवस समारोह

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्टः 2018-19

1. **प्रस्तावित प्रक्रियाधीन परियोजनाओं या कार्यक्रमों की रूपरेखा और नि.सा.उ. नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के संदर्भ की वेब-लिंक सहित कंपनी की नि.सा.उ. नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।**

नालको अपने प्रचालन क्षेत्र के आसपास के गाँवों में अपने नि.सा.उ. जिम्मेदारियों के माध्यम से समाज के कमज़ोर वर्गों का समावेशित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसने अपने व्यवसाय के संधारणीय विकास के लिए पीपल, प्लानेट एवं प्रॉफिट (जन, धरती एवं लाभ) से संबंधित मसलों के समाधान को जारी रखा है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिदेश के अनुसार वर्ष 2014-15 के बाद से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अधीन निर्धारित विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत तत्काल पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान हुए शुद्ध लाभ के औसत का 2% खर्च कर रही है।

निदेशक मंडल अनुमोदित कंपनी की विस्तृत नि.सा.उ. नीति कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है।

समीक्षा किए गए निम्नलिखित प्रयासों पर कंपनी निरंतर ध्यान दे रही है :

- **इन्द्रधनुषः** कोरापुट के माओवादी-उत्पीड़ित गाँवों से निर्धन आदिवासी बच्चों को ओड़िशा राज्य में ख्यातिप्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क आवासीय शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी गई।
- **नालको की लाड़लीः** ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिलों में महिलाओं की शैक्षिक दर को बढ़ाने एवं लिंग असमानता के अंतर को मिटाने के लिए, कंपनी ने बीपीएल परिवारों की प्रतिभावान कन्या छात्राओं को शिक्षा के लिए अंगीकृत कर वित्तीय सहायता प्रदान की।
- **परिधीय गाँवों में घर के द्वार तक स्वास्थ्य सेवाः** दुरवर्ती परिधीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने के लिए कंपनी बुनियादी दवाइयों के साथ मोबाइल हेल्थ यूनिटों का परिचालन कर रही है। इस प्रकार परिधीय गाँवों में प्रत्येक साल 1 लाख से अधिक रोगियों का उपचार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 में, एमएचयू सेवा से 1.5 लाख से अधिक रोगी लाभान्वित हुए।

  जरूरतमंद लोगों के लिए पेयजल की सुविधाः पानी अभाववाले परिधीय गाँवों में और साथ ही पुरी में विश्वप्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षित पेय जल प्रदान करना।
- **स्किल इंडिया को सहयोगः** परिधीय गाँवों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विविध कौशल प्रशिक्षण।

  स्वच्छ भारत पहलः स्वच्छ प्रतिरूपी पुण्य स्थल विकास, स्वच्छ विद्यालय एवं ओडीएफ गाँवों के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वस्थता पहलुओं के लिए कदम उठाए गए।
- **ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं का निर्माणः** परिधीय क्षेत्रों में सड़कों, कल्वर्ट, नालों, आश्रय घरों का निर्माण, समुदाय केन्द्रों एवं जलाशयों का नवीकरण एवं मरम्मत कर नया बनाने जैसे कार्यों का निष्पादन।

2. नि.सा.उ. समिति का संघटन

श्री डी. महन्त, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष

श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक

श्री एम. साहु, स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक

श्री एन.एन. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक

श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम

श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.)

श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त)

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभः**

₹1,36,916.00 लाख।

4. **निर्धारित नि.सा.उ. व्यय (ऊपर मद सं. 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)**

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अन्तर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार 2018-19 के लिए निर्धारित नि.सा.उ. व्यय ₹2,738.00 लाख है।

5. **वित्तीय वर्ष के दौरान नि.सा.उ. पर खर्च का विवरणः**

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशिः

₹3,034.92 लाख।

(ख) खर्च नहीं हुई राशि, यदि कोई हो

शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च राशि का प्रणाली-वार विवरण (₹ लाख में)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं.	चिह्नित नि.सा.उ. परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र, जिसमें परियोजना प्रछन्न हैं	परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम, हाथ में लिए गए हैं उस राज्य और जिले का उल्लेख	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार	परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर खर्च राशि का उप शीर्ष (1) परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च	रिपोर्ट अवधि तक सकल खर्च	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
01	स्वास्थ्य पहुँच कार्यक्रम-मोबाइल मेडिकल एकक, नैदानिक एवं सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से सचेतनता निर्माण	अनुसूची VII की मद सं. (i)- निरोधक स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले	361.00	143.85	867.68	नालको फाउण्डेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
02	(क) एसवीए के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण, ओडीएफ पहल के अन्तर्गत घरेलू शौचालय का निर्माण, विद्यालय में शौचालय, स्वच्छ विद्यालय अभियान के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों में पानी आपूर्ति का प्रावधान	अनुसूची VII की मद सं. (i)- निरोधक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले और आंध्रप्रदेश में विशाखापत्तनम् एवं कांकीनाड़ा	100.00	53.21	983.29	नालको फाउण्डेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
	(ख) स्वच्छ प्रतिष्ठित शहर परियोजना-पुरी	अनुसूची VII की मद सं. (i) - निरोधक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को प्रोत्साहन	ओड़िशा का पुरी जिला	476.67	91.60	733.06	नालको फाउण्डेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
03	संयंत्र के परिधीय गाँवों और पुरी में रथयात्रा के दौरान सुरक्षित पीने का पानी प्रदान करना	अनुसूची VII की मद सं. (i)- सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध करना	ओड़िशा के अनुगुल, कोरापुट एवं पुरी जिले	366.47	301.64	517.75	नालको फाउण्डेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
04	शिक्षा को प्रोत्साहन, क) प्रसिद्ध आवासीय स्कूलों में औपचारिक शिक्षा के लिए आदिवासी बच्चों का प्रायोजन ख) नालको की लाड़ली को सहयोग ग) सरस्वती विद्या मंदिर, अनुगुल एवं दामनजोड़ी में परिधीय क्षेत्र के छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा।	अनुसूची VII की मद सं. (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट,अनुगुल खुर्धा जिले एवं उत्तरप्रदेश में वाराणसी	539.12	1,910.60	7,922.02	नालको फाउण्डेशन

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं.	चिह्नित नि.सा.उ. परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र, जिसमें परियोजना प्रछन्न हैं	परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम, हाथ में लिए गए हैं उस राज्य और जिले का उल्लेख	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार	परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर खर्च राशि का उप शीर्ष (1) परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च	रिपोर्ट अवधि तक सकल खर्च	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
05	बेरोजगार युवाओं को रोजगार बढ़ाने वाला प्रशिक्षण प्रदान करना	अनुसूची VII की मद सं. (ii)-रोजगार बढ़ानेवाले पेशागत कौशल	ओड़िशा के अनुगुल, कोरापुट एवं खुर्धा जिले एवं मध्यप्रदेश में ग्वालियर	707.93	172.41	347.22	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
06	गाँवों की महिला बुनकर एवं कतरक का चरखा वितरण कर सशक्तीकरण	अनुसूची VII की मद सं. (iii) - महिला रोजगार	ओड़िशा के खुर्धा, कोरापुट एवं पुरी जिले	0.00	0.00	13.50	नालको फाउण्डेशन
07	वृक्षारोपण, छत पर सौर विद्युत प्रणाली के माध्यम से पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करना	अनुसूची VII की मद सं. (iv)- पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करना	ओड़िशा के कोरापुट एवं खुर्धा जिले	251.76	110.22	509.88	नालको फाउण्डेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
08	राष्ट्रीय धरोहर और संस्कृति के परिरक्षण के प्रति अंशदान और पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का विकास	अनुसूची VII की मद सं. (v) - राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति का परिक्षण	ओड़िशा के कोरापुट एवं सम्बलपुर जिले	70.00	50.85	203.72	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
09	ग्रामीण खेलकूद को प्रोत्साहन	अनुसूची VII की मद सं. (vii)- ग्रामीण खेलकूद, राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त खेलकूद, पैरा-ओलम्पिक खेलकूद एवं ओलम्पिक खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण	ओड़िशा के कोरापुट जिले	9.25	9.25	9.25	नालको फाउण्डेशन
10	सामाजिक-आर्थिक विकास/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यकों/महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष/ केन्द्रीय सरकार निधि में अंशदान	अनुसूची VII की मद सं. (viii) - प्रधानमंत्री राहत कोष या केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किसी अन्य निधि में अंशदान	भारत भर में	0.00	0.00	400.00	नालको फाउण्डेशन
11	परिधीय गाँवों एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास गतिविधियाँ	अनुसूची VII की मद सं. (x) - ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	ओड़िशा के अनुगुल और कोरापुट जिले, मध्यप्रदेश के ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले एवं आंध्रप्रदेश में विजियनगरम एवं विशाखापत्तनम् जिले	340.83	62.71	760.00	नालको फाउण्डेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
12	विभिन्न नि.सा.उ. परियोजनाएँ/कार्यक्रम चलाने के लिए प्रशासनिक व्यय	—	—	195.00	128.58	241.10	नालको फाउण्डेशन
	कुल:				**3,034.92**	**13,508.47**	—

- ऊपर दी गई तालिका की क्रम सं. 6 एवं क्रम सं. 10 प्रक्रियाधीन परियोजनाएँ हैं।
- ऊपर दी गई तालिका के खंड 7 में सकल खर्च वित्त वर्षः 2014-15 से है।
- उपर्युक्त नि.सा.उ. खर्च वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरणियों का भाग है।
- नालको की नि.सा.उ. शाखा, नालको फाउंडेशन, भारतीय न्यास अधिनियम के अधीन एक न्यास है, जो विशेष रूप से कंपनी की नि.सा.उ. गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए गठित किया गया हैं।
- नालको की नि.सा.उ. शाखा, नालको फाउंडेशन द्वारा कंपनी के प्रचालन क्षेत्रों के अंदर कार्यरत उपयुक्त गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सहायता से अधिकांश परियोजनाएँ कार्यान्वित की गई है।

6. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इसके किसी अंश के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत को खर्च करने में असमर्थ होने के मामले में कंपनी को राशि के खर्च नहीं किए जाने के कारण अपने निदेशक-मण्डल की रिपोर्ट में प्रदान करने होंगे।**

   कंपनी ने गत तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च किया है।

7. **भावी नि.सा.उ. रणनीतिः**

   विभिन्न नि.सा.उ. योजनाओं को हाथ में लेते हुए कंपनी के प्रचालन क्षेत्रों में संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के अलावा, नालको राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसरण में कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि स्वच्छ भारत, बेटी-बचाओ - बेटी पढ़ाओ, प्रतिष्ठित पुण्यस्थलों का विकास, स्किल इंडिया पहलों का भी निष्पादन करती है। इसके अलावा, बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ की तर्ज पर इसकी प्रसिद्ध नि.सा.उ. योजना 'नालको-की-लाड़ली' जो प्रतिभावान कन्या छात्राओं को उच्च गुणमान की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है, को भारत भर में चालू किया जा रहा है ताकि लिंग असमानता के फासले को दूर करने के आदर्श कार्य में तात्पर्य रूप से अंशदान दे सके।

8. **नि.सा.उ. नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के नि.सा.उ. उद्देश्यों और नीति का अनुपालन करते हुए हो रही है।**

स्वा./	स्वा./
(डॉ. टी.के. चान्द)	(दीपंकर महंत)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता विकास समिति

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना एवं विकास

एल्यूमिनाः

वर्ष 2018 के दौरान धातुकर्मीय ग्रेड एल्यूमिना (एमजीए) का कुल भूमण्डलीय उत्पादन 123.15 मिलियन टन था, जिससे 2017 के दौरान उत्पादित 122.42 मिलियन टन की तुलना में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। 2018 के दौरान एल्यूमिना की खपत 2017 के दौरान खपत की गई 122.72 मिलियन टन की तुलना में 123.95 मिलियन टन थी, जिससे वर्ष के दौरान 1.0% की वृद्धि हुई। एल्यूमिना के उत्पादन में 57.1% की भागीदारी एवं खपत में 56.9% की भागीदारी के साथ चीन उत्पादन और खपत दोनों में प्रधान अंशदाता था। विश्व धातुकर्मीय ग्रेड एल्यूमिना की मांग 2019 में 129.88 मिलियन टन पहुँचने की उम्मीद की जाती है, जो वर्ष-दर-वर्ष पर 4.8% वृद्धि का सूचक है। तथापि, 2019 में 130.60 मिलियन टन के अपेक्षित उत्पादन के साथ एल्यूमिना के बाजार में 0.7 मिलियन टन की मामूली वृद्धि की अपेक्षा की जाती है।

भारत में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एल्यूमिना का कुल उत्पादन 65 लाख टन था, जिससे वर्ष-दर-वर्ष पर 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें से नालको का अंशदान 21.07 लाख टन (32%) था।

2018 में एल्यूमिना के मूल्यों में तेजी का रूख लाने वाले पहलू समाप्ति के कगार पर हैं। नार्स्क हाइड्रो ने एल्यूनोर्ट में उत्पादन शुरू कर दिया है एवं अगस्त/सितम्बर 2019 तक पूर्ण क्षमता के 75-85% तक पहुँचने की उम्मीद की जाती है। अमीरात ग्लोबल एल्यूमिनियम 2 मिलियन टन/वर्ष अल तवीलहा परिशोधन के प्रथम चरण में अपना प्रचालन शुरू करने की तैयारी में है।

2018 के दौरान भूमण्डलीय बॉक्साइट उत्पादन लगभग 320.2 मिलियन टन था, जो 2017 में उत्पादित 317.3 मिलियन टन से 0.9% अधिक है। 2019 के दौरान भूमण्डलीय बॉक्साइट उत्पादन लगभग 340.6 मिलियन टन पहुँचने की आशा की जाती है। चीनी परिशोधकों का रुझान बहुत तेजी से आयातित बॉक्साइट स्रोतों की ओर रहा है एवं चीन अब कीर्तिमान परिमाण में बॉक्साइट का आयात कर रहा है। 2019 की तिमाही 1 में चीन ने 25.8 मिलियन टन से अधिक बॉक्साइट का आयात किया है, जो उस अवधि के दौरान चीनी बॉक्साइट की कुल मांग के 65.5% के समकक्ष है।

एल्यूमिनियमः

वर्ष 2018 के दौरान एल्यूमिनियम का भूमण्डलीय उत्पादन 63.71 मिलियन टन था, जिससे वर्ष 2017 में उपलब्ध 63.49 मिलियन टन के उत्पादन आँकड़ों की तुलना में 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में, एल्यूमिनियम की विश्वव्यापी खपत वर्ष 2017 में 63.41 मिलियन टन से वर्ष 2018 में 65.39 मिलियन टन पहुँच गई, जिससे 3.1% की वृद्धि हुई। इससे वर्ष 2018 के दौरान वैश्विक बाजार में लगभग 1.7 मिलियन टन की कमी बनी रही। वर्ष के दौरान चीन सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता रहा था, जिसकी एल्यूमिनियम के वैश्विक उत्पादन में 57% की भागीदारी (36.15 मिलियन टन) एवं कुल वैश्विक खपत में 55% की भागीदारी (35.71 मिलियन टन) रही। वर्ष 2018 के दौरान चीन ने 0.3% की ऋणात्मक एल्यूमिनियम उत्पादन वृद्धि दर्ज की, जबकि शेष विश्व ने उत्पादन में 1.2% की वृद्धि हासिल की। एल्यूमिनियम खपत की बात करें तो चीन ने 2018 के दौरान 3.9% की वृद्धि दर्ज की जबकि शेष विश्व ने 2.2% की वृद्धि हासिल की। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत में एल्यूमिनियम की खपत में 9.7% की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान औसत एल.एम.ई. नकद निपटान मूल्य यू.एस. डॉलर 2,036 प्रति मे.टन था, जो कि वर्ष 2017-18 के दौरान यू.एस. डॉलर 2,045 प्रति मे. टन के अनुरूपी आँकड़े से 0.5% कम था। वर्ष के प्रथमार्ध में मूल्य में बढ़ोतरी हुई, परंतु अक्टूबर, 2018 से इसमें कमी आती रही है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में अनुमानित एल्यूमिनियम वैश्विक स्टॉक 11.69 मिलियन टन रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में स्टॉक 13.22 मिलियन टन था, जिससे 11.54% की कमी दर्ज की गई।

वर्ष 2018 में लगभग 1.7 मिलियन टन की वैश्विक बाजार कमी को वर्ष 2019 में घटकर लगभग 1.0 मिलियन टन पहुँचने की उम्मीद की जाती है, जो यू.सी. रसल पर अमेरिकी दण्ड विधान हटाने एवं एल्यूनोर्ट परिशोधक का पूर्ण उत्पादन शुरू होने के तथ्य पर आधारित है।

शक्तियाँ एवं कमजोरियाँ

शक्तियाँः

- अपने दोनों उत्पाद अर्थात एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिना के लिए देशी एवं विदेशी दोनों बाजारों में उपस्थितिः नालको के उत्पादों ने एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम दोनों बाजारों में उच्चतम गुणवत्ता मानदंडों के पालन हेतु देशी एवं वैश्विक बाजारों में ख्याति अर्जित की है।
- देशी एवं निर्यात दोनों बाजारों के लिए पारदर्शी मूल्य एवं विपणन नीतियाँः विदेश के बाजारों में नालको के एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम उत्पादों की बिक्री पारदर्शी 2-चरण की खुली वैश्विक निविदाओं के माध्यम से की जाती है। घरेलू बाजार में, वर्षों से एमओयू (समझौता ज्ञापन) योजनाएँ सफलतापूर्वक संचालित हुई हैं, जिससे भारी संख्या में उपभोक्ताओं की सृष्टि हुई है। एमओयू योजनाएँ नालको को विभिन्न उद्योगों एवं समूचे भौगलिक स्थानों से विभिन्न उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देता है। मूल्य निर्धारण पद्धतिवार एवं उद्देश्यवार रूप में भी किया गया है।
- उपभोक्ताओं को दक्ष सेवा प्रदान करने हेतु मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स प्रणालीः नालकों देशी बिक्री के लिए अपने स्टॉकयार्ड में एवं निर्यात बिक्री के लिए पत्तनों में अपने उत्पादों के परिवहन हेतु उपयुक्त संख्या में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स को पंक्तिबद्ध करता है। इससे सुपुर्दगी लेते समय उपभोक्ताओं को विकल्प प्रस्तावित करने में मदद मिलती है।
- उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर के मापन हेतु उनकी प्रतिक्रियाओं की नियमित निगरानी।
- वुड मैकेन्जी ने नालको को वर्ष 2018 के लिए विश्व में बॉक्साइट एवं एल्यूमिना के न्यूनतम लागत निर्माता का दर्जा दिया है।

कमजोरियाँः

- एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिना बाजार दोनों में सीमित उत्पादन क्षमता एवं उत्पाद स्वरूपः नालको की सीमित उत्पादन क्षमता इसे बृहत श्रेणी के उत्पादों के उत्पादन में सक्षम नहीं बना पाती है, जो कि नालकों को बाजार में ज़्यादा बेहतर प्रवेश करने एवं बाजार की भागीदारी को बढ़ाने में सहयोग दे सकता था।
- प्रौद्योगिकीजनित उन्नतीकरण, विस्तार एवं अनुप्रवाह परियोजनाएँ लेने की योजना बनायी गई है। निकट भविष्य में उपर्युक्त पर ध्यान दिया जाएगा।

अवसर एवं खतरेः

अवसरः

एल्यूमिनियम हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन के बाद तीसरा सबसे अधिक परिमाण में उपलब्ध तत्व है एवं धरती के भू-पृष्ठ से 8% से अधिक की उपलब्धता के साथ भू-पृष्ठ में सबसे अधिक परिमाण में उपलब्ध धातु है। एक संधारणीय सामग्री के रूप में, इसका उपयोग क्षेत्र रोज़मर्रा की वस्तुओं जैसे कि ईंधन दक्ष वाहन एवं बाल्टी से लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक फैला हुआ है। मज़बूती एवं सर्वोतोमुखी विशेषता से समृद्ध एल्यूमिनियम को इतना पतला बनाया जा सकता है जिसे मानव के हाथों से दबाया जा सकता है। और साथ ही, सर्वाधिक उत्कट उपयोग जैसे कि सैन्य विमानन या अंतरिक्ष यात्रा में सुदृढ़ता से प्रयोग किया जा सकता है।

इसका घनत्व स्टील का एक-तिहाई है। वाहनों में, एल्यूमिनियम वजन एवं ईंधन की खपत में कमी लाता है। एल्यूमिनियम के मिश्रधातुओं के संघटन में परिवर्तन लाते हुए इसकी मज़बूती को विभिन्न प्रयोगों में काम में लाया जा सकता है। कुछ मिश्रधातु तो इस्पात जितने मज़बूत होते हैं। एल्यूमिनियम प्राकृतिक रूप से एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड की परत उत्पन्न करता है, जो इसे क्षयरोधक बनाता है एवं यह सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। वजन के आधार पर, एल्यूमिनियम तांबे की तरह ऊष्मा एवं विद्युत का दुगना अच्छा चालक होता है एवं विद्युत पारेषण लाइनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी उत्कृष्ट गठनशीलता काफी गहराई में निर्माण करने या जटिल आकार देने जैसे कि बालटी (कैन) या गाड़ी के बॉडी-पार्टस के निर्माण में सक्षम बनाती है। ऊष्मा और प्रकाश के परावर्तक के रूप में, एल्यूमिनियम सौर प्रौद्योगिकी एवं राहत कम्बलों जैसे उपयोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यथा लेपित एल्यूमिनियम की छतें उन पर पड़ने वाली 95% तक सौर ऊर्जा को परिवर्तित कर सकती है जिससे ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय श्रेष्ठता आती है। कोई स्वाद या विषाक्तता न छोड़ने के कारण एल्यूमिनियम भोजन एवं फर्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए एक आदर्श वस्तु है। एल्यूमिनियम फॉइल प्रकाश, ऑक्सीजन, नमी एवं जीवाणु से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। गुणवत्ता में ह्रास लाए बिना एल्यूमिनियम 100% एवं अनन्त बार पुनः इस्तेमाल योग्य वस्तु है।

भारत में एल्यूमिनियम के लिए उपयोग क्षेत्र इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र लगातार बने हुए हैं, जिसके बार ऑटोमोटिव एवं परिवहन, भवन, निर्माण, पैकेजिंग, कन्ज्यूमर ड्यूरेबल, औधोगिक एवं अन्य प्रयोग के साथ प्रतिरक्षा क्षेत्र शामिल है। भारत में एल्यूमिनियम की मांग 7-8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर बढ़ने की उम्मीद की जाती है एवं इससे विद्युत, परिवहन, भवन, निर्माण एवं पैकेजिंग जैसे क्षेत्र में वृद्धि आएगी।

भारत सरकार द्वारा आगामी वर्षों के दौरान आधारभूत संरचना क्षेत्र विशेष रूप से राजमार्गों, नवीकरणीय ऊर्जा एवं शहरी परिवहन में बड़े पैमाने पर निवेश

करने की उम्मीद का जाती है। केन्द्रीय बजट 2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने इस क्षेत्र के लिए ₹4.56 लाख करोड़ (यू.एस.डॉलर 63.20 बिलियन) आबंटित किया है, जिसमें डाक एवं दूरसंचार विभागों, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना, वायु एवं सौर विद्युत परियोजनाओं, दूरसंचार आधारभूत संरचना, पानी आपूर्ति एवं स्वास्थ्य देखरेख का विकास शामिल है। इन सभी व्यापक निवेश से निकट भविष्य में एल्यूमिनियम की मांग में वृद्धि आने की संभावना है।

खतरेः

एल्यूमिनियम उद्योग के संभावित खतरों में चीनी एल्यूमिनियम मांग में स्पष्ट रूप से कमी आना शामिल है, जिससे चीनी एल्यूमिनियम उत्पादक अपने उत्पाद के निर्यात को बढ़ाने के लिए तत्पर हो उठे हैं। चीन ने वर्ष 2018 में 5.8 मिलियन टन एल्यूमिनियम का कीर्तिमान निर्यात किया एवं वर्ष 2019 के रुझान में कमी आने का कोई संकेत नहीं है। अमेरिका और परिणामी व्यवसाय शुल्कों के बीच व्यावसायिक तनावों को देखते हुए, संभावना है कि चीन अपने एल्यूमिनियम अधिशेष के लिए वैकल्पिक बाजारों की तलाश करेगा, जिससे एल्यूमिनियम के मूल्यों में और कमी आने का दबाव रहेगा। कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम के मूल्यों में लगातार वृद्धि के साथ कच्चे सामानों के मूल्यों में अस्थिरता से भी एल्यूमिनियम उत्पादकों के लिए उत्पादन खर्च में वृद्धि आ सकती है एवं उनकी धारणीयता के लिए यह एक गंभीर खतरा है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के कारण लाल पंक या वायु प्रदूषण के निपटान से सम्बंधित पर्यावरणीय जोखिमों के विरूद्ध सरकार द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई एकं और जोखिम है, जैसा कि एल्यूनॉर्ट परिशोधक एवं चीन के मामले में नज़र आया है। कामचलाऊ इस्पात, पीवीसी, अभियांत्रिकीकृत लकड़ी, शीशा, कार्बन फाइबर, कम्पोजिट आदि जैसे विकल्पों के खतरे भी स्थायी प्रकृति के हैं।

देशीय प्राथमिक एल्यूमिनियम निर्माताओं को द्वितीयक एल्यूमिनियम उत्पादकों द्वारा भी स्क्रैप निर्यातों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जो प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है एवं प्राथमिक उत्पादकों की देशीय बाजार भागीदारी को हजम कर रहे हैं। सच तो यह है कि भारत में एल्यूमिनियम स्क्रैप निर्यात का परिमाण वर्ष 2015-16 में 8.7 लाख एमटी से बढ़कर 2018-19 में 13.5 लाख एमटी पहुँच गया है। पिछले तीन वर्षों में लगभग 56% की वृद्धि हुई है।

भविष्य के लिए दृष्टिकोणः

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यः

एल्यूमिनियम के लिए भूमण्डलीय दृष्टिकोण कुछ प्रधान अर्थ-व्यवस्थाओं द्वारा शुरू किए व्यवसाय युद्धों के बावजूद आशावान बना रहा है। एल्यूमिनियम की भूमण्डलीय खपत वर्ष 2019 में 68.3 मिलियन टन पहुँचने की अपेक्षा है, इससे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.1% की वृद्धि दर्ज होगी। वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादन 4.8% बढ़कर 67.2 मिलियन टन पहुँचने की संभावना है। समग्र रूप से 1.0 मिलियन टन कमी की संभावना है। हालांकि मूल्यों के लिए यह आशावान है, परन्तु बाजार अन्य कारकों पर केन्द्रित रहने की वजह से एल्यूमिनियम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है।

चीन में उत्पादन वर्ष 2018 में कुछ मंदी आने के बाद, वर्ष 2019 में वर्ष-दर-वर्ष पर 1.1% बढ़ने की अपेक्षा की जाती है। चीनी मांग कमजोर बनी रही है। वर्ष के शुरुआती हिस्से में मौसमी आधार पर खपत हमेशा कम रहती है, परन्तु वर्ष-दर-वर्ष पर वृद्धि बहुत तेज़ी से कम हुई है जो कि हाल के महीनों में ऑटो एवं निर्माण क्षेत्रों से मांग कमज़ोर रहने की वजह से हुई है। अर्ध-उत्पादकों से कुल लदान को निर्यात स्तरों में निरंतर तेज वृद्धि से सहयोग मिला है एवं चीनी आम मिश्र धातु शीट एवं अमेरिकी फॉइल के विरुद्ध मूल्य-ह्रास रोधी कार्रवाइयों के बावजूद मुमकिन हुआ है। तथापि, चीनी निर्यातों को खतरे है, चीन से, विशेष कर वेल्लित उत्पादों के लिए आयात में वृद्धि आने से यूरोप में चिंताएँ बढ़ रही है।

अमेरिका में, वर्ष 2019 में ऑटो बिक्री की शुरुआत बहुत धीमी हुई है, जिससे वर्ष 2019 में मांग में अनिश्चितता बढ़ी है। ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं, कीर्तिमान समय के लिए लम्बित पूर्ववर्ती ऑर्डर इनकार किए जा रहे हैं एवं वर्ष 2020 में प्रस्तुति दर एवं एल्यूमिनियम मांग में संभवत कमी आएगी, पर अभी वर्ष 2019 मज़बूती से अपनी पकड़ बनाए रखा है। निर्माण उद्योग की बिल राशि में ह्रास परिलक्षित हुआ है। इस कमी के लिए शीतकालीन विलंबता को दोष लगाया गया था।

यूरोप में आर्थिक मंदी के प्रभाव एवं एल्यूमिनियम सेमीज़ के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से लगातार प्रतिस्पर्धा के कारण यूरोपियन एल्यूमिनियम बाजारों पर दबाव बना रहा। आर्थिक आँकड़े दर्शाते हैं कि जर्मन औद्योगिक उत्पादन एवं पश्चिमी यूरोपीय मासिक कार उत्पादन में बेहतरी आई है, आपूर्तिकर्ताओं की ओर से चुनिंदा अर्ध-तैयार उत्पादों के बाजारों से ऑर्डर में कमी आने, मूल्य कमजोर होने एवं लीड टाइम संकीर्ण रहने की खबर बनी हुई है।

वैश्विक एल्यूमिनियम बाजार अनिश्चितता की अवधि में है, जो 2019 में कमतर मूल्यों में दर्शायी गई है। अमेरिका-चीन व्यवसाय युद्ध में संभावित वृद्धि एल्यूमिनियम बाजार में वैश्विक जोखिम मनोदशा को चोट पँहुचा रही है। अमेरिका द्वारा शुल्क में कोई भी वृद्धि बाजार के मनोभाव को संभवतः और भी मंद करेगी, वहीं बीजिंग भी परिस्थिति में किसी भी प्रसार के लिए प्रतिकार हेतु तैयार है। इसके अलावा, अमेरिकी शासकीय आदेश ईरान के धातु उद्योग पर केन्द्रित है, जिसके तहत इस्पात, एल्यूमिनियम, लौह एवं ताँबे पर प्रतिबंध लगाया गया है। अल्पमियादी में एलएमई मूल्यों पर भौगोलिक स्थिति का जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, किसी भी नए शुल्क से मूल्य में महत्वपूर्ण नकारात्मक जोखिम उत्पन्न होगा। यूएस डॉलर में लगातार आ रही सुदृढ़ता भी निवेशकों को भयभीत कर रही है। जनवरी-मार्च 2019 के दौरान औसत एलएमई एल्यूमिनियम मूल्य यूएस डॉलर 1,859 पीएमटी था, जो कि वर्ष 2018 की पहली तिमाही में दर्ज किए गए यूएस डॉलर 2,159 पीएमटी से काफी कम था।

घरेलू परिदृश्यः

जून 2019 में आरबीआई द्वारा प्रकाशित मुद्रा नीति के अनुसार, भारत की जीडीपी पहली छमाही के दौरान 6.4% से 6.7% एवं दूसरी छमाही के दौरान 7.2% से 7.5% के स्तर में, वर्ष 2019-20 में संभवत 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शा सकती है। भारत की (जीडीपी) वृद्धि को निवेश की निरंतर वसूली एवं जबरदस्त खपत के साथ मुद्रा नीति में अधिक विस्तारात्मक रुख एवं वित्त नीति से कुछ अपेक्षित उत्प्रेरण का सहयोग प्राप्त होगा।

भारत में प्राथमिक उत्पादकों द्वारा एल्यूमिनियम उत्पादन, देशीय बिक्री एवं निर्यात के साथ एल्यूमिनियम खपत की झलकियाँ नीचे तालिका में दी गई हैः

विवरण	2017-18	2018-19	परिवर्तन (%)
एल्यूमिनियम उत्पादन ('000 मे.ट.)	3,383.6	3,695.1	9.21
एल्यूमिनियम देशीय बिक्री ('000 मे.ट.)	1,663.0	1,654.2	-0.53
एल्यूमिनियम निर्यात बिक्री ('000 मे.ट.)	1,724.4	2,037.6	18.17
एल्यूमिनियम आयात ('000 मे.ट.)	1,957.6	2,317.7	18.38
कुल एल्यूमिनियम खपत ('000 मे.ट.)	3,620.8	3,971.8	9.70

भारत में एल्यूमिनियम की देशीय मांग को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गई आधारभूत संरचना परियोजनाओं से लाभ मिलने की आशा की जाती है। विद्युत क्षेत्र जो भारत में एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है, पर सरकार द्वारा दिए जा रहे बल से एल्यूमिनियम उद्योग के लिए यह बेहतर पूर्वाभास है। ऑटोमोबाइल एवं खाद्य पैकेजिंग उद्योगों की ओर से भी एल्यूमिनियम में वृद्धि आने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा, त्वरित शहरीकरण से ग्राहक की मांग बढ़ेगी, जो इस क्षेत्र के लिए एक और सकारात्मक पक्ष है। साथ ही, प्रति व्यक्ति एल्यूमिनियम की खपत वैश्विक औसत से बहुत कम है। हमारी जनसांख्यिकी एवं आर्थिक नजरिए से इसमें हमारे लिए विशाल संभावना मौजूद हैं।

जोखिम एवं चिन्ताएँ :

एल.एम.ई. मूल्यों में अस्थिरता, यूएस डॉलर दरों में उतार-चढ़ाव, एल्यूमिनियम धातु के वैश्विक उत्पादन में उतार-चढ़ाव, वैश्विक अर्थ-व्यवस्था में सुस्ती एवं देशीय बाजार में द्वितीयक उत्पादकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा नियमित चिन्ताएँ बन चुकी हैं। तथापि वर्ष के कुछ हिस्सों के दौरान निविष्टियों विशेषकर कास्टिक सोड़ा, सी.पी.कोक, सी.टी. पिच, एल्यूमिनियम फ्लूराइड के मूल्यों में वृद्धि एवं लिंकेज कोयले की उपलब्धता कुछ प्रमुख चिन्ताएँ हैं।

जोखिम प्रबन्धन:

इस कम्पनी की एक जोखिम प्रबन्धन नीति है, जिसमें अन्य विषयों के साथ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देश शामिल हैं। जोखिम प्रबन्धन को सामान्य व्यावसायिक अभ्यासों के अधीन लिया जाता है और निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में होता है। कम्पनी की निदेशक-मंडल स्तर पर जोखिम प्रबन्धन समिति है। यह समिति आपवादिक जोखिम रिपोर्टों की समीक्षा करती है एवं समय समय पर उपचारी उपायों की राय देती है। जोखिम कम करने के उपायों की आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि कार्यपालक प्रबन्धन एक उचित पारिभाषिक ढाँचे के माध्यम से जोखिम पर नियन्त्रण रखना सुनिश्चित कर सकें। न्यूनीकरण योजनाओं के साथ नए जोखिम क्षेत्रों की पहचान के लिए आवधिक समीक्षा की जाती है। पहचाने गए जोखिम के लिए मनोनीत जोखिम अधिकारी निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर रखते हैं जिनकी कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा और साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर समीक्षा की जाती है। विचलन, यदि कोई हो, तो इसकी रिपोर्ट जोखिम प्रबन्धन समिति और निदेशक-मंडल को दी जाती है।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता:

कम्पनी के पास अपने व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आंतिरक नियंत्रण की एक यथा प्रतिष्ठित एवं पर्याप्त प्रणाली है। कम्पनी की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निम्नोक्त को प्रदान करने के लिए तैयार की गई है:

- प्रयोज्य विधानों, नीतियों एवं कार्य प्रक्रियाओं, नियमों और अधिनियमों तथा प्रत्यायोजित प्राधिकारी का अनुपालन।
- लागू लेखाकरण मानकों और नीतियों का पालन।
- लेनदेनों को समुचित रूप से रिकॉर्ड करना एवं यथा समय रिपोर्ट करना।
- संसाधनों का प्रभावी उपयोग एवं कुशल प्रचालन।
- परिसंपत्तियों की हिफाजत।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5)(ड.) के अनुसार, यह पूर्ण दायित्व निदेशकगणों का है कि वे सुनिश्चित करें कि कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली एवं ढाँचे का कार्यान्वयन किया है, जो पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से परिचालित हैं।

कम्पनी के पास अपने व्यवसाय परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों के नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए सुपरिभाषित नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और दिशा-निर्देश हैं। इसमें कंपनी द्वारा समय समय पर निर्धारित अधिकारों का प्रत्यायोजन, विभिन्न नियमावलियाँ, कायदे कार्यनीतियाँ और मार्गनिर्देश शामिल हैं। कंपनी के व्यवसाय सम्पादन में, अनुमोदित नीतियों, पद्धतियों एवं अनुदेशों का प्रभावी एवं दायित्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया है। कम्पनी ने अंकेक्षण समिति द्वारा यथा अनुमोदित एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढाँचा विकसित और कार्यान्वित किया है जिसमें अंदरूनी संस्था स्तर की नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और प्रचालन स्तर की मानक प्रचालन पद्धतियाँ शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कंपनी के मामलों से जुड़े अधिकारियों में जागरूकता लाना है ताकि निर्दिष्ट नीतियों, पद्धतियों, अनुदेशों का पालन सुनिश्चित हो सके जिनके प्रभावी नियंत्रण के लिए अभिकल्पित एवं व्यवस्थित हैं। इससे निदेशकों को रिपोर्टिंग, प्रचालन एवं अनुपालन जोखिमों के विषय में नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं परिचालनीय कार्यकारिता के बारे में यथा संगत आश्वासन प्राप्त होता है।

वित्तीय विवरणों को लेखा-परीक्षा समिति एवं बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कंपनी द्वारा गृहीत प्रयोज्य लेखांकन मानकों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुपालन में तैयार किया जाता है। पूरी कंपनी भर में इन नीतियों को एक समान लागू किया जाता है। मानक प्रचालन पद्धतियों द्वारा समर्थित लेखांकन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है। यह कम्पनी एक व्यवसायी सक्षमकर्ता के रूप में और साथ ही अपनी लेखा बहियों को व्यवस्थित करने के लिए ईआरपी प्रणालियों का प्रयोग करती है। ईआरपी प्रणालियों में निर्मित मानक प्रचालन पद्धतियाँ और लेनदेन संबंधी नियंत्रण, समुचित अभिलेखन, कार्यविधियों का अनुमोदन एवं अभिलेखों का व्यवस्थापन सुनिश्चित करते हैं। इन प्रणालियों, मानक प्रचालन पद्धतियों और नियंत्रणों की प्रबंधन द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचे में वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले सभी संबंधित क्षेत्रों से संश्लिष्ट की विस्तृत जाँच-सूची संलग्न किया है।

कंपनी ने सभी स्थानों एवं कार्य क्षेत्रों में लेखा-परीक्षा के निष्पादन हेतु अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य वाह्य सनदी लेखाकार फर्मों को सौंपा है। आन्तरिक अंकेक्षक संगठन में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि मुख्यतया पूरे संगठन में ईआरपी कार्यान्वयन द्वारा सरलीकृत हुई है। लेखा-परीक्षा के फलस्वरूप आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन की समय-समय पर उपयुक्त स्तर पर समीक्षा की जाती है एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

आंतरिक लेखा परीक्षकों के भौतिक अवलोकन लेखापरीक्षा समिति के पास जमा कराए जाते हैं ताकि इनकी समीक्षा एवं विश्लेषण हो सके और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सलाह दी जा सके। इस प्रकार प्राप्त कार्रवाई रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति के पास समय-समय पर जमा की जाती है।

वर्ष के दौरान, नियन्त्रणों को जाँचा-परखा गया था एवं रूपरेखा एवं कार्यकारिता में रिपोर्ट करने लायक कोई भौतिक कमजोरी नजर नहीं आई थी जो कि आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित है एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में कथित है। कम्पनी यह निर्दिष्ट करती है कि किसी भी आंतरिक नियंत्रण ढांचे की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी एवं इसमें संशोधन किया जाएगा, ताकि बदलते व्यावसायिक परिवेश के साथ सामंजस्य बैठाते हुए प्रगतिशील आधार पर ऐसी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जा सके।

प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चाः

क) वित्तीय प्रचालनः

i) प्रचालन से राजस्वः

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	परिवर्तन %
निर्यात कारोबार	4,792.71	4,075.46	18
देशीय कारोबार	6,593.61	5,429.66	21
सकल कारोबार	11,386.32	9,505.12	20
अन्य प्रचालन आय	113.00	113.19	—
कुल	11,499.33	9,618.31	20

यहाँ उल्लेख किया जाता है कि 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी पेश किए जाने के फलस्वरूप बिक्री पर उत्पाद शुल्क जिसे सकल कारोवार में सम्मिलित किया गया था, को अलग रखा गया है। अतएव वर्ष 2017-18 के लिए सकल देशीय कारोबार जिसमें 30 जून, 2017 तक बिक्री पर एकत्रित ₹128.96 करोड़ का उत्पाद शुल्क सम्मिलित है एवं 2018-19 के सकल कारोबार में कोई उत्पाद शुल्क सम्मिलित नही है। वर्ष के दौरान शुद्ध देशीय बिक्री कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष के ₹5,300.70 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹6,593.61 करोड़ हो गया है, जिससे लगभग 24% की वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष के दौरान शुद्ध बिक्री कारोबार मूलतः एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम दोनों की औसत-बिक्री वसूली में बेहतरी एवं एल्यूमिनियम बिक्री के परिमाण में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है।

एल्यूमिनियम की औसत बिक्री वसूली ₹1,42,890 से बढ़ कर ₹1,54,872 प्रति मे.ट. हुई है एवं एल्यूमिना में यह वृद्धि पिछले वर्ष के ₹23,866 से बढ़कर ₹33,935 प्रति मे.ट. हुई है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिना का देशीय बिक्री परिमाण लगभग क्रमशः 15% एवं 21% बढ़ा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, हालांकि एल्यूमिना का बिक्री परिमाण 13.37 लाख मे.ट. से घटकर 13.18 लाख मे.ट. हुआ है, एल्यूमिनियम का बिक्री परिमाण पिछले वर्ष के 4.26 लाख मे.ट. की तुलना में बढ़कर 4.41 लाख मे.टन पहुँच गया है।

वर्ष के दौरान अन्य प्रचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष के स्तर पर बनी रही। बिक्री परिमाण में वृद्धि के कारण एल्यूमिनियम पर निर्यात प्रोत्साहन में वृद्धि का प्रतिकार बिक्री परिमाण में ह्रास के कारण एल्यूमिना पर निर्यात प्रोत्साहन से किया गया था। इसी प्रकार, अक्षय विद्युत ऊर्जा उत्पादन पर अधिक प्रोत्साहन जो मूलतः पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के कारण हुआ था, का प्रतिकार आंतरिक रूप से खपत किए गए तैयार उत्पादों में आए ह्रास से किया गया था।

II. अन्य आय (गैर-प्रचालनगत):

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	परिवर्तन %
अन्य आय	325.87	299.65	9

पिछले वर्ष की तुलना में मुख्यतः उच्चतर निवेशीय अधिशेष एवं उच्चतर परिणाम के कारण अन्य गैर-प्रचालनगत आय पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

आय का विभाजनः वित्त वर्ष 2018-19

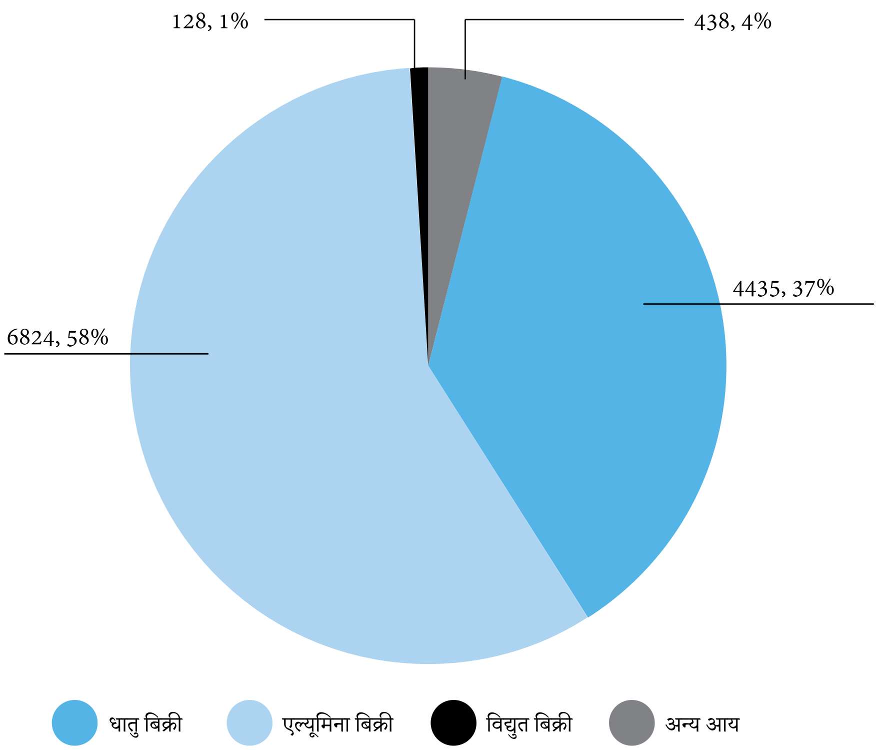

टिप्पणीः अन्य आय में प्रचालन आय शामिल है अर्थात निर्यात प्रोत्साहन और अक्षय ऊर्जा के सृजन पर प्रोत्साहन तथा गैर-प्रचालन आय अर्थात सावधि जमा, म्यूचुअल फंड में निवेश से आय एवं अन्य विविध आय।

III. व्यय

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	परिवर्तन %
खपत किया हुआ कच्चा माल	1,919.68	1,465.31	31
विद्युत और ईंधन	2,927.12	2,747.92	7
कर्मचारी लाभ व्यय	2,072.28	2,261.20	(8)
स्टॉक अभिवृद्धि/अवक्षय	(5.08)	47.43	(111)
अन्य व्यय	1,692.79	1,590.14	6
वित्त लागत	2.38	1.95	22
मूल्यह्रास	476.10	480.40	(1)
उत्पाद शुल्क*	—	108.86	100
कुल	**9,085.27**	**8,703.21**	**17**

** उत्पाद शुल्क को 01.07.2017 से जीएसटी के साथ समाविष्ट किया गया।*

- पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल के व्यय में वृद्धि मूलतः सी.पी.कोक, सी.टी.पिच एवं कॉस्टिक सोड़ा जैसे कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि एवं एल्यूमिना हाईड्रेट एवं एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन परिमाण में वृद्धि के कारण हुई है। तथापि, सी.पी.कोक, सी.टी.पिच एवं कॉस्टिक सोड़ा की न्यूनतर विशिष्ट खपत के कारण व्यय में आंशिक कमी आई है।
- विद्युत एवं ईंधन लागत में वृद्धि मूलतः निम्नोक्त पर आरोपयोग्य हैः कोयला मिश्रण में परिवर्तन, एचएफओ के मूल्य में वृद्धि एवं 12 मई 2017 से प्रभावी विद्युत शुल्क की दर में 30 पैसे से 55 पैसे तक प्रति इकाई वृद्धि के कारण ग्र.वि.सं. में कोयले का उच्चतर प्रभावी मूल्य।
- कर्मचारी लाभ व्यय में कमी मूलतः दिनांक 29.08.2018 से प्रभावी सांविधिक उपदान की उच्चतम सीमा में रु. 10 लाख से रु. 20 लाख की वृद्धि एवं कंपनी द्वारा पीआरएमबीएस में परिवर्तन के फलस्वरूप वर्ष 2017-18 के दौरान प्रदत्त सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान में वृद्धि, जो 2018-19 में दोहराया नहीं गया है, के फलस्वरूप उच्चतर उपदान देयता के कारण है। कर्मचारी लाभ व्यय में इस कमी की आंशिक पूर्ति वर्ष 2018-19 के लिए पीआरपी व्यय में वृद्धि एवं कर्मचारियों के दीर्घमियादी मजदूरी निपटान के कारण दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ व्यय में वृद्धि द्वारा की गई।
- वर्ष 2018-19 के दौरान अन्य व्यय में वृद्धि मूलतः भारत सरकार द्वारा मांग की गई पट्टा देयता की स्वीकृति पर पूर्वदत्त पट्टा प्रीमियम के परिशोध्य में वृद्धि एवं बॉक्साइट उत्पादन और उच्चतर एलएमई में वृद्धि के साथ राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण से है। अन्य व्यय में वृद्धि की आंशिक पूर्ति सौर अक्षत ऊर्जा प्रमाणपत्रों के व्यापारित मूल्यों में कमी आने के कारण आरपीओ व्यय में कमी द्वारा की गई थी।

व्यय का विभाजनः वित्त वर्ष 2018-19

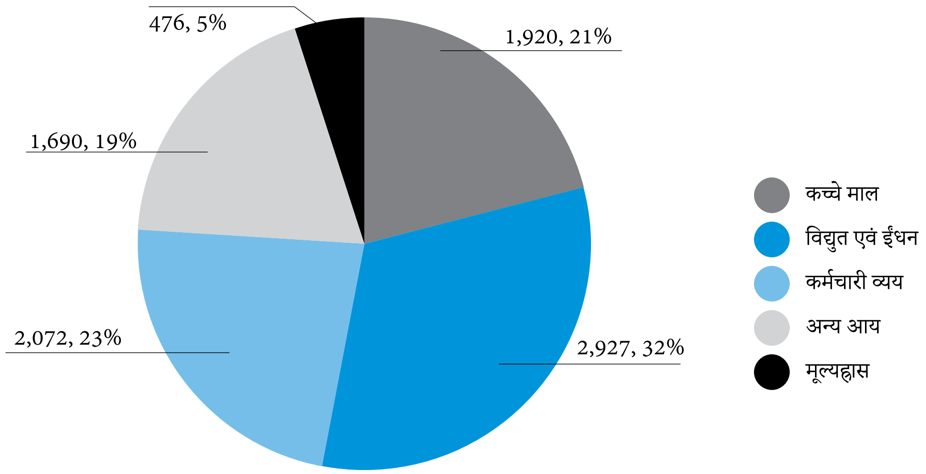

टिप्पणीः अन्य व्यय में मरम्मत एवं अनुरक्षण, स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत, अन्य निर्माण व्यय, साधारण प्रशासनिक व्यय, स्टॉक अभिवृद्धि एवं अवक्षय, वित्त लागत एवं विक्रय और वितरण व्यय शामिल हैं।

IV. कर पश्चात लाभ एवं प्रति शेयर आयः

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
कर-पूर्व लाभ	2,739.92	2,038.83
कर व्यय	1,007.52	696.42
कर-पश्चात लाभ	1,732.4	1,342.41
प्रति शेयर आय (₹5 प्रत्येक का)	9.06	6.94

V. प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनः

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष -2017-18	परिवर्तन
प्रचालनगत लाभ मार्जिन	25.4%	14.90%	70%
शुद्ध मूल्य पर रिटर्न (प्रतिफल)	16.52%	12.78%	29%

टिप्पणीः प्रचालनगत लाभ मार्जिन में वृद्धि, एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम की बिक्री वसूली में क्रमशः 42% एवं 8% की वृद्धि पर वर्ष के दौरान उच्चतर प्रचालनगत लाभ के कारण है।

शुद्ध मूल्य पर रिटर्न (प्रतिफल) में वृद्धि वर्ष 2018-19 के दौरान अर्जित उच्चतर कर पश्चात लाभ एवं शेयर की पुनःखरीद एवं लाभांश भुगतान के फलस्वरूप शुद्ध मूल्य में कमी के कारण से है।

VI. लाभांश का विवरणः

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
अंतरिम लाभांश (%)	90	94
अंतिम लाभांश (%)	25	20
कुल (%)	**115**	**114**

ख) वित्तीय स्थितिः

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	परिवर्तन %
परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	7,953.28	7,845.21	1
अमूर्त	215.21	209.47	3
निवेश	256.59	710.57	(64)
मालसूची	1,210.01	1,194.08	1
व्यापारिक प्राप्य	240.52	258.13	(7)
नकद एवं बैंक	3,496.35	2,768.95	26
ऋण	100.49	104.25	(4)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11.60	165.69	(93)
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	51.26	33.66	52
अन्य परिसंपत्तियाँ	1,611.65	1,323.79	22
कुल	**15,146.96**	**14,613.80**	—
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी शेयर पूँजी	932.81	966.46	(3)
आरक्षित एवं अधिशेष	9,551.70	9,538.35	0.14
आस्थगित कर देयता	1,130.67	1,151.45	(2)
व्यापारिक देय	1,306.91	977.37	34
उधारी	66.79	44.99	48

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18	परिवर्तन %
अन्य वित्तीय देयताएँ	417.56	515.72	(19)
प्रावधान	696.44	811.97	(14)
अन्य देयताएँ	1,044.08	607.49	72
कुल	**15,146.96**	**14,613.80**	—

- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वहन मूल्य में वृद्धि खानों के दक्षिण प्रखंड प्रचालन, परिशोधक में राख तालाब, प्रद्रावक में फायर वाटर हाइड्रेंट के लिए अपेक्षित अतिरिक्त संयंत्र एवं मशीनरियों के पूँजीकरण एवं आईपी-एलपी टरबाइन मॉड्यूल एवं ग्र.वि.सं. में लीन स्लरी परियोजना के लिए पूँजी कार्य में प्रगति के कारण घटी है।
- म्युचुअल फंड में निवेश मूलतः शेयरों की पुनः खरीद एवं लाभांश वितरण के लिए निधि उपयोग किए जाने के कारण कम हुआ है। वर्ष के दौरान अधिशेष निधि की उत्पत्ति को मूलतः बेहतर प्रतिफल के लिए एवं डीपीई द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के अनुपालन में सावधि जमा में निवेश किया गया था। तथापि, वर्ष के दौरान सं.उ. कंपनियों में ₹58.20 करोड़ का इक्विटी अंशदान किया गया है।
- पिछले वर्ष की तुलना में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम दोनों में मुख्यतः गैर-वसूली हुए बिलों में कमी के कारण प्राप्य व्यापार आंशिक रूप से घटा है।
- नकद एवं बैंक शेष में वृद्धि मूलतः आंतरिक प्रोद्-भवन के कारण है। रिपोर्ट तिथि को नकद एवं बैंक शेष में अल्पमियादी निवेशों के रूप में बैंक के पास जमा एवं अदत्त विवादित विद्युत शुल्क के प्रयोजन से निर्दिष्ट खाते में जमा की गई राशि शामिल है।
- आरक्षित एवं अधिशेष में वृद्धि प्रधानतः विनियोग के पश्चात अवशिष्ट लाभ के कारण हुई है।
- गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए दीर्घमियादी मजदूरी समझौते के फलस्वरूप प्रोद्भूत मजदूरी एवं वेतन में वृद्धि की वजह से व्यापार देयता बढ़ी है।
- कंपनी ने भारत सरकार द्वारा उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के फलस्वरूप वर्धित उपदान (ग्रेच्युटी) सीमा को पूरा करने के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान सृजित, बीमांकन द्वारा आकलित प्रावधान के लिए अपेक्षित राशि का अंतरण नालको ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट को किया है।
- वर्ष के दौरान अन्य देयताओं में वृद्धि मूलतः ओड़िशा सरकार द्वारा मांग की गई स्टैम्प ड्यूटी (मुद्रांक-शुल्क) की स्वीकृति एवं अदत्त विद्युत शुल्क देयता में वृद्धि के कारण घटी है।

I. मुख्य वित्तीय अनुपातः

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1.	कर पश्चात लाभ/शुद्ध संपत्ति	16.52%	12.78%
2.	ईबीआईटी/शुद्ध बिक्री	24.08%	12.98%
3.	ईबीआईटी/नियोजित पूँजी	26.75%	12.32%

II. खण्डवार सूचनाः

क्रम सं.	विवरण	रसायण (एल्यूमिना)		एल्यूमिनियम		अनाबंटनीय		कुल
		₹ करोड़ में	अंश (%)	₹ करोड़ में	अंश (%)	₹ करोड़ में	अंश (%)	₹ करोड़ में
1.	सकल बिक्री	4,481	39	6,844	60	174	1	11,499
2.	पीबीआईटी (विशिष्ट मद पूर्व)	1,820	67	778	28	142	5	2,740
3.	नियोजित पूँजी #	2,235	19	4,242	37	5,138	44	11,615
4.	आरओसीई (%) (2/3)	—	82	—	18	—	3	24
5.	पीबीआईटी/सीमांत (%)(2/1)	—	41	—	11	—	218	24

#"अनाबंटित सामान्य" के अधीन नियोजित पूंजी में नकद शेष और पवन विद्युत संयंत्र एवं विस्तार एककों की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

लागत कम करने के उपाय और महत्वपूर्ण कच्चे माल की विशिष्ट खपत कम करने के प्रयासः

प्रद्रावकः

1. 581 चालू पॉट के कैथोड को ग्रैफिटाइज किया गया जिससे 55 कि.वा.घ./मे.ट. पर ग्रैफिटाइज किए हुए पॉट में डी.सी. विद्युत ऊर्जा खपत में कमी आई है।

2. 29 सितम्बर, 2018 को न्यूमैटिक कन्वेयिंग एवं कोक-चूर्ण का पुनर्चक्रण प्रारंभ हुआ। हरे एनोड के उत्पादन में कोक चूर्ण के पुनर्निर्माण से कच्चे माल अर्थात सी.पी. कोक एवं सी.टी.पिच की खपत में कमी आई है।

ग्र.वि.सं.:

1. एकक #7 के उच्च/मध्यवर्ती दबाव (एचआईपी) टर्बाइन मॉड्यूल का प्रदर्शन बहुत कम था। उक्त टर्बाइन को एक नए टर्बाइन से बदला गया। इसके कारण 30,660 में.टन कोयले की प्रति वर्ष बचत हुई है।
2. एकक #2, 3, 5, 6 एवं 7 में कन्डेन्सर की रसायन सफाई हेतु लागत में कमी लाने के उपाय लिए जाने के कारण कन्डेन्सर वैक्यूम में सुधार लगभग डिजाइन मूल्य तक हो गया है। इसके फलस्वरूप, कोयले की खपत में 85,624 मे.ट. प्रति वर्ष की बचत हुई है।
3. संयंत्र प्रक्रिया/उपकरणों में विभिन्न सुधार के कारण, कोयले की विशिष्ट खपत वर्ष 2017-18 के 0.818 कि.ग्रा/कि.वा.घं. से घटकर वर्ष 2018-19 में 0.792 कि.ग्रा./कि.वा.घं. पहुँच गई है।

परिशोधकः

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कुल 16 लागत न्यूनीकरण परियोजनाएँ (सीआरपी) हाथ में ली गई जिसमें से 05 सीआरपी पूरे किए गए एवं शेष समापन के विभिन्न चरणों में है। लागत न्यूनीकरण परियोजनाओं से प्राप्त कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं:

- समतल निचले वाशर्स में गेहूँ की भूसी का कृत्रिम फ्लोक्यूलेंट द्वारा संपूर्ण प्रतिस्थापन से सामग्रियों के क्रय में लगभग ₹3 करोड़ प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष कटौती हुई है।
- 110 कि.वा. रेटिंग के मूल मोटर से 75 कि.वा. रेटिंग मोटर के संस्थापन द्वारा केली फिल्टर-002 फीड पम्प मोटर का रूपांतरण किया गया। मोटर रेटिंग के इस निम्नीकरण से विद्युत में 14 मे.वा.घं. प्रति वर्ष की बचत हुई है।
- काउंटर शैफ्ट सिस्टम को दूर करने के लिए डायस्टर फिल्टर-1001 फीड पम्प-1062ए ड्राइव सिस्टम का रूपांतरण किया गया। इस रूपांतरण से विद्युत में लगभग 150 मे.वा.घं. प्रति वर्ष की बचत हुई है।
- डाइजेशन टैंक-20 एवं 25 मे. स्टेम हीटिंग बंडल (वाष्प तापन बंडल) के संस्थापन (फेज-I एवं II) से प्रत्येक फेज में 1 मी^{3}/घं. की वाष्प संघनन बचत हुई है।
- बैटरी-जी शीतल जलप्रवाह का ईएम टाइप फ्लोमीटर (माप 24") से डीपी टाइप फ्लोमीटर में रूपांतरण, जिससे स्पेयर्स (पुर्जे) की लागत एवं अनुरक्षण लागत में कमी आई है।

लेखाकर उपचार का प्रकटनः

कंपनी के वित्तीय विवरण इंड ए.एस. और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर निर्धारित किये जानेवाले, कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर, वित्तीय विवरण नीचे लेखाकरण नीति में ऐतिहासिक आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित अन्य मानकों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू रूप में वर्गीकृत हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू और गैर-चालू रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के पक्ष में वास्तविक विकासः

मानव संसाधन :

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी की जनशक्ति 6,496 थी, जबकि पिछले वर्ष की अंतिम तिथि को यह संख्या 6,776 थी। विस्तृत विभाजन निम्नोक्त है:

क्रम सं.	पद*	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क.	कार्यपालक	1,782	1,812
ख.	पर्यवेक्षक	594	680
ग.	कुशल/अति कुशल	3,568	3,691
घ.	अकुशल/आंशिक कुशल	552	593
	कुल	6,496	6,776

*स्नातक अभियंता प्रशिक्षु/ प्रबंधन प्रशिक्षु/वरिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु/कनिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं।

प्रशिक्षण एवं विकासः

उत्पादन, उत्पादकता को बढ़ाने और संगठन की व्यवसाय संस्कृति में सुधार लाने के लिए, संगठन के व्यावसायिक लक्ष्य के साथ अपने कर्मचारियों की कार्यकारी और व्यावहारिक क्षमता को उन्नत करने एवं व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के निरंतर प्रयास किये जाते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व एवं अच्छे निगमित शासन की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए, कंपनी ठेका कामगार, प्रशिक्षुओं, प्रबंधकीय और तकनीकी संस्थाओं को छात्रों और साथ ही स्थानीय जनता को भी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है।

नियमित कर्मचारियों के मामले में, कंपनी ने वर्ष 2017-18 के लिए 16,244.5 प्रशिक्षण कार्य-दिवस की तुलना में वर्ष 2018-19 के लिए 17,121.5 प्रशिक्षण कार्य-दिवस की उपलब्धि की है। इसके अलावा 2017-18 के दौरान 17 कार्यपालकों की तुलना में 2018-19 के दौरान 21 कार्यपालकों को विविध प्रबंधन विकास कार्यक्रम के लिए आईआईएम, एएससीआई एवं आईआईटी भेजा गया था। 2018-19 के दौरान 890 अप्रेन्टिस प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया, जबकि 2017-18 के दौरान 870 प्रशिक्षु लिए गए थे। निगम उत्तरदायित्व एवं उद्योग शैक्षिक अंतरापृष्ठ के अंश के तौर पर, वर्ष 2017-18 के दौरान 2,544 विद्यार्थियों की तुलना में, पूरे देश से विभिन्न तकनीकी एवं प्रबंध संस्थानों से 2018-19 के दौरान एककों एवं निगम कार्यालय में विभिन्न कार्यात्मक विषय विभागों में 3,160 विद्यार्थियों ने ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम में प्रशिक्षण लिया। वर्ष 2017-18 के दौरान 4,425.5 मानव-दिवस की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी भर में 5,133 मानव-दिवसों के साथ सुरक्षा कार्मिकों, ठेका श्रमिकों और प्रशिक्षुओं के लिए आंतरिक कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

भारत सरकार के कुशल भारत अभियान के समान, वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान बॉक्साइट खान में विभिन्न ठेकेदारों के अधीन कार्यरत 420 कामगारों को आरपीएल (रेकोग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग) प्रमाणपत्र प्रशिक्षण प्रदान करने सहित प्रासंगिक शिक्षागत योग्यता पैकज (क्यूपी) के साथ 1,620 प्रत्याशियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एन.एस.डी.सी.)/नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड (एन.एस.डी.एफ.) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। आरपीएल प्रमाणन कार्यक्रम दिनांक 27.02.2017 को 21 कामगारों की प्रथम समूह के साथ शुरू किया गया एवं मार्च, 2018 के दौरान 21 खेप में 420 अदद कामगारों के साथ पूरा किया गया। इसके अलावा तीन जिलों अर्थात कोरापुट, अनुगुल एवं खुर्धा में रोजगारशीलता बढ़ाने एवं आय वृद्धि के लिए, प्रथम चरण में 660 प्रत्याशियों को पहले ही विभिन्न कौशल जैसे रिटेल, स्वास्थ्य देखभाल, सौन्दर्य एवं तन्दुरुस्ती और आतिथ्य में प्रशिक्षित किया गया एवं उनमें से 459 प्रत्याशियों को 2017-18 के दौरान नियोजित किया जा चुका है। साथ ही, विभिन्न प्रशिक्षण साझेदारों के माध्यम से रिटेल, स्वास्थ्य देखभाल, वस्त्र, बैंकिंग एवं सहा. विद्युत जैसे विभिन्न व्यवसायों में दूसरे चरण के तहत शेष 540 प्रत्याशियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 28.02.2019 को पूरा किया गया एवं 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार इन प्रशिक्षित 540 प्रत्याशियों में से 285 प्रत्याशियों को नियुक्ति (प्लेसमेंट) दी जा चुकी है।

एनआरटीसी, गोठपाठाणा, भुवनेश्वर में एससीएमएस/एनएसडीसी के अपेक्षित दिशानिर्देशों के अनुपालन में अनुकरण सुविधा के साथ खनन क्षेत्र के लिए ₹20 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक निगम उत्कर्ष केन्द्र की स्थापना की जा रही है और नालको की नि.सा.उ. निधि से इसका वित्तपोषण किया जाएगा। सिमुलेटर या नमूना आधारित प्रशिक्षण इस केन्द्र में दिया जाएगा एवं दामनजोड़ी में कंपनी की खुली खदानों में कार्य संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एससीएमएस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। एससीएमएस द्वारा जमा की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीईओ, एससीएमएस के साथ उनकी टीम ने 25 एवं 26 सितम्बर, 2018 को एनआरटीसी का दौरा किया गया ताकि उपलब्ध आधारभूत संरचना के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व की आवश्यकता का आकलन किया जा सके इस संबंध में उन्होंने एनआरटीसी में उत्कर्ष केन्द्र की स्थापना पर वरिष्ठ प्रबंधन के साथ पारस्परिक वार्तालाप भी की। सीईओ, एससीएमएस ने इस विषय पर 10 अक्टूबर, 2018 को कार्यकारी निदेशकों एवं सीएमडी के पास एक प्रस्तुतीकरण किया। सम्मेलन में की गई चर्चा एवं सुझाव के अनुसार एनआरटीसी में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक रौड मैप भी तैयार की जा रही है एवं प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

उद्योग संस्थान पारस्परिक प्रभावित कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोगी परियोजनाओं को लेने के लिए नालको एवं उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से स्किल डेवलपमेंट एण्ड इन्कयूबेशन सेन्टर का विकास किया जा रहा है। गैर-तकनीकी छात्रों के लिए उन्हें नौकरी के लिए तैयार रखने की दिशा में इस प्रकार का यह पहला केन्द्र है। सीपीडब्ल्यूडी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रही है।

उपर्युक्त के अलावा, नालको ने अनुगुल, दामनजोड़ी, भुवनेश्वर एवं वाइजैग अंचल में 2,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए,

सितम्बर, 2017 में दो कौशल प्रदानकारी साझेदार मेसर्स टेक्नोपैक एवं मेसर्स फ्रन्टलाइन का भी चयन किया है। इस कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी श्रेणी से 150 अदद एवं 700 महिला प्रत्याशियों को लिया जाएगा। दिए गए प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार हैः

(क) मेसर्स फ्रन्टलाइनः यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिसम्बर 2017 से दामनजोड़ी में शुरू हुआ। अभी तक 8 बैच में 221 युवाओं (दामनजोड़ी एवं वाइजैग में क्रमशः 4-4) को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ख) मेसर्स टेक्नोपैकः कुल 21 बैच को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है - अनुगुल में रिटेल विक्रय प्रबंधन में 10 बैच एवं आतिथ्य प्रबंधन में 5 बैच तथा भुवनेश्वर में सिलाई मशीन संचालन पर 6 बैच। अभी तक कुल 623 युवाओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है।

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कुल 255 छात्रों को रिटेल, सिलाई मशीन संचालन एवं आतिथ्य प्रबंधन क्षेत्रों में विभिन्न एजेंसियों में काम के अवसर प्राप्त हो चुके हैं।

उपर्युक्त के अलावा, नालको फाउंडेशन ने एमपीसीओएन लि., ग्वालियर के सहयोग से दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार मध्यप्रदेश में मोबाइल रिपेयर एवं लैपटॉप रिपेयर करने में 100 प्रत्याशियों (4 बैच) के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण 12 बैच के लिए संचालित होगा एवं 300 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

निगम योजनाः

जनवरी, 2018 में नई निगम योजना शुरू की गई यथा 3 वर्षों की कार्य योजना, 7 वर्षों की रणनीति एवं 15 वर्षों की परिकल्पना पर विचार किया गया है ताकि कंपनी के बॉटम लाइन एवं टॉप लाइन में सुधार लाया जा सके। वस्तु चक्र के प्रभाव से पार पाने के लिए कंपनी को एक प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से इसने कार्यात्मक एवं व्यवसाय पहलुओं को चिह्नित किया है।

नई व्यवसाय पहलू में प्रमुख व्यवसाय में विस्तार के माध्यम से वृद्धि, मूल्य वर्धन अनुप्रवाह सुविधाओं, चुने गए विविधीकरण के माध्यम से अग्रस्थ एकीकरण एवं कच्चे माल की सुरक्षा के लिए पक्षगामी एकीकरण शामिल है। चिह्नित कार्यात्मक एवं व्यवसाय पहलू कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

व्यापार विकासः

- **गुजरात अल्कालिज एंड केमिकल्स लि. (जीएसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम में कॉस्टिक सोड़ा परियोजनाः** नालको ने गुजरात के दाहेज में 2.7 लाख टन प्रति वर्ष कॉस्टिक सोड़ा संयंत्र के साथ 130 मे.वा. ग्रहीत विद्युत सं. (ग्र.वि.सं.) की स्थापना के लिए जीएसीएल के एक संयुक्त उद्यम कंपनी "जीएनएएल" का गठन किया है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति दे दी गई है। जमीन का स्थानांतरण जीएनएएल के नाम में किया गया है। तीन प्रमुख पैकेज प्रदान किए गए हैं। वित्तीय समापन की प्रक्रिया फरवरी 2019 में पूरी कर ली गई है। अप्रैल, 2020 में परियोजना पूरा होने के लिए निर्धारित है।
- **25.5 मे.वा. पवन विद्युत परियोजनाः** तमिलनाडु के तुतिकोरिन जिले के कायाथार में 25.5 मे.वा. पवन विद्युत परियोजना का परियोजना निष्पादन प्रगति में है। विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) के हस्ताक्षर में समर्थ बनाने हेतु टीएएनजीईडीसीओ (तमिलनाडु जेनरेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्प. लिमिटेड) द्वारा एनएफआर (रिकॉर्ड के लिए नोट किया हुआ) जारी किया गया है। सभी स्थानों के लिए जमीन नालको को स्थानांतरित की गई एवं सूक्ष्म बैठकी कार्य पूरा कर लिया गया है। उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना में उल्लेखनीय प्रगति की गई। तथापि, वर्तमान एजेंसी के पास नकद अभाव के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया है।
- **एन.आई.एन.एल. के साथ संयुक्त उद्यम में कोल तार पिच संयंत्रः** आपकी कंपनी ने एन.आई.एन.एल. के कोक ओवन संयंत्र में सृजित कोल तार के आधार पर 20,000 ट.प्र.व. क्षमता के कोल तार डिस्टिलेशन संयंत्र की स्थापना के लिए नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एन.आई.एन.एल.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार कर ली गई है। संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए प्रस्ताव एनआईटीआई आयोग की अनुमति हेतु खान मंत्रालय के पास जमा किया गया है। प्रौद्योगिकी का चयन एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रस्तुति प्रगति में है।
- **हाई एंड एल्यूमिनियम मिश्र धातु संयंत्रः** आपकी कंपनी ने रक्षा, एयरोस्पेस एवं स्वचालित क्षेत्रों के लिए सं.उ. के माध्यम से हाई एंड एल्यूमिनियम मिश्र धातु संयंत्र की स्थापना के लिए अप्रैल, 2017 में मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आंध्रप्रदेश की सरकार ने परियोजना के लिए 120 एकड़ जमीन का आबंटन किया है। एनआईटीआई आयोग के अवलोकन के आधार पर परियोजना के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है। एनआईटीआई आयोग को मार्च, 2019 में परियोजना के लिए अनुमति दी जा चुकी है। नालको एवं मिधानी के निदेशक मंडल ने सं.उ.अनुबंध एवं सं.उ. कंपनी के गठन को अनुमोदित किया है।

- **विदेशों में रणनीतिक खनिजों का अधिग्रहणः** नालको, एचसीएल एवं एमईसीएल ने विदेशी स्थानों में रणनीतिक खनिजों को चिह्नित करने, अर्जित करने, विकसित करने, प्रक्रियागत करने एवं वाणिज्यिक इस्तेमाल करने हेतु एक जेवी कंपनी (जेवीसी) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि भारत में आपूर्ति की जा सके एवं भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल को प्रोत्साहित किया जा सके। जेवीसी के गठन के लिए एनआईटीआई आयोग की सहमति प्राप्त कर ली गई है। नालको, एचसीएल एवं एमईसीएल बोर्ड ने जेवीसी के गठन को स्वीकार कर लिया है।
- **इडको के साथ संयुक्त उद्यम में अनुगुल एल्यूमिनियम पार्कः** नालको और ओड़िशा इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (इडको) ने अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि. (एएपीपीएल), अनुगुल की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है ताकि राज्य में अनुप्रवाह उद्योगों का प्रचार हो सके। स्थायी पहुँच सड़क के लिए जमीन इडको द्वारा अर्जित कर ली गई है। सड़क विकास कार्य शुरू किया जा चुका है। चारदीवारी का निर्माण किया गया।
- **ओड़िशा में ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्रद्रावकः** कंपनी ने ओड़िशा में प्रस्तावित 0.6 मे.ट.प्र.व. ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्रद्रावक के लिए एक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार कर ली है।
- **एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाएँः** नालको ने ओड़िशा के ढेंकनाल जिले के कामाख्यानगर प्रखंड में एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाओं जैसे कि एलॉय व्हील संयंत्र, व्हील संयंत्र, रोल्ड प्रोडक्ट संयंत्र एवं फॉइल संयंत्र की स्थापना हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। उच्च स्तरीय अनुमति प्राधिकरण, ओड़िशा सरकार द्वारा परियोजना को अनुमति दी जा चुकी है।
- **लि-आयन सेल टेक्नोलॉजी का वाणिज्यिकीकरणः** आपकी कंपनी लिथियम-आयन सेल/बैटरी के उत्पादन में कदम रख रही है। लि-आयन सेल टेक्नोलॉजी के स्थानांतरण हेतु इसरो द्वारा कंपनी को चयनित किया गया है। इस विषय में, नालको ने प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण हेतु इसरो के साथ एक अनुबंध ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किया है। प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

सहायक उद्योग विकासः

आपकी कंपनी ने सहायक उद्योग एककों और सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के विकास के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। सहायक उद्योग एककों तथा सूक्ष्म, लघु उद्यमों के विकास के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उठाए गए कदम निम्नवत हैं:

1. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओड़िशा के सहायक उद्योग एककों सहित सूक्ष्म, लघु उद्यमों (माइक्रो एंड स्मॉल इन्टरप्राइजेस) द्वारा उत्पादित उत्पादों और दी जा रही सेवाओं की खरीदी ₹361.17 करोड़ की हुई है (पिछले वित्त वर्ष के ₹296.11 करोड़ के मुकाबले)। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एककों (ओड़िशा के बाहर सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की कुल खरीदी ₹472.53 करोड़ की हुई है (वित्त वर्ष 2017-18 के ₹400.13 करोड़ के मुकाबले) एवं यह न्यूनतम 25% के सरकारी लक्ष्य की तुलना में आपकी कंपनी द्वारा कुल वस्तु एवं सेवाओं की खरीदी का 26.79% होता है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की खरीदी का लक्ष्य ₹442.5 करोड़ रखा गया है।
2. नालको को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, ओड़िशा सरकार द्वारा यूनिट-III एग्जिबिशन ग्राउंड, भुनवेश्वर में 28 जनवरी से 3 फरवरी - 19 तक आयोजित ओड़िशा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2019 में "उत्कर्ष प्रमाणपत्र" प्रदान किया गया।
3. नालको ने 30.08.2018 को भुवनेश्वर में आयोजित एससी/एसटी हब के अंतर्गत राज्य संगोष्ठी में हिस्सा लिया।
4. नालको ने रायगढ़ा में दिनांक 01.02.2019 एवं अनुगुल में दिनांक 01.03.2019 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, कटक एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, ओड़िशा सरकार के सहयोग से ओएएसएमई द्वारा आयोजित मदर प्लांट के साथ राज्य स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में हिस्सा लिया।
5. राष्ट्रीय स्तर पर एक "विक्रेता सम्मेलन" 14.06.2018 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में आयोजित किया गया जिसमें ओड़िशा के अंदर एवं बाहर दोनों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं ने हिस्सा लिया।
6. वर्ष 2018-19 के लिए सब-पीएलएसी (संयंत्र स्तरीय सलाहकारी उप-समिति) सम्मेलन का आयोजन 05.12.2018 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में डी.आई.सी. कोरापुट के सहयोग से किया गया।
7. एक "अ.जा.-अ.ज.जा. उद्यमों के लिए क्रेता-विक्रेता सम्मेलन" का आयोजन 05.12.2018 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी एवं 28.03.2019 को प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में किया गया।
8. नालको ने 16.01.2019 को कटक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, कटक द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. हब योजना के अधीन विक्रेता विकास कार्यक्रम सह क्रेता विक्रेता सम्मेलन में हिस्सा लिया।
9. नालको ने 26.02.2019 से 28.02.2019 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्था द्वारा कटक में आयोजित उद्यम समागम में हिस्सा लिया।

10. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) से नालको के खरीदी आँकड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, भारत सरकार के "एमएसएमई संबंध" एप्प पर मासिक आधार पर अपलोड किए जा रहे हैं।

11. नालको से पंजीकृत मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं गैर-पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के सुविधार्थ 13.07.2018 नमस्य (नालको माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइज योगायोग एप्लिकेशन) एप्प नालको द्वारा आरंभ किया गया है। यह एप्प सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी विनिर्देश के साथ उनके द्वारा आपूर्ति किए जानेवाले मदों, विक्रेता विकास कार्यक्रम एवं नालको के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि की जानकारी उपलब्ध कराता है।

नालको द्वारा सूक्ष्म, लघु उद्यमों से की गई खरीदी

खान मंत्रालय/नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड-नालको

(क) एकक का नाम : निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, ओड़िशा
नोडल अधिकारी : श्री विभू दत्त मोहंती, महाप्रबंधक (सामग्री)
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर- 751013
मोबाइल : 9437561995 , ई-मेल: bibhu.mohanty@nalcoindia.co.in

(ख) एकक का नाम : प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल, ओड़िशा
नोडल अधिकारी : श्री प्रभात कुमार विश्वास, महाप्रबंधक (सामग्री)
प्रद्रावक संयंत्र : नालको नगर, अनुगुल- 759145
मोबाइल : 9437083779, ई-मेल: pravat.biswas@nalcoindia.co.in

(ग) एकक का नाम : खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी, ओड़िशा
नोडल अधिकारी : श्री प्रशांत कुमार षड़ंगी, महाप्रबंधक (सामग्री)
एल्यूमिना परिशोधक, नालको, दामनजोड़ी- 763008
मोबाइल : 9437962248, ई-मेल: prasanta.sarangi@nalcoindia.co.in

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20 के लिए लक्ष्य
I	कुल वार्षिक खरीदी (मूल्य में)(*)	1,527.70	1,764.03	1,770
II	सूक्ष्म, लघु उद्यमों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों सहित) से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	400.13	472.53	442.5
III	केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	नहीं (**)	12.88	110.6
IV	केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य	नहीं (**)	5.45	53.1
V	कुल खरीदी में से सूक्ष्म, लघु उद्यमों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिला के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों सहित) से खरीद का %	26.19	26.79	25
VI	कुल खरीदी में से केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीद का %	0	0.73	6.25
VII	कुल खरीदी में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीद का %	0	0.31	3
VIII	सूक्ष्म, लघु उद्यमों के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	9	11	10
IX	क्या सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीदी के लिए वार्षिक खरीदी योजना सरकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई है	हाँ	हाँ	अपलोड की गई है
X	क्या वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्य दर्ज हैं	हाँ	हाँ	रिपोर्ट में दर्ज किए जाएंगे

* यह मूल्य कोयला, ईंधन तेल, कॉस्टिक सोड़ा, एएलएफ$_3$, कृत्रिम फ्लोक्यूलेंट, इस्पात, सीमेंट, बेयरिंग, लुब्रिकेन्ट, स्वामित्व वाले मद, आयातित सामग्री एवं पेशागत सेवाओं के लिए संविदाएँ/ सलाहकारी सेवाएँ/प्रधान टर्न की संविदाएँ/संविदाएँ जो विशिष्ट प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, को छोड़कर है।

** चिह्नित नहीं।

सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणः

आपकी कंपनी, जिम्मेदार निगम नागरिक होकर, हमेशा सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को सर्वोपरि महत्व देती आयी है एवं अपने सभी उत्पादन एककों में चिरस्थायी कार्य पर्यावरण को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय विनियमों के अंतर्गत लागू सभी विधान अग्रसक्रिय रूप से संकलित हैं। सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए, आपकी कंपनी शून्य दुर्घटनाओं, बीमारियों, घटनाओं, अपशिष्ट सृजन और उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ कार्मिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य वातावरण के निरंतर सुधार हेतु पुरजोर प्रयास करती है। सभी उत्पादन एकक वायु एवं जल अधिनियम के अंतर्गत विधिमान्य “परिचालन स्वीकृति” से साथ परिचालित है। सभी चार इकाईयों के पास यथा लागू वैध संयंत्र अनुज्ञप्ति है।

खानः

पर्यावरणः

1. वर्ष के दौरान, 1,00,000 वृक्षों के लक्ष्य की तुलना में खान में 1,00,260 वृक्ष लगाए गए।
2. खान के कैंटीन में उत्पादित सम्पूर्ण खाद्य अपशिष्ट के उपचार एवं ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु बायोगैस उत्पादन करने के लिए 5मी^{3}/दिन क्षमता का एक बायोगैस संयंत्र आरंभ किया गया। अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने की दिशा में यह प्रयास किया गया था।
3. पंचपटमाली बॉक्साइट खान को वर्ष 2017-18 के लिए संधारणीय विकास ढांचे के कार्यान्वयन हेतु भारतीय खान ब्यूरो की सितारा दर-निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत 5 सितारा मूल्यांकन पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
4. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा भुवनेश्वर में खान पर्यावरण एवं खान संरक्षण सप्ताह (एम.ई. एवं एम.सी.), 2017-18 के अवलोकन के दौरान नालको की पंचपटमाली बॉक्साइट खान को पुनरुद्धार एवं पुनः स्थापन में पहला पुरस्कार, वृक्षारोपण में पहला पुरस्कार, संधारणीय विकास में पहला पुरस्कार, समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ निष्पादन पुरस्कार एवं स्थायी खनन के लिए सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुए।

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षाः

1. पंचपटमाली बॉक्साइट खानों में 18.06.2018 से 22.06.2018 तक सफलतापूर्वक अर्ध-वार्षिक सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। डीजीएमएस के अधीन भुवनेश्वर क्षेत्र के जोन-2 की तीन अन्य खानों ने सुरक्षा विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पंचपटमाली बॉक्साइट खानों को दो पुरस्कार प्राप्त हुए।
2. पंचपटमाली बॉक्साइट खानों में 20.11.2018 से 26.11.2018 तक चले वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह समारोह में डीजीएमएस के अधीन भुवनेश्वर क्षेत्र के कुल 32 खानों ने सुरक्षा विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हमारी खानों को 5 पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा, हमारी खानों ने दोनों एमएमपीएल पुरस्कार जीता (कामगार और साथ ही पर्यवेक्षक श्रेणी)।
3. सभी योग्य कर्मचारियों (नालको) के पी.एम.ई. का निष्पादन वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान किया गया।
4. खान पहुँच सड़क (घाट खंड) के ढालू स्थायित्व अध्ययन का निष्पादन मार्च, 2019 में किया गया है।

एल्यूमिना परिशोधकः

पर्यावरणः

1. वित्त वर्ष के दौरान उड़नशील राख उपयोगिता 69.59% है।
2. 15,000 लक्ष्य के एवज में 19,788 पौधों (अंकुर) के रोपण का लक्ष्य प्राप्त किया।
3. उपयोग हो चुके फिल्टर कपड़ों के संकटजनक अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट की अधिकृत एजेंसी, मेसर्स रामकी एन्वायरो इंजीनियर्स लि., सुकिंदा, जाजपुर एवं मेसर्स जियोसाइकिल इंडिया, भाटापाड़ा, रायपुर के माध्यम से संबंधित बंदोबस्त किया गया।
4. मुक्त निस्सारी जल के लिए निर्दिष्ट मानदंड उपलब्ध करने हेतु एसटीपी-IV हेतु बायो योगज सूक्ष्मजीव खुराक (डोजिंग) दिया जाना जारी रहा है जो एसटीपी का पुनर्निर्माण सीटीओ शर्त के अनुसार किया जाएगा।

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षाः

1. सड़क सुरक्षा उपायों के संबंध में, 3 (तीन) उपयोगी रडार स्पीड गन खरीदे गए थे एवं हमारी सुरक्षा टीम द्वारा समय-समय पर सड़क सुरक्षा निगरानी का निष्पादन किया जा रहा है।
2. एल्यूमिना परिशोधक द्वारा दो उपयोगी अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर क्रय किए गए थे एवं सड़क सुरक्षा उपाय के रूप में गेट पर जाँच कार्य हेतु सीआईएसएफ को कार्यान्वयन के लिए सौंपे गए थे।
3. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के फैकल्टी सहयोग से 490 नियमित कर्मचारियों को सुरक्षा एवं पर्यावरण पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ठेकागत कामगारों के लिए, विभिन्न चरणों में औपचारिक क्लास रूम प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई थी, जहाँ सीएलएमएस प्रणाली के माध्यम से 2,334 ठेकागत कामगारों को शामिल किया गया था।
4. हमारे नियमित कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा जाँच में, पी.एम.ई. (आवधिक चिकित्सा जॉच) की उपस्थिति का प्रतिशत 94.47% है।
5. कामगारों में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर जागरूक करने के लिए एल्यूमिना परिशोधक में स्थानीय भाषाओं में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव साइनेज की भी प्रदर्शनी की गई थी।
6. वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारः
   (i) ओड़िशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओ.एस.पी.सी.बी) द्वारा आयोजित वर्ष 2018 के लिए उत्कर्ष प्रदूषण नियंत्रण पुरस्कार।
   (ii) सी.आई.आई. द्वारा आयोजित वर्ष 2018 के लिए सीआईआई ईएचएस पुरस्कार।
   (iii) आई.क्यू.ई.एम.एस द्वारा आयोजित वर्ष 2017 के लिए कलिंग सुरक्षा पुरस्कार (स्वर्ण)।
   (iv) ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा आयोजित वर्ष 2018 के लिए ग्रीन टेक पुरस्कार।
   (v) सृष्टि फाउंडेशन द्वारा आयोजित वर्ष 2018 के लिए गुड ग्रीन गवर्नेन्स पुरस्कार।

प्रद्रावकः

पर्यावरणः

- प्रद्रावक संयंत्र, नालको ने खनिज एवं धातुकर्मीय खंड में पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य-अभ्यासों एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए गोल्डन पिकॉक एन्वायरनमेंट मैनेजमेंट पुरस्कार 2018 जीता।
- धूल दमन एवं संसाधन संरक्षण के अंश के रूप में सितंबर, 2018 में कोक धूल प्रणाली का न्यूमेटिक वहन एवं पुनर्चक्रण आरंभ किया गया।
- रोलिंग संयंत्र क्षेत्र की सतह पर बह रहे पानी के संग्रह हेतु एक कंक्रीट कन्टेनमेंट पूल एवं पम्प हाउस आरंभ किया गया एवं 04.08.2018 से परिचालन में है। डिफ्लूराइडेशन संयंत्र के माध्यम से पानी का उपचार किया जा रहा है एवं संयंत्र में पुनः उपयोग किया जा रहा है।
- प्रद्रावक एवं विद्युत टाउनशिप में एसटीपी जल पुनर्चक्रण परियोजना का सम्पादन पम्पों की स्थापना एवं टाउनशिप के बागीचों के लिए सुनिर्दिष्ट पाइपलाइन बिछाते हुए किया गया।

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षाः

- नालको प्रद्रावक संयंत्र ने ओड़िशा के माननीय राज्यपाल से “कलिंग सुरक्षा पुरस्कार (रजत)” प्राप्त किया।
- एक आदर्श सुरक्षा “आईना” के रूप से कास्ट हाउस-बी का विकास किया गया।
- प्रद्रावक संयंत्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा-सप्ताह का पालन किया एवं इस अवसर पर एक वार्षिक पत्रिका “सुरक्षा दर्पण” का विमोचन किया गया।
- प्रद्रावक संयंत्र ने कुछ लघु स्तर के उद्योगों यथा मेसर्स इंडफैब, मेसर्स शकुंतला एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज एवं मेसर्स ओमफेड, अनुगुल को अंगीकार किया ताकि डायरेक्टर ऑफ फैक्टरीज एण्ड बॉयलर्स, ओड़िशा के दिशानिर्देश की अनुसार उनके सुरक्षा निष्पादन को बेहतर बनाया जा सके।

ग्रहीत विद्युत संयंत्रः

पर्यावरणः

1. सभी औद्योगिक निस्सारी के पुनर्चक्रण के लिए एवं आईडीडब्ल्यूआरएस से शून्य स्राव सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक नाली जल पुनर्चक्रण प्रणाली (आईडीडब्ल्यूआरएस) के उन्नतीकरण कार्य का निष्पादन किया गया।

2. जून, 2018 में राख वहन करने वाले वाहनों के चक्कों से राख को हटाने हेतु राख साइलो क्षेत्रों में चक्का धोवन प्रणाली स्थापित की गई।
3. लगभग 7.3 टन ई-अपशिष्ट (इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट) का निपटान अधिकृत रिसाइक्लर के माध्यम से किया गया है एवं ₹2,02,072/- के राजस्व की वसूली हुई है।
4. कैंटीन एवं बागवानी से सृजित ठोस अपशिष्ट के उपचार हेतु मेकैनिकल वेस्ट कन्बर्टर का क्रय किया गया एवं मेन कैंटीन में स्थापित किया गया है। यह मेकैनिकल कन्वर्टर अपशिष्ट को खाद में प्रक्रियाकृत करता है।
5. एक अतिरिक्त मार्ग की स्थापना द्वारा पुनःसंयोजन के पूरा होने एवं पुराने एककों अर्थात एकक 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 के वर्तमान ईएसपी (विद्युत-अपघटनीय अवक्षेपक) के पुनःनिर्माण के बाद चिमनी से उत्सर्जन को अनुमेय सीमा के अंदर रखा गया है। विविक्त निस्सरण को कम करने के लिए नियमित रूप से अमोनिया डोजिंग की जा रही है एवं दिनांक 07.12.2015 की सूचना के माध्यम से पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक को पूरा करते हैं।
6. आरसीपीएच-1 के फायर हाईड्रेंट सिस्टम के मेक-अप कि रूप में एवं कच्चे जल जलाशय के मेक-अप के रूप में वर्षा जल दोहन एवं पुनर्चक्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस कदम से ब्राह्मणी नदी के जल संरक्षण में सुधार लाने एवं पानी आहरण में कमी लाने में सहयोग मिला है, इससे सी.पी.पी. (ग्रहीत विद्युत संयंत्र) में जल सुरक्षा हो पायी है। वर्ष 2018-19 के दौरान, वर्षा जल दोहन प्रणाली से लगभग 7,51,087 घनमीटर एवं निकास बिन्दु से लगभग 1,57,254 घनमीटर को पुनः चक्रित एवं पुनः प्रयुक्त किया गया।
7. एसटीपी (मल-जल उपचार संयंत्र)-I को सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित हाल के मानदंडों को पूरा करने के लिए फाइटोरिड बेड एवं वर्धित वातन प्रणाली की स्थापना द्वारा समुन्नत किया गया है एवं वर्ष भर प्रचालन में रखा गया है। उपचारित एसटीपी जल का केवल बागवानी उद्देश्य से उपयोग किया गया है। वर्ष 2018 में 65,000 घनमीटर उपचारित एसटीपी जल बागवानी के उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया।

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षाः

1. वर्ष 2018-19 (जनवरी-दिसम्बर) में ऑडियो एवं वीडियो सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के अधीन लगभग 2,399 ठेकेदार कामगारों को शामिल किया गया।
2. पी.एम.ई. स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम के अधीन 1,130 कर्मचारियों एवं 2,447 ठेकेदार कामगारों को शामिल किया गया है।
3. आपात सेवा दल सदस्यों के जवाबों के अकलन हेतु एनडीआरएफ टीम, जिला संकट समूह एवं सुरक्षा विभाग के साथ मॉक ड्रिल का संचालन किया जा रहा है।

2018-19 के दौरान नर्सरी गतिविधियाँः

आपकी कम्पनी कुल पाँच नर्सरी प्रचालित कर रही है जिसमें प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में तीन खान में एक (जो ऊँचाई के स्थान पर स्थित नर्सरी है,), खान एवं परिशोधन संकुल में दो हैं। ये नर्सरियाँ वनीकरण, सजावटी उपयोग, फलदार मौसमी विविध पौधों और गमलों में उगाए पौधों के लिए विविध प्रकार के नवांकुर उगाती हैं, जो वृक्षारोपण की आंतरिक जरूरत को पूरा करने के लिए आंशिक योगदान भी कर रही है। वर्ष के दौरान खान की नर्सरी में 1,00,000 पौधों को लगाया गया। वर्ष के दौरान गाँववासियों में 11,100 फलदार पौधों का वितरण किया गया ताकि क्षेत्र की हरियाली को बेहतर बनाया जा सकें। प्राकृतिक स्थलाकृति के संरक्षण के लिए उत्खनित क्षेत्रों में भराई करके महत्वपूर्ण वनीकरण गतिविधियों के साथ खान में स्थित नर्सरी महत्त्वपूर्ण योगदान करती है। इस वर्ष के दौरान 16.23 हेक्टर उत्खनित क्षेत्र का वृक्षारोपण से पुनर्वास किया गया।

सतर्कता से संबंधित विवरणः

कंपनी के उद्देश्यों, प्रायोजनाओं, दृष्टिकोण, प्रत्याशाओं, अनुमानों एवं अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में किए गए कतिपय विवरण प्रयोज्य नियमों एवं विनियमों के दायरे में "अग्रदर्शी विवरण" हो सकते हैं। ऐसी प्रत्याशाओं, चाहे व्यक्त हो या अंतर्निहित, से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालनों में कई कारक महत्वपूर्ण अन्तर ला सकते हैं। इनमें मांग और आपूर्ति को प्रभावित करनेवाली जलवायु एवं आर्थिक स्थितियाँ, सरकारी विनियम एवं कराधान, प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं, जिन पर कंपनी का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।

अनुलग्नक-III

2018-19 के लिए व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुभाग क: कंपनी के बारे में साधारण सूचना

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
1	कंपनी का कॉर्पोरेट आईडेंटिफिकेशन नम्बर (सीआईएन)	L27203OR1981GOI000920
2	कंपनी का नाम	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
3	पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय	नालको भवन प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013, ओड़िशा, भारत
4	वेबसाइट	www.nalcoindia.com
5	ई-मेल आईडी	investorservice@nalcoindia.co.in
6	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	वित्तवर्ष 2018-19
7	क्षेत्र जिनमें कंपनी संलग्न है (कोड-वार औद्योगिक गतिविधि)	बॉक्साइट खान : औद्योगिक समूह कोड 07292 एल्यूमिना परिशोधक : औद्योगिक समूह कोड 20119 एल्यूमिनियम प्रद्रावक : औद्योगिक समूह कोड 24202 विद्युत सृजन : औद्योगिक समूह कोड 35102
8	कंपनी द्वारा निर्मित/प्रदत्त तीन प्रमुख उत्पाद/सेवाओं की सूची	1. **एल्यूमिना** • निस्तप्त एल्यूमिना • एल्यूमिना हाईड्रेट • विशेष एल्यूमिना एवं हाईड्रेट 2. **एल्यूमिनियम** • मानक पिण्ड • शिलिका पिण्ड • टी-पिण्ड • मिश्र धातु पिण्ड • तार-छड़े • बिलेट एवं हाई स्पीड मिश्र धातु बिलेट • समतल वेल्लित उत्पाद (कुंडलियाँ, चद्दरें एवं चारखानेदार चद्दर) • यंत्रचालित शिलिका • फॉइल स्टॉक 3. **विद्युत**
9	अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	**शून्य**
	भारत में अवस्थिति	क) पंजीकृत एवं निगम कार्यालय , भुवनेश्वर – 751013, ओड़िशा ख) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी-763008, ओड़िशा ग) प्रद्रावक संयंत्र, नालको नगर-759145, अनुगुल, ओड़िशा घ) ग्रहीत विद्युत संयंत्र, अनुगुल-759122, ओड़िशा ङ) पत्तन सुविधाएँ, पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम्-530035, आन्ध्र प्रदेश

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
	भारत में अवस्थिति	च) पवन विद्युत संयंत्र i) पवन विद्युत संयंत्र-I : गंडीकोट्टा, आन्ध्र प्रदेश ii) पवन विद्युत संयंत्र-II : लुडर्वा, राजस्थान iii) पवन विद्युत संयंत्र-III : देवीकोट, राजस्थान iv) पवन विद्युत संयंत्र-IV : जाथ, महाराष्ट्र छ) बन्दरगाह कार्यालयों की संख्या : 03 (विशाखापत्तनम्, कोलकाता, पारादीप) ज) क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या: 04 (नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता) झ) शाखा कार्यालय : 01 (बेंगलूरु) ञ) स्टॉकयार्डों की संख्या: 09 (जयपुर, फरीदाबाद, बद्दी, कोलकाता, चेन्नै, विशाखापत्तनम्, भिवण्डी, वड़ोदरा, दिल्ली)
10	कम्पनी के द्वारा सेवारत बाजार	वित्तवर्ष 2018-19 के दौरान, कम्पनी के द्वारा सेवारत निम्नलिखित एल्यूमिनियम बाजार हैं (भारत के अतिरिक्त) : बांगलादेश, मलेशिया, कोरिया एवं सिंगापुर। कंपनी की निजी जरुरत से अधिक उत्पादित निस्तप्त एल्यूमिना का निर्यात किया जाता है। वित्तवर्ष 2018-19 के दौरान, कम्पनी के द्वारा सेवारत निम्नलिखित एल्यूमिना बाजार हैं (भारत के अतिरिक्त) : मिश्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कतार, इण्डोनेशिया, मलेशिया, नीदेरलैंड, आइसलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका।

अनुभाग ख : कंपनी का वित्तीय विवरण

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
1	31.03.19 को प्रदत्त पूँजी	932.81 करोड़ भारतीय रुपये
2	कुल कारोबार	सकल कारोबार : 11,499.32 करोड़ भारतीय रुपये
3	कुल कर पश्चात लाभ	1,732.40 करोड़ भारतीय रुपये
4	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) पर कुल खर्च क) भारतीय रुपये में : ख) तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में (%):	क) **3034.92 लाख भारतीय रुपये** की राशि वर्ष के दौरान निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च की गई। ख) ऊपर सूचित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर **वास्तविक खर्च** पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के **औसत शुद्ध लाभ का 2.217%** हुआ है।
5	उन गतिविधियों की सूची जिनमें उपर्युक्त नि.सा.उ. पर खर्च किया गया है	i) स्वास्थ्य पहुँच कार्यक्रम - चल चिकित्सा यूनिट नैदानिक एवं सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से जागरुकता फैलाना ii) (क) एसवीए के अधीन शौचालयों का निर्माण, ओडीएफ प्रयास के अधीन घरेलू शौचालयों का निर्माण, स्कूल शौचालय, स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन निर्मित शौचालयों में पानी आपूर्ति का प्रावधान (ख) स्वच्छ प्रतिष्ठित शहर परियोजना - पुरी iii) संयंत्र के परिधीय गाँवों एवं पुरी में रथयात्रा के दौरान सुरक्षित पेय जल प्रदान करना।

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
		iv) शिक्षा को प्रोत्साहन क) ख्यातिप्राप्त आवासीय स्कूलों में आदिवासी बच्चों की औपचारिक शिक्षा को प्रायोजित करना। ख) नालको की लाड़ली को सहयोग देना। ग) सरस्वती विद्या मंदिर अनुगुल एवं दामनजोड़ी में परिधीय क्षेत्र के छात्रों को उच्च गुणमान शिक्षा। v) बेरोजगार युवाओं को रोजगार वर्धक प्रशिक्षण प्रदान करना vi) गाँवों में महिला बुनकर एवं कतरक को चरखा वितरण के माध्यम से महिला सशक्तीकरण। vii) वृक्षारोपण, छत पर सौर विद्युत प्रणाली के माध्यम से पर्यावरणीय संधारणीयता, परिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करना viii) राष्ट्रीय धरोहर और संस्कृति के परिरक्षण के प्रति अंशदान और पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का विकास। ix) ग्रामीण खेलकुद को प्रोत्साहन। x) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछले वर्ग/ अल्पसंख्यको महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास / कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष/केन्द्रीय सरकार निधि में अंशदान। xi) परिधीय गाँवों एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास गतिविधियाँ

अनुभाग ग - अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ हैं?

   नहीं।

2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियाँ मूल कंपनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें।

   लागू नहीं।

3. क्या अन्य प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों (यथा- आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिसके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसे प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों का प्रतिशत बताएँ? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]

   कोई अन्य प्रतिष्ठान अर्थात आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार आदि बीआर प्रयासों के वित्तपोषण में शामिल नहीं हैं। व्यवसाय दायित्व (बीआर) के सभी प्रयास संगठन द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किए जाते हैं।

अनुभाग घ - व्यवसाय उत्तरदायित्व (बीआर)सूचना

1. बीआर के लिए निदेशक/निदेशकों के दायित्व का विवरणः

क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए निदेशक/निदेशको के दायित्व का विवरण

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन संख्या	06965313
2	नाम	श्री व्ही. बालासुब्रमण्यम
3	पदनाम	निदेशक (उत्पादन)

ख) बीआर प्रमुख का विवरण

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन संख्या	06965313
2	नाम	श्री व्ही. बालासुब्रमण्यम
3	पदनाम	निदेशक (उत्पादन)
4	दूरभाष संख्या	0674-2300660
5	ई-मेल आईडी	dirprod@nalcoindia.co.in

2. सिद्धान्त वार (राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देशों के अनुसार) बी.आर. नीति/ नीतियाँ

नौ सिद्धान्त हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

सिद्धान्त 1(पी1)	:	व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।
सिद्धान्त 2(पी2)	:	व्यवसाय वे वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे, जो सुरक्षित हों और अपने जीवनचक्र में संधारणीयता में योगदान दें।
सिद्धान्त 3(पी3)	:	व्यवसाय से सभी कर्मचारियों का कल्याण प्रोन्नत होना चाहिए।
सिद्धान्त 4(पी4)	:	व्यवसाय सभी हितधारकों विशेषकर सुविधा रहित, संवेदनशील एवं कमजोर वर्गों के लिए हितकारी हो।
सिद्धान्त 5(पी5)	:	व्यवसाय से मानवाधिकारों को सम्मान और प्रोत्साहन करें।
सिद्धान्त 6(पी6)	:	व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान व रक्षा करे एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करे।
सिद्धान्त 7(पी7)	:	सार्वजनिक एवं नियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसाय, दायित्वपूर्ण रूप में किये जाएं।
सिद्धान्त 8(पी8)	:	व्यवसाय समावेशी वृद्धि एवं समान विकास का पक्षधर हो।
सिद्धान्त 9(पी9)	:	व्यवसाय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुड़ा रहे एवं दायित्वशील रूप से मूल्यपरक लाभ प्रदान करे।

2 क) अनुपालन का विवरण (हाँ/ना में)

उपर्युक्त 9 राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) सिद्धान्त (पी1 से पी9) के संबंध में प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या 9 एन.वी.जी. सिद्धान्तों के लिए आपके पास कोई नीति/नीतियाँ हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या यह नीति संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श से बनाई गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो उल्लेख करें? (50 शब्दों में) *	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	क्या यह नीति निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित है? *	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	यदि हाँ, तो क्या इस पर प्रबंध-निदेशक/मालिक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उपयुक्त निदेशक-मंडल के निदेशक के हस्ताक्षर हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	क्या कम्पनी के पास निदेशक-मंडल/ निदेशक/ अधिकारी की निर्दिष्ट समिति है, जो इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करती है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	इस नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक क्या है? **	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7.	क्या सभी प्रासंगिक आन्तरिक और बाहरी हितधारकों को इस नीति का औपचारिक रूप से संप्रेषण किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8.	क्या कंपनी में इस नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आन्तरिक तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	क्या कंपनी में इस नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु कोई शिकायत निवारण मशीनरी है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	क्या कंपनी ने किसी आन्तरिक या बाहरी एजेन्सी द्वारा इस नीति के कार्य-संचालन का स्वतन्त्र *लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

हाँ से "हाँ" स्वीकृति सूचित है

* संधारणीय विकास (एस.डी.) नीति सभी नौ एन.वी.जी. सिद्धान्तों के सार को धारण करती है। **यह एस.डी. नीति निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित और अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है** और अंतर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात् **आई.एस.ओ. 9001, आई.एस.ओ. 14001, आई.एस.ओ. 50001, ओ.एच.एस.ए.एस. 18001 एवं एस.ए. 8000 मानक की संपुष्टि करते हुए प्रचालन प्रबंधन प्रणालियों द्वारा इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।** एसडी नीति का आवश्यक आंतरिक मूल्यांकन संधारणीय विकास गतिविधियों की समीक्षा के दौरान किया जाता है। नालको आचार संहिता के अभिप्राय एवं आशय के अलावा, परिकल्पना, मिशन एवं प्रमुख मूल्यपरक मान, सभी प्रयोज्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियम एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौते के महत्वपूर्ण समाधान नालको द्वारा कार्यान्वित विभिन्न नीतियों में निहीत हैं। इसके अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नालको द्वारा अंगीकृत नीतियाँ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, जीआरआई दिशानिर्देश एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे कि आईएसओ 14001, **ओ.एच.एस.ए.एस. 18001 एवं एस.ए. 8000** के उद्देश्य एवं आशय को प्रकट करती है।

** एस.डी. नीति की लिंक : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/SD_Policy.pdf

कुछ अन्य विशिष्ट नीतियों, कंपनी की नियमावलियों और दस्तावेज हैं जो नौ एन.वी.जी. सिद्धान्तों के सार और भाव को सुदृढ़ करते हैं। इनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

एन.वी.जी. सिद्धान्त	नीतियाँ, नियमावली, दस्तावेज
सिद्धान्त 1 : नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व	**1.** निदेशक-मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय अचार संहिता एवं नैतिकता : **2.** धोखाधड़ी रोकथाम नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Nalcofraudpreventionpolicy.pdf **3.** सचेतक नीति : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf **4.** अधिकार का प्रत्यायोजन **5.** सतर्कता नियमावली **6.** विपणन मार्गनिर्देशिका **7.** क्रय नियमावली **8.** संविदा नियमावलीः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/CONTRACT-MANUAL-2013-updated-till-15-03-2019.pdf **9.** भंडार नियमावली **10.** सत्यनिष्ठा समझौता https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Integrity-Pact-Program.pdf
सिद्धान्त 2 : उत्पाद के जीवन चक्र में संधारणीयता	व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/OHS_Policy.pdf
सिद्धान्त 3 : कर्मचारी कल्याण	मानव संसाधन नियमावली
सिद्धान्त 4 : हितधारकों का हित	गुणवत्ता नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/QualityPolicty.pdf प्रमुख मूल्यमान "श्रेष्ठ" https://www.nalcoindia.com **(होम पेज)**
सिद्धान्त 5: मानवाधिकारों को प्रोत्साहन	सामाजिक उत्तरदायित्व नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/SA_POLICY_Approved.pdf
सिद्धान्त 6: पर्यावरणीय संरक्षण	पर्यावरण नीति : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/EnvironmentPolicy.pdf
सिद्धान्त 7: दायित्वशील सार्वजनिक नीति की वकालत	प्रमुख मूल्यमान "श्रेष्ठ" https://www.nalcoindia.com **(होम पेज)**
सिद्धान्त 8: समावेशी विकास	नि.सा.उ. नीति https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/CSR-Policy-2019.pdf
सिद्धान्त 9: मूल्य परक ग्राहक सेवा	गुणवत्ता नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/QualityPolicty.pdf

2 (ख) क्रम सं. 1 के अन्तर्गत 2(क) में किसी सिद्धांत का उत्तर "नहीं" है, तो कृपया कारण स्पष्ट करें : (2 विकल्पों तक टिक लगाएँ)

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है									
2.	कंपनी अभी इस स्थिति में नहीं है कि यह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन कर सके									
3.	कंपनी में इस कार्य के लिए वित्तीय या मानव संसाधन उपलब्ध नहीं हैं									
4.	आगामी 6 महीने के अन्दर इसे कर लेने की योजना है									
5.	आगामी 1 वर्ष के अन्दर इसे कर लेने की योजना है									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)									

लागू नही

चूंकि सभी नौ एन.वी.जी. सिद्धांतों के लिए उपर्युक्त क्रम सं. 1 के 2(क) में दिए गए प्रश्नों का उत्तर हाँ है, अतः 2(ख) के प्रश्न लागू नहीं हैं।

3. **व्यवसाय दायित्व से संबंधित अभिशासन (बीआर)**

3.1 कंपनी के बी.आर. कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ बैठक कितनी बार की जाती है। 3 महीने के अन्दर, 3-6 महीने में, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, बी.आर. निष्पादन अर्थात् संगठन में नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए निदेशक-मण्डल की नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति की बैठकें 04.05.2018, 23.07.2018, 12.11.2018 एवं 07.02.2019 को हुई। 2017-18 की बी.आर. रिपोर्ट के मसौदा की समीक्षा, 23.07.2018 की बैठक में हुई एवं निदेशक मण्डल के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया गया। 2018-19 के दौरान, बैठकों की आवृत्ति एक वर्ष में चार बार हुई है।

3.2 क्या यह कंपनी बी.आर. या संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट के अवलोकन के लिए हाईपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होती है?

हाँ, व्यवसाय उत्तरदायित्व (बी.आर) रिपोर्ट और संधारणीय विकास रिपोर्ट दोनों वार्षिक रूप से तैयार की जाती हैं एवं वेबसाइट में उपलब्ध है।

व्यवसाय दायित्व (बी.आर.) रिपोर्ट जो सेबी की अर्हताओं के अनुसार अधिदेशात्मक है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देशों के आधार पर प्रस्तुत है और वार्षिक आधार पर वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित होती है। 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की वेबलिंक है :

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/37TH-NALCO-AR-2017-18-DELUXE.pdf

2011-12 से एक संधारणीय विकास (एस.डी) रिपोर्ट भी जीआरआई मार्गनिर्देशों के आधार पर तैयार की जाती है एवं वे वेबसाइट में पर्यावरण एवं सुदक्षा टेम्प्लेट के अधीन उपलब्ध करायी गई है। जीआरआई मानक के अनुसार तैयार की गई संधारणीय विकास रिपोर्ट 2017-18 के लिए वेबलिंक है

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/07/sustainable-development-report2017-2018.pdf

अनुभाग ङः सिद्धान्त-वार कार्य-निष्पादन

सिद्धान्त 1 : व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

1.1 क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार संबंधी नीति केवल कंपनी को शामिल करती है ?

जी नहीं।

क्या वह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों के प्रति भी विस्तारित है ?

जी हाँ, हमारी गतिविधि के प्रत्येक पक्ष में हम नैतिक व्यावसायिक अभ्यास एवं पारदर्शिता के प्रति वचनबद्ध रहे हैं एवं हमारे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सेवा-प्रदाताओं एवं निवेशकों से बदले में यही उम्मीद रखते हैं। हमारे संविदागत मैनुअल एवं क्रय मैनुअल में ऐसे घटनाक्रमों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। संधारणीय विकास नीति, निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण एवं नीतिगत संहिता" एवं प्रमुख मूल्यमान ईमानदारी, नैतिक अभ्यासों एवं पारदर्शिता के प्रति हमारी वचनबद्धता को प्रतिबिम्बित करती है। "धोखाधड़ी रोकथाम नीति", "सचेतक नीति" "अनधिकृत व्यापार को रोकने के लिए आचार संहिता", सभी कार्यपालकों पर लागू सीडीए नियम, सभी अन्य कर्मचारियों पर लागू प्रमाणित स्थायी आदेश के साथ इस पद्धति को और सुद्दढ़ किया जाता है। किसी भी व्यवसाय लेनदेन में धोखा, घूसखोरी, तुष्टीकरण आदि के रूप में कोई दुर्भाग्यपूर्ण आचरण के विरुद्ध हमारी सतर्कता मैनुअल, सीवीसी दिशानिर्देश, सेबी अनुदेश, आचार संहिता एवं अन्य लागू दिशानिर्देशों के अनुसार कदम उठाए जाते हैं।

पारदर्शिता अभियान को ागे सहारा देने के लिए, ₹ 50 लाख और ऊपर के सभी ठेके के लिए इंटिग्रिटी पैक्ट (सत्यनिष्ठा समझौता) का भी कार्यान्वयन किया गया है। भारत सरकार की सार्वजनिक सूचना प्रकटन एवं सूचित करनेवाले के परिरक्षण (पीआईडीपीआई) योजना के अधीन किसी बाहरी शिकायतकर्ता को भी परिरक्षण दिया जाता है।

1.2 विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं जिनका प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया?

i) वर्ष के दौरान 16 सतर्कता संबंधी **हितधारक शिकायतें** प्राप्त हुई थीं, जबकि पिछले वर्ष से 10 शिकायतें जाँच के विभिन्न चरणों में लम्बित थीं। इन 26 शिकायतों में से 17 शिकायतें उनके तार्किक आधार पर निर्णीत की गई थीं एवं आवश्यक कार्यवाहियों के साथ बंद कर दी गई थीं जबकि 9 शिकायतें जाँच के विभिन्न चरणों में हैं। अवलोकित अनियमितता एवं अल्लंघन के आधार पर योग्य मामलों पर नालको सतर्कता मैनुअल एवं सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार उचित कार्यवाही की गई है।

ii) **निवेशक की शिकायतें**

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 429 संख्यक **शिकायतें** प्राप्त हुईं और सभी का संतोषजनक समाधान किया गया। निवेशक से संबंधित शिकायतों का विस्तृत विभाजन नीचे दिया गया है :

विवरण	*वर्ष के दौरान प्राप्त*	*समाधान की गई शिकायतें*	*लंबित शिकायतें*
स्कोर्स	05	05	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज	शून्य	शून्य	शून्य
व्यक्ति विशेष	424	424	शून्य
कुल:	**429**	**429**	शून्य

iii) **सूचना का अधिकार अधिनियम (सू.का.अ.):**

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, पिछले वर्ष के 18 लंबित आवेदनों के अलावा कुल 311 आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही 26 आवेदन अन्य स्रोतों से सूचना के लिए स्थानांतरित किए गए। 31.03.2019 को यथा, सूचना के लिए 232 अनुरोधों को स्वीकार किया गया एवं जवाब भेजे गए, जबकि ऐसे 107 अनुरोध रद्द कर दिए गए। 31.03.19 को यथा, सूचना के लिए 16 अनुरोध लंबित हैं। इसके अलावा, 61 प्रथम अपील मामलों में से 56 अपील स्वीकार की गईं एवं सूचना दी गई, जबकि 4 अपील रद्द कर दी गई एवं 1 अपील लंबित है।

iv) 2018-19 के दौरान, **बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/अस्वैच्छिक मजदूरी, भेदमूलक नियोजन, यौन उत्पीड़न** से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं 31.03.19 को यथा, उपर्युक्त के संबंध में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

सिद्धांत 2: व्यवसाय वे वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे, जो सुरक्षित हो और अपने जीवनचक्र में संधारणीयता में योगदान दे।

1.1 आपकी 3 वस्तुओं या सेवाओं की सूची दें, जिनकी डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को सम्मिलित किया गया है।

ये तीन प्रमुख उत्पाद हैं : *निस्तप्त. एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, विद्युत।*

हमारे सभी उत्पादन एकक परियोजना चरण के दौरान पर्यावरण प्रभाव आकलन के अधीन रहे हैं एवं प्रारंभ से ही आवश्यक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गई थी एवं हमारी बॉक्साइट खान अनुमोदित खनन योजना के अधीन परिचालित है तथा पर्यावरण या समाज पर उत्पाद या सेवा के किसी प्रतिकूल प्रभाव पर नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त खान बंदी योजना के साथ उत्खनित क्षेत्र की मौलिक अवस्था को पुनर्बहाल किया जाता है। आवधिक समीक्षा के साथ स्थिति प्रभाव अध्ययन, आपदा निशानदेही एवं जोखिम आकलन और आपातकाल प्रबंधन योजनाएँ भी निरुपित की गई जिनमें से कुछ पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिंताओं, जोखिमों और अवसरों का निवारण किया गय सभी पर्यावरणीय सांविधिक अनुपालन किए गए हैं।

हमारे उत्पादों संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों, अवसरों को नीचे तालिका - क में तदनुसार निर्दिष्ट किया गया है :

तालिका-क

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
एल्यूमिना परिशोधक	निस्तप्त एल्यूमिना	क. वायु प्रदूषण ख. जल प्रदूषण ग. भूमि संदूषण	1. **वायु प्रदूषण** i) चिमनी से बहिःस्राव ii) निस्तप्त एल्यूमिना, बॉक्साइट, कोयला एवं राख संचालन क्षेत्र में धूल	1. **वायु प्रदूषण:** i) बॉयलर के फ्लू गैस से विविक्त वस्तुओं के संग्रह के लिए बॉयलर में इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स (ईएसपी) प्रदान किए गए। ii) निस्तप्तीकरण प्रक्रिया में सृजित एल्यूमिना धूल के संचय हेतु निस्तप्तक में ईएसपी प्रदान किया गया है। • धूल के बहिःस्राव को रोकने के लिए एल्यूमिना के लदान एवं उतराई क्षेत्र में बैग फिल्टर एवं धूल रोधी प्रणाली प्रदान किए गए हैं।

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
एल्यूमिना परिशोधक	निस्तप्त एल्यूमिना	क. वायु प्रदूषण ख. जल प्रदूषण ग. भूमि संदूषण		• अस्थायी निस्सरण पर नियंत्रण रखने के लिए चूना गिट्टी, लाल पंक, राख, कोयला एवं बॉक्साइट संचालन क्षेत्रों में छिड़काव एवं धूल-रोधी प्रणाली प्रदान किए गए हैं।
			2. जल प्रदूषण i) अपशिष्ट बहिःस्राव ii) मलजल एवं अपशिष्ट जल iii) सतह के बहाव जल	**2. जल प्रदूषण:** i) उपचार सुविधाओं में मलजल का उपचार किया जाता है। ii) राख तालाब में ऊपर बह रहे जल एवं लाल पंक तालाब में ऊपर बह रहे जल के लिए अपशिष्ट जल उपचार, पुनःचक्रण एवं पुनःप्रयोग का निष्पादन किया जाता है : • राख घोल बनाने के लिए राख तालाब से प्रत्यागमन जल के पुनःचक्रण का पुनःप्रयोग किया जाता है। • लाल पंक तालाब का प्रत्यागमन जल लाल पंक घोल बनाने एवं पंक धोने के लिए पुनःप्रयोग किया जाता है, इस प्रकार कॉस्टिक का पुनःचक्रण होता है। • मल अपशिष्ट जल मलजल उपचार संयंत्र में व्यवहार किया जाता है एवं बागवानी उद्देश्यों के लिए इसका पुनःचक्रण एवं पुनःप्रयोग किया जाता है। iii) सतह पर वाहित जल शबरी झील में संचित होता है एवं जरूरत पड़े तो आवश्यक उपचार के बाद इसका बाहर निपटान किया जाता है।
			3. भूमि संदूषण i) चूना गिट्टी ii) लाल पंक iii) राख	**3. भूमि संदूषण** i) ईंट या अन्य सम्बद्ध उत्पाद के निर्माण के लिए चूना गिट्टी को रिसाइक्लर में निपटाया जाता है। ii) लाल पंक से लौह सान्द्र एवं गैलियम के निष्कर्षण के लिए लाल पंक के उपयोग का अन्वेषण चल रहा है। iii) इन क्षेत्रों में उड़नशील राख के उपयोग हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए उड़नशील राख का उच्चतर उपयोगः उड़नशील राख की ईंटों, सीमेंट के निर्माण में, सड़क निर्माण, तटबंध बनाने, निचले क्षेत्रों को भरने आदि में उड़नशील राख का उपयोग।
प्रद्रावक	**एल्यूमिनियम**	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • भूमि संदूषण	1. **वायु प्रदूषण:** i) पॉट प्रचालन के कारण एफटीपी चिमनियों से फ्लूओराइड एवं विविक्त निस्सरण ii) एनोड प्रभाव के दौरान पीएफसी का सृजन, नीचे विस्तार में*	**1. वायु प्रदूषण** i) एफटीपी में शुष्क मार्जन विधि द्वारा प्राथमिक एल्यूमिना में फ्लूओराइड गैस का अवशोषण। एफटीपी चिमनियों में निस्सरण की ऑनलाइन सतत निगरानी की गई। ii) प्रद्रावक संयंत्र को ए.एल.पी.एस.वाई.एस. पॉट नियंत्रण प्रणाली से समृद्ध किया गया है, जो समय पर एल्यूमिना को खुराक देते हुए एनोड के प्रभाव को कम करता है।
			2. जल प्रदूषण: i) फ्लूओराइड संदूषित सतह से बहाव का सृजन	**2. जल प्रदूषण:** i) निर्दिष्ट नालियों के माध्यम से तीन एचडीपीई कतारयुक्त धारक तालाबों में सतह के बहाव को एकत्रित किया जाता है। फ्लूओरिनेटेड सतह के बहाव का उपचार डीफ्लूओराइडेशन संयंत्रों में किया जाता है।

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
प्रद्रावक	**एल्यूमिनियम**	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • भूमि संदूषण		**2. जल प्रदुषण:** (i) (आयन विनिमय प्रौद्योगिकी एवं नवीनतम एमिरिऑन नैनो प्रौद्योगिकी पर प्रचालित)। इसके बाद उपचारित जल शीतलीकरण, बागवानी एवं अन्य संयंत्र उपयोग के लिए पुनःचक्रित होता है।
			3. भूमि संदूषण: संकटजनक अपशिष्ट का सृजन जैसे कि: i) एसपीएल ii) ड्रॉस iii) शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट इत्यादि	**3. भूमि संदुषणः** i) भूमि संदुषण की रोकथाम के लिए अभेद् पंक्तिबद्ध इंजीनियर्ड लैण्डफिल में और साथ ही कंक्रीट युक्त शेड में एसपीएल संचित होता है। एसपीएल के कार्बन अंश को पृथक किया जाता है एवं ऊर्जा प्राप्ति में भावी उपयोग के लिए कंक्रीट युक्त फ्लोर रोड में पृथक रूप से संचय किया जाता है। अधिकृत रि-प्रोसेसर में एसपीएल का कार्बन अंशई-नीलामी के लिए तैयार है। ii) एल्यूमिनियम ड्रॉस का पॉट में पुनःचक्रण किया जाता है। ड्रॉस के 600 मे.ट. का पारंपरिक स्टॉक जिसे पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है, ई-नीलामी के लिए तैयार है। iii) सुकिन्दा, जाजपुर के आम संकटजनक अपशिष्ट लैंडफिल में शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट आदि का निपटान किया जा रहा है।
ग्र.वि.सं.	**विद्युत**	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • भूमि संदूषण	**1. वायु प्रदूषण** i) बॉयलर से फ्लू गैस ii) कोयला एवं राख संचालन क्षेत्र से अस्थायी धूल iii) वायुमंडल की ओर फ्लू गैस में ताप निस्सरण	**1. वायू प्रदुषण:** i) विविक्त वस्तुओं के निष्कर्षण हेतु बॉयलर फ्लू गैस निस्सरण मार्ग में ई.एस.पी. प्रदान की जाती है। ii) अस्थायी धूल पर नियंत्रण के लिए कोयला एवं राख संचालन क्षेत्र में धूल निष्कर्षण एवं फुहारा प्रणाली प्रदान की जाती है। iii) एयर हीटर एवं इकोनोमाइजर के माध्यम से फ्लू गैस से प्राप्त ताप वायुमंडलीय ऊष्मा संदुषण को रोकता है एवं बॉयलर दक्षता को बेहतर बनाता है।
			2. जल प्रदुषण i) बहिःस्राव अपशिष्ट जल ii) मलजल अपशिष्ट जल iii) सतह के बहाव जल	**2. जल प्रदुषण:** i) औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार हेतु बहिःस्राव उपचार संयंत्र प्रदान किया गया है। उपचारित जल का प्रयोग राख घोल बनाने के लिए किया जाता है। ii) राख के तालाब से निस्तारित जल का राख घोल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है: • मल अपशिष्ट जल के उपचार हेतु मलजल उपचार संयंत्र प्रदान किया जाता है। उपचार के पश्चात मल अपशिष्ट जल का बागवानी एवं वृक्षारोपण उद्देश्यों के लिए पुनःप्रयोग किया जाता है। iii) वर्षा जल दोहन प्रणाली एवं सतह बहाव जल अग्निशमन के लिए फायर हाइड्रेंट सिस्टम में प्रयोग किया जाता है।

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
ग्र.वि.सं.	**विद्युत**	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • भूमि संदूष	**3. भूमि संदूषण** i) मिल अस्वीकार्य ii) राख iii) स्क्रैप (धात्विक एवं गैर-धात्विक स्क्रैप)	**3. भूमि संदूषण** i) मिल अस्वीकृतियाँ सीमांकित निचले क्षेत्रों में संचित होती हैं ताकि पुनःप्रयोग के लिए अधिकृत पक्षों को निपटाया जा सके। ii) राख के तालाब में घोल रूप में राख का निपटान किया जाता है। उत्खनित क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु खान के रिक्त स्थानों में पतले घोल के निपटान की परियोजना प्रगति में है। शुष्क राख को भी निचले क्षेत्र को भरने, स्टोन क्वैरी के रिक्त स्थानों को भरने में प्रयोग किया जाता है, राख ईंट निर्माण के लिए मूल्य वर्धित उत्पाद निर्माताओं को निपटाया जाता है एवं आर्थिक सहायक योजना के अंतर्गत एस्बेस्टस, सीमेंट आदि में प्रयोग किया जाता है। iii) स्क्रैप रिसाइक्लर्स को बेचे जाते हैं।
खान	**बॉक्साइट**	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • ध्वनि प्रदूषण • ठोस अपशिष्ट प्रदूषण	**1. वायु प्रदूषण** i) भारी वाहनों से निस्सरण ii) बॉक्साइट खनन, संचलन, क्रशर में संदलन एवं कन्वेयर में वहन के दौरान अस्थायी धूल का निस्सरण	**1. वायु प्रदूषण:** i) वाहनों से निस्सरण को कम करने के लिए वाहनों का यथोचित चयन एवं रखरखाव। ii) 5 संख्यक 28 कि.ली. सचल फुहारे एवं ढुलाई सड़क पर स्थायी फुहारों के साथ ढुलाई सड़कों एवं भंडार संचय क्षेत्र में जल का छिड़काव: • धूल उत्पादन को कम करने के लिए एन.ओ.एन.ई.एल. प्रस्फोटक का प्रयोग करते हुए उपयुक्त ब्लास्ट डिजाइन एवं विलंबित ब्लास्टिंग। • क्रशर एवं कन्वेयर में धूल के दमन एवं संपूर्ण आच्छादित कन्वेयर में धूल के उत्पादन को रोकने के लिए, शुष्क धूम प्रणाली का कार्यान्वयन। • सभी ड्रिल मशीनों में वैक्यूम सक्शन/नम ड्रिलिंग अपनाना। • धूल कणों को रोकने के लिए वृक्षारोपण के साथ 7.5 मी. चौड़ा परिधीय घेरा।
			2. जल प्रदूषण: i) कैन्टीन, वाहन की धुलाई से निकले अपशिष्ट जल एवं शौचालयों से मलजल	**2. जल प्रदूषण:** i) गाद लदे बरसाती जल को बाहर निकलने से रोकने के लिए सक्रिय खनन क्षेत्र में चारों ओर इन-सिटु परिधीय घेरा • खनन क्षेत्रों से पंकयुक्त जल, यदि है, के छनन हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर रोकबाँध। • हौदी में खनन क्षेत्र में बरसात के जल का संग्रह एवं एकत्रित जल का भूमि में अन्तःस्रवण।

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
खान	**बॉक्साइट**	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • ध्वनि प्रदूषण • ठोस अपशिष्ट प्रदूषण		• शौचालय से जल सेप्टिक टैंक में प्रयोग होता है एवं सोखाई गड्ढों में निपटाया जाता है, कैन्टीन के अपशिष्ट जल जैविक उपचार एकक में उपचारित होता है। वाहन धुलाई क्षेत्र से धुलाई जल, तेल जल सेपरेटर में व्यवहृत होता है। कैन्टीन और वाहन धुलाई क्षेत्र से व्यवहृत जल धूल दमन एवं वृक्षारोपण के लिए संपूर्ण रूप से पुनः उपयोग किया जाता है।
			3. **ध्वनि प्रदूषण:** i) विस्फोट एवं भारी वाहनों के प्रचालन के दौरान ध्वनि	3. **ध्वनि प्रदूषण:** i) ध्वनि सृजन को कम करने के लिए एनओएनईएल प्रस्फोटक का प्रयोग करते हुए विलंबित विस्फोट समेत उपयुक्त ब्लास्ट डिजाइनः • ध्वनि के गमन को रोकने के लिए परिधीय वृक्षारोपण। • एचईएमएम में ध्वनि कम उत्पन्न करने वाले उपयुक्त उपकरण का चयन, ध्वनिरोधी केबिन का प्रावधान एवं कामगारों के लिए पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) का प्रावधान।
			4. **ठोस अपशिष्ट प्रदूषण:** i) खनिज लवणों के उत्खनन से ओवरबर्डन सामग्री	4. **ठोस अपशिष्ट प्रदूषण:** i) ऊपरी मिट्टी एवं ओवरबर्डन का 100% पुनःउपयोग जो खनन किए हुए क्षेत्रों की पुनः भराई के लिए पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है।
			5. **भूमि निम्नीकरण:** i) विस्फोट द्वारा एवं मशीनरी के प्रयोग से ओवरबर्डन एवं अयस्क सामग्री का उत्खनन	5. **भूमि निम्नीकरण:** i) समवर्ती खनन एवं खोदे गए क्षेत्रों की पुनः भराई : • विस्तृत पौधरोपण के साथ खोदे गए क्षेत्र का पुनर्वासन, इस तरह बंजर क्षेत्र का वन में रूपांतरण।

** एनोड प्रभाव के दौरान प्रद्रावक में प्राथमिक एल्यूमिनियम लघुकरण प्रक्रिया में परफ्लोकार्बन (पी.एफ.सी) अर्थात टेट्राफ्लूरोमिथेन (सीएफ$_4$)एवं हेक्साफ्लूरोइथेन (सी$_2$एफ$_6$) निस्सरण का उत्पादन होता है। टेट्राफ्लूरोमिथेन एवं हेक्साफ्लूरोइथेन निस्सरण की उनके प्रबल ग्रीनहाउस प्रभाव एवं लम्बे वायुमंडलीय जीवनकाल के कारण बहुत बारीकी रेन निगरानी रखी जाती है। प्रद्रावक संयंत्र सर्वाधिक उन्नत एएलपीएसवाईएस पॉट नियंत्रण प्रणाली से सज्जित है जो पॉट में सही समय पर एल्यूमिना की खुराक देते हुए एनोड प्रभाव की आवृत्ति एवं अवधि को कम करने में मदद करती है। वर्ष 2018-19 के लिए, ए.पी. (एल्यूमिनियम पचिनी) ओवरवोल्टेज विधि के प्रयोग से प्रद्रावक पॉटलाइन से पीएफसी निस्सरण का आकलन किया गया है एवं उनके मूल्यमान नीचे दिए गए हैं:*

पीएफसी के प्रकार	वास्तविक निस्सरण
सीएफ$_4$(केजी/टी एएल)	0.0233
सी$_2$एफ$_6$(केजी/टी एएल)	0.0028

2.2 **प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति एकक के संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री) के सम्बंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक)।**

i) पूरी मूल्य श्रृंखला पर पिछले वर्ष से हासिल प्राप्ति/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती।

निम्नलिखित **तालिका ख** में पिछले वित्त वर्ष के दौरान हासिल कटौती दर्शायी गयी है :

तालिका ख

प्रति इकाई उत्पादन की विशिष्ट खपत	माप की इकाई	मानक	पूर्ववर्ती वर्ष (वि.व. 2017-18)	वर्तमान वर्ष (वि.व. 2018-19)
बॉक्साइट खानों में विस्फोटक की खपत	ग्राम/मे.टन	145	128	74.61
एल्यूमिना परिशोधक के एसपीपी में वाष्प उत्पन्न करने के लिए कोयला	टन/टन	0.650	0.647	0.635
एल्यूमिना परिशोधक में विद्युत ऊर्जा	कि.वा.घं./टन	320	316	315.5
एल्यूमिनियम फ्लूओराइड की खपत	कि.ग्रा./मे.टन	19	19	16
प्रद्रावक में तप्त धातु के लिए शुद्ध कार्बन की खपत	कि.ग्रा./मे.टन	430±5	430	424
ग्र.वि.सं. में ईंधन तेल की खपत	मि.ली./कि.वा.घं.	0.80	0.42	0.87

ii) ग्राहकों द्वारा प्रयोग के दौरान कटौती (ऊर्जा, जल) पिछले वर्ष से हासिल की गई है।

वस्तु क्षेत्र में होने के कारण, ग्राहकों की ओर से ऊर्जा एवं जल के प्रयोग की निगरानी संभव नहीं है। तथापि, यातायात क्षेत्र में एल्यूमिनियम के बढ़ते उपयोग ने ईंधन/ऊर्जा खपत में कटौती का अच्छा अवसर प्रदान किया है। न्यून पुनर्चक्रण ऊर्जा आवश्यकता के साथ पुनर्चक्रण योग्य होने के कारण एल्यूमिनियम धातु का उत्पादन एत बार होने के बाद न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है।

2.3 क्या कंपनी के पास संधारणीय आपूर्ति स्रोत (परिवहन समेत) के लिए कार्यपद्धतियाँ हैं?

हाँ।

संधारणीय आपूर्ति स्रोत आपूर्तिकर्ताओं की चयन-प्रक्रिया में सामाजिक नैतिक एवं पर्यावरणीय निष्पादन धारकों का समाकलन है। आपूर्तिकर्ताओं के सामाजिक प्रदर्शन हेतु, एसए-8000 मानक का कार्यान्वयन किया गया है एवं सामाजिक उत्तरदायित्व नीति व्यवस्था में है। नालको का इंटिग्रिटी पैक्ट नैतिक प्रदर्शनकारकों का ध्यान रखता है। इंटिग्रिटी पैक्ट एक हस्ताक्षरित दस्तावेज है जो सर्वाधिक पारदर्शिता अपनाने में सर्वोत्तम पद्धित का पालन करने के लिए ठेकागत प्राधिकारी एवं बोलीदाता को वचनबद्ध करता है। इसी प्रकार आपूर्तिकर्ताओं को पर्यावरणीय नीति एवं नालको के दिशानिर्देश का पालन करने के लिए कहा जाता है।

बॉकसाइट जो एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, इसकी प्राप्ति हमारे परिशोधक से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हमारे ग्रहीत खानों से की जाती है। एल्यूमिनियम प्रद्रावण के लिए व्यापक विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे प्रद्रावक के नजदीक हमारे पास ग्रहीत विद्युत संयंत्र है। विद्युत संयंत्र के लिए कोयले की उपलब्धता तालचेर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोयला खानों से की जाती है। दीर्घकालीन ईंधन आपूर्ति अनुबंध एवं ब्रिज लिंकेज के माध्यम से कोयले को उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। कोयले की आपूर्ति में किसी भी कमी को ई-नीलामी मार्ग के जरिए कोयले की खरीद से पूरा किया जाता है। अन्य प्रमुख कच्चे माल जैसे कि एलुमिनियम फ्लूराइड, कॉस्टिक सोड़ा, सी.टी. पिच एवं सी.पी. कोक आदि की प्राप्ति बहु विक्रेताओं के माध्यम से की जाती है। बुधपंक, अनुगूल में हमारी निजी रेलवे साइडिंग, निर्यात एवं आयात बॉक्साइट की परिशोधक में ढुलाई हेतु केबल बेल्ट कन्वेयर हमारी व्यापक परिवहन प्रणाली को दर्शाती है।

2.4 कार्यस्थल के आसपास के समुदायों समेत स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए क्या कंपनी द्वारा कदम उठाए गए हैं ? यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता एवं समर्थता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संगठन की अनुषंगी विकास नीति स्थानीय विक्रेताओं के विकास को प्रोत्साहित करती है। एककों में एमएसएई सरलीकरण प्रकोष्ठ इन विक्रेताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए तकनीकी, वाणिज्यिक क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करते हुए नीति को कार्यान्वित करते हैं। एमएसई एककों द्वारा प्रस्तावित वस्तु एवं सेवाएँ सूचीबद्ध की जाती हैं एवं प्रमुखता के साथ प्रदर्शनी की जाती है और हमारी वेबसाइट में वेब प्रकाशित की जाती है ताकि

व्यापक प्रचारण एवं जागरूकता सुनिश्चित हो पाए। नमस्या (नालको माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइज योगायोग एप्लिकेशन एमएसई के लिए द्विभाषी एप्प) एमएसइ विक्रेताओं के लिए एक मोबाइल एप्प है जो विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी विनिदेशों के साथ आपूर्ति किए जाने वाले मदो, विक्रेता विकास कार्यक्रम एवं नालको के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के बारे में अपेक्षित सूचना प्रदत्त करने एवं एमएसई को सशक्त बनाता है। एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) से नालको के खरीद आंकड़े मासिक आधार पर एमएसएमई विभाग, भारत सरकार के "एमएसएमई संबंध " एप्प में अपलोड किए जा रहे हैं। खान एवं परिशोधन संकुल और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल के प्रदर्शनी हॉल में तकनीकी जानकारी के साथ उत्पादों की प्रदर्शनी की गई है ताकि वार्षिक आवश्यकता के संबंध में उत्पाद एवं सूचना का विकास हो पाए एवं एमएसई उद्यमियों को अंतिम क्रय मूल्य आदि प्रदान किए जाते हैं। ऐसे एककों को बोली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निविदाकारी प्रक्रिया में रियायत जैसे कि बयाना राशि जमा एवं निविदा शुल्क से मुक्ति आदि में विस्तार किया गया है। एमएसई एककों को उनके लिए निर्दिष्ट उत्पादों और सेवाओं के लिए न्यूनतम उद्धृत मूल्य के 15% की सीमा में उद्धृत करते हुए क्रय प्राथमिकता प्रदान करते हुए हमारी क्रय पुस्तिका में उपयुक्त संशोधन किया गया है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनुषंगी एककों समेत ओड़िशा के एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की खरीद ₹ 361.17 करोड़ रही (पिछले वित्त वर्ष के ₹ 296.11 करोड़ की तुलना में)। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एमएसई एककों (ओड़िशा के बाहर के समेत) द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की कुल खरीद ₹472.52 करोड़ रही (वित्त वर्ष 2017-18 के ₹400.13 करोड़ की तुलना में) एवं न्यूनतम 25% के सरकारी लक्ष्य की तुलना में नालको द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद का 26.79% है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की खरीद का लक्ष्य ₹442.5 करोड़ रखा गया है।

- नालको ने 30.08.2018 को भुवनेश्वर में आयोजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब के अंतर्गत राज्य सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- नालको को यूनिट-III एग्जिबिशन ग्राउंड भुवनेश्वर में 28 जनवरी से 3 फरवरी-19 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, ओड़िशा सरकार द्वारा आयोजित ओड़िशा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2019 में "उत्कर्ष प्रमाणपत्र" पुरस्कार दिया गया।
- नालको ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्था, कटक एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, ओड़िशा सरकार के सहयोग से ओएएसएमई द्वारा रायगढ़ में 01.02.19 को एवं अनुगुल में 01.03.19 को आयोजित मदर प्लांट्स के साथ राज्य स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- नालको ने 26.02.19 से 28.02.19 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्था द्वारा कटक में आयोजित उद्यम समागम में हिस्सा लिया।
- खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में 14.06.18 को राष्ट्रीय स्तर का "विक्रेता सम्मेलन" आयोजित हुआ जिसमें ओड़िशा के अंदर और बाहर दोनों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं ने हिस्सा लिया।
- वर्ष 2018-19 के लिए खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में डीआईसी कोरापुट के सहयोग से 05.12.18 को सब-प्लैक (संयत्र स्तर की सलाहकारी उप-समिति) सम्मेलन को आयोजन किया गया।
- "अ.जा.-अ.ज.जा उद्यमियों के लिए क्रेता-विक्रेता सम्मेलन" का आयोजन 05.12.2018 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी एवं 28.03.19 को प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में किया गया।

2.5 उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण की प्रणाली क्या कंपनी के पास है? यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है?

हाँ।

एल्यूमिनियम धातु के प्राथमिक उत्पाद के रूप में, हमें एल्यूमिनियम को पुनर्चक्रण नहीं करना पड़ता है, परंतु प्राथमिक एल्यूमिनियम के उत्पादन की तुलना में एल्यूमिनियम उत्पादों के पुनर्चक्रण के लिए 5% की मामूली ऊर्जा की जरूरत पड़ती है एवं केवल 5% ग्रीनहाउस गैस का निष्कासन करता है। इस लिए जहाँ तक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की बात है, हम प्रक्रिया अपशिष्ट, धातु रद्दी एवं अपशिष्ट उत्पादों, वहिःस्रावों एवं औद्योगिक नाले के जल, राख तालाब एवं लाल पंक के तालाब से निस्तारित जल का अधिकतम संभव सीमा तक पुनर्चक्रण करते हैं। हम हमारे एककों में वर्षा जल दोहन, भूमिगत जल को प्रभारित करना और मल जल के उपचार को भी कार्यान्वित करते हैं। वर्ष ***2018-19 में, ग्र.वि.सं. राख तालाब से 17,017,960 घन मीटर***

जल परिशोधन राख तालाब से 81,40,664 घन मीटर जल एवं परिशोधन लाल पंक तालाब से 31,32,854 घन मीटर जल का पुनर्चक्रण किया गया था। इस विषय में हमारी कुछ उपलब्धियाँ नीचे **तालिका 'ग'** में वर्णित है :

तालिका ग : अपशिष्ट का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग

एकक	उपयोग	प्रतिशत
बॉक्साइट खान	*उत्खनित क्षेत्रों के समवर्ती पुनरुद्धार हेतु ओवरबर्डन का उपयोग*	*100%*
एल्यूमिना परिशोधक	*अपशिष्ट लाल पंक से पुनर्चक्रित कॉस्टिक सोड़ा*	*8.31%*
	परिशोधक में राख का उपयोग	*69.59%*
	राख के तालाब जल का पुनर्चक्रण	*93.61%*
प्रद्रावक	*एल्यूमिनियम स्क्रैप का पुनर्चक्रण*	*100%*
	प्रक्रियागत निविष्ट के रूप में पुनर्चक्रित एल्यूमिनियम ड्रॉस	*86%*
	व्ययित एनोड का पुनर्चक्रण	*100%*
ग्र.वि.सं.	*ग्र.वि.स. में राख का उपयोग*	*75.47%*

सिद्धान्त 3 : व्यवसाय से सभी कर्मचारियों का कल्याण प्रोन्नत होना चाहिए

3.1 कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं :

31.03.2019 को यथा, नियमित नियोजन में कर्मचारियों की कुल संख्या 6,496 है।

3.2 कृपया 31.03.2019 को यथा, अस्थायी/अनुबंध पर/आकस्मिक आधार पर किराए पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं :

नालको द्वारा कोई अनुबंधित/अस्थायी/आकस्मिक कर्मचारी नियोजित नहीं किए गए। आतिथ्य, रखरखाव, स्वच्छता, सफाई व्यवस्था एवं परियोजना गतिविधियों आदि क्षेत्रों में कार्यरत कार्य ठेकेदारों ने उनके अनुबंधित दायित्वों के निष्पादन के लिए 10,767 ठेका कामगारों को नियुक्त किया गया है।

3.3 कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएंः

31.03.2019 को यथा, कुल 359 स्थायी महिला कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

3.4 कृपया विसक्षम स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएंः

31.03.2019 को यथा, नियमित नियोजन पर विसक्षम जनों की कुल सं. 95 है।

3.5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यताप्राप्त कोई कर्मचारी संघ है ?

नालको में 5 मान्याताप्राप्त यूनियन हैं। प्रद्रावक, ग्र.वि.सं., परिशोधक, खान एवं निगम कार्यालय प्रत्येक में एक है।

3.6 इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य के रूप में आपके स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है ?

विभिन्न मान्यताप्राप्त यूनियन में कर्मचारियों का प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है।

प्रद्रावक-44.83%, ग्र.वि.सं.-52.68%, परिशोधक-47.99%, खान-57.85% एवं निगम - 76.22%।

3.7 कृपया गत वित्तीय वर्ष में बाल मजदूर, जबरन मजदूर, गैर-स्वैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या बताएं एवं वित्तीय वर्ष के अंत में इन पर लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।

वस्तुस्थिति इस प्रकार है :

क्रम सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2019 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूर/जबरन मजदूर/गैर-स्वैच्छिक मजदूर	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3	पक्षपाती नियोजन	शून्य	शून्य
4	कोई अन्य शिकायत	60	15

3.8 **नीचे वर्णित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था ?**

स्थायी कर्मचारियों, स्थायी महिला कर्मचारियों, अनियमित/अस्थायी/अनुबंधित कर्मचारियों, विसक्षम कर्मचारी।

उपर्युक्त प्रशिक्षण से संबंधित वस्तुस्थिति नीचे वर्णित है :

कर्मचारियों की श्रेणी	मौजूदा शक्ति	सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल व्यक्ति	सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत
स्थायी कर्मचारी (महिलाएँ एवं शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को छोड़कर)	6042	2194	**35.31%**
स्थायी महिला कर्मचारी	359	108	**30.08%**
अनियमित/अस्थायी/अनुबंधित कर्मचारी	शून्य	—	—
विसक्षम कर्मचारी	95	25	**26.31**

- विभिन्न ठेकों के माध्यम से 10767 ठेका कामगारों का नियोजन किया गया है, जिसमें से 5627 ठेका कामगारों ने सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण लिया है अर्थात 52.26%

सिद्धान्त 4: व्यवसाय सभी हितधारकों, विशेषकर सुविधाओं रहित, संवेदनशील एवं कमजोर वर्गों के लिए हितकारी हो।

4.1 **क्या कंपनी ने अपने आन्तरिक एवं वाह्य हितधारकों की सुव्यवस्था की है ?**

जी हाँ, आन्तरिक शेयरधारकों अर्थात कर्मचारियों एवं बाहरी शेयरधारकों अर्थात ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, निवेशकों, सरकार एवं उनके प्रतिनिधियों और समितियों, स्थानीय समुदायों का नियामक प्राधिकारियों, सेवा प्रदाताओं एवं कार्यठेका कामगारों को औपचारिक या अनौपचारिक माध्यमों से लिया गया है। इस नियुक्ति से विचारों के आदान प्रदान, चिंताओं के निवारण, हितों का अभिसरण हुआ है जिससे सुदृढ़ विश्वास, दीर्घमियादी संपर्क, विजयी संबंध स्थापित हुए हैं। हमारी व्यापक संपर्क प्रणाली एक अति प्रतिष्ठित तथ्य है जो अग्रसक्रिय रूप से हमारे आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों से वार्तालाप करने में सहयोग देता है। हितधारकों की अपेक्षाएँ प्रार्थनीय हैं एवं इसी अनुसार इसके निवारण के लिए हमारी नीतियों, प्रक्रियाओं एवं उत्पादों को तैयार किया जाता है।

4.2 **उपर्युक्त में से, क्या आपकी कंपनी ने सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारकों की पहचान की है ?**

जी हाँ, हमारे संयंत्र और खानों के परिधीय क्षेत्रों में सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारकों की पहचान के लिए सामाजिक-आर्थिक आधारीय सर्वेक्षण किया गया है। इसके अनुसार आर एवं आर नीति तैयार की गई है एवं कार्यान्वयन किया गया है।

4.3 **सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारकों से जुड़ने के लिए क्या कंपनी ने कोई विशेष प्रयास किया है ?**

हमारा नि.सा.उ. प्रयास पूर्णरूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर केन्द्रित है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, संस्कृति आदि जैसे कुछ क्षेत्रों पर जोर दिये गये हैं। सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारकों एवं उनके सामाजिक आर्थिक पोषण मसले को हमने हमेशा अपनी कार्यसूची में उच्च श्रेणी पर रखा है। सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर एवं अवसरों से वंचित लोगों के जीवन का ध्यान रखने के लिए हमने वृहद स्तर की दीर्घकालीन परियोजनाओं से लेकर एककालीन आवश्यकता विशिष्ट प्रयासों समेत कई पहल हाथ में ली है। वित्तीय वर्ष 18-19 के दौरान किए गए हमारा कुछ प्रयास नीचे वर्णित हैं:

क) **परिधीय गाँवों में घर के द्वार तक स्वास्थ्य सेवा:** मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट (एमएचयू) एवं ओपीडी सेन्टर के माध्यम से बुनियादी औषधियाँ समेत आसपास के गाँववासियों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा।

ख) **इंद्रधनुष:** कोरापुट और भुवनेश्वर में प्रसिद्ध स्कूलों के सहयोग से दामनजोड़ी के परिधीय गाँवों के आदिवासी छात्रों को आवासीय शिक्षा।

ग) **नालको की लाड़ली:** ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले से गरीबी रेखा से नीचे वर्ग (बीपीएल) की मेधावी कन्या छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहयोग।

घ) **स्वच्छ भारत प्रयास :** स्वच्छ प्रतिष्ठित पुण्यस्थल विकास, स्वच्छ विद्यालय एवं स्वच्छता, स्थापना एवं समुचित तंदुरुस्ती के लिए ओडीएफ गाँव।

ङ) **जरूरतमंदो के लिए पेयजल की सुविधा :** खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी प्रस्तावित पोट्टांगी बॉक्साइट खान क्षेत्र, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल एवं उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक, छेंदीपाड़ा के परिधीय गाँवों में पेयजल सुविधा का प्रावधान।

च) **कौशल भारत (स्किल इंडिया) को सहयोग :** स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम एवं ठेका कामगारों की पूर्ण शिक्षण स्वीकृति (आरपीएल)।

घ) **ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास :** सड़कों, कलवर्ट, नालों, आश्रय घर का निर्माण, परिधीय गाँवों में समुदाय केन्द्रों एवं जलाधारों आदि का नवीकरण एवं मरम्मत।

सिद्धान्त 5 : व्यवसाय मानवाधिकारों का सम्मान एवं प्रोत्साहन करे।

5. 1 क्या कंपनी की मानवाधिकार नीति केवल कंपनी को या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/अन्य को शामिल करती है ?

मानवाधिकार सिद्धान्त केवल हमारे सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं, बल्कि बाहरी स्रोतों से प्राप्त सभी कार्यों के ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं पर भी लागू रहते हैं। प्रयोज्य विनियमों जैसे कि कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, खान अधिनियम 1972, ठेका मजदूर (आर एण्ड ए) अधिनियम 1970, उपदान का भुगतान अधिनियम 1972 के माध्यम से अधिदेशित मानवाधिकार अभ्यास कंपनी में सख्ती से पालन किए जाते हैं। साथ ही, कार्यठेका परिस्थितियों में आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों के लिए, महत्वपूर्ण मानवाधिकार मसले अर्थात बाल मजदूर, जबरन एवं अनिवार्य मजदूर, पक्षपात, अनुशासनिक अभ्यास, मजदूरी एवं कार्य अनुसूची का यथा उपयुक्त ध्यान एसए 8000:2014 आवश्यकताओं के माध्यम से रखा जाता है ताकि कोई उल्लंघन न होने पाए। हमारे उत्पादन एककों, खान एवं निगम कार्यालय में एसए 8000:2014 मानक का कार्यान्वयन किया जाता है।

5.2 गत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं प्रबंधन द्वारा संतोषप्रद समाधान किया गया ?

हितधारकों से शिकायतों की वस्तुस्थिति 1.2 में वर्णित है।

सिद्धान्त 6 : व्यवसाय पर्यावरण की सम्मान व रक्षा करें एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करे।

6.1 क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को या फिर समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्य को भी शामिल करती है?

आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को कोई भी कार्य सौंपने से पहले हमारी पर्यावरण नीति के अंतर्गत उनकी पर्यारणीय वचनबद्धता की जाँच की जाती है। हमारे आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों द्वारा स्वस्थ पर्यावरणीय अभ्यासों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हमारे एनआईटी एवं कार्यादेश में उपयुक्त खंड दिए गए हैं।

6.2 क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरणीय विषयों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वॉर्मिंग) आदि के समाधान के लिए रणनीतियाँ/प्रयास आदि हैं? हाँ/ना। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हाइपरलिंक आदि बताएं।

हमने ग्रीन हाउस गैस के निस्सरण एवं संबंधित वैश्विक तापीकरण पर नियंत्रण रखने के लिए हरित ऊर्जा प्रयास जैसे कि पवन ऊर्जा एवं सौर शक्ति को अपनाया है जो निम्नलिखित हैं :

- चार पवन विद्युत परियोजनाएँ - i) गण्डीकोटा, आंध्रप्रदेश में 50.4 मे.वा., ii) जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मे.वा., iii) देवीकोट, राजस्थान में 50 मे.वा. और iv) जाथ, महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. व्यवसायिक प्रचालन में हैं।
- तीन रूफ टॉप सौर फोटोवोल्टिक - 160 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक), 100 केडब्ल्यूपी एवं 50 केडब्ल्यूपी क्षमता के वोल्टीय संयंत्र निगम कार्यालय, नालको टाउनशिप एवं एचआरडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनआरटीसी, भुनवेश्वर में परिचालित हैं।

- एनआरटीसी, भुवनेश्वर में एक और 320 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर विद्युत परियोजना संचालन में है।
- दामनजोड़ी, अनुगुल एवं विशाखापत्तनम में नालको के विभिन्न स्थानों में रूफटॉप सौर संयंत्रों को स्थापित करने से संबंधित व्यवहार्यता/उपयुक्तता के मूल्यांकन हेतु अध्ययन कार्य जारी है।
- वर्ष के दौरान,प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 10,197 पौध लगाए गए एवं 15,500 पौध गाँववासियों को वितरित किए गए ताकि यहाँ के क्षेत्र की हरियाली को बेहतर बनाने में उन्हें सहयोग मिल सके।
- एल्यूमिना परिशोधक में 19,736 पौधों का रोपण दिया गया एवं 3,877 पौधों का वितरण किया गया।
- हमारे पंचपटमाली खानों में उत्खनित क्षेत्र के पुनर्स्थापन एवं वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान कुल 1,00,260 पौध का रोपण किया गया। साथ ही, 11,000 पौध, जिनमें ज़्यादातर देशी फलदार नस्ल के हैं, का वितरण परिधीय गाँववासियों में किया गया है।
- खानों में 3 एकड़ के क्षेत्र में फैले अति ऊँचाई पर स्थित नर्सरी स्थानीय जलवायु एवं दशा के उपयुक्त देशी नस्ल के पौधों को विकसित होने में मदद करती है। पिछले वर्ष नर्सरी ने वृक्षारोपण के लिए 1 लाख पौध को उत्पन्न किया है।

पवन विद्युत का विवरण नालको वेबसाइट एवं वेबलिंक में उपलब्ध है।

https://nalcoindia.com/business/operation/wind-power-plants/

6.3 **क्या कंपनी संभावी पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान एवं आकलन करती है ?**

हाँ, व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन, अवस्थिति प्रभाव अध्ययन, संकट पहचान एवं जोखिम आकलन और आपातकालीन प्रबंधन योजनाएँ आदि के माध्यम से संभावी पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान की गई है। पर्यावरण चिंताएँ, जोखिम, हमारे उत्पादों के लिए अवसर के समाधान अनुच्छेद 2.1, तालिका - क में वर्णित है।

6.4 **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि हाँ, तो इसका विवरण दें। साथ ही, यदि हाँ है, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है ?**

हाँ, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कॉन्वेन्शन (यूएनएफसीसीसी) की स्वस्च्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) के अन्तर्गत गण्डीकोटा में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र एवं जैसलमेर में 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र ली गई हैं। पवन विद्युत परियोजनाएँ ग्रिड संयोजित अक्षत ऊर्जा परियोजनाएँ हैं जो पवन ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करती हैं एवं जीएचजी निस्सरण में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद करती है।

गण्डीकोटा में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र - सीडीएम परियोजना

सीडीएम परियोजना गतिविधि ने राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए), पर्यावरण एवं वन ंत्रालय, भारत सरकार से मेजबान देश अनुमोदन (एचसीए) प्राप्त किया है। परियोजना की गतिविधियों को (यूएनएफसीसीसी) मान्यताप्राप्त निर्दिष्ट पिरचालनीय संस्था (डीआई) द्वारा प्रमाणित किया गया है। यूएनएफसीसीसी के साथ पिरयोजना का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। वार्षिक औसत जीएचजी निस्सरण कमी का अनुमानित परिणाम 85,927 टन सीओ$_2$ के समकक्ष है।

जैसलमेर में 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र - सीडीएम परियोजना

सीडीएम पिरयोजना गतिविधि ने राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से मेजबान देश अनुमोदन प्राप्त किया है। यूएनएफसीसीसी के साथ परियोजना का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। वार्षिक औसत जीएचजी निस्सरण कमी का अनुमानित परिमाण 83,426 टि सीओ$_2$ के समकक्ष है।

6.5 **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, अक्षत ऊर्जा पर कोई अन्य प्रयास किया है? यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के हाइपरलिंक बताएं।.**

अक्षत ऊर्जा पर निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

- **पवन विद्युत परियोजनाः** गण्डीकोटा, कदप्पा, आंध्रप्रदेश में 50.4 मे.वा, लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मे.वा., देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान में 50 मे.वा. एवं जाठ, महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. प्रचालन में हैं।

  नालको ने तूतिकोरितन जिला, तमिलनाडु के कायाथार में 25.5 मे.वा. पवन शक्ति परियोजना की स्थापना का आदेश जारी किया है।

  पवन विद्युत का विवरण नालको की वेबसाइट एवं वेबलिंक में उपलब्ध है

  https://nalcoindia.com/business/operation/wind-power-plants/

- **रूफ टॉप सौर परियोजनाएँ :** नालको निगम कार्यालय में 160 केडब्ल्यूपी, नालकोनगर टाउनशिप में 100 केडब्ल्यूपी, नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनआरटीसी), भुवनेश्वर में 370 केडब्ल्यूपी प्रचालन में हैं।

  नालको ने एमएनआरई योजना के अधीन प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल, खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी एवं पवन सुविधा, विशाखापत्तनम में विभिन्न स्थानों पर रूफटॉप सौर परियोजनाओं के संस्थापन हेतु प्रयासरत है।

6.6 **रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी द्वारा उत्पादित निस्सरण/अपशिष्ट क्या सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमाओं के अन्दर है?**

कंपनी के प्रचालन एककों द्वारा उत्पादित सभी निस्सरण/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमाओं के अंदर है। इस सूचना से संलग्न पर्यावरणीय विवरण प्रत्येक वर्ष नियामक प्राधिकरण के पास जमा किया जाता है।

6.7 **वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिस की संख्या जो लंबित है (अर्थात जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ)।**

प्रद्रावक को संकटजनक अपशिष्ट प्रबंधन के संचालन के संबंध में एक कारण बताओ नोटिस जारी की गयी थी एवं इसके फलस्वरूप प्रदूषण रोकथाम से जुड़े कुछ उपायों को स्थापित करने का निर्देश जारी किया गया था जो कार्यान्वयन प्रक्रिया के अधीन है।

सिद्धान्त 7 : सार्वजनिक एवं नियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसाय, दायित्वपूर्ण रूप में किए जाए।

7.1 **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेम्बर या संघ का सदस्य है ? यदि हाँ, तो केवल कुछ प्रमुख संघ का नाम बताएँ जिनसे आपका व्यवसाय जुड़ा है :**

हाँ। प्रमुख संघ हैं :

1. भारतीय एल्यूमिनियम संघ।
2. सार्वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप), नई दिल्ली।
3. भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई), नई दिल्ली।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुंबई।
5. भारतीय गुणवत्ता मण्डल मंच, सिकन्दराबाद।
6. भारतीय सेरामिक सोसाइटी, कोलकाता।
7. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली।
8. उत्कल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, भुवनेश्वर।
9. इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कोलकाता।
10. भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली।
11. इंटरनेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स, दिल्ली।
12. रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कोलकाता
13. राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्था, कोलकाता
14. ओड़िशा राज्य उत्पादकता परिषद
15. अखिल भारतीय प्रबंधन संघ

7.2 **क्या आपने सार्वजनिक वस्तु की उन्नति या सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से पैरवी की है/समर्थन प्राप्त किया है ? यदि हाँ, तो विस्तार से निर्दिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख करें (उदाहरण, अभिशासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संधारणीय व्यवसाय सिद्धान्त, अन्य) ?**

जी हाँ, सार्वजिनक वस्तु हेतु लिए गए निर्दिष्ट क्षेत्र हैं :

- उड़नशील राख का उपयोग
- जल पुनर्चक्रण एवं संरक्षण
- जलवायु परिवर्तन कार्य योजना
- पर्यावरण का संरक्षण
- नि.सा.उ. एवं परिधीय विकास

- o कौशल विकास एवं रोजगार उत्पत्ति
- o ऑटोमोबाइल, विद्युत पारेषण, निर्माण एवं पैकेजिंग क्षेत्र में एल्यूमिनियम का वर्धित उपयोग
- o संघारणीय खनन
- o ऊर्जा, जल, खनिज संरक्षण
- o कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं परिस्थिति विज्ञान
- o उद्योगों की उन्नति द्वारा आर्थिक नेतृत्व
- o भारत सरकार की मेक इन इंडिया योजना के माध्यम से अनुप्रवाह एल्यूमिनियम उद्योगों का विकास

सिद्धान्त 8 : व्यवसाय समावेशी वृद्धि एवं समान विकास का पक्षधर हो।

8.1 क्या कंपनी के पास सिद्धान्त 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएँ हैं ? यदि हाँ, तो इनका विवरण दें।

हाँ, नालको की नि.सा.उ. नीति निहीत प्रस्तावना एवं निदेशात्मक सिद्धांत समावेशी वृद्धि एवं समान विकास की हमारी धारणा को प्रतिपादित करता है। कंपनी को विश्वास है कि संधारणीय समान विकास ही एकमात्र स्वीकार्य व्यवसाय मॉडल है। कंपनी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रतिफल को कम करते हुए एवं शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तीकरण, जीविका प्रोत्साहन, ग्रीमीण आधारभूत संरचना के विकास सांस्कृतिक परंपरा के प्रोत्साहन एवं पुनबर्हाली और खेलकूद प्रोत्साहन के क्षेत्र में समाज के संवेदनशील एवं कमजोर वर्ग के लोगों में सकारात्मक सामाजिक प्रभाव डालते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की आकांक्षा रखती है।

8.2 क्या आंतरिक टीम/निजी प्रतिष्ठान/बाहरी गैर-सरकारी प्रतिष्ठान/सरकारी क्षेत्रों/कोई अन्य संगठन के जरिए कार्यक्रम/परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है?

कंपनी की नि.सा.उ. गतिविधियाँ (i) पुनर्वास एवं परिधीय विकास सलाहकारी समिति (आरपीडीएसी) (ii) नालको फाउंडेशन (iii) नालको द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की गई है

i. *आरपीडीएसी* - ओड़िशा सरकार ने अनुगुल क्षेत्र एवं दामनजोड़ी क्षेत्र के लिए संबंधित राजस्व मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में पुनर्वास एवं परिधीय विकास सलाहकारी समिति (आरपीडीएसी) का गठन किया है। समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं जिला कलेक्टर, स्थानीय विधायक, सांसद, लोक प्रतिनिधिगण एवं नालको के प्रतिनिधिगण। परियोजनाओं की अनुमोदित सूची प्राप्त होने के बाद, विस्तृत पर्यालोचन एवं विवेचना के लिए नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति एवं निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया।

ii. *नालको फाउंडेशन*- – नालको फाउंडेशन, नालको के परिचालनीय क्षेत्रों के परिधीय में स्थित निकटवर्ती गाँवों एवं राज्य और देश के अन्य आकांक्षापूर्ण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर केन्द्रित है। नालको फाउंडेशन ने आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण के जरिए परियोजना आधारित जवाबदेही दृष्टिकोण अपनाया है एवं परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया में बुनियादी स्तर पर प्राथमिक हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की है। फाउंडेशन ने युवाओं, महिलाओं, पीआरआई सदस्यों एवं अन्य हितधारको की क्षमता विकास में कदम उठाया है।

iii. कुछ परियोजनाओं को सीधे नालको द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

8.3 क्या आपने प्रयासों का कोई मूल्यांकन किया है?

जी हाँ, हमने समय-समय पर सामाजिक प्रभाव आकलन प्रयासों को हाथ में लिया है। इस विषय में हमारे कुछ प्रयास नीचे दिए गए हैं:

i) नालको फाउंडेशन की परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव आकलन वर्ष 2012 के दौरान ओड़िशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के द्वारा संचालित किया गया।

ii) नालको द्वारा कार्यान्वित नि.सा.उ. परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) वर्ष 2017 में उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा निष्पादन किया गया।

iii) 2019 में मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क (एमएसएसडब्ल्यू) चेन्नई के सहयोग से प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया।.

8.4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है - भारतीय रुपये में राशि एवं नई परियोजनाओं का विवरण?

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नि.सा.उ. गतिविधियों हेतु कुल **₹3034.92 लाख** व्यय किया है। कुछ प्रमुख गतिविधियाँ हैं :

i) नालको फाउंडेशन ने मोबाइल स्वास्थ्य यूनिटों के संचालन द्वारा संयंत्र क्षेत्रों के परिधीय में सबसे निर्धन लोगों के मसलों का सफलतापूर्वक निवारण किया है। प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, खान एवं परिशोधन संकुल एवं पोट्टांगी खान क्षेत्रों में कुल 5604 मोबाइल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसके प्रयास से 1,54,270 रोगियों का उपचार किया गया।

ii) जागरूकता सृजन उपाय के तौर पर, "हेल्थ इज लाइफ" शीर्षक के नाम से 15000 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल एवं खान व परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी के परिधीय क्षेत्रों में छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं गाँववासियों में वितरित की गई।

iii) प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, नालको में एलवी प्रसाद आई इंस्टीइयूट के सहयोग से एक अत्याधुनिक नेत्र देखरेख अस्पताल का निर्माण किया गया है, जिसमें 60,000 रोगियों का उपचार एवं 6000 सर्जरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

iv) आवासीय शिक्षा कार्यक्रम "इन्द्रधनुष" के माध्यम से नालको ने शैक्षिक वर्ष 2018-19 तक तीन प्रमुख संस्थानों यथा, केआईएसएस, भुवनेश्वर, आदर्श विद्यालय एवं विकास विद्यालय, कोरापुट में खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी के 19 प्राथमिक परिधीय गाँवों एवं पोट्टांगी के 15 गाँवों से 920 छात्रों को प्रायोजित किया है।

v) भारत सरकार की **"बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ"** योजना के अनुरूप नालको फाउंडेशन ने अपनी "नालको की लाड़ली" योजना के अधीन परिधीय गाँवों से 292 प्रतिभावान कन्या छात्राओं के लिए शिक्षा को प्रायोजित किया।

vi) **स्वच्छ भारत मिशन** के अनुरूप दूरवर्ती गाँव यथा उपरगड़ती, दामनजोड़ी में 50 संख्यक शौचालयों, कुकुडंग ग्राम पंचायत, अनुगुल में 264 शौचालयों का निर्माण किया गया है। जिससे यह खुले में शौच से मुक्त अंचल बन पाया है। प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल के परिधीय गाँवों में और 94 शौचालय निर्माणाधीन हैं।

vii) दामनजोड़ी के 17 परिधीय गाँवों में फोर्स लिस्ट पम्प के साथ बोर वेल का संस्थापन किए जाने से कुल 901 संख्यक एचएच को पेयजल प्राप्त हो रहा है। खान एवं परिशोधन संकुल के परिधीय से अरिपुत्रघाटी एवं कांधापुत्रघाटी के लिए स्प्रिंग (झरना) आधारित पानी आपुर्ति परियोजना प्रगति में है जिससे 315 संख्यक एचएच लाभान्वित होंगे। ग्रीष्मकाल में टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के अंतर्गत प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के परिधीय से 25 गाँवों के लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है।

viii) स्वच्छ आइकोनिक प्लेस प्रोग्राम के अंतर्गत नालको ने पुरी में 19 परियोजनाएँ हाथ में ली है जैसे कि गांधी पार्क का सुन्दरीकरण एवं अनुरक्षण, ओपन एयर ऑडिटोरियम का निर्माण, श्री जगन्नाथ मंदिर के अन्दर म्यूजियम का नवीकरण, गाड़ी उत्सव के दौरान पेय जल का प्रावधान आदि।

ix) नालको ने ओडिशा के खुर्धा, कोरापुट एवं पुरी जिले की महिला बुनकर एवं कतरकों को चरखा वितरण किया है। एनएसडीसी के एक दायित्वशील साझेदार के रूप में नालको फाउंडेशन ने सिलाई मशीन प्रचालन में 30 लड़कियों एवं महिला प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया है एवं सिक्यूरिटी गार्ड, ड्राइविंग एवं स्वास्थ्य देखरेख आदि में भी निकट भविष्य में प्रशिक्षण आरंभ किए जाने की योजना है।

x) नालको ने ओड़िशा के सम्बलपुर एवं कोरापुट जिले में राष्ट्रीय धरोहर एवं संस्कृति की सुरक्षा एवं पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प के विकास में अंशदान किया है जैसे कि रायराखोल, सम्बलपुर में "महिमा संत कवि भीमा भोई स्मृति पीठ" का विकास

xi) नालको ने ग्रामीण विकास गतिविधियों में अंशदान किया है जैसे कि परिधीय गाँवों में सड़कों, कल्वर्ट, नालों, आश्रय घर का निर्माण, सामुदायिक केन्द्रों एवं जलाधारों आदि का नवीकरण एवं मरम्मत।

xii) इसके अलावा, नालको ने ओड़िशा के कोरापुट जिले में ग्रामीण खेल-कूद को प्रोत्साहित किया है।

8.5 क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि इस सामुदायिक विकास प्रयास को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है?

पीआरए (सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन) एवं एफजीडी (केन्द्रित समूह चर्चा) के माध्यम से आसपास के समुदाय को शामिल करते हुए इस विषय में आवश्यकता को चिह्नित किया जा रहा है। सामुदायिक समूह यथा युवा समूह, महिला समूह, स्व-सहायी समूह (एसएचजी), किसान समूह, शिशु समूह आदि सामुदायिक स्वामित्व एवं संधारणीयता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए परियोजना निरुपण एवं प्रबंधन में भाग लेते हैं।

सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) की साझेदारी में अधिकतम प्रभाव के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, ग्रामीण विकास, पर्यावरण (वृक्षारोपण) एवं जातीयता के विषयगत क्षेत्रों में नालको सामुदायिक विकास प्रयासों का कार्यान्वयन करती है।

सिद्धांत 9 : व्यवसाय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुड़ा रहे एवं दायित्वशील रूप में मूल्यपरक लाभ प्रदान करे।

9.1 वित्त वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ताओं के कितने प्रतिशत मामले लंबित हैं ?

नालको में ग्राहक शिकायतों का निवारण एक क्यूएमएस आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें जरूरत पड़ने पर स्थल पर ही शिकायतों की वस्तु-स्थिति के आकलन हेतु सक्षम वाणिज्यिक या तकनीकी कार्यपालकों द्वारा दौरा किए जाने का दायरा शामिल है। क्षतिपूर्ति के दावे के मामले में, एक अनुमोदित समिति द्वारा इसका विस्तार से मूल्यांकन किया जाता है एवं आवश्यक क्षतिपूर्ति की किसी सिफारिश वाले प्रस्ताव को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद भुगतान के लिए छोड़ा जाता है।

31.03.2019 को यथा लंबित कोई ग्राहक शिकायतें नहीं हैं, 31.03.2019 को यथा ग्राहक शिकायतों की वस्तुस्थिति पर रिपोर्ट इस प्रकार है:

31.03.2018 को यथा लंबित शिकायतें	1
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त शिकायतें	11
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	12
31.03.19 को यथा लंबित शिकायतें	**0**
31.03.19 को लंबित ग्राहक शिकायतों का प्रतिशत	**0%**

9.2 स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य पहलुओं के अलावा उत्पाद के लेबल पर क्या कंपनी उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है?

नहीं।

कानूनी तौर पर केवल अनिवार्य पहलू से संबंधित सूचना उत्पाद के लेबल पर दी जाती है।

एल्यूमिनियम धातु के लिए उत्पाद के लेबल पर उत्पाद के ग्रेड, स्टैक की सं., बंडल की सं., शुद्ध वजन की प्रदर्शनी की जाती है। रोल्ड (वेल्लित) उत्पादों के मामले में कंपनी का नाम एवं उत्पादन एकक व स्थान, कॉइल की सं., ग्रेड माप (मोटाई X चौड़ाई) मि.मी. में, शुद्ध वजन (कि.ग्रा. में), निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर, पैकेजिंग की तिथि, सब स्टैक की सं. एवं प्रति पैकेट शीट की कुल संख्या (केवल वेल्लित चादरों के लिए) उत्पाद के लेबल पर प्रदर्शित रहते हैं। एल्यूमिना के मामले में कंपनी का नाम एवं लोगो, उत्पाद की जानकारी, उत्पाद-कोड पैकेजिंग प्रदर्शित रहते हैं। विशेष उत्पाद हाईड्रेट के मामले में, शुद्ध वजन/सकल वजन भी प्रदर्शित रहते हैं।

9.3 क्या किसी हितधारक ने गत पाँच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध किसी अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर दायित्वशील विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी-विरोधी व्यवहार की शिकायत की है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है। यदि है, तो इसका विवरण दे।

नहीं।

9.4 क्या आपकी कंपनी उपभोक्ता समीक्षा/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियाँ अपनाती है?

हाँ, हमारे उत्पादों और संबंधित सेवा पर उपभोक्ताओं एवं ग्राहकों की धारणाओं की प्राप्ति को हमारे संगठन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। हमारी गुणवत्ता नीति ग्राहक की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को पूरा करने एवं हमारी कार्यप्रणाली एवं कार्य प्रकृति को निरंतर बेहतर बनाने पर बल देती है जो कि व्यवसाय में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए हमारे निर्धारित मार्ग है। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों माध्यमों से हम हमारे उत्पाद एवं सेवा के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं एवं इस पर निरंतर काम करते हैं, ताकि हमारे ब्राण्ड की छवि को और बेहतर बना सकें। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सितम्बर और मार्च में समाप्त दो छह-माह की अवधियों के लिए ग्राहक संतुष्टि समीक्षा का संचालन वर्ष में दो बार किया जाता है, ताकि इन अवधियों में ग्राहकों की धारणाओं का अभिग्रहण हो सके। ग्राहकों से प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर आकिलत वर्ष के लिए औसत ग्राहक संतुष्टि सूचक लक्ष्य से अधिक है। ग्राहक संतुष्ट सूचक में अवलोकित रुझान को विपणन मोर्चे में हमारे कार्य प्रदर्शन के आकलन हेतु बुनियादी संकेतकों में से एक के रूप में लिया जाता है एवं विपणन क्षेत्र में और अधिक पैठ जमाने के लिए रणनीति तैयार करने हेतु उपयोग किया जाता है।

अनुलग्नक-IV

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय पर रिपोर्ट

ऊर्जा संरक्षण पर रिपोर्टः

क. ऊर्जा संरक्षणः

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभावः

प्रचालनीय दक्षता में वृद्धि प्राथमिक क्षेत्रों में से एक रहा है एवं ऊर्जा, कच्चे माल आदि की खपत में इस कटौती के माध्यम से लागत में कमी आयी है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अपनी विभिन्न गतिविधियों और प्रक्रियाओं में ऊर्जा दक्षता बढ़ाते हुए एवं प्रौद्योगिकी उन्नति के पथ पर चलते हुए पूँजी मरम्मत समूह एवं लघु समूह गतिविधियों (एसजीए) के माध्यम से ऐसे कई प्रयास किए गए हैं।

विभिन्न एककों में ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

बॉक्साइट खानः

- *250 वॉट एचपीएसवी फिक्सचर्स के स्थान में 54 बेहतरीन एलईडी 90 वॉट स्ट्रीट लाइट फिक्सचर्स ढुलाई सड़क पर आरंभ किए गए, जिससे 43.7 मे.वा.घं./वर्ष की ऊर्जा बचत हुई।*
- *सेन्ट्रल स्टोर, एचईएमएम बे (खाड़ियों) एवं डेली मेन्टेनेन्स गैरज में 400 वॉट एचपीएसवी हाई बे ल्यूमिनेरी के स्थान में 80 अदद 250 वॉट ऊर्जा दक्ष, उच्च उद्दीप्त तीव्रता वाली हाई बे एलईडी ल्यूमिनेरी संस्थापित किए गए हैं। इससे 55.48 मे.वा.घं./वर्ष की ऊर्जा बचत हुई है।*
- *60 वॉट एलईडी ल्यूमिनेरी को 70 वॉट की 200 बेहतरीन वेल ग्लास फिक्सचर्स से बदला गया। इससे 18.254 मे.वा.घं./वर्ष की ऊर्जा बचत हुई है।*
- *ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से प्रकाशीय परिपथे में डिजिटल टाइमर के स्थान में 20 बेहतरीन एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर स्थापित किए गए हैं। इससे 34.0 में.वा.घं. की ऊर्जा बचत हुई है।*
- *सितम्बर में 250 कि.वा. स्ट्रीम 1 क्रशर (दोनों) मोटर में वीएफडी स्थापित किए गए हैं एवं वित्त वर्ष 18-19 में छह महीने के लिए ऊर्जा बचत दर्ज की गई है। इससे 9.7 मे.वा.घं./वर्ष की ऊर्जा बचत हुई है।*

एल्यूमिना परिशोधकः

- *ऊर्जा संरक्षण परियोजना के अंश के रूप में बॉयलर नं. 1 एवं बॉयलर नं. 3 में एपीएच का प्रतिस्थापन किया गया, इससे बॉयलर की दक्षता में सुधार आया है।*
- *ईंधन तेल खपत में कटौती के लिए, निस्तप्तक में फीड हाईड्रेट की नमी में कमी लाने के लिए पानी निकालने वाले यंत्र का उपयोग।*
- *निस्तप्तक में ईंधन की आवश्यकता को कम करने के लिए थर्मल (ईंधन तेल योगज) का उपयोग आवश्यकता के अनुसार जारी है।*
- *सभी प्रमुख सड़कों एवं सार्वजिनक भवनों में ट्यूब लाइट एवं इन्कैन्डेसेंट बल्ब को एलईडी ट्यूब एवं बल्ब (18,250 अदद) से बदला गया।*
- *नए एवं उन्नत डिजाइन के वाल्व से पुराने वेन्ट (निर्गम) वाष्प नियंत्रण वाल्व से बदलने की योजना बनायी गई है। क्रय प्रक्रिया प्रगति में है।*
- *इस वित्तीय वर्ष हमने समतुल्य निस्तप्त एल्यूमिना उत्पादन के लिए आनुपातिक आधार पर 20,870 टीओई कम ऊर्जा की खपत की है।*

प्रद्रावक संयंत्रः

- *सीआईआई, पूर्वी क्षेत्र ने वर्ष 2018 के लिए बड़े स्तर की श्रेणी में उत्कर्ष ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए नालको के प्रयास को मान्यता दी, कोलकाता में 17.08.2018 को सीआईआई, पूर्वी क्षेत्र द्वारा आयोजित समारोह में एनकॉन-4 सितारा पुरस्कार प्रदान किया गया।*
- *75 पॉट को ग्रैफिटाइज्ड किया गया, जिससे 55 कि.वा.घं./मे.ट. की दर से डी. सी. ऊर्जा की खपत में कटौती हुई।*
- *जीएपी-1 में बेक भट्टी-1 एवं स्लॉट कटिंग मशीन-1 में उत्पादित कोक धूल का पुनर्चक्रण जिसका उपयोग जीएपी-1 में हरे एनोड के उत्पादन के लिए किया जाएगा, जो 29 सितम्बर, 18 को आरंभ किया गया था।*

- *विद्युत एवं एचएफओ की खपत में कमी लाने के लिए एबीएफ-2 एवं 3 हेतु विंच ट्रॉली संचार नियंत्रण प्रणाली को 30 नवम्बर, 18 को आरंभ किया गया ताकि विद्युत एवं एचएफओ की खपत में कमी आ सके।*
- *ऊर्जा की खपत कम करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र में एलईडी लाइट फिटिंग (6309 अदद) के द्वारा मौजूदा पारंपरिक लाइट फिटिंग को बदला गया।*

ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.):

1. *एकक 2, 3, 5, 6 एवं 7 में कन्डेन्सर की रसायन द्वारा सफाई की गई। कन्डेन्सर ट्यूब्स की रसायन द्वारा सफाई करने के बाद कन्डेन्सर निर्वात (वैक्यूम) का सुधार लगभग निर्दिष्ट मान तक आ पाया है, जिससे 85,624 मे.ट. कोयले की बचत हुई है।*
2. *पारंपरिक लाइट फिटिंग के स्थान में कुल 9102 एलईडी फिटिंग के प्रतिस्थापन के माध्यम से 7,31,552 कि.वा.घं. की ऊर्जा की बचत हुई है।*
3. *एकक #7 के उच्च/मध्यवर्ती दबाव (एचआईपी) मॉड्यूल टर्बाइन का कार्य निष्पादन बहुत कम था। उक्त टर्बाइन को एक नए टर्बाइन से बदला गया। इसके कारण कोयले की खपत में 30,660 मे.ट. प्रति वर्ष की बचत हुई है।*

2018-19 के दौरान प्रस्तावित या चल रही ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएँः

खानः शून्य।

एल्यूमिना परिशोधकः

1. *18 वॉट के एलईडी ट्यूब (15,700 अदद) एवं सीएफएल से ट्यूबलाइट और 07 वॉट एवं 09 वॉट एलईडी बल्ब से इन्कैन्डेसेन्ट बल्ब की बदली से संयंत्र प्रक्रिया क्षेत्रों में लाइट व्यवस्था में संतुलन।*
2. *निस्तप्तक में ईंधन की आवश्यकता को कम करने के लिए, निस्यंदन क्षेत्र में पानी निकालने वाले यंत्र का इस्तेमाल।*
3. *निस्तप्तक में ईंधन की आवश्यकता को कम करने के लिए, निस्तप्तकों में ईंधन तेल योगज के रूप में थर्मल का उपयोग।*

ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.):

1. *अन्य एककों में अत्याधुनिक स्वरूप के तापन तत्व एवं दोहरी सीलबंदी व्यवस्था से मौजूदा एयर-प्रीहिटर का आर एवं एम (मरम्मत एवं अनुरक्षण) हाथ में लिया गया है। इससे वायु रिसाव में कमी आने एवं वर्धित ताप स्थानांतरण के कारण बॉयलर दक्षता में लगभग 1.14% की वृद्धि आएगी।*
2. *ऊर्जा सुदक्ष स्क्रू कम्प्रेशर से पुराने पश्चाग्र एयर कम्प्रेशर की बदली चरण दर चरण की जा रही है। इससे विद्युत खपत में कमी आएगी।*

प्रद्रावकः

प्रस्तावित या चल रही ऊर्जा संरक्षण परियोजनाः

- रॉडिंग शॉप-II में एनोड स्लॉट कटिंग मशीन का संस्थापन कार्यान्वयन के अधीन है ताकि पॉट में विशिष्ट डी.सी. ऊर्जा खपत में कमी लायी जा सके एवं प्रक्रिया के स्थायित्व को बेहतर बनाया जा सके।
- अभिकेन्द्रीय कम्प्रेशर से प्रत्यागामी कम्प्रेशर की बदली कार्यान्वयन के अधीन है ताकि विशिष्ट ऊर्जा की खपत में कमी लायी जा सके।
- रियो टिन्टो एल्कैन (आरटीए) के सहयोग से प्रद्रावक संयंत्र (एपी2एक्सएन) के लिए न्यून ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी का विकास प्रगति में है ताकि पॉट लाइनों में विद्युत ऊर्जा की खपत को कम किया जा सके।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदमः

आपकी कंपनी निम्नलिखित पवन एवं सौर विद्युत उत्पादन एककों का वाणिज्यिक रूप से संचालन कर रही है।

1. गण्डीकोटा, कदप, आंध्रप्रदेश में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र।
2. लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र।
3. देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान में 50 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र।
4. जत, सांगली, महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र।

5. नालको भवन, नालको नगर एवं एनआरटीसी बिल्डिंग में 310 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने पवन विद्युत से 363 मि.यू. एवं सौर विद्युत संयंत्रों से 0.346 मि.यू. का उत्पादन किया है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेशः

एल्यूमिना परिशोधकः

1. बॉयलर I एवं III में ₹417.68 लाख की लागत पर एयर प्री-हीटर की बदली।
2. ₹40.00 लाख की लागत पर एलईडी बल्ब एवं ट्यूब लाइट की बदली।

प्रद्रावकः

वस्तु	निवेश (लाख ₹ में)
• पॉट लाइनों में 101 पॉट-कैथोड ब्लॉक को ग्रैफिटाइज के साथ पुनः रेखित किया गया	6,708
• कार्बन संयंत्र की बेक मट्टियों में विंच ट्रॉली संचार नियंत्रण	69
• पॉट लाइनों में एपी$_2$एक्सएन प्रौद्योगिकी का तकनीकी सहविकास	26
• कार्बन संयंत्र में कोक धूल का न्यूमैटिक वहन एवं पुनर्चक्रण	23
• पॉट लाइन के ब्रेकर असेम्बली में ऊर्जा बचत यंत्र	18

ग्र.वि.सं.:

1. एकक-7 में नए एवं अधिक दक्ष मॉड्यूल से पुराने एचआईपी टर्बाइन मॉड्यूल की बदली : ₹24.25 करोड़।
2. एकक - 7, 6, 3, 2 एवं 5 में कन्डेसर की रसायन से सफाईः ₹0.686 करोड़।
3. ऊर्जा सुदक्ष एलईडी ट्यूब लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी हाई बे फिटिंग्स से वर्तमान लाइट फिटिंग की बदलीः ₹0.495 करोड़।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन, अंगीकरण एवं अभिनवता

क्रम संख्या	प्रौद्योगिकी	उसके लाभ
1	संपीड़ित वायु दाब एवं तापमान की निरंतर ऑनलाइन निगरानी हेतु अंतःस्थापित पद्धति प्रद्रावक संयंत्र में कार्यान्वित की गई।	वास्तविक समय में आँकड़ों के अधिग्रहण से प्रद्रावक संयंत्र में वायु दाव एवं ऊर्जा खपत के नियंत्रण में मदद मिलेगी।
2	प्रद्रावक संयंत्र के कार्बन क्षेत्र के दोनों जीपीए में एनोड के बोरिक एसिड उपचार का कार्यान्वयन किया गया।	एनोड की गुणवत्ता में सुधार, शुद्ध कार्बन की खपत में कमी एवं पॉट का बेहतर कार्य-निष्पादन।
3	संयंत्र के तीनों प्रवाह में प्राकृतिक फ्लोक्यूलेंट गेहूँ की भूसी को उपयोग से संपूर्ण रूप से हटाया गया एवं कृत्रिम फ्लोक्यूलेंट से पूर्णतया बदला गया।	• उच्चतर खपत दर हासिल करने हेतु वांछित परिनिर्धारण दर की प्राप्ति। • भौतिक रूप से कॉस्टिक सोड़ा की खपत को कम करने के लिए उच्चतर पंक गठन। • बड़े संचालन उपकरण को हटाया जाना, बड़े संस्थापनों का परिचालन एवं रखरखाव। • उपरोक्त सभी से सामग्री की लागत में कमी, ऊर्जा की लागत में कमी एवं ओ एवं एम की लागत में कमी हासिल हुई।

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित/प्रोन्नत प्रौद्योगिकी का विवरण :

क्रम संख्या	आयातित/प्रोन्नत प्रौद्योगिकी	आयात/प्रोन्नति वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी समाहित हुई है	यदि पूरी समाहित नहीं हुई है, जिन क्षेत्रों में अप्रयुक्त रही उसके कारण एवं भावी कार्य योजनाएँ
1.	पॉटलाइनों के एफटीपी में छह बेहतरीन ऑनलाइन कणाकार पदार्थ (पीएम) विश्लेषक स्थापित एवं चालू किए गए।	2014-15	हाँ	—
2.	प्रद्रावक संयंत्र के अंदर तीन बेहतरीन ऑनलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन चालू किए गए।	2014-15	हाँ	—
3.	बहिःस्रावी उपचार संयंत्र के मुहाने में ऑनलाइन बहिःस्रावी निगरानी स्टेशन चालू किए गए।	2014-15	हाँ	—
4.	रॉडिग शॉप-1 के रॉडिंग में क्रश्ड बाथ संयंत्र के लिए स्वचालित एल्यूमिना मिश्रण प्रणाली।	2014-15	हाँ	—
5.	जीएपी-1 में सी.पी. कोक ब्लेन्डिंग प्रणाली स्थापित की गई।	2014-15	हाँ	—
6.	जीएपी-1 में मॉर्गन सेन स्क्रीन संस्थापित किया गया ताकि इसकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।	2014-15	हाँ	—
7.	जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर को निगरानी डेटा निरंतर अपलोड करने के लिए एफटीपी 1-6 ढेरियों, बेक ओवन ढेरियों, 3 अदद नए परिवेशी वायु निगरानी स्टेशनों एवं बहिःस्रावी निगरानी स्टेशन के लिए आरटीडीएएस (वास्तविक समय डेटा अर्जन प्रणाली)।	2015-16	हाँ	—
8.	एनोड बेकिंग फर्नेस (भट्ठी) -1 में धूम उपचार केन्द्र का स्थापन।	2015-16	हाँ	—
9.	10 विभिन्न संयंत्रों (एफटीपी5 से 8, साइलो 5 से 8, एचडीपीएस-1 व 2) की स्थिति पर निगरानी हेतु एफटीपी-5 में केन्द्रीकृत एससीएडीए प्रणाली की शुरुआत	2016-17	हाँ	—
10.	बिलेट कास्टिंग मशीन के एससीएडीए व एचएमआई प्रणाली का औद्योगिक की पैड आधारित वर्क-स्टेशन का नवीनतम टच स्क्रीन आधारित वर्क-स्टेशन से बदलाव कर उन्नतीकरण	2016-17	हाँ	—
11.	नए उत्पाद, सीएच-90 ग्रेड बिलेट (हाई स्पीड एक्सट्रूजन बिलेट) विकसित और वाणिज्यीकृत	2016-17	हाँ	—
12.	ईएमआरआईओएन नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रद्रावक बहि-स्रावी जल उपचार संयंत्र स्थापित किया गया	2016-17	हाँ	—
13.	जीएपी-II में सीपी कोक मिश्रण प्रणाली स्थापित की गई	2016-17	हाँ	—
14.	जीएपी-1 एवं जीएपी-2 ग्रीन एनोड में बोरिक एसिड का उपचार किया गया था ताकि एनोड की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।	2016-17	हाँ	—
15.	रॉडिंग शॉप-2 में कार्बन पुनर्चक्रण प्रणाली की पीएलसी प्रोसेसर प्रणाली का पीएलसी-5 फैमिली से अत्याधुनिक कंट्रोल लॉजिक्स प्लेटफॉर्म में समुन्नत किया गया	2017-18	हाँ	—

क्रम संख्या	आयातित/प्रोन्नत प्रौद्योगिकी	आयात/प्रोन्नति वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी समाहित हुई है	यदि पूरी समाहित नहीं हुई है, जिन क्षेत्रों में अप्रयुक्त रही उसके कारण एवं भावी कार्य योजनाएँ
16.	सेन्ट्रल रिपेयर शॉप में प्लेनो मिलिंग मशीन के लिए पीएलसी प्रणाली (प्रोसेसर, आई/ओ, विद्युत आपूर्ति एवं प्रचालक नियंत्रण पैनल से संलग्न) का प्रौद्योगिकी अप्रचलन के कारण अप्रचलित एस7-200 प्रणाली से अत्याधुनिक सीमेन्स एस7-1200 प्रणाली में उन्नतीकरण।	2017-18	हाँ	—
17.	एबीएफ-3 की ताप नियंत्रण प्रणाली की वायरलेस संचार प्रणाली का उन्नतीकरण।	2017-18	हाँ	—
18.	आंतरिक इंजीनियरिंग से, एसटीपी-I को नवीनीकृत किया गया एवं फाइटोरॉयड फिल्टर एवं उन्नत वातन प्रणाली की स्थापना द्वारा प्रचालन में रखा गया ताकि सीपीसीबी द्वारा निर्धारित हाल के मानदंड पूरा हो सके और साथ ही सीटीओ स्थिति का अनुपालन हो सके। उपचारित एसटीपी जल बागवानी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।	2017-18	हाँ	—
19.	रोलिंग संयंत्र की एक गलन भट्ठी में रिकपरेटर के संस्थापन को आरंभ किया गया ताकि सर्वाधिक एचएफओ खपत की जा सके।	2017-18	हाँ	—
20.	नई स्वचालित ढलाई पद्धति के संस्थापन से रॉडिंग-1 में कास्टिंग स्टेशन को नवीकृत किया गया। इस परियोजना से सुरक्षित कार्य परिवेश का सृजन हो पाएगा एवं 220 केए की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है।	2017-18	हाँ	—
21.	फैन ब्लेड निर्माण के लिए रोलिंग संयंत्र से एक नए मूल्य वर्धित उत्पाद एए3105 (एएल-एमएन-एमजी) जुड़वा रोल ढलाई मिश्रधातु को नालको ने आरंभ किया। इस मूल्य वर्धित उत्पाद से नालको के उत्पाद मिश्रण को सुदृढ़ता प्राप्त होगी एवं ग्राहकों की आवश्यकता पूरी हो पाएगी।	2017-18	हाँ	—
22.	ओआईएम मेसर्स फाटा एस.पी.ए. द्वारा स्वचलन प्रणाली के नवीनतम उत्पादन के संस्थापन द्वारा कोल रोलिंग मिल का पुनः निर्माण एवं पुनः आरंभ किया गया, ताकि रोलिंग संयंत्र में विद्युत एवं प्रचालक नियंत्रण प्रणाली का समुन्नयन हो सके।	2017-18	हाँ	—
23.	सितम्बर, 2018 में धूल दमन एवं संसाधन संरक्षण के अंश के तौर पर कोक धूल प्रणाली का न्यूमेटिक वहन एवं पुनर्चक्रण प्रारंभ किया गया।	2018-19	हाँ	—
24.	विद्युत एवं एचएफओ की खपत में कमी लाने के लिए एबीएफ-2 एवं 3 हेतु विंच ट्रॉली संचार नियंत्रण प्रणाली आरंभ की गई ताकि विद्युत एवं एचएफओ की खपत को कम किया जा सके।	2018-19	हाँ	—
25.	6000 सीरीज में स्ट्रॉन्टियम के संयोजन के माध्यम से ऊपरी सतह की बेहतर फिनिश द्वारा बिलेट की गुणवत्ता को बेहतर बनाया गया। एक नए ग्रेड का विकास किया गया एवं वाणिज्यिकृत किया गया	2018-19	हाँ	—
26.	प्रद्रावक संयंत्र में पहली बार अंतः स्थापित प्रौद्योगिकी एवं जीपीआरएस के इस्तेमाल से संपीड़ित वायु तंत्र के दबाव एवं तापमान की निगरानी कार्यान्वित की गई।	2018-19	हाँ	—
27.	बिलेट कटिंग मशीन की अप्रचलित मौजूदा एबी पीएलसी 5/15 प्रणाली को इसके सर्वो ड्राइव प्रणाली सहित एलेन ब्रैडली प्रस्तुत कंट्रोल लॉजिक्स पीएलसी प्रणाली से समुन्नत किया गया।	2018-19	हाँ	—

क्रम संख्या	आयातित/प्रोन्नत प्रौद्योगिकी	आयात/प्रोन्नति वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी समाहित हुई है	यदि पूरी समाहित नहीं हुई है, जिन क्षेत्रों में अप्रयुक्त रही उसके कारण एवं भावी कार्य योजनाएँ
28.	सांविधिक आवश्यकता के अनुदेश के अनुसार पारा के उपयोग को दूर करने के लिए अपरेंट डेन्सिटी मेथड को बदलने के लिए सीपी कोक हेतु विश्लेषण की वीबीडी विधि स्थापित एवं चालू की गई।	2018-19	हाँ	—
29.	दैनंदिन विश्लेषणात्मक गतिविधियों के लिए, एएएस, यूवी-वीआईएस स्पेक्ट्रोमीटर, डिजिटल सीसीएस मशीन जैसे नवीनतम उच्च परिशुद्ध एवं सटीक यंत्र स्थापित एवं चालू किए गए।	2018-19	हाँ	—
30.	समूचे एनोड बेकिंग फर्नेस-3 फायर सिस्टम के "वायरलेस संचार प्रणाली" का सफलतापूर्वक समुन्नयन किया गया, जिसके लिए मेसर्स सिमेन्स एजी द्वारा आपूर्ति की गई नई पीढ़ी के क्लाईंट एवं एक्सेस मॉड्यूल्स का उपयोग किया गया।	2018-19	हाँ	—
31.	अप्रचलन की चुनौतियों से पार पाने के लिए गैसो प्रस्तुत एयर ड्रायर्स (सभी चार ड्रायर) स्वचलन प्रणाली का समुन्नयन किया गया जिसमें कम्प्रेशर हाउस में पीएलसी प्रोसेसर, एससीएडीए प्रणाली एवं नेटवर्किंग प्रणाली का उन्नयन शामिल है।	2018-19	हाँ	—
32.	कास्टर के डिगैसर में आपूर्ति हेतु अल्ट्राप्योर नाइट्रोजन के उत्पादन के लिए नाइट्रोजन संयंत्र में क्यू-डियोक्सो संस्थापित किया गया।	2018-19	हाँ	—
33.	पॉट लाइनों के इलेक्ट्रोड बाथ सैम्पल के कार्बन तत्व की निर्धारण विधि का सफलतापूर्वक वर्तमान लेको एनालाइजर के साथ स्थापना की गई जो आरटीए प्रस्तावना के अनुसार आवश्यक था।	2018-19	हाँ	—
34.	जीएपी 1 में डबल रोल क्रशर संस्थापित किया गया ताकि इसकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।	2018-19	हाँ	—

अनुसंधान एवं विकास पर व्ययः

₹ लाख में

प्रकृति	2018-19	2017-18
पूंजी	2,199	1,886
राजस्व	901	909
कुल	3,100	2,795
कारोबार के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय का %	0.27	0.30

ग. वर्ष 2018-19 के लिए विदेशी मुद्रा आय 2017-18 में ₹3,573.75 करोड़ की तुलना में ₹4,647.38 करोड़ है। प्रक्रियाधीन रिपोर्ट वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा व्यय पिछले वर्ष में ₹547.67 करोड़ की तुलना में ₹312.95 करोड़ था।

निगम अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता की धारणा

निगम अभिशासन अच्छे निगम अभ्यासों, प्रक्रियाओं, मानकों से निहीत सुदृढ़ प्रबंधन, पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण का प्रतीक होता है एवं उन नियमों को प्रतिपादित करता है जो एक कंपनी को अच्छे निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं और इस प्रकार सत्यनिष्ठा, सामाजिक दायित्व एवं नियामक अनुपालनों में कोई समझौता किए बिना, हितधारकों के लिए दीर्घमियादी सर्वाधिक मूल्य का सृजन करते हैं। यह आर्थिक, सामाजिक, व्यक्ति विशेष एवं सामुदायिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाये रखने का साधन है। निगम अभिशासन किसी संगठन में उच्चस्तरीय दायित्व, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए एक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करता है।

एक संगठन की सतत सफलता तभी संभव है, जब यह स्थायी रूप में अपने लेनदेन के सभी पक्षों में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करे एवं हर स्तर पर सुशासन का पालन करे। नालको में, व्यवसाय केवल महत्वपूर्ण पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि सत्यनिष्ठा, सामाजिक दायित्व, पर्यावरण एवं नियामक अनुपालनों में कोई समझौता किए बिना सभी हितधारकों के लिए दीर्घमियादी मूल्य सृजन को ध्यान में रखकर किया जाता है। नालको के बुनियादी मूल्यों का सार है सर्वोत्तमः **हितधारकों को लाभ प्रदान करना, उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता, चिरस्थायीत्व, विश्वास एवं सत्यनिष्ठा हासिल करना।**

एक सुदृढ़ निगम अभिशासन के मानदंड बाजार में निवेशक समुदाय के विश्वास एवं आस्था के स्तर को बढ़ाते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सेबी ने निगम अभिशासन पर कोटक समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 में काफी बदलाव किया है जिनका पालन सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा किया जाना है।

I. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल कंपनी का शीर्ष स्तरीय ढांचा है जो एक संधारणीय रूप में संगठन के संचालन हेतु दिशानिर्देशों को निर्धारित एवं नीतियों का गठन करता है। निदेशक मंडल में शामिल रहते हैं कार्यपालक निदेशक जो मुख्य रूप से कार्यात्मक निदेशक हैं एवं जिनके पास संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता है एवं प्रबंधन को दैनिक कार्यकलापों में मार्गदर्शन करते हैं और स्वतंत्र निदेशकों के साथ गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं जो स्वस्थ विचार-विमर्श एवं निर्णय सृजन प्रक्रिया के लिए निदेशक मंडल में अपना सुदृढ़ अनुभव एवं समझदारी ले आते हैं।

निदेशक मंडल को महिला निदेशक के नियोजन द्वारा लिंग विविधता का भी ध्यान रखना पड़ता है। निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होने का पहले से ही प्रावधान है, अब सेबी ने कोटक समिति की सिफारिश पर बाजार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष की 500 सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए एलओडीआर विनियमों में संशोधन किया है।

इसके अलावा, सेबी ने 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी करते हुए शीर्ष की 1000 कंपनियों में निदेशक मंडल में कम से कम 6 निदेशकों की सुनिश्चितता के लिए विनियमों में संशोधन किया है।

(क) बोर्ड यानी निदेशक मंडल का गठन

बोर्ड की स्वीकृत शक्ति निम्नानुसार हैः

i. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित छह पूर्णकालिक (कार्यपालक) निदेशकगण।

ii. दो अंशकालिक सरकारी निदेशकगण।

iii. आठ अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण

31 मार्च, 2019 को यथा अपनी पूर्णशक्ति के अनुरूप बोर्ड का गठन निम्नानुसार हैः

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
कार्यात्मक निदेशक			
1.	डॉ. तपन कुमार चान्द अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01710900	27.07.2015
2.	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम निदेशक (उत्पादन)	06965313	01.01.2015

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
3.	श्री बसन्त कुमार ठाकुर निदेशक (मानव संसाधन)	07557093	04.07.2016
4.	श्री संजीव कुमार राय निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	06756812	03.02.2017
5.	श्री प्रदीप कुमार मिश्र निदेशक (वाणिज्यिक)	06445517	23.04.2018
6.	श्री श्रीधर पात्र# निदेशक (वित्त)	06500954	01.09.2018
अंशकालिक सरकारी निदेशक			
7.	डॉ. के. राजेश्वर राव	08071005	19.02.2018
8.	श्री अनिल कुमार नायक	08097669	27.03.2018
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक			
9.	श्री दीपंकर महंत*	01583516	21.11.2018
10.	श्री एस. शंकररमण*	07346454	21.11.2018
11.	श्री प्रभात केशरी नायक*	07346756	21.11.2018
12.	प्रो. दामोदर आचार्य*	06817842	21.11.2018
13.	श्री महेश्वर साहु*	00034051	21.11.2018
14.	श्रीमती किरण घई सिन्हा	07726477	03.02.2017
15.	श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा	02888318	06.09.2017
16.	श्रीमती अचला सिन्हा	07932932	08.09.2017

श्री कृष्णा चन्द्र सामल का 31.08.2018 को सेवानिवर्त्तन होने के कारण, श्री श्रीधर पात्र को 01.09.2018 से निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया है।

* श्री दीपंकर महन्त, श्री एस. शंकररमण, श्री प्रभात केशरी नायक, प्रो. दामोदर आचार्य एवं श्री महेश्वर साहु, भारत सरकार के दिनांक 17.11.2015 के खान मंत्रालय पत्र के माध्यम से 3 वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त किए गए थे। 20.11.2018 को अपने कार्यकाल की समाप्ति पर, वे भारत सरकार के दिनांक 19 नवम्बर, 2018 के खान मंत्रालय के माध्यम से अपने प्रथम कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए नालको के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किए गए।

गैर-कार्यपालक निदेशक अर्थात अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों का संयुक्त रूप से बोर्ड की कुल शक्ति में 62.5% का हिस्सा है एवं अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों का स्वसक्षम रूप में बोर्ड की कुल शक्ति में 50 हिस्सा है। बोर्ड में दो महिला स्वतंत्र निदेशक हैं एवं बोर्ड की कुल शक्ति में उनका हिस्सा 12.5% है।

बोर्ड का गठन पूरे साल सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अधीन आवश्यकताओं के अनुपालन के अनुरूप था।

(ख) बोर्ड की बैठकें एवं निदेशक की उपस्थिति

- बोर्ड नियमित अंतराल पर कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों/नीतियों की चर्चा करता है एवं निर्णय लेता है तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता है। एलओडीआर विनियमों की अनुसूची II के भाग क के साथ पठित विनियम 17 में निर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर बोर्ड को कार्यसूची के मदों की समीक्षा एवं विचार करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
- बोर्ड ने अपने कार्यों को ज्यादा प्रभावी तरीके से निष्पादित करने के लिए कुछ सांविधिक एवं कुछ गैर-सांविधिक प्रकृति की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

- बोर्ड की बैठकों, समिति की बैठकों एवं साधारण बैठकों के आयोजन हेतु भारतीय कंपनी सचिवालय संस्था (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का पालन किया जाता है।
- न्यूनतम 7 दिन की अग्रिम सूचना पर, समिति के सीएमडी/अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ बैठकें आयोजित हुई हैं। बैठक में तात्पर्यपूर्ण एवं सुविज्ञ चर्चा के लिए आमतौर पर बैठक की निर्धारित तिथि के कम से कम एक सप्ताह पूर्व विस्तृत मसौदा टिप्पणियों के साथ मसौदे प्रचारित किए जाते है।
- निदेशक मंडल की बैठकें एवं समिति की बैठकें साधारणतया कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होती हैं।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की नौ बैठकें आयोजित हुई। बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के साथ बैठक की तिथियाँ निम्नानुसार हैं:

बोर्ड की बैठक की सं. एवं तिथि	बोर्ड की शक्ति	उपस्थित निदेशकों की सं.				
		कार्यात्मक	अंशकालिक सरकारी	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र)	कुल उपस्थिति	शक्ति पर उपस्थिति का %
306वीं-05.05.2018	16	6	2	7	15	93.75
307वीं-26.05.2018	16	6	1	6	13	81.25
308वीं-24.07.2018	16	6	2	7	15	93.75
309वीं-08.08.2018	16	6	1	8	15	93.75
310वीं-12.10.2018	16	6	2	7	15	93.75
311वीं-12.11.2018	16	6	1	7	14	87.50
312वीं-08.02.2019	16	5	2	8	15	93.75
313वीं-28.02.2019	16	6	1	8	15	93.75
314वीं-01.03.2019	16	6	1	8	15	93.75

— बोर्ड की किसी भी दो बैठकों के बीच अधिकतम सम्यान्तर 87 दिन था।

— इन सभी बैठकों में आवश्यक कोरम उपस्थित थे।

नीचे दी गई तालिका 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में निदेशकगण की व्यक्तिगत उपस्थिति, अंतिम वार्षिक साधारण बैठक में उनकी उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशक पद एवं अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता एवं अध्यक्षता को दर्शाती है:

नाम एवं पदनाम	बोर्ड की बैठक		29.08.2018 को आयोजित 37वीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशक पद की सं.	अन्य कंपनी की समितियों में सदस्यता	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
डॉ. टी.के. चान्द अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	9	9	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम निदेशक (उत्पादन)	9	9	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री बी.के.ठाकुर निदेशक (मानव संसाधन)	9	9	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एस.के. राय निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	9	8	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री पी.के. मिश्र निदेशक (वाणिज्य)	9	9	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एस पात्र* निदेशक (वित्त)	5	5	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

नाम एवं पदनाम	बोर्ड की बैठक		29.08.2018 को आयोजित 37वीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशक पद की सं.	अन्य कंपनी की समितियों में सदस्यता	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
डॉ. के. राजेश्वर राव अंशकालिक सरकारी निदेशक	9	5	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री ए.के. नायक अंशकालिक सरकारी निदेशक	9	8	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दीपंकर महन्त स्वतंत्र निदेशक	9	9	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एस. शंकररमण स्वतंत्र निदेशक	9	9	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री पी. के. नायक स्वतंत्र निदेशक	9	9	हां	शून्य	शून्य	शून्य
प्रो. दामोदर आचार्य स्वतंत्र निदेशक	9	9	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री महेश्वर साहु# स्वतंत्र निदेशक	9	8	नहीं	9	1	4
श्रीमती किरण घई सिन्हा स्वतंत्र निदेशक	9	7	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एन.एन. शर्मा स्वतंत्र निदेशक	9	8	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती अचला सिन्हा स्वतंत्र निदेशक	9	7	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

* 01.09.2018 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्ति।

\# श्री महेश्वर साहु स्वतंत्र निदेशक के रूप में मेसर्स अदानी गैस लि. एवं मेसर्स यस बैंक में नियुक्त हुए; जो सूचीबद्ध संस्थाएँ हैं।

– अन्य निदेशक पद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों एवं खंड 8 कंपिनयों के निदेशक पद शामिल नहीं है।

– बोर्ड समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता में केवल लेखा परीक्षा समिति एवं हितधारक संबंध समिति शामिल है।

– बोर्ड के सदस्यों का एक-दूसरे से कोई संबंध नहीं है।

(ग) गैर-कार्यपालक निदेशकगण

i) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंन्त्र) निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशकगण है जो बोर्ड का हिस्सा हैं।

ii) अंशकालिक सरकारी निदेशक प्रशासन मंत्रालय की ओर से बोर्ड में मनोनीत होते हैं, जबकि अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा नियम और शर्तों का निर्धारण किया जाता है।

iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के आधार पर एवं बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशकगण कंपनी अधिनियम, सेबी (एलओडीआर) विनियम के अधीन निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं एवं प्रबंधन में स्वतंत्र रहते हैं।

iv) बोर्ड में निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति पर स्वतंन्त्र निदेशकों को औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। औपचारिक पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका, कार्य, दायित्व एवं जिम्मेदारियों का उल्लेख रहता है। स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति पत्र कंपनी की वेबसाइट में उपलब्ध हैं
https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/appt_letter.pdf

v) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने पद से पदत्याग नहीं किया है।

vi) बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर, उनके लिए अनुकूलन कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक एएसएसओसीएचएएम,

सीआईआई, स्कोप एवं डीपीई द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न अनुकूलन कार्यक्रम में नामित किए जाते हैं ताकि ये देशीय/वैश्विक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन/विकास पक्षों पर अद्यतन हो सकें। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा उपस्थित हुए ऐसे कार्यक्रमों का विवरण लिंक में उपलब्ध हैः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/02/Familiarisation_Programme_for_Directors.pdf

vii) किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास कंपनी का कोई शेयर नहीं है।

viii) स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी में स्टॉक विकल्प के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।

ix) सभी निदेशक मेसर्स ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से कंपनी द्वारा ली गई डायरेक्टर्स एण्ड ऑफिसर्स इंश्योरेंस (डी एण्ड ओ इंश्योरेंस) के अधीन सम्मिलित हैं।

(घ) बोर्ड की कुशलता/विशेषज्ञता/दक्षता से निर्दिष्ट तालिका/ढांचा

नालको विश्वास करती है कि बोर्ड की सम्मिलित प्रभावकारिता कंपनी के कार्य-प्रदर्शन को प्रभावित करती है एवं इसलिए बोर्ड के सदस्यों में स्वयं के मध्य कंपनी के उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में संतुलित अनुभव, कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता रहनी चाहिए।

कंपनी के खनन, एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम व्यवसाय में संधारणीय प्रवृत्ति की बहुगुना वृद्धि के साथ खनिज, धातु एवं ऊर्जा क्षेत्रों में चुनिंदा विक्रेन्द्रीकरण की परिकल्पना को देखते हुए, निदेशकों में इनमें से कोई एक या अनेक कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता होती हैः

1. **रणनीतिक दूरदर्शिता/नेतृत्वः** कंपनी के लक्ष्यों, ध्येय एवं उद्देश्यों के अनुकूल व्यवसाय के लिए रणनीतिक परिकल्पना तैयार करने की क्षमता। प्रतिस्पर्धी निगम एवं व्यवसाय रणनीतियों के मूल्यांकन की क्षमता एवं उनके आधार पर कंपनी के विजन एवं मिशन को पूरा करने के लिए, कंपनी की रणनीतियों को प्रगतिशील उत्थान में योगदान देना।
2. **प्रौद्योगिकी प्रबंधनः** प्रत्येक नई परियोजना, विस्तार योजनाओं, प्रौद्योगिकी - आर्थिक मूल्यांकन के लिए रणनीतिक एवं परिचालनीय योजनाएँ तैयार करने एवं व्यवसाय विकास की योजना बनाने में तकनीकी नेतृत्व लेने की दक्षता। नई एवं दक्ष प्रौद्योगिकी को पेश करने के साथ प्रौद्योगिकीगत उन्नतीकरण अपनाने में प्रभावी निर्णय लेने की कुशलता जिससे संधारणीय व्यवसाय विकास के लिए मौजूदा संयंत्रों में प्रमुख परिवर्तन लाया जा सके।
3. **वित्तीय निपुणताः** सभी वित्तीय गतिविधियों जैसे कि निवेश बजट एवं परियोजना निधिकरण व्यय, निधि प्रबंधन, राजकोष प्रबंधन एवं विदेशी मुद्रा प्रबंधन के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं के निरूपण में निपुणता।
4. **व्यवसाय कुशलताः** कंपनी के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर चलते हुए कंपनी के वाणिज्यिक हितों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के लिए रणनीतियों, नीतियों एवं योजनाओं को विकसित करने एवं कार्यान्वित करने की क्षमता। कंपनी के परिचालन की आवश्यकता एवं परियोजना की जरूरतों के अनुसार उपकरणों/कच्चे माल/ईंधन/स्पेयर्स के क्रय पर निगरानी रखना।
5. **निगम अभिशासनः** एक निदेशक एवं समग्र रूप से बोर्ड की सांविधिक भूमिकाओं एवं दायित्वों के समझने की क्षमता। अभिशासन में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों का अनुपालन एवं प्रोत्साहन।
6. **परियोजना प्रबंधनः** परियोजनाओं के लक्ष्यों की यथा समय उपलब्धि एवं इसकी सम्मिलित लागत के लिए सहभागी एवं तकनीकी सुदृढ़ीकरण की क्षमता। नई एवं दक्ष प्रौद्योगिकी को पेश करने के साथ प्रौद्योगिकीगत उन्नतीकरण अपनाने में प्रभावी निर्णय लेने की कुशलता जिससे संधारणीय व्यवसाय विकास के लिए मौजूद संयंतों में प्रमुख परिवर्तन लाया जा सका।
7. **नीति मूल्यांकनः** कंपनी की अभिशासन धारणाओं को समझने की क्षमता एवं समय-समय पर इसके सुधार लाने में अंशदान। कंपनी के व्यवसायों की प्रासंगिकता में आवधिक समीक्षा के साथ नीतियों, प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के मूल्यांकन की क्षमता।
8. **क्षमता/संस्कृति निर्माण एवं संधारणीयताः** प्रासंगिक मानदंडों में संगठनीय क्षमता एवं तत्परता के मूल्यांकन की निपुणता एवं क्षमता निर्माण में उत्पन्न फासले को दूर करने में मार्गदर्शन प्रदान करना। नैतिक संगठनीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड की भूमिका, हितों के चकराव को दूर करने एवं उच्च स्तरीय नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं संगठनीय आचरण कायम करने में योगदान देने की क्षमता।
9. **हितधारक मूल्य सृजनः** हितधारक मूल्य सृजन एवं इसके अंशदायी तत्वों के लिए कार्य प्रक्रिया को समझने और अन्य हितधारकों के लिए मूल्य सृजन हेतु आलोचनात्मक हस्तक्षेप करने की क्षमता।
10. **जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालनः** कंपनी के व्यवसाय एवं जोखिम न्यूनीकरण के लिए इसकी प्रणालियों के विकास और नियंत्रण एवं अनुपालन प्रबंधन को प्रभावित करने वाले व्यवसाय प्रतिरूपण एवं प्रमुख जोखिम आकलन/प्रबंधन को सराहने की क्षमता।

(क) बोर्ड के सदस्यों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

- यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो बोर्ड, समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक मूल्यांकन की विधि जो कि बोर्ड रिपोर्ट में उल्लिखित किए जाने हेतु आवश्यक है, को सरकारी कंपनियों के लिए मुक्त रखा जाता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बोर्ड सदस्यों के कार्य-प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकता को भी निगम मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 के परिपत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों को मुक्त रखा गया है।
- स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक के अभिप्राय से, सभी निदेशकों के विचारों को लेने के उपरांत कंपनी के चेयर पर्सन के कार्य-निष्पादन की समीक्षा को ओएम दिनांक 20.06.2013 के हटाते हुए के माध्यम से डीपीई द्वारा समरूप रियायत प्रदान की गई है।
- दिनांक 05.07.2017 के परिपत्र के माध्यम से एमसीए ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में वर्णित अनुसार सरकारी कंपनी के गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं चेयर पर्सन की मूल्यांकन कार्यविधि को हटा लिया है।
- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अधीन सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को ऐसी कोई रियायत/मुक्ति नहीं दी गई है।
- प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मूल्यांकन के दौरान बोर्ड के कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

II निदेशकों को पारिश्रमिक

- नालको एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कार्यात्मक निदेशकों को पारिश्रमिक, लाभ एवं निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी) वर्तमान डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है। एमसीए ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अधीन अपेक्षित निदेशकों को पारिश्रमिक से संबंधित नीति के निर्धारण से सरकारी कंपनी को विमुक्त रखा है।
- सभी कार्यात्मक निदेशक नई पेंशन योजना (एनपीएस) के सदस्य हैं।
- सरकारी नामित निदेशक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क पाने के अधिकारी नहीं हैं।
- स्वतंत्र निदेशकों को उनके द्वारा उपस्थित प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक के लिए ₹20,000/- के बैठक शुल्क का भुगतान किया गया है, जिसके वे सदस्य हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क को ₹20,000/- से बढ़ाकर ₹30,000/- एवं स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक समेत समिति से गठित प्रत्येक बोर्ड बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क ₹20,000/- से बढ़ाकर ₹25,000/- कर दिया गया है। शुल्क में बढ़ोतरी कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक सीमा के अंदर है।
- कंपनी निदेशकों के लिए बैठकों में उपस्थित होने हेतु आवश्यक व्यवस्था करती है। बैठकों में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए किसी भी फुटकर व्यय, यदि है, की प्रतिपूर्ति की जाती है।
- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित सभी कार्यकारी निदेशक भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यभार लेने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिए या सेवा-निवर्तन की उम्र होने तक या भारत सरकार की ओर से अगला आदेश नहीं मिलने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किए जाते हैं।
- अंशकालिक सरकारी निदेशक प्रशासनिक मंत्रालय से नामित होता है एवं प्रशासनिक मंत्रालय से अगला आदेश न मिलने तक कार्यभार संभालते हैं।
- अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की ओर से 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है एवं नियुक्ति के नियम और शर्तें प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
- कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।
- किसी भी निदेशक के लिए पृथक्करण शुल्क के भुगतान के लिए प्रावधान नहीं है। वर्तमान डीपीई दिशानिर्देशों एवं नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट अनुसार नोटिस अवधि लागू है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है :

नाम	वर्ष 2018-19 के लिए पारिश्रमिक (₹)		
	पारिश्रमिक के सभी घटक	अन्य लाभ	कुल
डॉ. टी.के. चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	68,97,870	—	68,97,870
श्री के.सी. सामल*, निदेशक (वित्त)	54,27,998	—	54,27,998
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)	59,14,627	—	59,14,627

नाम	वर्ष 2018-19 के लिए पारिश्रमिक (₹)		
	पारिश्रमिक के सभी घटक	अन्य लाभ	कुल
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)	44,96,710	—	44,96,710
श्री एस.के. राय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	47,55,972	—	47,55,972
श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	36,58,158	—	36,58,158
श्री श्रीधर पात्र#, निदेशक (वित्त)	26,00,140	—	26,00,140

* 31.08.2018 को सेवानिवृत्त

\# 01.09.2018 को कार्यभार संभाला

2018-19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है :

नाम	बैठक शुल्क (₹)*		कुल (₹)
	बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
श्री दीपंकर महन्त	2,20,000	4,05,000	6,25,000
श्री एस. शंकररमण	2,20,000	3,35,000	5,55,000
श्री पी.के. नायक	2,20,000	3,10,000	5,30,000
प्रो. दामोदर आचार्य	2,20,000	2,20,000	4,40,000
श्री महेश्वर साहु	2,00,000	2,50,000	4,50,000
श्रीमती किरण घई सिन्हा	1,70,000	2,30,000	4,00,000
श्री एन.एन. शर्मा	2,00,000	1,85,000	3,85,000
श्रीमती अचला सिन्हा	1,80,000	1,15,000	2,95,000

* बैठक शुल्क के भुगतान से टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटा गया है।

III. बोर्ड की विभिन्न समितियाँ

- 9 बोर्ड स्तर की समितियाँ हैं जिनमें से 6 समितियाँ सांविधिक हैं एवं 3 समितियाँ स्वैच्छिक प्रकृति की हैं।
- स्वैच्छिक समितियों का गठन कार्यपालक निदेशकों एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों के मेल से हुआ है ताकि विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।
- बोर्ड बैठक से संबंधित सचिवीय मानक समिति बैठकों पर समान रूप से लागू हैं।
- प्रत्येक समिति के संदर्भ की शर्तें बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।

(क) लेखा परीक्षा समिति

i) इस समिति में 4 स्वतंत्र निदेशक, 2 कार्यकारी निदेशक एवं आमंत्रित व्यक्ति के रूप में निदेशक (वित्त) होते हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक निदेशक समिति की अध्यक्षता में है। समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 एवं निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यकताओं के अनुपालन में है।

ii) वर्ष के दौरान 26.05.2018, 23.07.2018, 08.08.2018, 12.11.2018 एवं 08.02.2019 को समिति की 5 बैठकें हुई। दो लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 95 दिन था।

iii) 31.03.2019 की स्थिति को समिति के सदस्यों एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार हैः

लेखापरीक्षा समिति के सदस्य	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री पी. के. नायक	स्वतंत्र	अध्यक्ष	5	5
श्री डी. महन्त	स्वतंत्र	सदस्य	5	5
श्री एस. शंकररमण	स्वतंत्र	सदस्य	5	5

लेखापरीक्षा समिति के सदस्य	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
प्रो. डी. आचार्य	स्वतंत्र	सदस्य	5	5
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)	कार्यकारी	सदस्य	5	5
श्री एस.के. राय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यकारी	सदस्य	5	4
श्री के.सी. सामल*, निदेशक (वित्त)	कार्यकारी	आमंत्रित	3	3
श्री श्रीधर पात्र#, निदेशक (वित्त)	कार्यकारी	आमंत्रित	2	2

* 31.08.2018 को सेवानिवृत्त

01.09.2018 को कार्यभार ग्रहण किया

iv) आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रधान, सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं लागत लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधिगण आवश्यकता के आधार पर बैठकों में उपस्थित हुए।

v) कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

vi) लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष गत वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित थे।

vii) लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें विस्तार में निम्नानुसार हैं :

लेखापरीक्षा समिति के अधिकार

- संदर्भ की शर्तों के अंदर किसी भी गतिविधि की जाँच करना।
- किसी कर्मचारी से सूचना मांगना।
- बाह्य कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
- संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति संरक्षित करना, यदि आवश्यक हो।

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल है :

- कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जाँच करना और इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय हैं।
- बोर्ड को लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करना एवं यदि अपेक्षित हो, तो प्रतिस्थापन या निष्कासन के बारे में कहना, लेखापरीक्षा शुल्क एवं नियुक्ति की अन्य शर्तों का निर्धारण।
- लागत लेखापरीक्षकों सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन।
- वार्षिक वित्तीय विवरण और इस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए जमा देने से पहले निम्नलिखित विशेष संदर्भ में प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना:
  - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतु निदेशक के दायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मामले।
  - लेखांकन नीतियों एवं पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई है एवं इसके कारण।
  - प्रबंधन द्वारा निर्णय प्रक्रिया के आधार पर आकलनों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।
  - लेखापरीक्षा निष्कर्षों के फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण समायोजन।
  - वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीयन एवं अन्य कानूनी अर्हताओं का अनुपालन।
  - संबंधित पक्ष के लेनदेन का प्रकटन।
  - मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।
- तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के पास जमा देने से पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

- इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, प्रिफरेंशियल इश्यू आदि) द्वारा प्राप्त निधियों के प्रयोग/अनुप्रयोग विवरण, प्रस्ताव कागजात/विवरणिका/नोटिस में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निधियों के विवरण एवं पब्लिक या राइट इश्यू की प्रक्रिया के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा दाखिल रिपोर्ट का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना एवं इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उपयुक्त सिफारिश करना।
- लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन एवं प्रभावकारिता की समीक्षा एवं निगरानी करना।
- सम्बन्धित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन या तदुपरांत कोई रूपांतरण।
- अंतर-निगमित ऋण एवं निवेश, यदि कोई है, की जाँच करना।
- कंपनी के वचनपत्रों या परिसंपत्तियों का, यथावश्यक मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
- लागत लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों समेत सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण।
- आतंरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई है, की पर्याप्तता की समीक्षा करना, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग प्रमुख कर्मचारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज एवं आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।
- किन्ही महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उन पर परवर्ती कार्यवाही के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किन्ही आंतरिक जाँचों के निष्कर्षों की उन मामलों में पुनरीक्षा करना जहाँ संदिग्ध धोखाधड़ी हो अथवा अनियमितता हो अथवा भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में विफलता हो और मामले की सूचना बोर्ड को देना।
- लेखापरीक्षा शुरू होने से पूर्व, लेखापरीक्षा के स्वरूप एवं क्षेत्र के बारे में, साथ ही किसी चिंता क्षेत्र का पता लगाने के लिए तत्पश्चात लेखापरीक्षा चर्चा के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
- जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों के गैर-भुगतान के मामले में) एवं लेनदारों के भुगतान में पर्याप्त चूक, यदि कोई है, के लिए कारणों की जाँच करना।
- सचेतक प्रणाली के कार्यकरण की पुनरीक्षा।
- एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (भीतरी व्यवसाय निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालनों का पुनरीक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की जाँच करना तया ये प्रभावी तरीके से संचालित हैं।
- इस प्रावधान के आने पर उस तिथि को विद्यमान वर्तमान ऋण/अग्रिम/निवेश समेत सहायक कंपनी में ₹100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, होल्डिंग कंपनी द्वारा ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग किए जाने का पुनरीक्षण।
- ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कि कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा समिति को विशेष रूप से भेजे गए हों।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की अनिवार्य पुनरीक्षाः

1. वित्तीय स्थिति की प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण और प्रचालनों के परिणाम,
2. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित पक्ष के महत्वपूर्ण लेनदेन का विवरण,
3. प्रबंधन पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरी के पत्र,
4. आंतरिक नियंत्रण कमजोरी से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और
5. आंतरिक लेखापरीक्षकों/मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन एवं पारिश्रमिक की शर्तें।
6. व्यतिक्रमों का विवरण :

   क) निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट, यदि प्रयोज्य हो, समेत व्यतिक्रम के तिमाही विवरण विनियम 32(1) की शर्तों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के पास जमा किए गए।

   ख) विनियम 32 (7) की शर्तों के अनुसार प्रस्ताव कागजात/विवरणिका/नोटिस में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण।

लेखापरीक्षा समिति की कार्यवाहियों में ये भी शामिल हैं;

क) लागत नियंत्रण कार्यवाही के आकार के अनुसार पर्याप्त और अनुपातित होने की जाँच करना।

ख) आय बढ़ाए जा सकने वाले एवं लागत कम किए जा सकने वाले क्षेत्रों का अध्ययन करना।

ग) उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली और बोर्ड को इसकी संस्तुति देना।

ख. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 की आवश्यकताओं के अनुसरण में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के रूप में निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत गठित पूर्व की पारिश्रमिक समिति का नामकरण किया गया था।

ii) समिति की संदर्भ की शर्तें हैंः

क. कार्यपालकों एवं गैर-संगठित पर्यवेक्षकों में निर्धारित सीमा के अंदर वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील पे पुल एवं नीति का अनुमोदन।

ख. कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निहीत विषयवस्तु।

iii) एमसीए ने दिनांक 05.06.2015 एवं 05.07.2017 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कुछ निश्चित प्रावधानों जैसे कि बोर्ड और इसके व्यक्तिगत निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन, योग्यता, सकारात्मक अभिरुचि, निदेशकों की स्वतंत्रता हेतु नीति के निर्धारण एवं निदेशकों के पारिश्रमिक हेतु बोर्ड को दी गई नीति की संस्तुति से छूट दी है। तथापि, सेबी (एलओडीआर) विनियम के अंतर्गत अभी तक सेबी द्वारा ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

iv) 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समिति में 5 निदेशक हैं अर्थात श्री महेश्वर साहु, श्री पी.के. नायक, श्री एस. शंकररमण, प्रो. दामोदर आचार्य एवं श्रीमती किरण घई सिन्हा। ये सभी पाँच निदेशक स्वतंत्र निदेशक हैं। इसके अलावा, निदेशक (मानव संसाधन) एवं निदेशक (वित्त) समिति के आमंत्रित व्यक्ति हैं।

v) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

vi) श्री महेश्वर साहु, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष कुछ पूर्व वादों के कारण 37वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में उपस्थित नहीं हो सके थे एवं बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने के लिए श्री पी.के. नायक, स्वतंत्र निदेशक एवं नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य को प्राधिकृत किया था।

ग. हितधारक संबंध समिति

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अंतर्गत गठित यह एक सांविधिक समिति है।

ii) समिति संदर्भ की शर्तें शेयरों के अंतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने एवं अन्य संबंधित विषयों से जुड़ी निवेशकों की शिकायतों का समाधान करती है।

iii) बोर्ड ने हाल ही में सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार समिति के संदर्भ की शर्तों में संशोधन किया है जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है।

1. शेयरों के अंतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, साधारण बैठक आदि से संबंधित शिकायतों समेत सूचीबद्ध संस्था के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का निवारण करना।
2. शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों का प्रभावी निष्पादन हेतु लिए गए उपायों की समीक्षा करना।
3. रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा ग्रहीत सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना।
4. कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दावारहित लाभांश के परिमाण को कम करने एवं लाभांश अधिपत्र/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक सूचनाओं की यथा समय प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सूचीबद्ध संस्था द्वारा लिए गए विभिन्न उपायों एवं प्रयासों की समीक्षा करना।

iv) प्रत्यक्ष या सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आदि के द्वारा शेयरधारकों की प्राप्त सभी शिकायतों पर विचार करने एवं समाधान करने हेतु मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। निवेशकों को संतुष्ट करते हुए शिकायतों का संभावित समय में शीघ्रतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए।

v) वर्ष के दौरान 26.05.2018, 08.08.2018, 12.11.2018 एवं 07.02.2019 को चार बैठकें हुई।

vi) 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार समिति एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार हुआ था:

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
श्री एस. शंकररमण	स्वतंत्र	अध्यक्ष	4	4
श्री दीपंकर महन्त	स्वतंत्र	सदस्य	4	4
श्री पी.के. नायक	स्वतंत्र	सदस्य	4	4
श्रीमती किरण घई सिन्हा	स्वतंत्र	सदस्य	4	3
श्री एन.एन. शर्मा	स्वतंत्र	सदस्य	4	3
श्रीमती अचला सिन्हा	स्वतंत्र	सदस्य	4	3
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यकारी	सदस्य	4	4
श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	कार्यकारी	सदस्य	4	4

vii) शेयरधारकों की जिज्ञासाओं का जवाब देने के लिए पिछली वार्षिक साधारण बैठक के दौरान हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे।

viii) 2018-19 के दौरान प्राप्त हुई एवं समाधान की गई शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान हुए समाधान	अंतिम शेष
सेबी	शून्य	5	5	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज	शून्य	0	0	शून्य
व्यक्तिगत	शून्य	424	424	शून्य
कुल	शून्य	429	429	शून्य

सभी शिकायतों का समाधान यथा संगत समय-सीमा में किया गया। प्राप्त शिकायतों की सं. कंपनी के शेयरधारकों की कुल सं. का 0.22% रहा।

ix) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राप्त हुई एवं समाधान की गई विभिन्न प्रकार की शिकायतों का विभाजन निम्नलिखित है:

शिकायतों के प्रकार	शिकायतों की संख्या
सिक्योरिटी का प्राप्त न होना	14
लाभांश का प्राप्त न होना	388
वार्षिक रिपोर्ट का प्राप्त न होना	27
कुल	429

x) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सेबी अनुदेश के अनुपालन में, कंपनी ने शेयरधारकों को नियमित अंतराल पर पत्र भेजकर अनुरोध किया था कि वे डेटाबेस में अपना पैन, पता एवं बैंक का विवरण अद्यतन करा लें ताकि कंपनी प्रभावी सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम रहे।

इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 40 में संशोधन करते हुए सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया हैं कि संचरण एवं परिस्थापन मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रभावी भौतिक शेयरों की प्रक्रिया/प्रभावी न करें। प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने शेयरधारकों का सलाह दी है कि शेयरों को भौतिक रूप में रखें ताकि वे डिमैट/इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित हो सके।

घ. जोखिम प्रबंधन समिति

i) इस समिति के संदर्भ की शर्तें सेबी (एलओडीआर)(संशोधन) विनियम, 2018 के अधीन निर्धारित साइबर सुरक्षा को भी शामिल करती है। समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

- प्रचालनात्मक, कार्यनीतिक, बाह्य पर्यावरण जोखिमों एवं साइबर सुरक्षा की पहचान, मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण के संबंध में उत्तरदायित्वों के निरीक्षण में निदेशक मण्डल को सहयोग देना।
- कंपनी की जोखिम नीतियों एवं सम्बंधित पद्धतियों पर निगरानी रखने एवं अनुमोदित करने के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी।
- किसी भी सार्वजनिक कागजात या प्रकटन में जोखिम प्रकटन विवरणियों की समीक्षा करना एवं अनुमोदित करना।

ii) समिति जोखिम आकलन योजना की समीक्षा एवं निगरानी करती है, आकलित जोखिम एवं उठाए जानेवाले आवश्यक कदम के बारे में समय-समय पर बोर्ड को सूचित करती है। मालूम हुए जोखिम का विवरण भी प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिया जाता है।

iii) वर्ष के दौरान 23.07.2018 को समिति की एक बार बैठक हुई।

iv) 31.03.2019 की स्थिति को समिति एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार था :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
प्रो. दामोदर आचार्य	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
श्री एस. शंकररमण	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्रीमती किरण घई सिन्हा	स्वतंत्र	सदस्य	1	0
श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त)*	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	कार्यकारी	सदस्य	1	1

* 31.08.2018 को सेवानिवृत्त।

टिप्पणीः श्री के.सी. सामल के 31.08.2018 को सेवानिवर्त्तन के बाद 01.09.2018 से निदेशक (वित्त) के रूप में श्री श्रीधर पात्र के जुड़ने के बाद कोई बैठक नहीं हुई।

ङ. नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति

i) कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेवी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(च) के प्रावधानों के अनुपालन में यह एक सांविधिक समिति है।

i) समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैंः

क. संबंधित पुनर्वास एवं परिधीय विकास सलाहकारी समिति (आरपीडीएसी) एवं एमएमडीआर अधिनियम के अधीन स्वीकार किए जानेवाले प्रस्ताव के जरिए कंपनी द्वारा ली जा रही परिधीय विकास गतिविधियों की निगरानी की जा रही है।

ख. नालको फाउंडेशन।

ग. पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण

iii) वर्ष के दौरान 04.05.2018, 23.07.2018, 12.11.2018 एवं 07.02.2019 को समिति की चार बार बैठकें हुई।

iv) 31.03.2019 की स्थिति को समिति का गठन एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक(कों) का गठन निम्नानुसार था :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
श्री डी. महन्त	स्वतंत्र	अध्यक्ष	4	4
श्री एस. शंकररमण	स्वतंत्र	सदस्य	4	4

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
श्री महेश्वर साहु	स्वतंत्र	सदस्य	4	4
श्रीमती किरण घई सिन्हा	स्वतंत्र	सदस्य	4	3
श्री एन.एन. शर्मा	स्वतंत्र	सदस्य	4	4
श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त)*	कार्यकारी	सदस्य	2	2
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)	कार्यकारी	सदस्य	4	4
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यकारी	सदस्य	4	4
श्री श्रीधर पात्र, निदेशक (वित्त)#	कार्यकारी	सदस्य	2	2

* 31.08.2018 को सेवानिवृत्त।

01.09.2018 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति

च. प्रौद्योगिकी समिति

i) डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया था।

ii) समिति कंपनी के प्रौद्योगिकी विकास के प्रयासों का आकलन करने की निगरानी करती है एवं विशेष ध्यान देती है और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों के अर्जन एवं समावेशन के साथ-साथ प्रद्रावक, परिशोधक आदि के संबंधित विशेष खपत मानकों की समीक्षा एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संधारणीय शक्ति को बनाए रखने हेतु अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर ध्यान देती है।

iii) समिति में 2 स्वतंत्र निदेशक अर्थात प्रो. दामोदर आचार्य एवं श्री महेश्वर साहु एवं 4 कार्यकारी निदेशक अर्थात निदेशक (उत्पादन), निदेशक (परि.व तक.), निदेशक (वाणिज्य) एवं निदेशक (वित्त) हैं।

iv) प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं।

v) वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

छ. मानव संसाधन समिति

i) कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन पर नीति निर्णय बोर्ड को उनकी सिफारिशों के लिए समिति के निहित है।

ii) समिति के संदर्भ की शर्तें अध्ययन करके बोर्ड के अनुमोदन हेतु सलाह देने के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्ताव देने के लिए है :

क. बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों के विषय में भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति एवं सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित नियम और विनियम तैयार करना और उसमें परिवर्तन करना।

ख. गैर-कार्यपालकों का मजदूरी ढांचा एवं वेतनमान और उनमें कोई परिवर्तन।

ग. जनशक्ति योजना के साथ संगठन की तालिका।

घ. बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत कोई अन्य संदर्भ।

iii) वर्ष के दौरान 04.05.2018, 12.11.2018 एवं 28.02.2019 को समिति की तीन बार बैठकें हुई।

iv) 31.03.2019 को यथा समिति का गठन एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार थाः

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
श्री महेश्वर साहु	स्वतंत्र	अध्यक्ष	3	3
श्री डी. महन्त	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्रीमती किरण घई सिन्हा	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त)*	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यकारी	सदस्य	3	3
श्री एस. के. राय, निदेशक (परि. व तक.)	कार्यकारी	सदस्य	3	3
श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त)#	कार्यकारी	सदस्य	2	2

* 31.08.2018 को सेवानिवृत्त

01.09.2018 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति

ज. नैतिक एवं निगम अभिशासन समिति

i. यह समिति कंपनी में पालन किए जा रहे नैतिक मानक एवं सुशासन पर निगरानी रखती है।

ii. समिति के संदर्भ की शर्तों में शामिल है :

क. हर स्तर पर निगम अभिशासन का पालन करना एवं जहाँ कहीं भी आवश्यक पड़े, सुधार के उपायों का सुझाव देना।

ख. कंपनी की प्रतिष्ठा एवं नेकनामी को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए मीडिया को सही निविष्टियाँ का प्रावधान।

ग. निवेशकों, संस्थानों एवं व्यापक रूप से जनता को वास्तविक तौर पर सही जानकारी का प्रचार।

घ. मौजूदा एवं भावी एफआईआई एवं रेटिंग एजेंसियों आदि के साथ आपसी वार्तालाप।

ङ. परामर्शदाताओं/सलाहकारों के सहयोग से, यदि आवश्यक हो, कंपनी की ओर से महत्वपूर्ण निगम संचार की जाँच स्थापित करना।

च. उच्च स्तर की अनुशासित भागीदारी के सुविधार्थ पूरी कंपनी में आंतरिक संचरणों के मानकीकृत माध्यमों का प्रवर्तन।

छ. सेबी की शर्तों एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार गठित निम्नलिखित का अनुपालन :

- वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता
- अंतरंगी व्यवसायी विनियम
- संबंधित पक्ष के लेनदेन
- सतर्कता संबंधित मुद्दे
- सचेतक नीति

iii. वर्ष के दौरान 23.07.2018 को समिति की एक बार बैठक हुई।

iv. 31.03.2019 को यथा, समिति एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार था :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
श्री दीपंकर महन्त	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
श्री पी.के. नायक	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्रीमती किरण घई सिन्हा	स्वतंत्र	सदस्य	1	0
श्रीमती अचला सिन्हा	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.)	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री एस.के. राय, निदेशक (परि. व तक.)	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	कार्यकारी	सदस्य	1	1

झ. परियोजना एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति

i) यह समिति परियोजना संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रखती है एवं नई परियोजनाओं में निवेश की सिफारिश करती है।

ii) समिति के संदर्भ की शर्तें संयुक्त उद्यमों पर नई परियोजनाओं/पूंजी व्यय पर जाँच करके बोर्ड को सलाह देना है :

क) डीपीआर को तैयार करने सहित नई परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के संबंध में प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं का मूल्यांकन एवं अनुमोदन।

ख) भारत और विदेश में प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक लागत की नई परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रस्ताव का अध्ययन एवं बोर्ड को सिफारिश करना।

ग) प्रत्येक ₹ 100 करोड़ से अधिक लागत की पूँजी परियोजनाओं की वस्तुस्थिति की समीक्षा करना।

iii) वर्ष के दौरान 04.05.2018, 08.08.2018 एवं 08.02.2019 को तीन बार समिति की बैठक हुई।

iv) 31.03.2019 को यथा, समिति एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा उपस्थित बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार था :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थित
डॉ. टी.के. चान्द	कार्यकारी	अध्यक्ष	3	3
श्री पी.के. नायक	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
प्रो. डी आचार्य	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्री एम साहु	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्री ए.के. नायक	सरकारी नामित	सदस्य	3	2
श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त)*	कार्यकारी	सदस्य	2	2
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)	कार्यकारी	सदस्य	3	3
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.)	कार्यकारी	सदस्य	3	3
श्री एस.के. राय, निदेशक (परि. व तक.)	कार्यकारी	सदस्य	3	2
श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	कार्यकारी	सदस्य	3	3
श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त)#	कार्यकारी	सदस्य	1	1

* 31.08.2018 को सेवानिवृत्त।

01.09.2018 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति।

ञ. स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

– कंपनी अधिनियम, 2013 और साथ ही सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अधीन स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक अपेक्षित है।

– निगम मामले मंत्रालय (एमसीए) ने सरकारी कंपनियों के लिए कुछ क्षेत्रों जैसे कि अध्यक्ष, गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के दायरे से संपूर्ण रूप से मुक्त रखा है।

– कंपनी प्रबंधन एवं बोर्ड के बीच सूचना प्रवाह की गुणवत्ता, अधिकता एवं समयोचितता का आकलन समिति करती है, जो बोर्ड के लिए प्रभावी एवं पर्याप्त रूप से उनके दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक है।

– वर्ष के दौरान, 22 मार्च, 2019 को एक बैठक हुई थी। सभी आठ स्वतंत्र निदेशक बैठक में उपस्थित हुए।

– कंपनी सचिव ने स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त अनुरोध पर ऐसी बैठक के संयोजन एवं आयोजन की सुविधा प्रदान की।

– बोर्ड की जानकारी के लिए बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड की तदुपरांत बैठक में रखे गए।

ट. अन्य समितियाँ

उपर्युक्त समितियों के अलावा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित संदर्भ की शर्तों के साथ कुछ नियमित गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए, केवल कार्यकारी निदेशकों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:

क. निवेश समिति

ख. विक्रय हेतु निदेशकों की समिति

ग. खरीदी हेतु निदेशकों की समिति

घ. शेयर अंतरण समिति

IV. साधारण निकाय बैठक

i) अंतिम तीन वर्षों में आयोजित वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण

वित्तीय वर्ष	वार्षिक साधारण बैठक की तारीख	समय	विशेष संकल्प, यदि कोई है	स्थान
2015-16	30.09.2016	सुबह 11.00 बजे	नहीं	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751 013
2016-17	23.09.2017	सुबह 11.00 बजे	नहीं	
2017-18	29.08.2018	सुबह 11.00 बजे	नहीं	

ii) पिछले 3 वर्षों के दौरान कोई अतिरिक्त उल्लेखनीय साधारण बैठक आयोजित नहीं हुई है। तथापि, कंपनी ने 2016-17 के दौरान शेयरों की वापस खरीदी के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से विशेष संकल्प पारित किया था।

iii) 20 अगस्त, 2018 को आयोजित पिछले वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) के दौरान शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई थी। एजीएम वाले स्थान पर ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपना मतदान न कर पाने वाले सदस्यों को हाथ उठाकर मत देने की सुविधा प्रदान की गई।

iv) पिछले वर्ष की वार्षिक साधारण बैठक के दौरान, कंपनी ने सदस्यों को वेब-आगमन सुविधा प्रदान की ताकि बैठक वाले स्थान में शीघ्रता से एवं बिना परेशानी प्रवेश सुनिश्चित हो सके।

v) इस वार्षिक साधारण बैठक में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प संचालित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

V. संचार के माध्यम

कंपनी एक अच्छे निगम अभिशासन अभ्यास के उपाय के रूप में भौतिक सूचना को साझा करने एवं समयोचित परिणाम प्रकटन में विश्वास करती है।

i. पहली तीन तिमाही के लिए गैर-अंकेक्षित वित्तीय परिणाम एवं कंपनी की चौथी तिमाही एवं पूरे वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणाम सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार निर्धारित समय के अंदर घोषित किए गए थे।

ii. बोर्ड बैठकों की समाप्ति से आधे घंटे के अंदर, जहाँ बोर्ड द्वारा परिणाम अनुमोदित किए गए थे, एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) एवं बीएसई सूचीयन केन्द्र के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों के पास परिणाम प्रचार किए गए थे। इसके साथ ही, परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर अपलोड कर दिए गए।

iii. अंग्रेजी और ओड़िया समाचारपत्रों में प्रकाशित परिणामों के सार का विवरण नीचे दिए अनुसार है :

परिणाम का विवरण	बैठक की तिथि	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
तिमाही 1- (अप्रैल-जून '18)	08.08.2018	धरित्री (ओड़िया), बिजनेस लाइन (अंग्रेजी)	09.08.2018 एवं 10.08.2018
तिमाही 2- (जुलाई-सितम्बर '18)	12.11.2018	समाज (ओड़िया), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी)	13.11.2018
तिमाही 3- (अक्टूबर-दिसम्बर'18)	08.02.2019	संवाद (ओड़िया), बिजनेस स्टैंडर्ड (अग्रेजी)	09.02.2019
तिमाही 4 (जनवरी-मार्च 19 एवं वर्ष 2018-19)	30.05.2019	प्रमेया (ओड़िया), इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी)	31.05.2019

iv) संस्थानिक शेयरधारकों को विश्लेषक विवरण, व्यक्तिगत चर्चा, कॉन कॉल और साथ ही समय-समय पर निवेशक सम्मेलनों में भागीदारी के माध्यम से सूचित किया जाता है। संस्थानिक निवेशकों/विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतीकरण स्टॉक एक्सचेंज को भेजे जाते हैं एवं कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर अपलोड किए जाते हैं।

v) कंपनी ने शेयरधारकों को सूचित करने के लिए, ई-संचार अभ्यास को अंगीकार किया है। सभी प्रकार के पत्र/सूचनाएँ/रिपोर्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाते हैं जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी को डेटाबेस में पंजीकृत किया है। शेयरधारक जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे तुरंत एवं बेहतर सूचना से अवगत रह सके।

vi) कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य सरकारी सूचना उपयोगकर्ता उपयोगी एवं डाउनलोड किए जाने के रूप में वेबसाइट में दी गई है।

vii) शेयरधारकों के लिए उनके लाभांश के नकदीकरण की वस्तुस्थिति एवं समय-समय पर अन्य संबंधित जानकारी पाने के लिए वेबसाइट में "निवेशक सेवा" पृष्ठ में ऑनलाइन प्राप्ति सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

VI. साधारण शेयरधारक सूचना

i) कंपनी पंजीकरण का विवरण

निगम पहचान संख्या (सीआईएन)	:	L27203OR1981GOI000920
कंपनी का पैन	:	AAACN7449M
कंपनी की जीएसटी	:	21AAACN7449M1Z9
पंजीकरण की तिथि	:	7 जनवरी, 1981
वित्तीय वर्ष	:	1 अप्रैल - 31 मार्च
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	:	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013, ओडिशा.

ii) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक साधारण बैठक

दिन एवं तिथि	:	18.09. 2019
समय	:	सुबह 11.00 बजे
स्थान	:	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013

iii) 2019-20 के लिए वित्तीय कैलेंडर:

गतिविधियाँ	अनुमानित तिथि
प्रथम तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	संबंधित तिमाही की समाप्ति के 45 दिनों के अंदर
4थी तिमाही के परिणाम समेत वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक	सितम्बर, 2020 तक

iv) लाभांश नीति

कंपनी ने लाभांश वितरण नीति का गठन किया है एवं यह कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Dividend-Policy.pdf

निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी हाल के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन कर पश्चात लाभ के 30% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश या शुद्ध योग का 5%, जो भी अधिक है, का भुगतान करेगी।

v) **लाभांश का भुगतान**

- शेयरों की पुनः खरीद जो दिसंबर, 2018 को हुई थी के बाद वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ₹932.81 करोड़ की द्रवित प्रदत्त पूंजी पर देय है।
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, 09.02.2018 को निदेशक मंडल द्वारा घोषित @ 4.50 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 5 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 90%) अंतरिम लाभांश सभी शेयरधारकों को 28 मार्च, 2019 को भुगतान किया गया।
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित @ ₹1.25/- प्रति इक्विटी शेयर (₹ 5 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 25%) अंतिम लाभांश, आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, बैठक के 30 दिनों के अंदर सभी शेयरधारकों को चुकाया जाएगा।
- वर्ष 2018-19 के लिए भुगतान का कुल लाभांश वर्ष 2017-18 में चुकाए गए ₹1101.77 करोड़ की तुलना में अंतिम लाभांश ₹1072.73 करोड़ रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश समेत चुकाया गया कुल लाभांश भुगतान कर-पश्चात लाभ (पीएटी) का 61.92% एवं शुद्ध-योग का 10.32% निर्दिष्ट हुआ है। इसमें लाभांश वितरण कर शामिल नहीं है।
- वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश एवं लाभांश वितरण कर समेत लाभांश भुगतान ₹1293.24 करोड़ निर्दिष्ट हुआ है जो वर्ष 2018-19 के लिए कर-पश्चात लाभ का 74.65% है।
- वर्ष 2018-19 के लिए 115% का कुल लाभांश शुरुआत से अभी तक प्रतिशत की दृष्टि में कंपनी द्वारा घोषित उच्चतम लाभांश है।

vi) **पिछले 5 वर्षों के लाभांश का इतिहास**

वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (₹)	भुगतान तिथि	कुल लाभांश(₹ करोड़ में)	कर पश्चात लाभ (पैट) पर लाभांश का %
2013-14	(आई)-₹1.10 (एफ)-₹0.40	(आई)-25.03.2014 (एफ)-15.10.2014	386.59	60.18
2014-15	(आई)- ₹0.50 (एफ)-₹1.25	(आई)-30.03.2015 (एफ)-19.10.2015	451.02	34.12
2015-16	(आई)- ₹1.25 (एफ)-₹0.75	(आई)-31.03.2016 (एफ)-25.10.2016	467.13	63.90
2016-17	(आई)- ₹2.80 (एफ)-शून्य	(आई)-23.03.2017	541.22	80.96
2017-18	(आई)-₹4.70 (एफ)-₹1.00	(आई)-28.02.2018 (एफ)-24.09.2018	1,101.77	82.07

अंतरिम (आई), अंतिम (एफ)

vii) **सूचीयन विवरण**

नालको शेयरों का सूचीयन विवरण निम्नानुसार हैः

विवरण	स्टॉक एक्सचेंज जहाँ शेयर सूचीवद्ध हैं	
	बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
ठिकाना	फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - **400 001**	एक्सचेंज प्लाजा, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा पूर्व, मुंबई - **400 051**
स्क्रिप कोड	532234	NATIONALUM
से व्यापारित	19.10.1992	28.04.1999
स्टॉक कोड (आईएसआईएन)	आईएनई 139A01034	आईएनई 139A01034
2019-20 के लिए सूचीयन शुल्क का भुगतान	29.04.2019	24.04.2019

वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक परिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क कंपनी द्वारा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को भुगतान किया गया है

viii) **वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बाजार मूल्य आंकड़े**

माह	शेयर मूल्य (बीएसई) (राशि ₹में)			शेयर मूल्य (एनएसई) (राशि ₹में)			बाजार पूंजीकरण (₹ करोड़ में)	
	न्यून	उच्च	औसत कारोबार	न्यून	उच्च	औसत कारोबार	एनएसई	बीएसई
अप्रैल, 2018	66.20	90.10	21,19,273	66.20	90.20	161,21,426	14,802.64	14,783.56
मई	70.00	81.45	10,64,465	70.00	81.50	70,25,038	14,528.85	14,539.24
जून	57.55	74.00	10,97,618	57.60	74.00	85,44,099	13,166.46	13,161.23
जुलाई	56.55	65.00	7,57,064	56.55	64.85	106,89,732	11,765.29	11,762.95
अगस्त	61.25	78.50	9,90,015	61.15	78.45	126,59,093	13,580.20	13,598.11
सितम्बर	60.30	77.40	13,17,070	60.20	77.45	110,80,902	13,420.43	13,427.59
अक्टूबर	57.85	72.00	10,39,414	57.70	72.15	117,14,268	12,827.28	12,831.37
नवम्बर	64.30	72.00	5,01,884	64.30	72.00	59,60,355	13,084.57	13,070.26
दिसम्बर	59.95	68.70	4,76,723	59.90	68.80	58,75,026	11,926.70	11,921.00
जनवरी, 2019	59.10	65.95	2,81,343	58.85	65.95	38,20,050	11,579.07	11,579.20
फरवरी	46.25	60.00	10,84,355	46.20	60.00	205,98,827	9,805.03	9,790.28
मार्च	51.30	59.50	13,63,683	51.20	58.40	181,54,829	10,183.62	10,186.15

न्यून=न्यूनतम, उच्च=उच्चतम, (स्रोत: बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइट)

ix) **व्यापक-आधारित सूचियों की तुलना में प्रदर्शन**

बीएसई

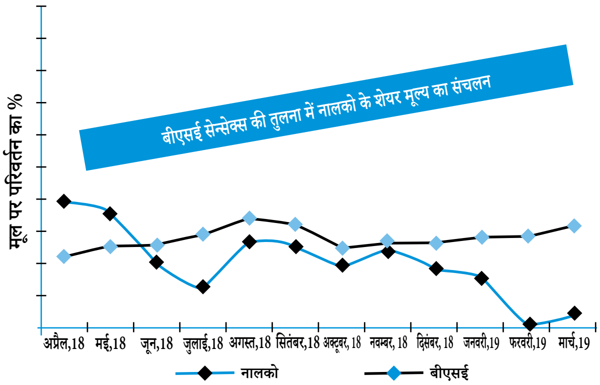

एनएसई

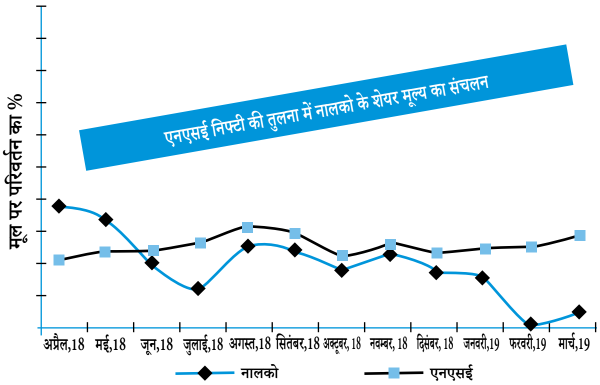

x) **रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट**

कंपनी के शेयरधारक बेस में लगातार वृद्धि हुई है। शेयरधारकों को दक्ष एवं प्रभावी सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए, शेयर रजिस्ट्री गतिविधियाँ मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) से प्राप्त की गई हैं। मेसर्स कार्वी शेयरों से संबंधित गतिविधियाँ जैसे कि शेयरों के अंतरण एवं संचरण, शेयरों के स्थानांतरण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, नाम हटाने, पता बदलने, बैंक के विवरण, खत्म हो चुके लाभांश समादेश के बदले डीडी जारी करने, बैंक के साथ लाभांश खाते के समन्वय, आईईपीएफ संबंधी गतिविधियों का ध्यान रखने, नामांकितों के पंजीकरण, शेयरों के अभौतिकीरण/पुनः भौतिकीकरण आदि का निष्पादन करते हैं। मेसर्स कार्वी का संपर्क विवरण निम्नानुसार है :

कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड,
यूनिटः नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाचिबोअली,
फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना-500032
दूरभाष सं. 040-67161500, टोल फ्री नं.18003454001,
ईमेलः einward.ris@karvy.com

xi) **शेयर अंतरण प्रणाली**

शेयरों के अंतरण/संचरण एवं अभौतिकीकरण से संबंधित सभी अनुरोधों/मामलों को अनुमोदित करने के लिए बोर्ड द्वारा कंपनी सचिव को अधिकृत किया गया है। तथापि, फटे हुए/विकृत/विरूपित/गुम हो चुके/पुनः भौतिकीकृत के मामले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित मसले शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी और शेयर ट्रान्सफर एजेंट द्वारा यथा हस्ताक्षरित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 7(3) के अन्तर्गत अपेक्षानुसार छमाही अनुपालन प्रमाणपत्र स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा किए गये हैं। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 40(10) के अनुपालन में, मेसर्स देब महापात्र एण्ड कं., अभ्यासरत कंपनी सचिव से छमाही आधार पर प्रमाणपत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि सारे प्रमाणपत्र अंतरण के लिए प्रस्तुति की तिथि से तीस दिनों के अंदर जारी किए गए थे, कॉल/आबंटन राशि के उप-विभाजन, मजबूतीकरण, नवीकरण, विनियम या पृष्ठांकन निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा किए गए।

xi) **31.03.2019 को शेयरधारिता का स्वरूप**

क्रम सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरधारिता का %
1.	प्रमोटर (भारत सरकार)	1	97,00,81,517	52.00
2.	बैंक/वित्तीय संस्थान	40	15,02,17,875	8.05
3.	म्यूच्यूअल फंड	77	21,83,11,450	11.70
4.	बीमा कंपनियाँ	2	1,600	नगण्य
6.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	209	22,23,82,412	11.92
6.	निगम निकाय	1,644	12,41,94,446	6.66
7.	भारतीय जनता	1,89,094	17,27,85,994	9.26
8.	अन्य	3,529	76,42,204	0.41
	कुल	1,94,596	186,56,17,498	100.00

श्रेणी-वार शेयरधारिता

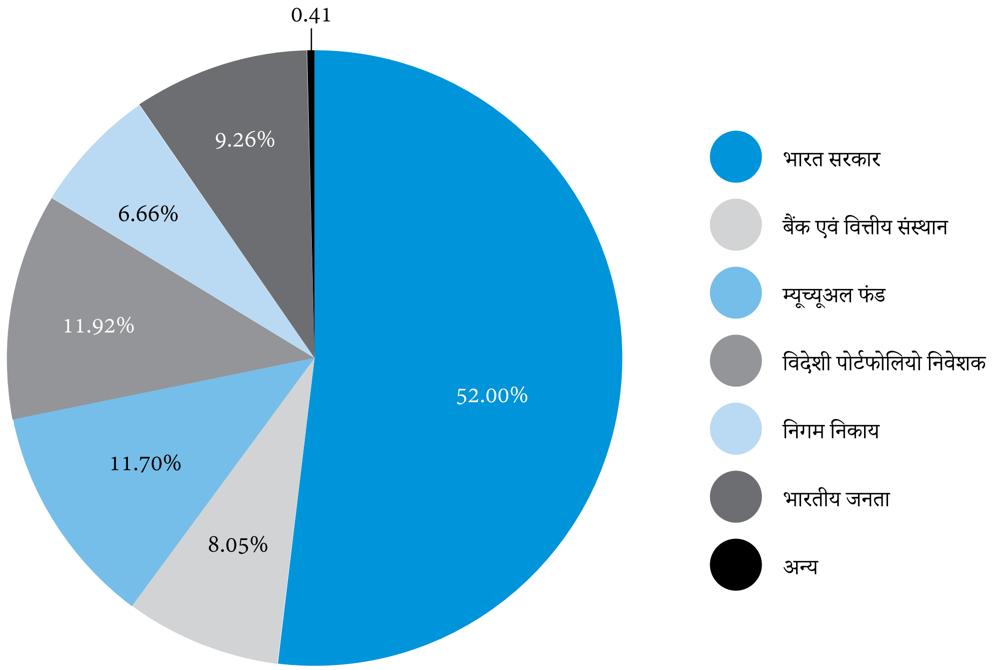

31.03.2019 को शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की सं.	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारकों का %	शेयरों की सं.	शेयर पूंजी का %
1-200	1,10,862	56.98	96,24,304	0.51
201-500	38,498	19.78	1,44,88,747	0.77
501-1000	20,169	10.36	1,67,20,443	0.90
1001-50000	24,499	12.59	10,45,98,408	5.61
50001-100000	223	0.11	1,58,35,391	0.85
100001 एवं above	345	0.18	170,43,50,205	91.36
कुल	1,94,596	100.00	186,56,17,498	100.00

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रमोटर की धारिता में निम्न रूप में परिवर्तन हुआ है :

प्रमोटर का नाम	शेयरों की सं. (वर्ष के प्रारंभ)	धारिता का %	वर्ष के दौरान कमी	तिथि	माध्यम	शेयर शेष	धारिता का %
भारत के राष्ट्रपति	116,37,17,107	60.20	698,88,827	20.06.2018 to 22.06.2018	भारत 22 ईटीएफ को शेयरों का अंतरण	109,38,28,280	56.59
			3,47,60,440	07.12.2018	शेयरों की पुनर्खरीद में प्रत्यर्पित	105,90,67,840	56.77
			8,89,86,323	21.02.2019	भारत 22 ईटीएफ को शेयरों का अंतरण	97,00,81,517	52.00

31.03.2019 को कंपनी के प्रमोटर के अलावा शीर्ष के 10 इक्विटी शेयरधारक

क्रम संख्या	शेयरधारक का नाम	शेयरों की सं.	धारिता का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	9,34,35,272	5.01
2.	भारत 22 ईटीएफ	6,91,17,330	3.70
3.	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,47,56,542	1.33
4.	यूटीआई-एमआईडी कैप फंड	1,98,56,305	1.06
5.	हिंडालको इंडस्ट्रीज लि.	1,83,85,327	0.99
6.	बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,79,28,229	0.96
7.	रेणुका इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनैंस लिमिटेड	1,64,18,964	0.88
8.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,37,87,744	0.74
9.	आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल वैल्यू-फंड-सीरीज़ 19	1,33,88,562	0.72
10.	रेणुकेश्वर इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनैंस लिमिटेड	1,28,14,264	0.69
	कुल	29,98,88,539	16.08

xii) **सूचीबद्ध शेयरों का अभौतिकीकरण/पुनः भौतिकीकरण एवं नकदीकरण**

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से अभौतिकीकृत क्षेत्र में हैं एवं दोनों डिपॉजिटरी (निक्षेपकर्ताओं) अर्थात नैशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास स्वीकृत हैं।

अभ्यासरत कंपनी सचिव से प्राप्त कंपनी की शेयर पूंजी के पुनर्मिलान के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट तिमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंज के पास सांविधिक अवधि के अंदर जमा की गई है।

31.03.2019 को भौतिक एवं अभौतिकीकरण रूप में धारित शेयरों की कुल सं. है :

	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %	शेयरधारकों की सं.
भौतिक	19,70,592	0.11	2,777
डिमेट (इलेक्ट्रॉनिक)			
– एनएसडीएल के पास	174,57,52,565	93.58	1,05,913
– सीडीएसएल के पास	11,78,94,341	6.32	85,906
कुल	186,56,17,498	100.00	1,94,596

वर्ष के दौरान, 2,47,766 शेयरों से संश्लिष्ट 573 अभौतिकीकरण अनुरोध की पुष्टि की गई है। वर्ष के दौरान कोई पुनः भौतिकीकरण अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

xiii) **बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई अन्य परिवर्तनीय साधन, परिवर्तन की तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव**

कंपनी ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय साधन जारी नहीं किया है।

xiv) **उचन्त खाते में इक्विटी शेयर**

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 34(3) एवं अनुसूची V, पार्ट एफ के अनुपालन में उचन्त खाते में कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

xv) **आईईपीएफ में अप्रदत्त/दावाहीन लाभांश का अंतरण**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2010-11 के लिए दावाहीन अंतिम लाभांश से संबंधित ₹6,10,874/- की राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित की गई है।

शेयरधारक निम्नलिखित लिंक में वेबसाइट से अप्रदत्त /दावाहीन लाभांश से संबंधित डेटा प्राप्त कर सकते हैं:

https://kosmic.karvy.com/IEPF/IEPFInfo.aspx

xvi) **आईईपीएफ में शेयरों का अंतरण**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) एवं समय-समय पर संशोधित आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं धन वापसी) नियम, 2016 के अनुपालन में, शेयर जिसके संबंध में सात वर्ष या अधिक अवधि के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईइपीएफ) प्राधिकरण खाते में अंतरित किए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष के दौरान, एनएसडीएल के पास खोले गए आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाते में 184 शेयरधारकों के 45,999 शेयर अंतरित किए गए थे। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष तक, कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में 681 शेयरधारकों के 1,95,278 शेयर का अंतरण किया है। आईईपीएफ में अंतरित किए गए शेयरों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है:

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/06/shares-2-dt-19-6-2019.pdf

आईईपीएफ में अंतरित शेयर और/या लाभांश को आईईपीएफ प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट शुल्क के साथ फार्म आईईपीएफ-5 में आवेदन जमा करते हुए आईईपीएफ प्राधिकारी से वापस दावा किया जा सकता है। आईईपीएफ प्राधिकारी से शेयर/लाभांश दावा करने की प्रक्रिया एवं फार्म आईईपीएफ-5 लिंक https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Form_IEPF_5.pdf पर उपलब्ध है।

xvii) **वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम एवं बचाव जोखिम**

कंपनी ने वस्तु बचाव पर कोई अरक्षितता नहीं दी है एवं अतएव दिनांक 15 नवम्बर, 2018 के सेबी परिपत्र के संबंध में प्रकटन शून्य लिया गया है। तथापि, निर्धारित सेबी प्रारूप के अनुसार शून्य रिपोर्ट नीचे दी गई है:

वस्तु का नाम	विशेष वस्तु के विषय में भारतीय रुपये में अरक्षितता	विशेष वस्तु के विषय में परिमाण के हिसाब से अरक्षितता	वस्तु व्युत्पादित के माध्यम से बचाव की गई ऐसी अरक्षितता का %				
			देशीय बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	विनिमय	ओटीसी	विनिमय	
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

xviii) **संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग्स (उधार मूल्यांकन) की सूची, उसमें किए गए किसी संशोधन के साथ**

वर्ष के दौरान, मेसर्स इंडिया रेटिंग्स ने नालको की रेटिंग (मूल्यांकन) साधन-वार निम्नानुसार की है:

साधन के प्रकार	रेटिंग	दृष्टिकोण
अल्पकालिक बैंक सुविधाएँ	आईएनडी ए1+	स्थिर
दीर्घकालिक बैंक सुविधाएँ	आईएनडी एएए	स्थिर

रेटिंग एजेंसी ने 13.03.2019 को प्रकाशित अपनी मूल्यांकन कार्यवाही के माध्यम से उपर्युक्त रेटिंग (मूल्यांकन) की पुनः पुष्टि की गई है।

VII. अन्य प्रकटन

क) कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेनों पर एक नीति का गठन किया है जो निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/NEW-RPT-NALCO.pdf

संबंधित पक्ष एवं संबंधित पक्ष के लेनदेन वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के स्वचालित वित्तीय विवरण एवं समेकित वित्तीय विवरण दोनों की टिप्पणी सं. 39 में प्रकट किए गए हैं। वित्त वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई भौतिक लेन-देन नहीं किया गया था। निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष के लेनदेन निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

ख) कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 एवं निगम अभिशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 एवं डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का पालन किया है। कंपनी को कोई संरचना प्राप्त नहीं हुई है एवं गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी विषयवस्तु के गैर-अनुपालन के लिए सेबी या स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी से कोई दंड आरोपित नहीं किया गया था।

ग) सतर्कता तंत्र के उपाय के रूप में, बोर्ड के पास निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए अनुमोदित 'सचेतक नीति' एवं 'धोखाधड़ी रोकथाम नीति' थी जो प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन या नैतिक नीति से संबंधित चिंताओं की रिपोर्ट करती है। यह नीति कर्मचारियों को अत्याचार के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करती है जो इस कार्यप्रणाली का उपयोग करते हैं।

यह भी पुष्ट की जाती है कि कंपनी के किसी भी कार्मिक को अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति के पास पहुँचने से वंचित नहीं किया गया था। दोनों ही नीतियाँ कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखत लिंक में उपलब्ध है:

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/06/Whistle-Blower-Policy-NALCO-26-6-2019.pdf एवं

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Nalcofraudpreventionpolicy.pdf

घ) कंपनी के पास अभी तक कोई सहायक कंपनी नहीं है। अतएव, कंपनी ने भौतिक सहायक कंपनी के निर्धारण हेतु किसी नीति का गठन नहीं किया है।

ङ) कंपनी में वर्तमान में मुद्रा बचाव नीति की व्यवस्था है जिसके नियामक प्रावधान में बदलावों, यदि कोई हो, एवं बाजार की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षा की जाती है। यद्यपि, कंपनी के पास विक्रय पर कोई बचाव नीति नहीं है।

च) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तरजीह, आबंटन या योग्यताप्राप्त संस्थानिक व्यवस्थापन के माध्यम से कोई निधि जारी नही की है।

छ) कंपनी ने मेसर्स देब महापात्र एण्ड कं., अभ्यासरत कंपनी सचिव से एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, जो पुष्टि करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या निगम मामले मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने से रोका नहीं गया है या अयोग्य नहीं किया गया है। उक्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का भाग रहा है।

ज) वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं रहा है, जब बोर्ड ने किसी समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, जो अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।

झ) कंपनी ने वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई सभी सेवाओं के लिए ₹90 लाख का भुगतान किया है।

ञ) वर्ष के दौरान, कार्यस्थल में महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।

ट) विभिन्न नीतियों के लिए वेब लिंक संबंधित शीर्षकों के अधीन दिए गए हैं।

ठ) निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के विषय में कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का भाग रहा है।

ड) **भीतरी ट्रेडिंग से जुड़ी संहिता**

बोर्ड ने सेबी (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुसरण में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के निष्पक्ष प्रकटन हेतु एक सुदृढ़ कार्यपद्धतियों एवं कार्यप्रक्रियाओं की संहिता निर्दिष्ट की है।

इस संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी का कोई अंतरंगी किसी अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना, जो उसके पास है, को सार्वजनिक किए जाने से पहले कोई लाभ न प्राप्त करे या उसके आधार पर कोई लाभ प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे की सहायता न करे।

इस संहिता के लिए अनुपालन अधिकारी ही कंपनी सचिव है।

बोर्ड ने अपने कर्मचारियों एवं अन्य संबंधित व्यक्ति द्वारा किए व्यापार को नियंत्रित, निगरानी एवं रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता को भी अनुमोदित किया है।

अंतरंगियों (इनसाइडर) को अंतरंगी व्यवसाय संहिता में वर्णित कुछ शर्तों एवं अनुपालन अधिकारी के अनुमोदन के अधीन व्यापारित योजना तैयार करने का अधिकार होता है। व्यापार योजना अनिवार्य रूप से कार्यान्वित होती है।

मनोनीत व्यक्ति एवं उसके नजदीकी संबंधी को ट्रेडिंग विण्डो (व्यवसाय अवसर) बंद रहने पर सिक्योरिटीज में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। संहिता में वर्णित निश्चित सीमा के बाहर सिक्योरिटीज से संबंधित व्यापार कार्य हेतु अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। सभी निदेशकों/मनोनीत कर्मचारियों को भी इस संहिता के अंतर्गत निर्धारित प्रारंभिक सीमा से ऐसे लेनदेन का मूल्य अधिक होने पर निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंज जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है, के पास अपने लेनदेन को प्रकट करने की आवश्यकता पड़ती है।

इस संहिता को कंपनी की निम्न वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है:

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/06/NALCO_Code-of-Conduct_new-25-06-2019-1.pdf

ढ) **आचार संहिता**

कंपनी ने व्यवसाय संचालन एवं नैतिकता की एक प्रतिमान संहिता ('संहिता') को निरुपित किया है, जो कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे) पर लागू है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/CodeofConduct.pdf

बोर्ड में सभी निदेशकों को उनके नियोजन पर, संहिता की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है जो इसे प्राप्त होने की स्वीकृति देते हैं। इसके अलावा, बोर्ड के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक आधार पर संहिता की पुष्टि करते हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V के अधीन अपेक्षित अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

घोषणा

बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता./-
(डॉ. टी.के. चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ण) **सीइओ/सीएफओ प्रमाणन**

डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और श्री श्रीधर पात्र, निदेशक (वित्त) द्वारा यथा हस्ताक्षरित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अधीन सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र 30.05.2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

त) **डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रकटन**

i. लेखा बहियों में उन व्यय को नहीं घटाया गया है, जो व्यवसाय से सम्बन्धित न हों।

ii. कोई व्यय ऐसा नहीं है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो एवं निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च किया गया है।

iii. कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय एवं कार्यालय व्यय बनाम वित्तीय व्यय का विवरण और बढ़ोतरी के कारण निम्नवत हैं :

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2018-19	2017-18
प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	118.86	109.90
कुल व्यय	9,085.27	8,703.21
कुल व्यय के % के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	1.31	1.26
वित्तीय व्यय	2.38	1.95

iv. कंपनी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित निगम अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट तिमाही आधार पर जमा कर रही है। कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 'उत्कर्ष' दर्जा प्रदान किया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट निम्नलिखित वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है :
https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/04/Selfevaluation-report-1.pdf

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान एवं गत तीन वर्षों के दौरान जारी अध्यक्षीय दिशासूचकों का अनुपालन किया है।

VIII. गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची - II के भाग ई के साथ पठित विनियम 27(1) के अंतर्गत विवेकाधीन अर्हताओं के अनुपालन की वस्तुस्थिति निम्नवत है:

क. कंपनी कार्यपालक अध्यक्ष के नेतृत्व में है।

ख. कंपनी को सांविधिक लेखा-परीक्षकों एवं सी एण्ड एजी से पिछले कई वर्षों के लिए गैर-योग्यताप्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो रही है जो गैर-योग्यताप्राप्त वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की सूचक है।

ग. अंदरूनी लेखापरीक्षा के प्रधान को अंदरूनी लेखा-परीक्षक रिपोर्ट करते हैं एवं फिर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को अंदरूनी लेखा-परीक्षा के प्रधान रिपोर्ट करते हैं।

IX. कंपनी के संयंत्र के स्थान

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय:
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर - 751013 (ओड़िशा)

प्रद्रावक संयंत्र
नालको नगर,
अनुगुल - 759 145, (ओड़िशा)

खान एवं परिशोधक
खान एवं परिशोधन संकुल
दामनजोड़ी - 763 008, जिला - कोरापुट (ओड़िशा)

ग्रहीत विद्युत संयंत्र
अनुगुल - 759 122
(ओड़िशा)

पत्तन सुविधाएं
ओर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स के विपरीत
पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम – 530 035
(आंध्र प्रदेश)

जैसलमेर 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
ग्रामः लुडर्वा काहेला, खदेरो-की-धानि, तावारिया, चातरेल
मंडल/तालुक/जिला - जैसलमेर, राजस्थान – 345001

गण्डीकोटा 50.4 मे.वॉ. पवन विद्युत संयंत्र
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
ग्राम गंडीकोटा, मंडल - प्रोदात्तुर, तालुका - जम्मालमाडुगु, जिला - कडप, आंध्र प्रदेश

सांगली 50.4 मे.वॉ. पवन विद्युत संयंत्र
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
ग्राम - मेंधीगिरी, तालुक - जत, जिला - सांगली, महाराष्ट्र - 416404

जैसलमेर 50 मे.वॉ. पवन विद्युत संयंत्र
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
ग्राम - देवीकोट, तहसिल - फतेहगढ़, प्रभाग/तालुक/जिला - जैसलमेर, राजस्थान - 245009

कायाथार 25.5 मे.वॉ. पवन विद्युत संयंत्र
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
ग्राम - ओनमाकुलम, तहसील, कायाथार, जिला - तूतिकोरिन, तमिलनाडु - 628303

पत्तन सुविधाएँ

विशाखापत्तनम
ओर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स के सामने, पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम - 530 035, आंध्र प्रदेश

पारादीप (पत्तन कार्यालय)
'वी' प्वाइंट, बड़पड़िया, पारादीप - 751 142

क्षेत्रीय कार्यालय

पूर्वी क्षेत्र
प्रथम तल, जे के मिलेनियम सेंटर, 46-डी, चौरंगी रोड, कोलकाता - 700 071

पश्चिमी क्षेत्र
215, टी.व्ही. इंडस्ट्रियल एस्टेट, एस.के. अहीरे मार्ग, वर्ली, मुम्बई - 400 030

उत्तरी क्षेत्र
कोर - 4, 5वाँ तल, साउथ टावर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, स्कोप मिनार,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110 092

दक्षिणी क्षेत्र
3ई, सेंचुरी प्लाजा, 560, अन्ना सालई, तेयनामपेट, चेन्नई-600 018

शाखा कार्यालय

बेंगलुरु
भूतल, जल भवन, सं. 5 एवं 6, प्रथम चरण, पहला फेज, बीटीएम लेआउट,
बानरघट्टा मेन रोड, बेंगलुरु - 560 029

भंडार परिसर

भिवण्डि
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड, गोदाम नम्बर 42/57, इण्डियन कोर्पोरेशन कंपाउण्ड,
मनकोली नाका, मुम्बई नासिक रोड़, ठाणे, महाराष्ट्र, भिवण्डि-421 302

कोलकाता
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड,
डब्ल्यू.एच.1-सोनापुर रोड़, कोलकाता - 700 088, पश्चिम बंगाल

जयपुर
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- ओम प्रकाश अग्रवाल, खसरा 9/2/3, 9/2/4 एवं 16/12, ग्राम निमेदा,
बिन्दायक इंडस्ट्रियल एरिया के पास, सिरसी रोड, जयपुर-302012, राजस्थान

विशाखापत्तनम
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
नालको पत्तन सुविधाएँ, पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम - 530 035.
आन्ध्र प्रदेश

बद्दी
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड, गाँव : धरमपुर
पी.ओ. : बद्दी, तहसील : नालागढ़, जिलाःसोलन-173205, हिमाचल प्रदेश

चेन्नई
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा - एन.एस.आई.सी. लिमिटेड, प्लॉट नं. ए12, सीएमडीए ट्रक टर्मिनल,
पोन्नियामनमेडु पोस्ट, माधावरम, चेन्नई 600 110.

वड़ोदरा
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन,
रानोली फ्लाईओवर के निकट, रानोली, कराचिया, वड़ोदरा, गुजरात - 391350

नई दिल्ली
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- सुप्रीम रोड ट्रान्सपोर्ट प्रा.लि., खसरा 46/15/1, ग्राम - टिकरी कालन,
नेताजी सुभाष विहार, नई दिल्ली 110041

X. पत्रव्यवहार हेतु पता

अनुपालन अधिकारी
कंपनी सचिव
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर - 751013
ई-मेल: company_secretary@nalcoindia.co.in

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट
मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
यूनिटः नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32,
गचीबोअली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा
हैदराबाद–500032. तेलंगाना
दूरभाषः 040-67161500, टोल फ्री नं. 18003454001,
ईमेलः einward.ris@karvy.com

निदेशकों की गैर-योग्यता का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ, 2015) के विनियम 34(3) एवं अनुसूची V, पैरा ग खंड (10)(i) के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.

नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1,

नयापल्ली, भुवनेश्वर -751013, ओड़िशा

हमने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा-ग, उप-खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसका सीआईएन - L27203OR1981GOI000920 है एवं पंजीकृत कार्यालय नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर -751013, ओड़िशा (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) है, के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, अभिलेखों, प्रपत्र, रिटर्न (प्रतिफल) एवं प्रकटीकरण की जाँच की है।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा अपेक्षानुसार सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) वस्तुस्थिति समेत) एवं कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए नीचे वर्णित कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, निगम मामले मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं किया गया है।

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	डॉ. तपन कुमार चान्द	01710900	27.07.2015
2.	श्री व्ही, बालसुब्रमण्यम	06965313	01.01.2015
3.	श्री बसन्त कुमार ठाकुर	07557093	04.07.2016
4.	श्री संजीव कुमार राय	06756812	03.02.2017
5.	श्री प्रदीप कुमार मिश्र	06445517	23.04.2018
6.	श्री श्रीधर पात्र	06500954	01.09.2018
7.	डॉ. के राजेश्वर राव	08071005	19.02.2018
8.	श्री अनिल कुमार नायक	08097669	27.03.2018
9.	श्री दीपंकर महन्त*	01583516	21.11.2018
10.	श्री एस. शंकररमण*	07346454	21.11.2018
11.	श्री प्रभात केशरी नायक*	07346756	21.11.2018
12.	प्रो. दामोदर आचार्य*	06817842	21.11.2018
13.	श्री महेश्वर साहु*	00034051	21.11.2018
14.	श्रीमती किरण घई सिन्हा	07726477	03.02.2017
15.	श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा	02888318	06.09.2017
16.	श्रीमती अचला सिन्हा	07932932	08.09.2017

* 20.11.2018 को तीन वर्ष के अपने प्रथम कार्यकाल की समाप्ति के बाद 21.11.2018 को एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किए गए।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/अविच्छिन्नता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कार्यकारिता या प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते देब महापात्र एण्ड कं.
(कंपनी सचिव)

सीएस देबदत्त महापात्र, एफसीएस
वरिष्ठ साझेदार
एम.नं. एफ5474, सीपी सं. 4583

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 25.06.2019

निगम अभिशासन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
भुवनेश्वर

1. हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 46(2) के विनियम 17 से 27, खंड (ख) से (झ) एवं अनुसूची V के अनुच्छेद सी एवं डी ('सेबी सूचीयन विनियम') में निर्धारित अनुसार नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में, सेबी सूचीयन विनियमों में उल्लिखित निगम अभिशासन की शर्तो के अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु आंतरिक नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं की जाँच एवं इसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो लेखा परीक्षा है और न ही मत - अभिव्यक्ति है।
4. कंपनी द्वारा आवश्यक निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर यथा संगत आश्वासन प्रदान करने के प्रयोजन से कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों एवं अन्य संबंधित अभिलेखों एवं कागजातों की हमने जाँच की है।
5. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी विशेष प्रयोजन हेतु रिपोर्ट या प्रमाणपत्र (संशोधित 2016) पर अनुदेश टिप्पणी के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जाँच संचालित की है। अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता की नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।
6. हमने संस्थाओं के लिए गुणवत्ता के मानक (एसक्यूसी)1, गुणवत्ता नियंत्रण की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है जो ऐतिहासिक वित्तीय सूचना एवं अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों की लेखा परीक्षा एवं समीक्षा करती है।

अभिमत

7. प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर एवं हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तहत तथा हमें दि गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रयोज्य अनुसार सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 46(2) के विनियम 17 से 27, खंड (ख) से (झ) एवं अनुसूची V के अनुच्छेद सी एवं डी में निर्धारित अनुसार निगम अनुशासन की शर्तों का पालन किया है।
8. हम आगे व्यक्त करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कार्यकारिता या प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

उपयोग पर प्रतिबंध

9. यह प्रमाणपत्र केवल सेबी सूचीयन विनियम की आवश्यकता के अनुपालन के प्रयोजन से कंपनी के सदस्यों को सम्बोधित किया जाता है एवं प्रदान किया जाता है और किसी भी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी अनुसार, लिखित में हमारी पूर्व सहमति के बिना किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी व्यक्ति को जिसे यह रिपोर्ट दिखाया जाता है या जिसके हाथों में आता है, के लिए किसी भी देयता या कर्तव्य निर्वाह को हम स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए. बी.के. सरावगी)
साझेदार
सदस्यता सं. 054894
यूडीआईएन: 19054894AAAAAC1228

कृते पाल एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए. अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं. .057820
यूडीआईएन: 19057820AAAAAL8470

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 11जुलाई, 2019

फॉर्म नं. एओसी-2

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा(3) के खंड (ज) एवं कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा निष्पादित ठेकाओं/व्यवस्थाओं जिसमें उस पर तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछेक असंबंधित लेनदेन शामिल हैं, के विवरण के प्रकटन हेतु फॉर्मः

1. संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन जो सम्बन्धित पक्ष के आधार पर हैं, का विवरणः

(क)	सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूप	: **शून्य**
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन का स्वरूप	: **लागू नहीं**
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदन की अवधि	: **लागू नहीं**
(घ)	मूल्य यदि कोई है, समेत संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रमुख शर्तें	: **लागू नहीं**
(ङ)	ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन में शामिल होने का औचित्य	: **लागू नहीं**
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (याँ)	: **लागू नहीं**
(छ)	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई है	: **लागू नहीं**
(ज)	धारा 188 के उपयुक्त प्रथम उपबंध के अंतर्गत आवश्यकतानुसार साधारण बैठक में जिस तिथि को विशेष प्रस्ताव पारित हुआ था	: **लागू नहीं**

2. भौतिक संविदाओं या व्यवस्था या लेनदेन जो असम्बन्धित आधार पर नही हैं, का विवरणः

(क)	सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूप	: **शून्य**
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन का स्वरूप	: **लागू नहीं**
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	: **लागू नहीं**
(घ)	मूल्य, यदि कोई है, समेत संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रमुख शर्तें	: **लागू नहीं**
(ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (याँ) यदि कोई है	: **लागू नहीं**
(च)	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई है	: **लागू नहीं**

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता.

(डॉ. तपन कुमार चान्द)

अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक

फॉर्म नं. एमजीटी.9
वार्षिक रिटर्न (प्रतिफल) का सार
31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i) सीआईएनः- **L27203OR1981GOI000920**

ii) पंजीकरण की तिथि : **7 जनवरी, 1981**

iii) कंपनी का नाम : **नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड**

iv) कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी : **शेयरों के तहत पब्लिक सेक्टर कम्पनी लिमिटेड**

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण :
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर, ओड़िशा-751013, भारत

vi) क्या सूचीबद्ध कम्पनी है : हाँ

vii) रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण
मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सेलिनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबोअली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032,
तेलंगाना, दूरभाषः 040-67161500, फैक्स नं. 040-23420814.
टोल फ्री नं. 18003454001
ईमेलः einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvyfintech.com

II. कंपनी के प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलाप

कंपनी के कुल कारोबार के 10% या अधिक का अंशदान करनेवाले सभी व्यावसायिक कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा :

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	एल्यूमिना	201	37.50
2	एल्यूमिनियम	242	57.70
3	पावर	351	1.07

III. नियंत्रक (होल्डिंग), सहायक एवं सम्बद्ध कंपनियों के ब्यौरे

क्रम सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/सहायक/सम्बद्ध	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1	एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि., 16वाँ तल, सेंटर-1, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005	U40300MH2012GOI227632	सम्बद्ध	26	2(6)
2	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि., इडको टावर, जनपथ, भुवनेश्वर-751022	U27203OR2010PTC012284	सम्बद्ध	49	2(6)
3	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. जीएसीएल कॉर्पोरेट बिल्डिंग, डाकघर पेट्रोकेमिकल्स, वडोदरा, गुजरात-391346	U24100GJ2015PTC085247	सम्बद्ध	40	2(6)

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी का विभाजन)

i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च 2018 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च 2019 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रोमोटर्स									
(1) भारतीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) केंद्र सरकार	1,16,37,17,107	—	1,16,37,17,107	60.20	970,081,517	—	970,081,517	52	-8.20
ग) राज्य सरकार (रों)	—	—	—	—	—	—	—	—	
घ) निगमित निकाय	—	—	—	—	—	—	—	—	
ङ) बैंक/एफआई	—	—	—	—	—	—	—	—	
च) कोई अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	
उप-योग (क) (1):-	1,16,37,17,107	—	1,16,37,17,107	60.20	970,081,517	—	970,081,517	52	-8.20
(2) विदेशी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
क) एनआरआई - व्यक्तिगत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) अन्य - व्यक्तिगत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग) निगमित निकाय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बैंक/एफआई	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) कोई अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप-योग (क) (2):-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
प्रोमोटर (क) की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	1,16,37,17,107	—	1,16,37,17,107	60.20	970,081,517	—	970,081,517	52	-8.20

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च 2018 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च 2019 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ख. पब्लिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड	18,99,07,852	88,600	18,99,96,452	9.83	21,82,61,850	86,600	21,83,48,450	11.70	1.87
ख) बैंक/एफआई	22,00,71,816	—	22,00,71,816	11.39	14,97,89,962	0	14,97,89,962	8.03	-3.36
ग) केन्द्र सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) राज्य सरकार (रों)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) उद्यम पूँजी निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
च) बीमा कंपनियाँ	—	1,600	1,600	—	—	1,600	1,600	—	—
छ) एफआईआई	12,38,46,814	26,800	12,38,73,614	6.41	22,23,55,936	26,800	22,23,82,736	11.92	5.51
ज) विदेशी उद्यम पूँजी निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
झ) अन्य (उल्लेख करें)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप-योग (ख)(1):	53,38,26,482	1,17,000	53,39,43,482	27.62	59,04,07,748	1,15,000	59,05,22,748	31.65	4.03
2. गैर-संस्थान									
क) निगमित निकाय									
i) भारतीय	12,66,71,092	14,200	12,66,85,292	6.55	12,41,82,646	11,800	12,41,94,446	6.66	0.10
ii) विदेशी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) व्यक्तिगत									
i) व्यक्तिगत शेयरधारक जो ₹ 1 लाख तक सामान्य शेयर पूँजी रखते हैं	7,41,45,598	13,30,858	7,54,76,456	3.90	11,43,16,912	10,58,792	11,53,75,704	6.18	2.28
ii) व्यक्तिगत शेयरधारक जो ₹ 1 लाख से अधिक सामान्य शेयर पूँजी रखते हैं	2,38,02,771	—	2,38,02,771	1.23	4,65,03,104	0	4,65,03,104	2.49	1.26
ग) अन्य (उल्लेख करें)	85,18,776	7,85,000	93,03,776	0.48	1,81,54,979	7,85,000	1,89,39,979	1.02	0.54
उप-योग (ख) (2):-	23,31,38,237	21,30,058	23,52,68,295	12.17	30,31,57,641	18,55,592	30,50,13,233	16.35	4.18
कुल पब्लिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	76,69,64,719	22,47,058	76,92,11,777	39.80	89,35,65,389	19,70,592	89,55,35,981	48.00	-8.21
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सकल योग (क+ख+ग)	**1,93,06,81,826**	**22,47,058**	**1,93,29,28,884**	**100**	**1,86,36,46,906**	**19,70,592**	**1,86,56,17,498**	**100**	

(ii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का %
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधकीकृत/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधकीकृत/ भारग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	1,163,717,107	60.20	—	970081517	52	—	-8.20

(iii) प्रोमोटर की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया उल्लेख करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	1,163,717,107	60.20	—	—
		6,98,88,827	3.62	1093828280	56.59
		3,47,60,440	1.86	1059067840	56.77
		8,89,86,323	4.77	970081517	52
	वर्ष के अंत में	—	—	970081517	52

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशकों, प्रोमोटरों एवं जीडीआर और एडीआर के धारकों को छोड़कर):

क्रम सं.	शीर्ष के 10 शेयरधारकों के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	158431120	8.2	93435272	5.01
2	भारत 22 ईटीएफ	47768312	2.47	69117330	3.70
3	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	14636302	0.76	24756542	1.33
4	यूटीआई-एमआईडी सीएपी फंड	16464258	0.85	19856305	1.06
5	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	18385327	0.95	18385327	0.99
6	बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	14350874	0.74	17928229	0.96
7	रेणुका इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनेंस लिमिटेड	16418964	0.85	16418964	0.88
8	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	11839876	0.61	13787744	0.74
9	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड- सीरीज 19	—	—	13388562	0.72
10	रेणुकेश्वर इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेंस लि.	12814264	0.66	12814264	0.68
11	सरकारी पेंशन वैश्विक निधि	28529841	1.48	—	—
12	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी रिलायंस ग्रोथ फंड	21084563	1.09	—	—

कंपनी के शेयरों का व्यापार दैनिक आधार पर होता है, अतः शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/ह्रास सूचित नहीं किया गया है।

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता :

क्रम सं.	निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	डॉ. टी.के. चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	—	—	—	—
2	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)	3016	—	3016	—
3	श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)	—	—	—	—
4	श्री संजीव कुमार राय, निदेशक (परि. एवं तक.)	8675	—	8675	—
5	श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	—	—	—	—
6	श्री श्रीधर पात्र, निदेशक (वित्त)	—	—	—	—
7	श्री एन.के. महान्ति, कंपनी सचिव	3016	—	5000	—

(vi) ऋणग्रस्तता

बकाया / प्रोद्भूत ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता परंतु अदेय

	जमाराशियों को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमाराशियाँ	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) ब्याज देय मगर अदा नहीं किया गया iii) ब्याज प्रोद्भूत मगर देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त वर्ष के दौरान में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • जोड़ • घटाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) ब्याज देय परंतु अदेय iii) ब्याज प्रोद्भूत परंतु अदेय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

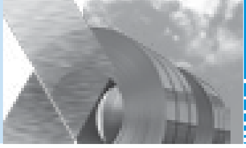

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक 7 पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम							कुल धनराशि
	नाम	डॉ. तपन कुमार चान्द	श्री के.सी. सामल (31.08.2018 तक)	श्री श्रीधर पात्र (01.09.2018 से प्रभावी)	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम	श्री बी.के. ठाकुर	श्री एस.के. राय	श्री पी.के. मिश्र (23.04.2018 से प्रभारी)	
	पदनाम	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	निदेशक (उत्पादन)	निदेशक (मानव संसाधन)	निदेशक (परि. व तक)	निदेशक (वाणिज्य)	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में संलग्न प्रावधानों के अनुसार वेतन	64,39,460	52,79,533	22,88,078	55,08,827	44,96,710	47,55,972	34,40,715	32,209,295
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	4,58,410	1,48,465	3,12,062	4,05,800	—	—	2,17,443	15,42,180
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	स्टॉक विकल्प	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	उद्यम इक्विटी	—	—	—	—	—	—		—
4.	कमीशन — लाभ के % के रूप में — अन्य, उल्लेख करें...	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल (क)	68,97,870	54,27,998	26,00,140	59,14,627	44,96,710	47,55,972	36,58,158	33,751,475
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा								

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम								कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक		श्री दीपंकर महन्त	श्री एस. शंकररमण	श्री पी.के. नायक	प्रो. डी. आचार्य	श्री महेश्वर साहु	श्रीमती किरण घई सिन्हा	श्री एन. एन. शर्मा	श्रीमती अचला सिन्हा
	• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	6,25,000	5,55,000	5,30,000	4,40,000	4,50,000	4,00,000	3,85,000	2,95,000	36,80,000
	• कमीशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल (1)	6,25,000	5,55,000	5,30,000	4,40,000	4,50,000	4,00,000	3,85,000	2,95,000	36,80,000
2.	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक									
	• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	• कमीशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग (ख) = (1 + 2)	6,25,000	5,55,000	5,30,000	4,40,000	4,50,000	4,00,000	3,85,000	2,95,000	36,80,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक									
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा									

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
			श्री एन.के. महान्ति		
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में संलग्न प्रावधानों के अनुसार वेतन	—	41,00,959	—	41,00,959
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	—	38,676	—	38,676
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	—	—	—	—
2.	स्टॉक विकल्प	—	—	—	—
3.	उद्यम इक्विटी	—	—	—	—
4.	कमीशन — लाभ के % के रूप में — अन्य, उल्लेख करें..	—	—	—	—
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	—	—	—	—
	कुल	—	41,39,635	—	41,39,635

VII. शास्ति/दंड/अपराध शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	आरोपित शास्ति/दंड/शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
क. कंपनी					
शास्ति					
दंड			**शून्य**		
शमन					
ख. निदेशकगण					
शास्ति					
दंड			**शून्य**		
शमन					
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
शास्ति					
दंड			**शून्य**		
शमन					

फॉर्म नं. एमआर-3
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)]

सेवा में

सदस्यगण

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली

भुवनेश्वर – 751013 (ओड़िशा)

हमने **मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड** (जिसे आगे "कम्पनी" कहा जाएगा) के प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में एवं अच्छे निगम अभ्यासों के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी जिससे हमें निगमित संचालन/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए और उस पर हमारे मत प्रकाश के लिए यथा उपयुक्त आधार प्राप्त हुआ।

कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म एवं दायर किए गए रिटर्न और कम्पनी द्वारा व्यवस्थित अन्य अभिलेखों और साथ ही सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मत में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी ने नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी के पास आगे उल्लिखित तरीके एवं रिपोर्ट के लिए उचित सीमा में यथोचित कार्यप्रक्रियाएँ एवं अनुपालन तंत्र हैः

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा व्यवस्थित बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म एवं दायर किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की हैः

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके तहत गठित नियमावलियाँ;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') एवं उसके तहत बने नियम;

(iii) न्यासी अधिनियम, 1996 एवं उसके तहत बने विनियम एवं उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा में उसके तहत बने नियम एवं विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित अनुबंध, विनियम एवं दिशानिर्देश निर्धारित किए गएः-

   क. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;

   ख. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त रूप में अधिग्रहण एवं अधीनीकरण) विनियम, 2011;

   ग. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेधन) विनियम, 2015;

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2018;
(समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
(समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)

च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियम, 2008;
समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)

छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीयन) विनियम, 2009;
(समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018,

(vii) अन्य कानून जैसा कम्पनी पर विशेष रूप से लागू हो:

क. खान अधिनियम, 1952;

ख. संशोधित अनुसार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957;

ग. विस्फोटक अधिनियम, 1984;

घ. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986;

ङ. वन संरक्षण अधिनियम, 1980;

च. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

छ. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

ज. भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923।

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ कम्पनी द्वारा निष्पादित समरूप सूचीयन अनुबंध।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के प्रावधानों का पालन किया है।

बोर्ड का गठन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों की सूची				
क्रम सं.	निदेशकों के नाम	धारित पद	नियुक्ति की तारीख	समाप्ति की तारीख
पूर्णकालिक निदेशकगण				
1.	डॉ. तपन कुमार चान्द	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	27.07.2015	—
2.	श्री कृष्ण चन्द्र सामल	निदेशक (वित्त)	03.01.2014	31.08.2018
3.	श्री वेंकटशन बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन)	01.01.2015	—
4.	श्री बसन्त कुमार ठाकुर	निदेशक (मा.सं.)	04.07.2016	—
5.	श्री संजीव कुमार राय	निदेशक (परि. एवं तक.)	03.02.2017	—
6.	श्री प्रदीप कुमार मिश्र	निदेशक (वाणिज्य)	23.04.2018	—
7.	श्री श्रीधर पात्र	निदेशक (वित्त)	01.09.2018	—

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों की सूची				
क्रम सं.	निदेशकों के नाम	धारित पद	नियुक्ति की तारीख	समाप्ति की तारीख
अंशकालिक सरकारी निदेशकगण				
1.	डॉ. के. राजेश्वर राव	निदेशक	19.02.2018	—
2.	श्री अनिल कुमार नायक	निदेशक	27.03.2018	—
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण				
1.	श्री दीपंकर महन्त	निदेशक	21.11.2018	—
2.	श्री एस. शंकररमण	निदेशक	21.11.2018	—
3.	श्री प्रभात केशरी नायक	निदेशक	21.11.2018	—
4.	प्रो. दामोदर आचार्य	निदेशक	21.11.2018	—
5.	श्री महेश्वर साहु	निदेशक	21.11.2018	—
6.	सुश्री किरण घई सिन्हा	निदेशक	03.02.2017	—
7.	श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा	निदेशक	06.09.2017	—
8.	सुश्री अचला सिन्हा	निदेशक	08.09.2017	—

वर्ष के प्रारंभ में, कंपनी के बोर्ड में पाँच (5) पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक), दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं आठ (8) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे।

31.08.2018 को श्री कृष्ण चन्द्र सामल, निदेशक (वित्त) सेवानिवर्त्तित हुए।

23.04.2018 से श्री प्रदीप कुमार मिश्र निदेशक (वाणिज्य) नियुक्त किए गए हैं।

श्री श्रीधर पात्र खान मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 2 जुलाई, 2018 की आदेश सं. 2(3)/2017- मेट-I के माध्यम से दिनांक 01.09.2018 निदेशक (वित्त) नियुक्त किए गए हैं।

श्री दीपंकर महन्त, श्री एस. शंकररमण, श्री प्रभात केशरी नायक, प्रो. दामोदर आचार्य, श्री महेश्वर साहु दिनांक 17.11.2015 की खान मंत्रालय पत्र सं. 2(1) 2014-मेट-I के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त किए गए थे, 20.11.2018 को अपना कार्यकाल समाप्त होने पर, वे नालको के बोर्ड में अपना कार्यकाल समाप्त होने की तिथि अर्थात 20.11.2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश न मिलने तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किए गए थे।

अतएव, 31 मार्च, 2019 को कंपनी में छह (6) पूर्णकालिक निदेशक, दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं आठ (8) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के प्रावधानों एवं निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में था।

बोर्ड की बैठक:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 9 (नौ) बैठकें अर्थात 306 वीं से 314 वीं का आयोजन क्रमशः 05.05.2018, 26.05.2018, 24.07.2018, 08.08,2018, 12.10.2018, 12.11.2018, 08.02.2019, 28.02.2019 एवं 01.03.2019 को किया गया था। उक्त बैठकों के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना की गई थी। कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ अग्रिम में भेजी गई थी एवं कंपनी के पास बैठकों में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पधीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

बोर्ड की बैठक में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं बैठक की कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकः

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII के साथ पठित धारा 149(8) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक (5वीं बैठक) का आयोजन 22.03.2019 को किया गया।

बोर्ड की सांविधिक समितियाँः

(i) **लेखा परीक्षा समितिः**

कंपनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैंः

- श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
- श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
- श्री संजीव कुमार राय, निदेशक (परि. एवं तक.)-सदस्य

निदेशक (वित्त) समिति के स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं।

वित्त वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की पांच (5) बैठकें अर्थात 114वीं से 118वीं बैठक 26.05.2018, 23.07.2018, 08.08.2018, 12.11.2018 एवं 08.02.2019 को आयोजित हुईं।

लेखा परीक्षा समिति बैठकों के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना दी गई थी।

कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ अग्रिम भेजी गई थी एवं कंपनी के पास बैठकों में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

समिति की बैठक में सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया एवं समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया गया।

(ii) **नामांकन एवं पारिश्रमिक समितिः**

कंपनी के निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

- श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (मानव संसाधन) बैठक के आमंत्रित व्यक्ति हैं।

वित्त वर्ष के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

(iii) **हितधारक संबंध समिति :**

कंपनी के निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैंः

- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
- श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- सुश्री अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)-सदस्य
- श्री पी. के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)-सदस्य

वित्त वर्ष के दौरान, हितधारक संबंध समिति की चार (4) बैठकें अर्थात 14वीं से 17वीं का आयोजन 26.05.2018, 08.08.2018, 12.11.2018 एवं 07.02.2019 को किया गया।

हितधारक संबंध समिति की बैठकों के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना दी गई थी।

कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ समिति के सभी सदस्यों को यथा अग्रिम भेजी गई थी एवं बैठकों में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

समिति की बैठकों में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं समिति की कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

(iv) नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति

कंपनी के निदेशक मंडल की नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
- श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)-सदस्य
- श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त)-सदस्य

श्री के. सी. सामल, निदेशक (वित्त) 31.08.2018 को सेवा निवर्त्तित हुए एवं श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त) 01.09.2018 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे।

वित्त वर्ष के दौरान, नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति की चार (4) बैठकें अर्थात 13वीं से 16वीं का आयोजन 04.05.2018, 23.07.2018, 12.11.2018 एवं 07.02.2019 को किया गया।

नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति बैठकों के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को दी गई थी।

कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ समिति के सभी सदस्यों के पास यथा अग्रिम भेजी गई थी एवं बैठकों में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

समिति की बैठकों में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं समिति की कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

(v) जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- प्रोफेसर दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
- श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
- श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
- श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)-सदस्य
- श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त)-सदस्य

श्री के. सी. सामल, निदेशक (वित्त) 31.08.2018 को सेवा निवर्त्तित हुए एवं श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त) 01.09.2018 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे।

वित्त वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की एक (1) बैठकें अर्थात 10वीं का आयोजन 23.07.2018 को किया गया।

जोखिम प्रबंधन समिति के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को भेजी गई थी।

कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ समिति के सभी सदस्यों को यथा अग्रिम भेजी गई थी एवं बैठक में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

समिति की बैठकों में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं समिति की कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

डीपीई दिशा निर्देशों के अंतर्गत गठित अन्य समितियाँ

(i) प्रौद्योगिकी समितिः

कंपनी की प्रौद्योगिकी समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. प्रोफेसर दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
4. श्री एस.के. राय, निदेशक (परि. एवं तक.)-सदस्य
5. श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)-सदस्य
6. श्री श्रीधर पात्र, निदेशक (वित्त)-सदस्य

श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त) 31.08.2018 को सेवा निवर्त्तित हुए एवं श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त) 01.09.2018 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रौद्योगिकी समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

(ii) मानव संसाधन (मा.स.) समिति

कंपनी की मानव संसाधन (मा.स.) समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
4. श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.)-सदस्य
5. श्री एस. के. राय, निदेशक (परि एवं तक.)-सदस्य
6. श्री श्रीधर पात्र, निदेशक (वित्त)-सदस्य

श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त) 31.08.2018 को सेवा निवर्त्तित हुए एवं श्री श्रीधर पात्र, निदेशक (वित्त) 01.09.2018 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए।

वित्त वर्ष के दौरान, मानव संसाधन (मा.सं.) समिति की तीन (3) बैठकें अर्थात 39वीं से 41वीं का आयोजन 04.05.2018, 12.11.2018 एवं 28.02.2019 को किया गया।

मानव संसाधन (मा.सं.) समिति बैठक के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को भेजी गई थी।

कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ समिति के सभी सदस्यों को यथा अग्रिम भेजी गई थी एवं बैठक में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

समिति की बैठकों में सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं समिति की कार्यवृत्त बही में दर्ज किए गए।

(iii) परियोजनाओं एवं नए उद्यमों को लिए निदेशकों की समिति (सीओडी)

कंपनी की परियोजनाओं एवं नए उद्यमों की समिति के लिए सीओडी में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

3. प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
5. श्री अनिल कुमार नायक, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, निदेशक - सदस्य
6. श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
7. श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.)-सदस्य
8. श्री एस. के. राय, निदेशक (परि एवं तक.)-सदस्य
9. श्री पी. के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)-सदस्य
10. श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त)-सदस्य

श्री के. सी. सामल, निदेशक (वित्त) 31.08.2018 को सेवा निवर्त्तित हुए एवं श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त) 01.09.2018 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए।

वित्त वर्ष के दौरान, परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशक की तीन (3) समिति बैठक अर्थात 18वीं, 19वीं एवं 20वीं का आयोजन 04.05.2018, 08.08.2018 एवं 08.02.2019 को किया गया।

परियोजना एवं नए उद्यमों के लिए निदेशक की समिति बैठकों के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों की दी गई थी।

कार्यसूची एवं कार्यसूची पर टिप्पणियाँ समिति के सभी सदस्यों को यथा अग्रिम भेजी गई थी एवं बैठक में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक जानकारी मांगने एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

समिति की बैठकों के सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं समिति की कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

(iv) <u>नैतिक एवं निगम अभिशासन समितिः</u>

कंपनी की नैतिक एवं निगम अभिशासन समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं:

1. श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. सुश्री किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. सुश्री अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
5. श्री बी. के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.)-सदस्य
6. श्री एस. के. राय, निदेशक (परि एवं तक.)-सदस्य
7. श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)-सदस्य

वित्त वर्ष के दौरान, नैतिक एवं निगम अभिशासन समिति की एक (1) बैठक अर्थात 10वीं का आयोजन 23.07.2018 को किया गया।

नैतिक एवं निगम अभिशासन की समिति बैठकों के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों की दी गई थी।

कार्यसूची एवं कार्यसूची पर टिप्पणियाँ समिति के सभी सदस्यों को यथा अग्रिम भेजी गई थी एवं बैठक में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक जानकारी मांगने एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

समिति की बैठकों के सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं समिति की कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

<u>रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंटः</u>

कंपनी ने अपनी शेयर रजिस्ट्री गतिविधियों के लिए आरटीए मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (पूर्व में मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड) को आउटसोर्स किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने तीन वर्षों की पूर्ववर्त्ती अवधि की समाप्ति के बाद 31.12.2019 तक एक वर्ष की सेवा प्रदान करने के लिए आरटीए के साथ अपने अनुबंध को नवीकृत किया है।

निवेशक शिकायतों का निवारणः

शेयर अंतरण, शेयरों के संचरण, अभौतिकीकरण, पुनःभौतिकीकरण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करने, लाभांश के भुगतान आदि से संबंधित सभी शिकायतों/अभियोगों पर ध्यान दिया गया एवं निर्धारित समय-सीमा में समाधान प्रस्तुत किए गए।

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, 429 शिकायतें अर्थात 424 निवेशक शिकायतें एवं 5 सेबी शिकायतें कंपनी को प्राप्त हुई एवं निर्धारित समय-सीमा में इनका निवारण किया गया।

सेबी परिपत्र दिनांक 20.04.2018 के अनुपालन में, कंपनी ने उन शेयरधारकों को दिनांक 15.06.2018, 20.08.2018 एवं 20.11.2018 को पैन एवं बैंक का विवरण देने के लिए 3 अनुस्मारक पत्र में थे, जिनका पैन एवं बैंक विवरण डेटाबेस में अध्यतन नहीं किया गया था।

इसके अलावा, सेबी अनुदेश के अनुपालन में शेयरधारकों को उनके भौतिक शेयरों को 01.04.2019 को या उससे पूर्व अभौतिकीकरण के लिए यथा संगत अंतराल पर 3 अदद पत्र भेजे गए थे।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नालको ने सं. उ. कंपनियों में अपने शेयरों को रखने के प्रयोजन से डिमैट रूप में प्रतिभूतियों में निवेश को ग्रहण करने हेतु कंपनी (प्रतिभूतियों का विवरणपत्र एवं आबंटन) तृतीय संशोधन नियम, 2018 के अनुपालन में एक डिमैट खाता खोला था।

लागू कानूनों का अनुपालनः

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन पर निगरानी रखने एवं सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार एवं कार्य-प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त पद्धति एवं प्रक्रिया की व्यवस्था है।

सांविधिक अभिलेखों का रखरखावः

कंपनी अधिनियम, 2013, डिपोजिटरी (न्यासी) अधिनियम, 1996 के विभिन्न प्राबधानों एवं इन पर बने नियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी सांविधिक रजिस्टर, अभिलेख एवं अन्य रजिस्टर कंपनी द्वारा इनमें दी गई सभी आवश्यक प्रविष्टियों के साथ समुचित प्रस्तुत एवं अनुरक्षित हैं। रिपोर्टाधीन अवधि की दौरान इन अधिनियमों के प्रावधान यथा अनुपालित किए गए थे।

सांविधिक रिटर्न (प्रतिफल) दायर करनाः

कंपनी के रजिस्ट्रार के पास निर्धारित समय-सीमा में अपेक्षित/निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ विभिन्न ई-फार्म एवं रिटर्न दायर करने के सिलसिले में अधिनियम के सभी प्रावधानों एवं अन्य विधियों का समुचित अनुपालन किया गया था।

विभिन्न विधियों/सूचीयन विनियमों/व्यवसाय नियमों के तहत सभी कागजात / सूचनाएँ नियमित रूप से निर्धारित नियत तिथियों में स्टॉक एक्सचेंज एवं डिपोजिटरी (एनएसडीएल एवं सीडीएसएल) के पास दर्ज किए गए थे।

शेयर की पुनःखरीद

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने 12 अक्तूबर, 2018 को आयोजित अपनी 310वीं बैठक में, अधिकतम ₹5,04,83,53,950 की कुल राशि पर विचार करने हेतु प्रत्येक को नकद में ₹75 प्रति इक्विटी शेयर पर देय ₹5 प्रत्येक के अंकित मूल्य के 6,73,11,386 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों तक की पुनःखरीद को अनुमोदित किया था (कंपनी की पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी में कुल इक्विटी शेयरों की सं. के 3.48% का सूचक)। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी पुनःखरीद विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल की अनुमोदन की तिथि से 56 दिनों के अंदर पुनःखरीद प्रक्रिया पूरी की गई थी।

वापस खरीदे गए शेयर 07.12.2018 को निर्वापण कर दिये गये थे। पुनःखरीद के बाद कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹966.46 करोड़ से ₹932.80 करोड़ पहुँच गई। पुनःखरीद के बाद भारत सरकार की शेयरधारिता कुल प्रकृत शेयर पूंजी के 56.59% से 56.77% पहूँच गई।

लाभांश का भुगतानः

शेयरधारकों ने 29.08.2018 को आयोजित 37वीं वार्षिक साधारण बैठक में वर्ष 2017-18 के लिए @20% अर्थात ₹5 प्रत्येक के अंकित मूल्य के ₹1 प्रति इक्विटी शेयर के लिए अंतिम लाभांश को अनुमोदित किया है एवं सांविधिक समयाविधि के अंदर सभी योग्य शेयरधारकों को उक्त लाभांश का भुगतान किया गया था।

इसके अलावा, 01.03.2019 को आयोजित निदेशक मंडल की 314वीं बैठक में निदेशक मंडल ने वर्ष 2018-19 के लिए @₹4.50 प्रति शेयर अर्थात कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 90% अंतरिम लाभांश के भुगतान की घोषणा की एवं सांविधिक समयाविधि के अंदर सभी योग्य शेयरधारकों को उक्त लाभांश का भुगतान किया गया था।

शेयरधारकों को लाभांश की घोषणा एवं भुगतान के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी विनियम के सभी प्रावधानों का अनुपालन कंपनी द्वारा किया गया था।

आईईपीएफ को अदत्त/दावाहीन लाभांश का अंतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सभी प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2010-11 के लिए दावाहीन अंतिम लाभांश से संबंधित ₹6,10,874 की राशि वर्ष के दौरान 21.11.2018 को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किया गया है।

आईईपीएफ को शेयरों का अंतरण

आईईपीएफ नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 124(6) के अनुसार, कंपनी द्वारा उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित करते की आवश्यकता पड़ेगी जिसके विषय में लाभांश का 7 (सात) लगातार वर्षों या अधिक समय के लिए भुगतान नहीं किया गया है, दावा नहीं किया गया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने व्यक्तिगत रूप से सूचना भेजते हुए एवं समाचार पत्रों में विज्ञापित कराते हुए शेयरधारकों को सूचित किया था जिन्होंने सात लगातार वर्षों या अधिक समय के लिए अपने लाभांश पर दावा नहीं किया था / नकदीकरण नहीं किया था। इसके बाद कंपनी ने 2010-11 के अंतिम लाभांश से सबंधित तदनुरुपी 45,999 अदद शेयर (184 मामले) आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरित किए गए थे।

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियाँ घटीं जिनका कंपनी के मामलों पर बृहद् प्रभाव पड़ा हैः

1) भारत के राष्ट्रपति ने आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा संचालित उसके विनिवेश कार्यक्रम के अंश के तौर पर 20 जून, 2018 से 22 जून, 2018 के दौरान कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 3.61% से संलग्न 6,98,88,827 संख्यक इक्विटी शेयरों का अंतरण भारत 22 ईटीएफ को किया। विनिवेश को उपरांत, सरकार की धारिता 60.20% से 56.59% आ गई है।

2) फिर से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत के राष्ट्रपति ने 21 फरवरी, 2019 को प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से 8,89,86,323 संख्यक इक्विटी शेयरों का अंतरण भारत 22 ईटीएफ को किया। अंतरण के उपरांत नालको में भारत सरकार की धारिता 56.77% से घटकर 51.998% हो गई है।

हम आगे यह सूचित करते हैं कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए कागजातों एवं स्पष्टीकरण के आधार पर पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रिया लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों पर निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी के विद्यमान आकार एवं प्रचालन के अनुरूप हैं।

कृते देव महापात्र एण्ड कं.
कंपनी सचिव

सीएस देवदत्त महापात्र, एफसीएस
साझेदार
सीपी नं. 4583, एफसीएस नं. 5474

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 13.05.2019

(इस रिपोर्ट को समदिनांकित हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है एवं इस रिपोर्ट का अभिन्न अंश माना जाएगा)

अनुलग्नक क

सेवा में
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर – 751013 (ओड़िशा)

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए :

1. सचिवीय रिकॉर्डो का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर मत प्रकाश करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने उन्हीं लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तुओं की सटीकता के बारे में सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। परीक्षण आधार पर जाँच की गई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रदर्शित हैं। हमें विश्वास है कि कम्पनी द्वारा अनुपालित पद्धतियाँ और कार्य-प्रक्रियाएँ हमारे मत के लिए यथोचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता की जाँच नहीं की है।
4. जहाँ भी अपेक्षित हो, हमने विधियों, नियमों, विनियमों और घटित घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का अभिवेदन प्राप्त किया है।
5. निगम के प्रावधानों एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, परीक्षण के आधार पर कार्य-प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कार्यकारिता या प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते देव महापात्र एण्ड कं.
कंपनी सचिव

सीएस देवदत्त महापात्र, एफसीएस
साझेदार
सीपी नं. 4583, एफसीएस नं. 5474

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 13.05.2019

सेवा में,
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड** (कंपनी) के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य विशद आय समेत), इक्विटी परिवर्तन का विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी समेत वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी (इसके बाद आगे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अपेक्षानुसार उक्त वित्तीय विवरण अपेक्षित जानकारी देते हैं एवं संशोधित अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की समरूपता में, 31 मार्च, 2019 की स्थिति को कंपनी के मामलों की यथा स्थिति एवं इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अन्य विशद आय सहित इसके लाभ, इसके नकद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

हमारी राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखापरीक्षण पर मानकों (एसए) के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में विस्तार से वर्णित है। भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ नीतिगत आवश्यकताओं जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है, के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं एवं हमने उन आवश्यकताओं एवं नैतिक संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तु

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएँ वो विषयवस्तुएँ हैं जो हमारे पेशेवर विचार में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रही थीं। इन विषयवस्तुओं का समग्र रूप में एवं इस पर हमारे राय व्यक्त करने में वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा की प्रासंगिकता में समाधान किया गया था एवं इन विषयवस्तुओं पर हम पृथक राय प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान वर्ष में लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ जो हमने चिह्नित की हैं, वो निम्नानुसार हैं :

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया था
1. अमूर्त संपत्तियों एवं चल रहे पूंजी कार्य समेत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का वहन मूल्य	
टिप्पणी 5 में प्रकट किए गए कुल ₹7109.37 करोड़ (2017-18 : ₹7019.38) के संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, चल रहे पूंजी कार्य (टिप्पणी 6) ₹843.91 करोड़ (2017-18 : ₹825.83 करोड़) एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 7) कुल ₹176.41 करोड़ (2017- 18 : ₹120.08 करोड़) वित्तीय स्थिति के विवरण में दर्ज किए गए महत्वपूर्ण शेष राशि को दर्शाते हैं। कंपनी ने टिप्पणी 3.4, 3.5 एवं 3.6 में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, पूंजी कार्य प्रगति में एवं अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का वर्णन किया है। इन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय के प्रत्याशित भावी नकद प्रवाह एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियों की उपयोगिता को समर्थन देनेवाले प्रमुख धारणाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ प्रबंधन का निर्णय संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि एवं उनके मूल्यह्रास स्वरूप को प्रभावित करता है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत; कंपनी की नीति में परिवर्तनों के प्रभाव समेत परिसंपत्ति के जीवन काल की समीक्षा; निर्माण के दौरान परिसंपत्तियों से अंतरण की समयसीमा पर निर्णय शामिल है।	हमने अवशिष्ट मूल्य एवं उपयोगी जीवनकाल के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाओं का मूल्यांकन किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये इंड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और इंड एएस 38 अमूर्त परिसंपत्तियों के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। हमने प्रबंधन के निर्णय को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवनकाल एवं अवशेष मूल्यों की तुलना के माध्यम से चुनौती देते हुए आकलन किया है कि क्या उपयोगी जीवनकाल एवं अवशेष मूल्य यथा संगत थे। हमने पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में प्रत्येक श्रेणी की परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल की तुलना की है ताकि यह निर्धारित कर सकें कि क्या परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन है एवं व्यवसाय और उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर परिवर्तनों की प्रासंगिकता पर विचार किया। हमने आकलन किया है कि क्या कमजोरी के सूचक व्यवसाय एवं उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर 31 मार्च, 2019 को मौजूद थे; हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की नियंत्रण व्यवस्था का परीक्षण किया, पूंजीकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों पर विवरण के परीक्षणों का निष्पादन किया एवं निर्माण के चरण में परिसंपत्तियों के अंतरण की समयसीमा एवं परिसंपत्तयों के जीवन काल के प्रयोग का आकलन किया। इन विषयगत प्रक्रियाओं के निष्पादन में, हमने पूंजीकृत मूल लागत की प्रकृति, मूल्यह्रास एवं परिशोधन की गणना में प्रयुक्त परिसंपत्ति के जीवनकाल की उपयुक्तता; एवं कमजोरी के प्रसंग में यदि ज़रूरत पड़े, तो त्वरित मूल्यह्रास/परिशोधन के लिए आवश्यकता के आकलन समेत प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों का अकलन किया है। हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के आकलन को प्रासंगिक पाया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया था
2. मालसूची का मूल्यांकन	
टिप्पणी 3.10 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति) एवं टिप्पणी 15 (मालसूची) में वर्णित अनुसार कंपनी कमतर लागत एवं शुद्ध वसूली मूल्य पर मालसूची का वहन करती है एवं 31 मार्च, 2019 के अनुसार ₹1210.01 करोड़ (2017-18 : ₹1194.08 करोड़) की मालसूची है। कंपनी अवधि के आधार पर अप्रचलन के लिए प्रावधान करती है जिसके लिए मद अचल के रूप में रहता है। यह कार्यविधि मालसूची अवशेषों पर लागू उपयुक्त प्रावधानीकरण के निर्धारण में की गई धारणाओं पर निर्भर है।	मालसूची के मूल्यांकन के संबंध में हमें एक विस्तृत सहमति प्राप्त हुई है एवं कंपनी द्वारा स्थापित नियंत्रणों की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। एक एकक से दूसरे एकक में कच्चे सामान के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु तैयार उत्पाद के अंतरण पर प्रबंधन के नियंत्रण की उपयुक्तता पर हमने आश्वासन प्राप्त किया है एवं उत्पादन प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने के लिए मानक स्तर की तुलना में वर्ष के अंत में प्रक्रियाधीन स्टॉक के वास्तविक स्तर का आकलन किया है एवं अस्वाभाविक मालसूची प्रयोग से जुड़े कार्यकलापों को चिह्नित करने के लिए आंकड़ा विश्लेषक का उपयोग किया है। हमने अत्यंत गहराई से कंपनी की मालसूची प्रावधानी नीति का आकलन किया है जिसमें अति पुरानी मालसूची एवं उनकी संचलन स्थिति पर विशेष विचार किया है। हमने मालसूची मदों के एक नमूने की जाँच की है कि क्या वे निम्नतर लागत एवं शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर हैं। हम प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनुसार मालसूची के मूल्य पर सहमति देते हैं।
3. कर्मचारी के परिभाषित लाभ देयताओं एवं अन्य दीर्घमियादी लाभों का मूल्यांकन	
कंपनी ने दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ देयता के लिए ₹380.20 करोड़ (2017-18 : ₹304.76 करोड़) एवं परिभाषित लाभ दायित्वों (निधिबद्ध उपदान दायित्व के तहत योजना परिसंपत्ति का शुद्ध मूल्य) के लिए ₹225.13 करोड़ (2017-18 : ₹424.19 करोड़) को स्वीकृति दी है एवं टिप्पणी 3.16 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति) एवं टिप्पणी 22 एवं 31 (दीर्घमियादी एवं नियुक्ति उपरांत लाभों) में वर्णित किया है। कर्मचारी लाभ देयता का मूल्यांकन बाजार की स्थितियों एवं की गई धारणाओं पर निर्भर है। प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख धारणाओं से संबंधित है: छूट दर, मुद्रा स्फीति प्रत्याशाओं एवं अपेक्षित जीवन की धारणाओं। इन धारणाओं का व्यवस्थापन जटिल है एवं तृतीय पक्ष के बीमांकिक सहयोग से महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है।	मूल्यांकन के परीक्षण में, वित्तीय एवं जनसांख्यिकीय दोनों में प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक धारणाओं की समीक्षा के लिए हमने वाह्य बीमांकिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट की जाँच की है एवं इन धारणाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कार्यविधियों को विवेचित किया, इसके अलावा, परिभाषित लाभ देयताओं के मूल्याकन में प्रमुख धारणाओं पर अतिसंवेदनशील विश्लेषण की जाँच की है। हम संतुष्ट हैं कि देयताओं के निर्धारण के संबंध में इस्तेमाल की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।
4. आकस्मिक देयताओं के संबंध में निश्चयन, प्रकटन एवं प्रावधानीकरण	
टिप्पणी 4.2.5 (महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय एवं अनिश्चितता आकलन के प्रमुख स्रोत) में वर्णित अनुसार, कंपनी ने टिप्पणी 25 में ₹2771.59 करोड़ (2017-18 : ₹2552.08 करोड़) की आकस्मिक देयता प्रकट की है। कंपनी के पास कुल ₹1814.14 करोड़ (2017-18 : ₹1526.41 करोड़) की मांग से संलग्न विवाद के अधीन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों में अनिश्चित कर विषयवस्तु से संबंधित सामग्री है, जिसके लिए इन विवादों के संभावी परिणाम के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यता है। इसके अलावा, कंपनी के पास ₹957.45 करोड़ (2017-18 : ₹1025.67 करोड़) की कुल मांग से संश्लिष्ट राज्य सरकार द्वारा एवं ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गठित ओड़िशा सरकार या अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न दावों के संबंध में अन्य चालू कानूनी विषयवस्तुएँ हैं जिसके लिए संभावित परिणाम निर्धारित करने हेतु प्रबंधन निर्णय के उपयोग की जरूरत पड़ती है।	हमने इंड एएस 37 *प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों* के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटन एवं प्रावधान करने के संबंध में एक विस्तृत सहमति प्राप्त की है एवं कंपनी द्वारा स्थापित नियंत्रणों की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर आकस्मिक देयताओं के विषय में, हमने निम्नलिखित सिद्धांत एवं लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन किया है: — कर मुकदमे एवं लम्बित प्रशासनिक कार्यवाहियों को चिह्नित करने के लिए कार्य-प्रक्रियाओं का आकलन एवं प्रासंगिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया गया। — समरूप मामलों में कानूनी अग्रता एवं अन्य नियमों पर विचार करते हुए कंपनी के कर विभाग द्वारा निष्पादित संभावी कर जोखिमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त धारणाओं का आकलन। — सबसे महत्वपूर्ण विवादों की वस्तुस्थिति के विषय में प्रबंधन के साथ चर्चा एवं प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखीकरण की जाँच। — कर विशेषज्ञों से प्राप्त राय का विश्लेषण, जहाँ उपलब्ध हो। — वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकटनों की पर्याप्तता की समीक्षा।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया था
	अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में कंपनी की संभावी अरक्षितता के आकलन में, हमने: — ज्ञात अरक्षितता की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों के स्वरूप एवं कार्यान्वयन का आकलन किया; — कंपनी की विवेचना के अधीन क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए बोर्ड एवं बैठक के अन्य कार्यवृत्त का संदर्भ लिया; — कंपनी को प्रभावित करनेवाली चालू एवं संभावी कानूनी विषयवस्तुओं को समझने में कंपनी के अंदरूनी कानूनी लेखापरीक्षकों से सलाह ली गई; — विशेषज्ञों से उपलब्ध कानूनी परामर्शों की समीक्षा; और — वास्तविक और संभावी कानूनी देयताओं के प्रस्तावित लेखांकन एवं प्रकटन की समीक्षा। हम सहमति देते हैं कि चालू कानूनी विषयवस्तुओं के संबंध में लेखांकन एवं प्रकटन उपयुक्त हैं।
5. परिसंपत्ति के रूप में सतत मुकदमे के अधीन कर विषयवस्तुओं के संबंध में अग्रिम एवं जमा	
31 मार्च, 2019 की स्थिति को, अन्य परिसंपत्तियों (टिप्पणी 14) में शामिल है ₹597.61 करोड़ (2017-18 : ₹581.95 करोड़) राशि के लिए जीएसटी, वीएटी एवं सेनवेट उधार समेत प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर जमा (प्रावधान का शुद्ध) के वसूलीयोग्य दावे जो लम्बित समायोजन/अधिनिर्णय में है। इन अरक्षितता एवं उनके लेखांकन और प्रकटन आवश्यकताओं की प्रकृति के आकलन में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता पड़ती है।	हमारी लेखा परीक्षा की कार्यविधि में हमें प्रबंधन से पूरे किए गए कर आकलनों एवं मांग तथा अपीलेट अधिकारी के अपील आदेश का विवरण प्राप्त करना था। हमने कर देयता एवं विवादों के संभावी परिणाम के आकलन में प्रबंधन की अंतर्निहीत धारणाओं को चुनौती देने के लिए हमारे आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया था। हमारे आंतरिक विशेषज्ञों ने भी इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की परिस्थिति के मूल्यांकन में कानूनी प्रधानता एवं अन्य नियमावलियों पर विचार किया। इसके अलावा, हमने वसूली योग्य राशि, संधारणीयता एवं अंतिम समाधान पर संभाव्य वसूली क्षमता की प्रकृति की समीक्षा करने हेतु जहाँ भी उपलब्ध हैं, कानूनी एवं कर विशेषज्ञों की राय पर विचार किया है। वसूली योग्य के रूप में विवेचित दावा राशि में प्रबंधन के निर्धारण के साथ हम सहमति रखते हैं।
6. आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन	
कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को टिप्पणी 23 में ₹1130.67 करोड़ (2017-18 : ₹1151.45 करोड़) की आस्थगित कर देयता (आस्थगित कर परिसंपत्ति का शुद्ध) प्रकट किया है। कंपनी बहु आयकर प्रावधानों के प्रयोग से सन्निहित गतिविधियों का संचालन करती है। समयांतर के फलस्वरूप उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता के मूल्यांकन का आकलन एवं अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रावधान हमारी लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गणना जटिल प्रकृति की है एवं संवेदी और निर्णयात्मक धारणाओं पर निर्भर है। इनमें, अन्य के साथ दीर्घमियादी भावी लाभकारिता एवं स्थानीय वित्तीय विनियमों एवं विकास शामिल हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में अन्य के साथ शामिल है आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की संपूर्णता एवं सटीकता का निर्धारण करना एवं अनिश्चित कर स्थितियों को स्वीकृति देना। हमने कंपनी द्वारा चिह्नित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली क्षमता एवं आस्थगित कर देयताओं के संबंध में भावी नकद प्रवाहों की संभाव्यता पर प्रबंधन के आकलन को चुनौती दी एवं जाँच-पड़ताल की। हमने सांविधिक आयकर दर में परिवर्तनों के संबंध में एवं सीमाबद्धता विधान सं संबंधित लागू स्थानीय वित्तीय विनियमों एवं विकासों का भी आकलन किया है क्योंकि ये आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के अंतर्निहीत मूल्यांकन की प्रमुख धारणाएँ है। हमने कर स्थितियों का विश्लेषण किया एवं कंपनी द्वारा प्रयुक्त धारणाओं एवं कार्यविधियों का मूल्यांकन किया। इसके अलावा, हमने प्रयुक्त आस्थगित परिसंपत्तियों/देयताओं पर इंड एएस 12 आयकर के अनुसार कंपनी के प्रकटन की पर्याप्तता पर भी ध्यान केन्द्रित किया। हम संतुष्ट हैं कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं के संबंध में प्रयोग की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।

अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में शामिल है नि.सा.उ. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट समेत निदेशक रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय पर रिपोर्ट, इस पर संलग्न निगम अभिशासन पर रिपोर्ट में निहीत सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अन्य सूचना, परंतु इसमें वित्तीय विवरण एवं इस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत ये रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय अन्य सूचना को शामिल नहीं करती है एवं इस पर निष्कर्ष के तौर किसी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करेगी।

वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के सिलसिले में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर चिह्नित अन्य सूचना का पठन करना है, जब यह हमें उपलब्ध करायी जाती है एवं ऐसा करते हुए हम विचार करते हैं कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी में भौतिक रूप से असंगत है या फिर भौतिक रूप से गलत बयानबाजी प्रकट करते हैं।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, तब यदि हमें पता चलता है कि इसमें भौतिक गलत बयानबाजी है, तब इस अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को इस विषयवस्तु की सूचना हमें प्रदान करनी पड़ती है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों (इंड एएस) समेत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन (इक्विटी में परिवर्तन) एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का व्यवस्थापन भी शामिल है जो कंपनी कि संपत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, उपयुक्त कार्यान्वयन के चयन एवं प्रयोग, लेखांकन नीतियों के अनुरक्षण; तर्क एवं आकलन देने, जो यथासंगत एवं विवेकपूर्ण हैं; एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे, वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं एवं भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने में कंपनी की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का लागू अनुसार प्रकट करने एवं लेखांकन की चालू संस्था आधार पर इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार है, बशर्ते कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करना चाहता है या कार्य-परिचालनों को रोकना चाहता है या ऐसा करने के अलावा यथार्थ रूप से कोई और विकल्प नहीं है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है युक्ति संगत आश्वासन प्राप्त करना कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से गलत बयानबाजी से मुक्त हैं चाहे वो जालसाजी या त्रुटि के कारण हो एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। युक्तिसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु इसकी सुनिश्चितता नहीं है कि एसए के अनुसार संचालित एक लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी भौतिक गलत बयानबाजी, जब यह विद्यमान हो, का पता लगा पाएगी। गलत बयानबाजी किसी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है एवं तभी महत्वपूर्ण माना जाता है, जब व्यक्तिगत या समेकित रूप में, उनसे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की युक्तिसंगत अपेक्षा रहती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के अंश के तौर पर, हम पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं पेशेवर संशयवाद का पालन करते हैं। हमारे कार्य में ये भी शामिल हैं:

- वित्तीय विवरणियों की गलत बयानबाजी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करना, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना एवं निष्पादन करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। किसी जालसाजी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी गलत बयानबाजी का पता न चल पाने का जोखिम, किसी चूक से उत्पन्न जोखिम से अधिक होता है क्योंकि जालसाजी में साँठ-गाँठ, धोखाधड़ी, जानबूझकर विलोपन, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल रह सकते हैं।
- लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रिया को तैयार करने हेतु लेखापरीक्षा के संगत में आंतरिक नियंत्रण के तात्पर्य को प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(झ) के अंतर्गत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है एवं ये नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन आकलनों के औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- चालू संस्था में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना एवं प्राप्त लेखा साक्ष्य के आधार पर देखना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जो कंपनी के चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम किसी भौतिक अनिश्चितता की उपस्थिति का निष्कर्ष देते हैं, तो वित्तीय विवरणियों में संबंधित प्रकटीकरण की हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इस पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता पड़ती है या इस प्रकार का प्रकटीकरण अपर्याप्त रहने पर, हमारी राय में हम परिवर्तन लाते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी को एक चालू संस्था के रूप जारी रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण समेत वित्तीय विवरणियों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करना एवं क्या वित्तीय विवरण इस रूप में अंतर्निहित लेनदेन की घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं जिनसे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्राप्त होता है।

हम अभिशासन से प्रभारित जनों को अन्य विषयवस्तुओं के साथ-साथ लेखापरीक्षा के सुनियोजित क्षेत्र एवं समयसूची और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा चिह्नित अन्य महत्वपूर्ण कमियों की सूचना देते हैं।

हम अभिशासन से प्रभारित जनों को एक विवरण के साथ यह भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के विषय में संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया हैं एवं हमारी स्वतंत्रता एवं जहाँ प्रयोज्य हो, संबंधित हिफाजत पर यथा संगत विचार किए जानेवाले सभी संबंधों एवं अन्य विषयवस्तुओं की सूचना देते हैं।

अभिशासन से प्रभारित जन को सूचित की गई विषयवस्तुओं में हम उन विषयवस्तुओं का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे एवं इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएं हैं। हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयवस्तुओं का वर्णन करते हैं, बशर्ते कि विषयवस्तु के सार्वजनिक प्रकाशन से कानून या विनियम द्वारा रोका न गया है या जब अति दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी विशिष्ट विषयवस्तु को सूचित नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके प्रतिकूल परिणाम से ऐसी सूचना के सार्वजनिक हित लाभों पर प्रभाव पड़ने की यथासंगत अपेक्षा रहती है।

अन्य कानूनी एवं नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षानुसार, लागू सीमा के तहत आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "क" में एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के अनुदेशों के अनुपालन में, हम वहाँ विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" में एक विवरण देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

   क. हमने वो सभी जानकारी और व्याख्या मांगी है एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

   ख. हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, कानून के अपेक्षानुसार कंपनी द्वारा यथोचित लेखा-बहियों का रखरखाव किया गया है।

   ग. इस रिपोर्ट से सम्बंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के सुसंगत हैं।

   घ. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

   ङ. निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

   च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के सूचनार्थ अनुलग्नक "ग" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

   छ. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिकः

      i. कंपनी के पास लंबित मुकदमे हैं जिसके संबंध में देयताएँ या तो प्रदान किए गए हैं या आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किए गए हैं - वित्तीय विवरण की टिप्पणी 25 का संदर्भ लें। कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इनके लंबित मुकदमे का प्रभाव उनके न्यायिक परिणाम के अधीन है।

      ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं समेत कोई दीर्घमियादी संविदाएँ नहीं हैं, जिसके लिए पहले से ही भौतिक पूर्वाभासी क्षतियाँ थी।

      iii. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा कोई राशि अंतरित किए जाने में कोई देर नहीं हुईः है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए डॉ. बी.एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं. 057820

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2019

अनुलग्नक - क

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट" के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 1 के संदर्भ में)

i) (क) अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक विवरण एवं अचल परिसंपत्तियों की स्थिति समेत कंपनी संपूर्ण विवरण दर्शाने वाले समुचित रिकॉर्डों का रखरखाव कर रही है;

(ख) प्रबंधन द्वारा हर वर्ष कम्पनी की सभी चल परिसंपत्तियों की भौतिक रूप से जाँच की जाती है। हमारी राय में सत्यापन की संख्या सुसंगत है। वर्ष के दौरान संचालित ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिक या महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी गई थीं;

प्रबंधन द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया जाता है, जो कि हमारी राय में, कंपनी के आकार एवं परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुसार यथोचित हैं।

बहियों में दर्ज रिकॉर्ड एवं भौतिक परिसंपत्तियों के बीच कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं पायी गई हैं;

(ग) हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार एवं कम्पनी के रिकॉर्डों की हमारी जाँच के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों का अधिकार पत्र कंपनी के नाम में है। कम्पनी द्वारा धारित 8047.05 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्ववाली भूमि एवं 10558.29 एकड़ की पट्टाधारी भूमि में से, क्रमशः 64.78 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्ववाली एवं 1624.18 एकड़ की पट्टे वाली भूमि के विषय में अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया है। तथापि, संबंधित प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी को उक्त भूमि पर अपने कार्य-प्रचालन के लिए अनुमति दी गई है। कोलकाता में 6459 वर्गफीट के लिए कार्यालय स्थल के विषय में पंजीकरण औपचारिकताएँ भी पूरी नहीं हुई हैं।

ii) विस्तार परियोजना से संबंधित स्टॉक, तीसरे पक्ष के पास पड़े हुए स्टॉक एवं मार्गस्थ स्टॉक के सिवाय सभी मालसूचियों का इस प्रयोजन हेतु वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा नियुक्त सनदी लेखापाल के फर्मों द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। सत्यापन की संख्या सुसंगत है। भौतिक स्टॉक एवं बही रिकॉर्ड के बीच भौतिक सत्यापन पर पायी गई विसंगतियों में कमी को लेखा बहियों में यथोचित निपटाया गया है जबकि अधिशेष पर ध्यान नहीं दिया गया है;

iii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को कंपनी ने कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iii)(क), (ख) एवं (ग) लागू नहीं है;

iv) निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों को ऋण के विषय में अधिनियम की धारा 185 कंपनी पर लागू नहीं है। हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने दिए गए ऋण एवं निवेश के विषय में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है;

v) कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

vi) विनिर्माणी कार्यकलापों के विषय में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी द्वारा रखी गई बहियों एवं रिकॉर्ड की हमने विस्तृत समीक्षा की है एवं राय व्यक्त करते हैं कि प्रत्यक्षतः निर्धारित लेखा एवं रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं एवं रखे गए हैं। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है कि क्या ये सटीक एवं संपूर्ण हैं।

vii) (क) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, हमारी राय में कम्पनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर, विद्युत शुल्क एवं अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकारियों के पास आमतौर पर जमा करती है एवं 31 मार्च, 2019 को देय तिथि से छह महीनों से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्या के अनुसार, निम्नलिखित सांविधिक देयताओं को विवादित होने के कारण कम्पनी द्वारा जमा नहीं किया गया है:

संविधि का नाम	देयता की प्रकृति	विवादित राशि (₹ करोड़ में)	जमा की गई राशि (₹ करोड़ में)	फोरम जहाँ विवादित विषयवस्तु लम्बित है
ओड़िशा बिक्री कर अधिनियम, 1947, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1957 एवं ओड़िशा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004	ओएसटी/सीएसटी एवं वीएटी	121.61	24.00	आयुक्त
		173.10	54.99	अधिकरण
		81.81	3.86	उच्च न्यायालय
		376.52	**82.85**	
ओड़िशा प्रवेश कर अधिनियम, 1999	प्रवेश कर	21.23	5.57	आयुक्त
		154.93	58.88	अधिकरण
		45.65	5.16	उच्च न्यायालय
		221.81	**69.61**	

संविधि का नाम	देयता की प्रकृति	विवादित राशि (₹ करोड़ में)	जमा की गई राशि (₹ करोड़ में)	फोरम जहाँ विवादित विषयवस्तु लम्बित है
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	9.61	0.41	आयुक्त
		11.14	0.86	अधिकरण
		397.58	0.10	उच्च न्यायालय
		418.33	**1.37**	
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	15.56	2.84	आयुक्त
		6.36	0.25	अधिकरण
		21.92	**3.09**	
सीमा कर अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	0.09	0.05	आयुक्त
		1.34	0.24	अधिकरण
		101.33	1.66	उच्च न्यायालय
		102.76	**1.95**	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	50.56	—	आयुक्त
		671.11	538.98	अधिकरण
		39.95	58.16	उच्च न्यायालय
		761.62	**597.14**	
इंडियन स्टाम्प (ओड़िशा संशोधन) अधिनियम, 2013	स्टाम्प शुल्क	191.72	—	उच्च न्यायालय
मोटर वाहन अधिनियम, 1988	सड़क कर	2.65	—	आयुक्त
		2.65	—	
	कुल:	**2097.33**	**756.01**	

viii) बैंकों के साथ बिल छूट करार के अलावा, कंपनी का किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या ऋणपत्रधारकों से कोई ऋण या उधार बकाया नहीं है। कम्पनी ने बिल छूट सुविधा के तहत प्राप्त ऋणों का पुनर्भुगतान बकाया नहीं रखा है।

ix) कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक जन प्रस्ताव या आगे जन प्रस्ताव (ऋणपत्रों समेत) कोई राशि एवं मियादी ऋण नहीं लिया है।

x) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के प्रति धोखाधड़ी नहीं की गई है या रिपोर्ट की गई है।

xi) निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से प्रबंधकीय पारिश्रमिक के विषय में अधिनियम की धारा 197 कम्पनी पर लागू नहीं है।

xii) हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार, कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है।

xiii) हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार एवं कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, संबंधित पक्ष के लेनदेन जहाँ भी प्रयोज्य है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं एवं प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अपेक्षानुसार ऐसे लेनदेनों का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्रों (डिबेंचर) का अधिमान्य आबंटन या गैर-सरकारी व्यवस्थापन नहीं किया है।

xv) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी ने किसी निदेशक या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

xvi) कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए डॉ. बी.एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

कृते पाल एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं. 057820

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2019

अनुलग्नक "ख"

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट" के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 के संदर्भ में)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत निर्देशों पर रिपोर्ट

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और कंपनी के बहियों एवं रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. आईटी प्रणाली के जरिए सभी लेखांकन लेनदेनों की प्रक्रिया हेतु कंपनी के पास एसएपी प्रणाली की व्यवस्था है। चूंकि आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिए आईटी प्रणाली के बाहर प्रक्रिया किए गए लेखांकन लेनदेनों के वित्तीय प्रभाव एवं लेखों की सत्यनिष्ठा पर मंतव्य करने का सवाल नहीं उठता है।
2. कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है एवं इसलिए उधारदाता द्वारा ऋण की पुनर्संरचना का सवाल नहीं उठता है।
3. वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी भी योजना के लिए केन्द्र/राज्य एजेंसियों से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए निधि की प्राप्ति का लेखांकन एवं इस पर इसकी उपयोगिता नियम और शर्तों के अनुसार सवाल नहीं उठता है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए डॉ. बी.एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

कृते पाल एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं. 057820

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2019

अनुलग्नक "ग"

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड(i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 की स्थिति को नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के तहत आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना एवं बनाए रखना जो कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारण योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी ("अनुदेश टिप्पणी") एवं लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर प्रयोज्य है एवं दोनों ही भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के सम्बन्ध में है जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती हैं, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित हैं एवं कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वसान प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण करने वाले मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणओं के किसी मूल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, कम्पनी के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त, आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2019 को यथा, प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.	**कृते पाल एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल	सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई	एफआरएन: 310100ई
(सीए डॉ. बी.एस कुण्डु)	**(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)**
साझेदार	**साझेदार**
सदस्यता सं. 051221	सदस्यता सं. 057820

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकगण अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 30 मई, 2019 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्त किया हुआ बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, मैंने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कर्मचारियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं प्राप्त हुआ है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा
लेखापरीक्षक और उनकी ओर से

(सुपर्ण देव)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड – I
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26 जून, 2019

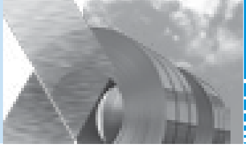

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
परिसंपत्तियाँ			
(1) **गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5	7,109.37	7,019.38
(ख) पूँजी कार्य प्रगति में	6	843.91	825.83
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	176.41	120.08
(घ) विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	38.80	89.39
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	175.78	117.61
(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	—	—
(iii) ऋण	11	74.74	74.96
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	10.37	13.14
(च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	14	1,116.88	843.93
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		**9,546.26**	**9,104.32**
(2) **चालू परिसंपत्तियाँ**			
(क) मालसूची	15	1,210.01	1,194.08
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	80.81	592.96
(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	240.52	258.13
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	16	171.60	25.35
(iv) ऊपर (iii) के अलावा बैंक शेष	16	3,324.75	2,743.60
(v) ऋण	11	25.75	29.29
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	1.23	152.55
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	51.26	33.66
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	494.77	479.86
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**5,600.70**	**5,509.48**
कुल परिसंपत्तियाँ		**15,146.96**	**14,613.80**
इक्विटी एवं देनदारियाँ			
(1) **इक्विटी**			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	17	932.81	966.46
(ख) अन्य इक्विटी	18	9,551.70	9,538.35
कुल इक्विटी		**10,484.51**	**10,504.81**
देनदारियाँ			
(2) **गैर-चालू देनदारियाँ**			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) व्यापारिक देय			
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देय	20	—	—
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	20	21.14	15.63
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	6.70	2.85
(ख) प्रावधान	22	530.93	436.09
(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	23	1,130.67	1,151.45
(घ) अन्य गैर-चालू देनदारियाँ	24	67.89	62.04
कुल गैर-चालू देनदारियाँ		**1,757.33**	**1,668.06**
(3) **चालू देनदारियाँ**			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधारी	19	66.79	44.99
(ii) व्यापारिक देय			
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देय	20	2.22	4.53
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	20	1,283.55	957.21
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	410.86	512.87
(ख) अन्य चालू देनदारियाँ	24	976.19	545.45
(ग) प्रावधान	22	165.51	375.88
कुल चालू देनदारियाँ		**2,905.12**	**2,440.93**
कुल देनदारियाँ		**4,662.45**	**4,108.99**
कुल इक्विटी एवं देनदारियाँ		**15,146.96**	**14,613.80**

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-40) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(श्रीधर पात्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डॉ. टी.के. चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई
(सीए डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार (एम.न.:051221)

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई
(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम.नं.:057820)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

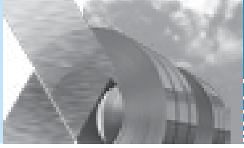

लाभ और हानि का विवरण
31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए

राशि ₹ करोड़ में

		टिप्पणियाँ	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालन से राजस्व	27	11,499.32	9,618.31
II	अन्य आय	28	325.87	299.65
III	कुल आय (I + II)		11,825.19	**9,917.96**
IV	व्यय			
	(क) खपत हुए कच्चे माल की लागत	29	1,919.68	1,465.31
	(ख) खपत हुए विद्युत एवं ईंधन की लागत	29	2,927.12	2,747.92
	(ग) तैयार माल के मालसूची एवं चालू कार्य में परिवर्तन	30	(5.08)	47.43
	(घ) कर्मचारी परिलाभ व्यय	31	2,072.28	2,261.20
	(ङ) वित्त लागत	32	2.38	1.95
	(च) मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	5 & 7	476.10	480.40
	(छ) उत्पाद शुल्क		—	108.86
	(ज) अन्य व्यय	33	1,692.79	1,590.14
	कुल व्यय (IV)		9,085.27	**8,703.21**
V	विशिष्ट मदों एवं कर-पूर्व लाभ /(हानि) (III - IV)		2,739.92	**1,214.75**
VI	विशिष्ट मद	34	—	**(824.08)**
VII	कर के पूर्व लाभ /(हानि) (V - VI)		2,739.92	**2,038.83**
VIII	कर व्यय			
	(1) चालू कर	35	1,024.65	793.18
	(i) चालू कर		998.36	521.99
	(ii) पिछले वर्ष सं संबंधित चालू कर		26.29	271.19
	(2) आस्थगित कर	35	(17.13)	(96.76)
IX	इस अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII - VIII)		1,732.40	**1,342.41**
X	अन्य विशद आय			
	(i) लाभ या हानि को पुनवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मद			
	- परिभाषित परिलाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ /(हानि)		0.06	52.66
	(ii) लाभ या हानि को पुनर्वगीकृत नहीं किए जाने वाले मदों से संबंधित आयकर	35	0.21	2.63
	इस अवधि के लिए अन्य विशद आय (करों का शुद्ध) (X)		(0.15)	**50.03**
XI	इस अवधि के लिए कुल विशद आय (IX+X) (लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य विशद आय को समाविष्ट करके)		1,732.25	**1,392.44**
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय			
	(1) मूल (₹ में)	37	9.06	6.94
	(2) मंदित (₹ में)	37	9.06	6.94

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-40) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(श्रीधर पात्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डॉ. टी.के. चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई
(सीए डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार (एम.न.:051221)

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई
(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम.नं.:057820)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

राशि ₹ करोड़ में

क. इक्विटी शेयर पूँजी

31.03.2017 को यथा शेष	966.46
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	—
31.03.2018 को यथा शेष	966.46
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद	(33.65)
31.03.2019 को यथा शेष	932.81

ख. अन्य इक्विटी

राशि ₹ करोड़ में

	आरक्षित एवं अधिशेष			
अन्य इक्विटी	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
31.03.2017 को यथा शेष	322.16	8,620.41	296.76	9,239.33
वर्ष के लिए लाभ	—	—	1,342.41	1,342.41
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	50.03	50.03
वर्ष के लिए कुल विशय आय	—	—	1,392.44	1,392.44
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(908.48)	(908.48)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(184.94)	(184.94)
31.03.2018 को यथा शेष	322.16	8,620.41	595.78	9,538.35
वर्ष के लिए लाभ	—	—	1,732.40	1,732.40
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(0.15)	(0.15)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	1,732.25	1,732.25
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर प्रीमियम		(471.18)	—	(471.18)
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर व्यय (कर लाभ का शुद्ध)		(2.60)	—	(2.60)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	33.65	(33.65)	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(193.29)	(193.29)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर			(39.73)	(39.73)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(839.53)	(839.53)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(172.57)	(172.57)
31.03.2019 को यथा शेष	355.81	8,112.98	1,082.91	9,551.70

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(श्रीधर पात्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डॉ. टी.के. चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार (एम.न.:051221)

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम.नं.:057820)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

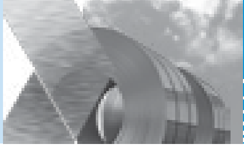

नकदी प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि ₹ करोड़ में

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	अवधि के लिए लाभ	1,732.40	1,342.41
	निम्न के लिए समायोजन:		
	लाभ या हानि में मान्य आय कर व्यय	1,007.52	696.42
	लाभ या हानि में स्वीकृत वित्तीय लागत	2.38	1.95
	लाभ या हानि में स्वीकृत ब्याज आय	(237.14)	(184.79)
	लाभ या हानि में स्वीकृत लाभांश आय	(30.61)	(33.65)
	गैर-चालू निवेशों की बिक्री से शुद्ध (लाभ)/हानि	—	(13.91)
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	7.50	(0.44)
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अधिदेशात्मक रूप से मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर उपजे शुद्ध (लाभ) / हानि	2.16	(2.96)
	अन्य परिसंपत्तियों पर स्वीकृत क्षति की हानि	(3.51)	13.43
	स्टोर्स, स्पेयर्स का मालभंडार बट्टे खाते डाला गया	12.52	15.98
	गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और ऋण-परिशोधन	476.10	480.40
	पट्टा प्रीमियम का परिशोधन	75.52	1.87
	शुद्ध विदेशी मुद्रा (लाभ/हानि)	(8.62)	2.55
	कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**3,036.22**	**2,319.26**
	कार्यकारी पूँजी में संचलन:		
	माल-भंडार में (वृद्धि)/कमी	(28.37)	(54.62)
	व्यापारिक प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	17.61	(73.88)
	ऋणों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	157.85	14.62
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	6.08	98.89
	व्यापारिक देय में वृद्धि/(कमी)	338.16	110.75
	अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	(4.73)	6.25
	अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	30.00	(766.01)
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(123.08)	417.56
	प्रचालनों से सृजित (में प्रयुक्त) नगदी	**3,429.74**	**2,072.82**
	भुगतान किया गया आय कर	**(1,020.89)**	**(482.49)**
	प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**2,408.85**	**1,590.33**
ख.	**निवेशन गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(48.00)	(420.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से आमदनी	560.98	1,065.03
	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी अधिग्रहण हेतु भुगतान	(58.20)	(78.05)
	बैंक के पास सावधि जमा में निवेश	(385.77)	(326.27)
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	30.61	33.65
	बैंकों एवं अन्य से प्राप्त ब्याज	237.14	184.79
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूँजी अग्रिम सहित) के लिए भुगतान	(749.49)	(790.78)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से आय	8.56	11.82
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(18.49)	(46.57)
	पट्टाधारी संपत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान	(109.19)	(123.07)
	निवेशन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**(531.85)**	**(490.16)**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी के लिए भुगतान	(504.83)	—
	शेयर वापस-क्रय लागत के लिए भुगतान (कर का शुद्ध)	(2.60)	—
	अल्पावधि उधारी से आमदनी	21.80	(6.10)
	भुगतान की गई वित्तपोषण लागत	(0.00)	(0.13)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	(1,032.82)	(908.48)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए गए लाभांश पर कर	(212.30)	(184.94)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**(1,730.75)**	**(1,099.65)**
	नगद या नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि या(कमी)	**146.25**	**0.52**
	वर्ष के आरम्भ में नगद और नगद समतुल्य	**25.35**	**24.83**
	वर्ष के अन्त में नगद और नगद समतुल्य [टिप्पणी सं. 16.क देखें]	**171.60**	**25.35**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े नगदी बहिर्प्रवाह/आय हैं, जैसा कि मामला हो।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(श्रीधर पात्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डॉ. टी.के. चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार (एम.न.:051221)

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम.नं.:057820)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

टिप्पणी सं. 1 निगम पृष्ठभूमि

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (लोक उद्यम) है, जो कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निगमित हुई है और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है। यह कंपनी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में संलग्न है। कंपनी ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में अवस्थित 22.75 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र और ओड़िशा के अनुगुल में 4.60 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिनियम प्रद्रावक का प्रचालन कर रही है। कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधन संयंत्र के पास कंपनी की एक ग्रहीत बॉक्साइट खान है और प्रद्रावक की विद्युत खपत को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के पास एक 1200 मेगावाट का ग्रहीत तापज विद्युत संयंत्र है। साथ ही, कंपनी की अक्षय ऊर्जा का दोहन करने और पुनर्नवीकरणीय खरीद अनुबंध का अनुपालन करने के लिए 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ चार पवन विद्युत संयंत्र प्रचालित हैं जो आन्ध्रप्रदेश (गण्डीकोटा), राजस्थान (जैसलमेर और देवीकोट) तथा महाराष्ट्र (सांगली) में अवस्थित है।

टिप्पणी सं. 2. अनुपालन का विवरण

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015 (संशोधित अनुसार) के अंतर्गत निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी एवं अधिसूचित सभी भारतीय लेखांकन मानकों और जो कंपनी पर वर्ष के लिए लागू एवं प्रासंगिक हैं, को कंपनी के स्वचलित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय बिना किसी अपवाद के विवेचित किया गया है एवं अनुपालन किया गया है।

टिप्पणी सं. 3. उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

3.1 तैयारी का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण इंड एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

जैसा कि नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़ कर, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य में मापे जाते हैं, ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

3.2 अनुमानों का उपयोग

ये वित्तीय विवरण इंड एएस के मान्य और मापन सिद्धांतों की संपुष्टि में अनुमानों और धारणाओं, जहाँ भी आवश्यक हुए हैं, के प्रयोग से तैयार किए गए हैं।

अनुमान और अन्तर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में, यदि कोई संशोधन है, तो उनका संशोधन के वर्ष में लेखाकरण किया गया है।

आकलन की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत जो परिसंपत्तियाँ और देनदारियों की मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकते हैं, टिप्पणी संख्या 4 में वर्णित है।

3.3 सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

एक सहयोगी एक संस्था होती है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक की वित्तीय और परिचालन नीति के फैसले में भाग लेने की शक्ति है लेकिन इन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

एक संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्ययस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था के नियंत्रण की हिस्सेदारी करने के लिए संविदात्मक सहमति है, जो केवल तब तक ही मौजूद रहती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के फैसले के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी करनेवाले पक्षों की एकमत से सहमति की जरूरत होती है।

सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश को इंड एएस 109 - वित्तीय साधनों के अनुसार लागत में मापा जाता है।

संयुक्त उद्यम कंपनियों के खातों में जहाँ भी नकारात्मक रिजर्व के संकेत हो, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश हानि के अधीन होता है। हालांकि, ऐसी हानि निवेश के मूल्य तक ही सीमित है।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण-स्वामित्व भूमि के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हेतु लागत, घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित दुर्बलता हानि पर वर्णित होते हैं। पूर्ण-स्वामित्व भूमि, जब तक बिगड़ी न हो, लागत पर वर्णित होती है।

3.4.1 आरंभिक मापन

प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, उधारी लागत, यदि कोई हो, संपत्ति को अपने स्थान पर वापस लाने और इसके लिए जरूरी स्थिति लगाने के लिए किया हुआ खर्च जो प्रबंधन के द्वारा अपेक्षित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो और किसी भी परिसंपत्ति के पुनर्स्थापना दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक अनुमानों या अनिवार्य रूप से बंद करने और विखण्डन लागत शामिल है।

भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूर्ण-स्वामित्व भूमि के विकास पर किए गए व्यय को पूँजीकृत किया गया है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स के आबंटन एवं सीधे आरोप्य उधारी लागत, यदि कोई हो, शामिल है।

₹ 5 लाख से अधिक मूल्य प्रति एकक वाले स्पेयर-पुर्जे, जो उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग के लिए धारित हैं एवं एक से अधिक अवधि के दौरान प्रयोग के लिए अपेक्षित हैं, वे संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य होते हैं। महत्वपूर्ण प्रकृति के स्पेयर्स और अनियमित उपयोग में हों, जिसे किसी विशेष उपकरण के लिए पहचाना जा सकता है और ₹ 1 लाख से अधिक प्रति एकक मूल्य के हों, वे भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं।

3.4.2 परवर्ती व्यय

परिसंपत्तियों के पुर्जों को बदलने की लागत एवं संपूर्ण जाँच-मरम्मत लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहाँ यह संदर्भ हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान कंपनी को उपलब्ध होंगे, का पूँजीकरण किया जाता है और बदले गए चिह्नित पुर्जों की धारक राशि को अमान्य किया जाता है।

3.4.3 पूँजी कार्य-प्रगति में

निर्माण चरण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों को प्रगति में पूँजीगत कार्य के अधीन शामिल किया जाता है एवं किसी भी मान्यताप्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत में लिया जाता है। ऐसे प्रगतिरत पूँजी कार्य, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित संवर्ग में स्थानांतरित किए जाते हैं।

निवेश का निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए खर्च को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। निवेश के निर्णय के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगतिरत पूँजीगत कार्य के तहत रखा जाता है और बाद में उसका पूँजीकरण किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण/निर्माण पर, निर्दिष्ट स्थान पर इसे लाए जाने एवं प्रबंधन द्वारा अपेक्षित विधि में इसे प्रचालन योग्य बनाए जाने हेतु आवश्यक स्थिति में लाए जाने तक आरोपित कोई भी प्रत्यक्ष लागत प्रगतिरत पूँजीगत कार्य का हिस्सा माना जाता है।

3.4.4 मूल्यह्रास और ऋणशोधन

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, उनके उपयोगी जीवनकाल पर एक सीधी रेखा के तहत प्रदान किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II या जहाँ भी आवश्यक विवेचित हो, प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन से अधिक नहीं हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक, उस लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है, यदि इसका उपयोगी जीवनकाल संपत्ति के घटन से अलग होता है। कंपनी ने 'पॉट रिलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में ₹ 1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जो कि इसकी निहित प्रकृति और उपयोगी जीवनकाल के कारण प्रत्येक 'इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट' के अंश के रूप में माना जाता है।

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण और मृतिका ढोने वाले उपकरण, रेलवे सुविधाओं, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टर के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत के 5% पर और सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य को शून्य के रूप में माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है एवं परिवर्तन का प्रभाव, यदि कोई है, तो भविष्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के लिए विचार में ली गई संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल नीचे वर्णित हैं :

(क) बॉक्साइट खान में अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण खान की पट्टा अवधि तक है।

(ख) ग्रहीत तापज विद्युत उत्पादन संयंत्र यथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) वाष्प विद्युत संयंत्र (वा.वि.सं.) को 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्यूमिना परिशोधक में लाल पंक के तालाब और राख तालाब एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र में राख के तालाब के उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन अवधि-वार किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया गया है।

(ङ) बॉक्साइट खानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टेदार भूमि पर स्थापित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को शेष पट्टे की अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के रूप में माना जाता है।

जो भूमि कंपनी के स्वामित्व की नहीं है, उस पर स्थापित संपत्ति का मूल्यह्रास, उस तारीख से उपयोगी जीवन काल तक किया जाता है, जिस तारीख को वह संपत्ति प्रबंधन की अपेक्षानुसार प्रचालन में सक्षम हो, जब तक कि लम्बे/छोटे जीवनकाल तक निर्णीत न हो।

10,000/- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें उसका इस्तेमाल करना है।

ऊपर उल्लिखित के अलावा, अन्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण निम्नलिखित उपयोगी जीवनकाल के अधीन हैं।

क्रम सं.	परिसंपत्ति संवर्ग के विवरण (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)	वर्षों में उपयोगी जीवनकाल की सीमा
1	भवन	30 - 60
2	संयंत्र और मशीनरी	15 - 40
3	वाहन	08 - 10
4	फर्नीचर और जोड़नार	08 - 10
5	कम्प्यूटर उपकरण	06

3.4.5 परिसंपत्तियों का गैर-मान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की उसके निपटान पर या जब संपत्ति के उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द होने पर होने वाले किसी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.4.6 पुर्जे अलग करने की लागत:

सतह खनन में पुर्जे अलग करने की लागत एक परिसंपत्ति के रूप में पहचानी जाती है जब वे अयस्क तक महत्वपूर्ण उन्नत पहुँच का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते सभी निम्न शर्तें पूरी होती हैं:

(क) यह संभावित है कि पुर्जे अलग करने की गतिविधि के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी;

(ख) अयस्क वस्तु का अंश जिसके लिए पहुँच में सुधार हुआ है उसे पहचाना जा सकता है; तथा

(ग) उन्नत पहुँच के साथ जुड़ी, पुर्जे अलग करने की गतिविधि से संबंधित लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

उत्पादन चरण के दौरान व्यय की गई पुर्जे अलग करने की लागत को "पुर्जे अलग करने की लागत परिसंपत्ति" में जोड़ा जाता है, जो वर्तमान अवधि के पुर्जे अलग करने की लागत का अनुपात परियोजित पुर्जे अलग करने की लागत के अनुपात से अधिक है।

"पुर्जे अलग करने की गतिविधि की संपत्ति" का बाद में, पुर्जे अलग करने की गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हुई अयस्क वस्तु के अंश के जीवनकाल के आधार पर उत्पादन की एक इकाई पर मूल्यह्रास किया जाता है और लागत में से संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षति हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

3.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

3.5.1 अलग से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत से संचित ऋणशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्ज किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्ति का ऋणशोधन उनके अनुमानित जीवनकाल पर किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और ऋणशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, और अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.5.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति - अनुसंधान और विकास व्यय

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माना गया पूँजी व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्ति मान्य होती है, यदि और केवल यदि, "इंड ए.एस. 38 - अमूर्त परिसंपत्ति" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हों।

3.5.3 खनन अधिकार

खनन अधिकारों की लागत में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए भुगतान की गई राशि और नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित संबंधित भुगतान एवं अग्रिम धनराशि शामिल हैं।

खनन अधिकारों की लागत का ऋणशोधन खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक भंडारों पर किया जाता है और हानि की समीक्षा के अधीन हैं।

3.5.4 खान विकास व्यय

व्यावसायिक उत्पादन से पहले खानों के विकास के लिए किए गए व्यय अर्थात, भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय का पूँजीकरण तब तक होता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम नहीं हो।

3.5.5 उपयोगकर्ता अधिकार:

भविष्य के आर्थिक लाभ वाले क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना उपयोगकर्ता के अधिकार के रूप में पूँजीकृत की गई हैं।

3.5.6 सॉफ्टवेयर

अलग से अधिग्रहीत ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर (आर.डी.बी.एम.एस., साईबेस, ईआरपी / एसएपी) सॉफ्टवेयर के रूप में पूँजीकृत हुए हैं।

3.5.7 लाइसेंस और फ्रेंचाइज

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस और फ्रेंचाइज" शीर्षक के अंतर्गत पूँजीकृत किया गया है।

3.5.8 अमूर्त आस्तियों की मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर रद्द कर दी जाती है, जब उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं हो। निपटान/गैर-मान्यता के उन्मूलन से पैदा होने वाले लाभ या हानि को, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.5.9 ऋणशोधन

अमूर्त संपत्ति के परिशोधन का आधार निम्नानुसार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारियों की प्रकृति में लाइसेंस जो कि संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवनकाल के लिए उपलब्ध हैं, दस वर्षों की अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ख) अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत सॉफ़्टवेयर 3 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल रखते हैं एवं उक्त अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ग) खनन अधिकार और खान विकास के खर्च को आरक्षित की उपलब्धता की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता हैं।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोक्ता अधिकार, चालू होने की तारीख से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित होता है।

3.6 मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति की धारक राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में क्षति की हानि हुई है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (यानी उचित मूल्य के उच्चतर में लागत घटाकर बेचने और और उपयोग-में-मूल्य) का अनुमान लगाकर क्षति से हानि, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित की जाती है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो कंपनी उस परिसंपत्ति की नकद-सृजक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि सीजीयू की वसूली योग्य अनुमानित राशि वहन राशि से कम कम होती है, तो सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि और वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7 कार्यात्मक और विदेशी मुद्राएँ

वित्तीय विवरणों में शामिल मद प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है अर्थात् भारतीय रुपये जिसमें कंपनी का संचालन होता है।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन अर्थात संस्था की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं, को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उस तारीख में प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अंतरण किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर, को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.8 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

3.8.1 प्रावधान

किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को पहचाना जाता है और यह संभव है ("नहीं की तुलना में अधिक संभावना") कि दायित्व निपटाने के लिए इसकी आवश्यकता है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए दायित्वों के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए आवश्यक विवेचन का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहाँ वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए अनुमानित नकद बहिर्वाह का उपयोग करके एक प्रावधान मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्वाहों का वर्तमान मूल्य है।

3.8.2 पुनर्स्थापना, पुनर्वास और डीकमिशनिंग

जब विकास या किसी खदान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरण बिगड़ने की घटना होती है तो पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागत का खर्च करने के लिए एक दायित्व उत्पन्न होता है। कंपनी ने सांविधिक अधिदेश के मुताबिक दायित्व बहाली, पुनर्वास और निधि देनदारी को मान्यता दी है।

इस तरह की लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाता है और प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक समान राशि का पूँजीकरण किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल में मूल्यह्रास और रियायती दायित्व को खोलने के माध्यम से और लाभ या हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। लागत अनुमानों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और ज्ञात विकास कार्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिनका लागत अनुमान या प्रचालनों के जीवनकाल पर असर पड़ सकता है। अद्यतन लागत अनुमान, प्रचालन-काल में परिवर्तन, नई बाधाओं और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में हुए बदलावों के लिए संबंधित परिसंपत्ति की लागत को समायोजित किया जाता है। परिसंपत्तियों की समायोजित लागत का उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल पर संभावित रूप से मूल्यह्रास होता है जिससे वे संबंधित हैं। लाभ या हानि के विवरण में छूट के खोलने को वित्त और अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

3.8.3 पर्यावरणीय देनदारियाँ

पर्यावरणीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या सुधारात्मक निष्पादन करने के लिए कानूनी तौर पर या रचनात्मक तौर पर बाध्य होती है।

3.8.4 कानूनी दायित्व

एक बार यह स्थापित होने के बाद कि रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध जिस सूचना के विवेचन पर आधारित कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व है, प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

3.8.5 प्रासंगिक देनदारियाँ

आकस्मिक देनदारियाँ संभवत: पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने की पुष्टि हो, जो से पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हों या वर्तमान दायित्व परंतु भुगतान संभाव्य नहीं है या राशि विश्वसनीय रूप से नहीं मापी जा सकती है। प्रासंगिक देनदारियाँ वित्तीय विवरणों में प्रकट होती हैं जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है।

3.8.6 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में मान्य नहीं की गई हैं, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है तो उनका खुलासा किया जाता है।

3.9 पट्टे

किसी पट्टे के आरम्भ के समय, पट्टा-व्यवस्था की विषय-वस्तु के आधार पर पट्टे की व्यवस्था या तो वित्त पट्टा या ऑपरेटिंग पट्टा के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

3.9.1 वित्त पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियाँ

वित्तीय पट्टे वे हैं जो पट्टेदार को परिसंपत्तियों के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कार को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करते हैं।

वित्त पट्टों को पट्टा के प्रारंभ में, संपत्ति के उचित मूल्य के निचले हिस्से में या न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य में पूँजीकृत किया जाता है। पट्टादाता के लिए, अनुरूपी देयता को वित्तीय पट्टा दायित्व के रूप में तुलन-पत्र में शामिल किया गया है।

पट्टे के भुगतान को वित्त प्रभार और पट्टे के दायित्व में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष अंश पर ब्याज की निरंतर दर उपलब्ध हो सके। वित्त प्रभार सीधे पट्टे की अवधि के दौरान आय के विरुद्ध प्रभारित किए जाते हैं।

3.9.2 परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियाँ

वित्त पट्टों के अलावा अन्य पट्टे, प्रचालन पट्टे होते हैं और उन पट्टा परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसके बदले प्रचालन पट्टों के तहत किए जाने वाले अपफ्रंट पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि पर विभाजित किया जाता है एवं लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। परिचालन पट्टों पर ली गई संपत्ति / सुविधाओं के लिए किराया और रखरखाव प्रभार का भुगतान उस अवधि में राजस्व के लिए लिया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

3.10 माल-भंडार

कोयला और ईंधन तेल जैसी थोक सामग्री सहित कच्चे माल की सूची, जहाँ कहीं भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट की लागत नेट में कम मूल्य पर एवं शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करने वाली वस्तुओं के अलावा स्टोर और पुर्जों को जहाँ भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट के लागत-नेट में मूल्यांकन किया जाता है।

धारित स्टोर और पुर्जों को (संपत्ति, प्लांट और उपकरण के रूप में माने जाने वाले प्रमुख पुर्जों के अलावा), लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किए गए हैं, लागत के 5% पर मूल्यांकन किया जाता है।

उत्पादन में उपयोग के लिए सामग्री और अन्य आपूर्तियों (गैर-चल के रूप में माने जाने वाले के अलावा) को लागत से नीचे नहीं डाला जाता है, यदि तैयार माल, जिसमें उनका उपयोग शामिल हो, और उपरोक्त लागत या उससे अधिक पर बिक्री होने की आशा हो।

ऊपर बताए गए अनुसार कच्चे माल, भंडार और पुर्जों की लागत, भारित औसत मूल्य के संचलन पर निर्धारित होती है।

तैयार माल, अर्द्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पाद तथा प्रगतिरत प्रक्रिया के माल-भंडार और प्रक्रिया स्क्रैप सहित इनकी लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है। आम तौर पर लागत का निर्धारण माल की संचलित भारित औसत कीमत, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ओवरहेड्स पर होता है। शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध व्यापार के सामान्य प्रक्रियाक्रम में बिक्री करने के लिए जरूरी अनुमानित लागत घटाकर अनुमानित बिक्री मूल्य है।

आंतरिक रूप से सृजित स्क्रैप का मालभंडार, शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होता है।

3.11 व्यापारिक प्राप्य

व्यापार प्राप्तियाँ व्यापार के सामान्य क्रम में बेचे गए सामान या सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशि हैं। यदि बकाया रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों या उससे कम अवधि के भीतर भुगतान के लिए नियत है, तो उन्हें मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इनका अनुबंध में अंतर्निहित महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन न हो।

3.12 वित्तीय उपस्करण

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधनों के संविदागत प्रावधानों का पक्ष बनती है। व्यापारिक प्राप्य एवं देय को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत को, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य होती है, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.12.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क. नकद या नकद समतुल्य

कंपनी सभी अल्पकालिक बैंक जमा राशि को तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि को नकद और नकद समकक्ष मानती है। बैंक में 3 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा को अन्य बैंक बैलेंस के रूप में माना जाता है।

ख. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

व्यापार प्राप्य सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक होते हैं, वो तदुपरांत परिशोधित लागत पर किए गए माप के अनुसार वर्गीकृत होती हैं एवं इसी अनुसार प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए मापी जाती हैं यदि वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल में रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों को नकद प्रवाह में वृद्धि लाती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

ग. अन्य विशद आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य विशद आय के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक कारोबारी मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना है एवं इन वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तों के द्वारा निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

घ. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इसे अन्य विशद आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत न किया गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लेनदेन लागत लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्य होती है।

3.12.2 वित्तीय देनदारियाँ

व्यापारिक देय को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसमें संविदा में समाविष्ट एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्यपरक समायोजन संलग्न न किया जाए।

व्यापारिक देय सहित वित्तीय देनदारियाँ जिसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक संलग्न है, को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित मूल्य पर तदुपरांत मापा जाता है।

3.12.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्तियों की केवल तब मान्यता रद्द होती है, जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह में अनुबंधित अधिकार समाप्त होते हैं या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम एवं लाभ दूसरे पक्ष को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित होते हैं।

3.12.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है या नहीं।

यदि एक वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है। यदि उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है।

रिपोर्टिंग तारीख को हानि भत्ता को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (या व्युत्क्रमण) की मात्रा को लाभ और हानि के विवरण में एक क्षति लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी गई है।

3.12.5 वित्तीय देनदारी की मान्यता रद्द करना

वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब रद्द होती है जब और केवल जब दायित्वों को मुक्त कर दिया जाता है, रद्द कर किया जाता है या समाप्त हो जाता है।

नकदीकृत क्षतियों के लिए बहाली के मामले में, ठेका अंतिम रूप से तय कर लिए जाने/समाप्त होने पर, यदि नकदीकृत क्षति आरोप्य है, तो बहाल की गई राशि वापस ली जाती है एवं पूँजी संविदाओं को छोड़कर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ नकदीकृत क्षति सीधे परिसंपत्ति के मूल्य में बढ़ती/वृद्धि में आरोप्य है। ऐसे मामले में, बहाल की गई राशि परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित की जाती है।

3.12.6 वित्तीय साधनों को ऑफसेट करना

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ ऑफसेट हैं और तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि है, जब मान्यताप्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर अधिकार लागू होता है एवं शुद्ध आधार पर समझौता करने या एक साथ परिसंपत्ति की वसूली करने और दायित्व तय करने का अभिप्राय होता है। कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए एवं व्यापार के सामान्य क्रम में अवश्य लागू होना चाहिए।

3.13 संजात

संजात साधन यथा-आगे विदेशी मुद्रा संविदाओं को संजात संविदाओं के दर्ज होने की तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य के लिए फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के बयान में मान्यता दी जाती है।

3.14 उधार लागत

उधार लेने की लागत सीधे उन संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जो उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

3.15 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

सरकारी अनुदान तब मान्य है जब उचित आश्वासन होता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा एवं अनुदान प्राप्त हो पाएगा।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक स्थिति यह है कि कंपनी को गैर-चालू संपत्ति खरीदना, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान स्थापित करके मान्यता दी गई है और लाभ या हानि में व्यवस्थित रूप से संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है।

आय से जुड़े सरकारी अनुदान उन समयावधि पर लागत के साथ मिलान करने के लिए क्रमबद्ध आधार पर होते हैं, जिसके लिए वे आय के रूप में स्वीकृत क्षतिपूर्ति हेतु अभीष्ट हैं।

3.16 कर्मचारी लाभ

3.16.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ

मजदूरी और वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलनेवाले लाभों के लिए एक दायित्व या देनदारी मान्य है जो संबंधित अवधि में की गई सेवा हेतु अपेक्षित छूट-रहित भुगतानयोग्य लाभ की राशि पर किया जाता है।

3.16.2 नियुक्ति-पश्चात् और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

3.16.3 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत एक अलग इकाई के लिए निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। परिभाषित योगदान में अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ एक व्यय के रूप में मान्य होती हैं, जब कर्मचारी ने इस तरह के अंशदान के लिए हकदार बनाने वाली सेवा प्रदान की है।

3.16.4 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत, प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन लाभ और हानि अन्य विशद आय में तुरंत मान्य की जाती है। सेवा लागत को, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर ब्याज छोड़कर व्यय के रूप में माना जाता है।

पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब कोई भी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ मान्यता प्राप्त होते हैं।

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ-दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है जो कि योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य द्वारा घटा हुआ होता है।

3.16.5 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताएँ रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भावी नकद बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य में मापी जाती है। परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए उपयोग की गई एक ही लेखांकन पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अपेक्षित लागत, रोजगार की अवधि में उपार्जित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा इन दायित्वों का सालाना मूल्यांकन किया जाता है।

3.17 राजस्व मान्यता

कंपनी को राजस्व मूलतः एल्यूमिना, एल्यूमिनियम जैसे उत्पाद की बिक्री एवं विद्युत की बिक्री से प्राप्त होता है। जब कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं के स्थानांतरण द्वारा निष्पादन देयता को पूरी करती है, तब राजस्व को स्वीकृति दी जाती है।

3.17.1 माल की बिक्री

कारखाने से / स्टॉकयार्ड से बिक्री पर प्राप्त राजस्व को नियत सांविधिक अनुपालन के साथ वाणिज्यिक बिल सहित कारखाने/स्टॉकयार्ड में वस्तुओं के सौंपे जाने पर स्वीकृति दी जाती है। एफओबी आधार पर बिक्री को शिपिंग बिल तैयार करने एवं शिपर को वस्तुएँ सौंपने के बाद स्वीकृति दी जाती है। सीआईएफ आधार पर बिक्री के मामले में, बंदरगाह में लदान पर वस्तु रखे जाने एवं इन्कोटर्म (पूर्व-निर्धारित वाणिज्यिक शर्तों) के अनुसार पोत परिवहन के कागजात तैयार करने पर स्वीकृति दी जाती है।

3.17.2 ऊर्जा की बिक्री

पवन ऊर्जा की बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित कीमत पर डिस्कोम्स को प्रेषित ऊर्जा के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से विद्युत की बिक्री को राज्य के ग्रिड को इंजेक्टेड मात्रा के आधार पर माना जाता है जिसमें परिशोधक को व्हीलिंग करने को छोड़कर, लेकिन उचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कीमत पर अनिश्चित ऊर्जा इंजेक्शन भी शामिल है।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व मान्यता प्राप्त है अगर

(क) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(ख) यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी के पास प्रवाहित होंगे;

(ग) विवेचन की वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

3.17.3 लाभांश और ब्याज से आय

3.17.4 लाभांश

लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश को मान्य किया जाता है।

3.17.5 ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय मान्य की जाती है, जब यह संभाव्य है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रमुख बकाया और प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में, ब्याज आय समय के आधार पर अर्जित की जाती है।

3.17.6 सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन से आय

प्रभार वापस लेने की प्रकृति में सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन और निर्यात पर पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमईआईएस) और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के निर्माण पर प्रोत्साहनों को इसके अंतर्गत प्रदान की गई शर्तों के अनुपालन में संबंधित क़ानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

3.18 आय कर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की योग राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.18.1 वर्तमान कर

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान कर व्यय वर्ष के लिए कर-योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान कर देयताएँ (परिसंपत्तियाँ) कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए भुगतानयोग्य (या वापस वसूली) की अपेक्षित राशि में मापा जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हुए हैं और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन में शामिल हैं।

3.18.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर-व्यय या आय वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर-आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर-संपत्ति और देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है, जिनकी गणना उस अवधि के लिए होती है जब परिसंपत्ति मान्य हो जाती है या देनदारी का निर्धारण हो जाता है, कर-दरों और कर-कानूनों के आधार पर जो अधिनियमित या वास्तविक रूप से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किए गए हैं। अन्य विशद आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित कर विशद आय के विवरण का हिस्सा है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक समायोजन किया जाता है कि यह संभावित हो जाए कि परिसंपत्ति की वसूली करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

3.19 असाधारण मद

असाधारण मद साधारण गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय और व्यय के सामान हैं लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटनाओं के कारण कंपनी द्वारा अर्जित वित्तीय निष्पादन के बेहतर स्पष्टीकरण के लिए जिनका प्रकटीकरण जरूरी है।

3.20 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकद प्रवाह के विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

3.21 महत्वपूर्ण भूल/चूक का पुनःविवरण

भूलों और चूकों को इस अभिप्राय में लिया जाता है कि यदि पूर्वावधि आय/व्यय का कुल प्रभाव ₹50 करोड़ से अधिक हो गया है तो परिसंपत्तियों और देनदारियों एवं इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनर्व्यक्त किया जाए।

टिप्पणी सं.4. महत्वपूर्ण लेखा निर्णय और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उन मामलों के बारे में जो अंतर्निहित रूप से अनिश्चित हैं,जटिल और / या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाए। ये अनुमान और धारणाएँ रिपोर्ट की अवधि के दौरान संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की मात्रा के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों और संपत्तियों के प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान और संबद्ध मान्यताएँ पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। उस अनुमानित अवधि में लेखा अनुमानों को मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय:

निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय है, उन अनुमानों के अलावा, जो प्रबंधन ने कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में बनाए हैं और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग अपने व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और कंपनी के सकारात्मक इरादे और संविदागत नकदी प्रवाह को जमा करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने की क्षमता की पुष्टि कर दी है।

4.2 अनिश्चितता के आकलन के मुख्य स्रोत:

भविष्य के बारे में निम्नलिखित प्रमुख धारणाएँ हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन पैदा करने का एक बड़ा जोखिम हो सकता है।

4.2.1 क्षति

एसोसिएट्स और अन्य निवेशों में निवेश, ऋण और अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से वसूली योग्य या कम से कम वार्षिक रूप से नहीं हो सकता है।

नगदी सृजन करनेवाले एककों के भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, जो परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, भविष्य के प्रचालनों के बारे में उम्मीदों पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की मात्रा, वस्तु की कीमतों, भंडार और संसाधनों, पुनर्वास व संचालन की लागत और पूँजीगत व्यय के अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करती है। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण भविष्य में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

4.2.3 खनन भंडार का आकलन:

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन जहाँ संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल परियोजना के जीवनकाल तक सीमित हैं, जो बदले में आरक्षित की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवनकाल तक सीमित है, मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्षण, भूविज्ञान और भंडार निर्धारण में विशेषज्ञों द्वारा खानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान लगाया जाता है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम) को पेश की गई अनुमोदित खनन योजना पर आधारित है।

4.2.4 नियुक्ति पश्चात् लाभ देयता के लिए देनदारी

नियक्ति पश्चात् लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ की देनदारी, बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर होती है, जो कि यथार्थवादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी ब्याज, शुल्क सहित, दायित्वों के चतुर्दिक जोखिम और अनिश्चितताओं को हिसाब में लेते हुए संबंधित देनदारियों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विचारों का सबसे अच्छा अनुमान हैं। कंपनी अपनी देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन करती है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, आकस्मिकताओं और अन्य उपयुक्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।

4.2.6 उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उचित मूल्य माप के लिए विचारयोग्य इनपुट के स्तर एवं अपने स्वरूप में पूरी तरह उचित मूल्य माप के लिए इनपुट के महत्व पर आधारित होते हैं, जिनका निम्नलिखित अनुसार वर्णन किया गया है:

- स्तर 1 निविष्टियाँ समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में भाव बोली के मूल्य (असंजित) हैं, जिन तक माप की तारीख पर कंपनी की पहुँच हो सकती है;
- स्तर 2 की निविष्टियां वे इनपुट हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल बोली लगाई गई कीमतों के अलावा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन किया जा सकता है; तथा;
- स्तर 3 के इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन नहीं की जा सकने वाली निविष्टियाँ हैं।

5. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
निम्न की राशि को लेकरः		
पूर्ण स्वामित्व की भूमि	86.41	84.33
भवन	578.17	591.68
संयंत्र और उपकरण	6,346.37	6,245.74
फर्नीचर और जोड़नार	9.63	8.91
कार्यालय उपकरण	24.21	23.64
वाहन	16.63	13.06
रेलवे साइडिंग	47.95	52.02
	7,109.37	7,019.38

	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर एवं जोड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	कुल
लागत या मानी हुई लागत								
31.03.2017 को यथा शेष	84.33	638.51	7,078.92	12.03	15.51	14.44	53.68	7,897.42
जोड़	—	63.78	372.57	3.97	20.54	6.75	10.67	478.28
निपटान	—	(0.03)	(33.06)	—	(0.04)	(0.03)	—	(33.16)
31.03.2018 को यथा शेष	84.33	702.26	7,418.43	16.00	36.01	21.16	64.35	8,342.54
जोड़	2.08	20.97	531.58	3.43	8.40	6.60	(0.16)	572.90
निपटान	—	(0.08)	(28.12)	(0.04)	(0.02)	(0.44)	(0.03)	(28.73)
31.03.2019 को यथा शेष	86.41	723.15	7,921.89	19.39	44.39	27.32	64.16	8,886.71
संचित मूल्यह्रास और क्षति								
31.03.2017 को यथा शेष	—	73.88	778.23	4.38	8.19	5.51	8.60	878.79
मूल्यह्रास व्यय	—	36.73	416.18	2.71	4.21	2.59	3.73	466.15
निपटान	—	(0.03)	(21.72)	—	(0.03)	—	—	(21.78)
31.03.2018 को यथा शेष	—	110.58	1,172.69	7.09	12.37	8.10	12.33	1,323.16
मूल्यह्रास व्यय	—	34.42	415.25	2.69	7.83	2.77	3.89	466.85
निपटान	—	(0.02)	(12.42)	(0.02)	(0.02)	(0.18)	(0.01)	(12.67)
31.03.2019 को यथा शेष	—	144.98	1,575.52	9.76	20.18	10.69	16.21	1,777.34
वहन राशि								
31.03.2017 को यथा शेष	84.33	564.63	6,300.69	7.65	7.32	8.93	45.08	7,018.63
जोड़	—	63.78	372.57	3.97	20.54	6.75	10.67	478.28
निपटान	—	—	(11.34)	—	(0.01)	(0.03)	—	(11.38)
मूल्यह्रास व्यय	—	36.73	416.18	2.71	4.21	2.59	3.73	466.15
31.03.2018 को यथा शेष	84.33	591.68	6,245.74	8.91	23.64	13.06	52.02	7,019.38
जोड़	2.08	20.97	531.58	3.43	8.40	6.60	(0.16)	572.90
निपटान	—	(0.06)	(15.70)	(0.02)	—	(0.26)	(0.02)	(16.06)
मूल्यह्रास व्यय	—	34.42	415.25	2.69	7.83	2.77	3.89	466.85
31.03.2019 को यथा शेष	86.41	578.17	6,346.37	9.63	24.21	16.63	47.95	7,109.37

टिप्पणी:

5.1. 64.78 एकड़ भूमि को छोड़कर ओड़िशा सरकार के माध्यम से अधिग्रहीत पूर्ण-स्वामित्व की भूमि के स्वत्वाधिकार विलेख कार्यान्वित हो चुके हैं। कंपनी पूर्ण-स्वामित्व की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है और इस मामले को राजस्व प्राधिकारियों के साथ हाथ में लिया गया है।

5.2. ₹5.50 करोड़ वहन मूल्य के कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोलकाता में खरीदे गए 6,459 वर्गफीट के कार्यालय स्थान (भवन) के संबंध में पंजीकरण औपचारिकताएँ प्रगति में है।

5.3 निवर्तमान पट्टे के मानक इंड एएस 17 पट्टे को इंड एएस 116 से बदला जाएगा। इंड एएस 116 में पट्टेधारी एवं पट्टेदाता दोनों के लिए, पट्टे की स्वीकृति, मापन, प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटन हेतु सिद्धांत निर्दिष्ट किए गए है। यह पट्टेधारी के लिए, एकल तुलन पत्र पट्टा लेखांकन ढांचा पेश करता है। एक पट्टाधारी होने के कारण पर्याप्त रूप से पट्टा भूमि धारित करनेवाली कंपनी अंतर्निहित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के अधिकार को प्रदर्शित करनेवाली परिसंपत्ति के उपयोगाधिकार एवं पट्टे का भुगतान करनेवाली इसकी देयता को प्रदर्शित करनेवाली पट्टा देनदारी को मान्यता देगी। कंपनी 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली रिपोर्टिंग अवधि से इंड एएस 116 को अंगीकार करेगी।

6. पूँजी कार्य-प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
पूँजी कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)	809.59	702.91
मार्गस्थ समेत निर्माण सामग्री	34.32	124.16
	843.91	827.07
घटाएंः क्षति का प्रावधान	—	(1.24)
कुल पूँजी कार्य प्रगति में	843.91	825.83

6.1. प्रगति में पूँजी कार्य की राशि में कोयला खान प्रभाग को आरोप्य आधारभूत संरचनात्मक विकास व्यय के बाबत ₹41.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹43.98 करोड़) की राशि शामिल है।

7. अमूर्त आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
निम्न की राशि को लेकर:		
उपभोक्ता अधिकार	72.51	9.99
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	2.24	2.08
खनन अधिकार [टिप्पणी 8.1 का संदर्भ लें]	99.13	103.58
लाइसेंस	2.53	4.43
	176.41	**120.08**

राशि करोड़ ₹ में

	उपभोक्ता अधिकार	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	खनन अधिकार	लाइसेंस	कुल अमूर्त आस्तियाँ
लागत या मानी हुई लागत					
31.03.2017 को यथा शेष	15.43	4.66	121.11	10.25	151.45
जोड़	—	2.32	6.21	—	8.53
निपटान	—	—	(0.35)	—	(0.35)
31.03.2018 को यथा शेष	15.43	6.98	126.97	10.25	159.63
जोड़	64.36	1.35	3.37	—	69.08
निपटान	—	—	—	—	—
31.03.2019 को यथा शेष	79.79	8.33	130.34	10.25	228.71
संचित मूल्यह्रास एवं क्षति					
31.03.2017 को यथा शेष	3.62	2.98	15.17	3.88	25.65
मूल्यह्रास व्यय	1.82	1.92	8.57	1.94	14.25
निपटान	—	—	(0.35)	—	(0.35)
31.03.2018 को यथा शेष	5.44	4.90	23.39	5.82	39.55
मूल्यह्रास व्यय	1.84	1.19	7.82	1.90	12.75
निपटान	—	—	—	—	—
31.03.2019 को यथा शेष	7.28	6.09	31.21	7.72	52.30
वहन राशि					
31.03.2017 को यथा शेष	11.81	1.68	105.94	6.37	125.80
जोड़/समायोजन	—	2.32	6.21	—	8.53
निपटान	—	—	(0.35)	—	(0.35)
मूल्यह्रास व्यय	1.82	1.92	8.57	1.94	14.25
31.03.2018 को यथा शेष	9.99	2.08	103.58	4.43	120.08
जोड़	64.36	1.35	3.37	—	69.08
निपटान	—	—	—	—	—
मूल्यह्रास व्यय	1.84	1.19	7.82	1.90	12.75
31.03.2019 को यथा शेष	72.51	2.24	99.13	2.53	176.41

टिप्पणी

7.1 कंपनी ओड़िशा सरकार द्वारा मंजूरीप्राप्त पट्टे पर आधारित पंचपटमाली बॉक्साइट खान में अपनी खनन गतिविधियाँ प्रचालित कर रही है। भूमि पट्टा नवीकरण के संबंध में, कंपनी ने एन.पी.वी. एवं प्रासंगिक भुगतानों को अदा किया है जिसे खनन अधिकारों के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों के रूप में पूँजीगत किया गया है और कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी रेखा आधार पर परिशोधन किया गया।

7.2 कंपनी ने दो अन्य पक्षों के साथ संयुक्त रूप से लागत सहकारिता आधार पर अक्टूबर, 2013 में लक्ष्मीपुर में 220 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण किया, चूंकि जिस भूमि पर परिसंपत्ति का निर्माण किया गया है या वह कंपनी की नहीं है, इसलिए ₹17.98 करोड़ के सहभागी मूल्य को उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत एक अमूर्त आस्ति के रूप में लिया गया था। हालांकि लक्ष्मीपुर से दामनजोड़ी तक 220 केवी ट्रान्समिशन लाइन एवं दामनजोड़ी में स्विचयार्ड समापन के लिए लंबित रहने की वजह से, आस्ति से कंपनी लाभ लेने में असमर्थ रही थी, इसलिए पूर्व के लेखांकन मानक के अनुसरण में, 10 वर्षों के अधिकतम जीवनकाल की धारणा पर आस्ति का मूल्यह्रास किया गया था। वर्ष के दौरान ट्रान्समिशन लाइन एवं स्विचयार्ड का निर्माण पूरा कर लिया गया है एवं लक्ष्मीपुर में सब-स्टेशन के साथ इस्तेमाल के लिए रखा गया। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट विद्युत संचरण प्रणाली के जीवनकाल के अनुसार 30 वर्षों की अवधि के लिए, ट्रान्समिशन लाइन एवं स्विचयार्ड के ऋण परिशोधन के लिए जीवनकाल ग्रहण किया है। इसी अनुसार, सब-स्टेशन के जीवन को संशोधित करते हुए 30 वर्ष किया गया है ताकि आस्ति के शेष जीवन काल में आस्ति की वहन राशि का परिशोधन किया जा सके।

लक्ष्मीपुर में सब-स्टेशन से दामनजोड़ी के समापन स्विचयार्ड तक विद्युत संचरण लाइन (220 केवी), जो परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए मेसर्स ओड़िशा पावर ट्रान्समिशन कं.लि. (ओपीटीसीएल) को स्थानांतरित किया गया है, को उपभोक्ता अधिकार में शामिल किया गया है।

8. विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
खनन अधिकार	38.8	39.49
उपभोक्ता अधिकार	—	49.90
	38.80	**89.39**

टिप्पणी:

8.1 विकासाधीन खनन अधिकार में कोयला ब्लॉक के आबंटन, एनपीवी एवं कोयला ब्लॉक की वन्यजीवन प्रबंधन योजना एवं संबंधित कार्यों के लिए सांविधिक प्राधिकारियों को किया गया भुगतान शामिल है।

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क. गैर चालू		
क.1 इक्विटी साधनों में निवेश		
क.1.1 सहयोगियों में निवेश		
अनुद्धृत निवेश		
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड (पूर्ण प्रदत्त ₹ 10 प्रत्येक के 26,000 शेयर)	—	0.03
सहयोगियों में कुल निवेश	—	0.03

सहयोगियों के विवरण

अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक सहयोगी का विवरण निम्नवत् है :

सहयोगी का नाम	प्रधान गतिविधि एवं कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार	
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड	नाभिकीय विद्युत का विकास, काकरापाड़ा, गुजरात	0%	26%

टिप्पणी : न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के बोर्ड एवं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के बोर्ड ने सहयोगी कंपनी को भुगतान करने के लिए क्रमशः 20 मार्च, 2017 एवं 2 मार्च, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया है। तदुपरांत दिनांक 14.03.2019 को आयोजित इसकी बैठक में एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के अनुमोदन एवं दिनांक 22.03.2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में शायरधारकों के अनुमोदन के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अधीन कंपनी के नाम को हटाने के लिए आवेदन दिनांक 29.03.2019 को दर्ज किया गया है। एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड के अनुमोदित लेखा विवरण दिनांक 14.03.2019 की तिथि के अनुसार न तो कोई आस्ति और न कोई देनदारी दर्शाते हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, वर्ष के दौरान ₹2,60,000 की निवेश राशि (समान अंशदान) को बट्टे खाते डाला गया।

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क.1.2 संयुक्त उद्यमों में निवेश		
अनुद्धृत निवेश		
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2019 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर, 31.03.2018 को यथा: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर)	16.22	16.22
कुल	16.22	**16.22**
जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2019 को यथा: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 15,95,30,934 शेयर, 31.03.2018 को यथा: ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 10,13,30,934 शेयर)।	159.53	101.33
₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 2,28,00,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि	—	—
कुल	159.53	**101.33**
वर्ष के दौरान जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी को ₹ 10 प्रत्येक के 5,82,00,000 संख्यक पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर जारी किए।		
संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश	175.75	**117.55**

संयुक्त उद्यमों के विवरण

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक **संयुक्त उद्यम** का विवरण निम्नवत् है :

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि एवं कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार	
(क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	एल्यूमिनियम विशिष्ट अनुप्रवाह को ओड़िशा, भुवनेश्वर एवं ओड़िशा में प्रोत्साहन देना	49.00%	49.00%
(ख) जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	कास्टिक सोड़ा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात	40.00%	40.00%

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क.1.3 अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश		
अनुद्धृत निवेश		
ओड़िशा कैपिटल मार्केट एण्ड एन्टरप्राइजेस लिमिटेड (₹ 1 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 2,89,000 शेयर)	0.03	0.03
कुल - अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश	0.03	**0.03**
कुल - इक्विटी साधनों में निवेश	175.78	**117.61**
कुल गैर-चालू निवेश	175.78	**117.61**
अतिरिक्त सूचना		
उद्धृत निवेशों का सकल बही मूल्य एवं इसका बाजार मूल्य	—	—
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि	175.78	117.61
निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि	—	—

राशि करोड़ ₹ में

9. निवेश

ख. चालू

मुयुचुअल फंड में निवेश	31.03.2019 को यथा '000 में एकक	31.03.2019 को यथा राशि करोड़ ₹ में	31.03.2018 को यथा '000 में एकक	31.03.2018 को यथा राशि करोड़ ₹ में
उद्धृत निवेश				
बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड	130	13.01	899	90.09
बीओआई एएक्सए टीए फंड	—	—	2,012	202.61
कनाड़ा रोबेको लिक्विड	80	8.01	747	75.08
आईडीबीआई लिक्विड फंड	—	—	998	100.06
एसबीआई लिक्विड फंड डायरेक्ट डेली डिविडेंड	80	8.01	—	—
एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी-31 (365 दिन)	250	25.77	—	—
यूनियन केबीसी लिक्विड	110	11.00	450	45.05
यूटीआई लिक्विड कैश प्लान - डायरेक्ट डेली डिविडेन्ड रिइन्वेस्टमेंट	150	15.01	—	—
यूटीआई मनी मार्केट फंड	—	—	798	80.07
कुल - अन्य चालू निवेश	—	**80.81**	—	**592.96**
अतिरिक्त सूचना				
उद्धृत निवेशों का सकल वही मूल्य और इनका बाजार मूल्य	—	80.81	—	592.96
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि	—	—	—	—
निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि	—	—	—	—

संवर्ग-वार वर्गीकरण

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियों (उद्धृत निवेश) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से परिमित (एफवीटीपीएल)	80.81	592.96
	80.81	**592.96**

10. व्यापारिक प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) अच्छा माना गया - सुरक्षित	—	—
(ख) अच्छा माना गया - असुरक्षित	—	—
(ग) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	—	—
(घ) ऋण क्षति	37.11	37.11
घटाएं: संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते (अपेक्षित ऋण हानि भत्ते)	37.11	37.11
निवल गैर-चालू व्यापारिक प्राप्य	—	—

ख. चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) अच्छा माना गया - सुरक्षित	—	—
(ख) अच्छा माना गया - असुरक्षित	240.52	258.13
(ग) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	—	—
(घ) ऋण क्षति	—	—
घटाएं: संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते	—	—
निवल चालू व्यापारिक प्राप्य	**240.52**	**258.13**

10. व्यापारिक प्राप्य (जारी)

टिप्पणियाँ:

10.1 माल (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण-पत्र के विरुद्ध की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम को बिक्री पर समायोजित किया जाता है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए औसत उधारी अवधि मीटरिंग की तिथि से 30 दिनों की होती है, जिसे संग्रह अवधि माना जाता है। ग्रहीत विद्युत संयंत्र में सृजित अनिश्चित तापज विद्युत की बिक्री के लिए कोई व्यावसायिक व्यवस्था नहीं है। यह संयंत्र की जरूरत की दृष्टि से चक्रीय व्यवस्था के साथ जोड़ी गई है। ऐसी विद्युत बिक्री के खाते में प्राप्य राशि को निपटाने में लंबी अवधि लगती है। ऐसी बिक्री के लिए कोई प्राप्य नहीं है क्योंकि उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए ग्रिड से आहरित विद्युत की क्रय लागत ऐसी बिक्री की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक है।

10.2 ग्राहक जो व्यक्तिगत रूप से 31.03.2019 को यथा कुल व्यापारिक प्राप्य के 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं :

	ग्राहक	व्यापारिक प्राप्य का %	ग्राहक की श्रेणी
क.	ग्लेनकोर इंटरनेशनल एजी	36%	एल्यूमिना
ख.	एपीएसपीडीसीएल	15%	पवन विद्युत
ग.	आरडीपीपीसी, देवीकोट, राजस्थान	9%	पवन विद्युत

10.3 मामले से मामले के आधार पर व्यापारिक प्राप्य के लिए आशान्वित ऋण हानि भत्ते के संगणन के द्वारा कंपनी ने एक व्यावहारिक तरीका अपनाया है। चूँकि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई उधारी अवधि नहीं है और बिक्री या तो अग्रिम के विरुद्ध की जाती है या ग्राहक द्वारा दिए गए साख-पत्र (एलसी) की मदद से की जाती है, ऐसे प्राप्यों के लिए कोई उधारी हानि अपेक्षित नहीं है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए, हालांकि कोई उधारी व्यवस्था नहीं है, परंतु कंपनी ने उधारी हानि अनुभव के आधार पर और अग्रदर्शी सूचना के आधार पर उधारी हानि का आकलन किया है।

10.4 **प्राप्यों की आयु**

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम		
0-30 दिन	167.36	225.30
3-6 महीने	—	—
6 महीने से अधिक	37.11	37.11
	204.47	262.41
पवन ऊर्जा		
0-3 महीने	14.50	18.90
3-6 महीने	9.89	3.83
6 महीने से अधिक	48.77	10.10
	73.16	32.83

11. ऋण

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) कर्मचारियों को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	62.60	64.44
असुरक्षित, अच्छा माना गया	11.90	10.12
(ख) अन्य को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.24	0.40
कुल गैर-चालू ऋण	74.74	74.96

ख. चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) कर्मचारियों को ऋण		
अच्छा माना गया-सुरक्षित	17.88	18.74
अच्छा माना गया-असुरक्षित	7.16	10.27
(ख) संबंधित पार्टियों को ऋण		
अच्छा माना गया-सुरक्षित [टिप्पणी 11.2 का संदर्भ लें]	0.01	0.01
(ग) अन्य को ऋण		
अच्छा माना गया-सुरक्षित	0.70	0.27
कुल चालू ऋण	25.75	29.29

टिप्पणी:

11.1 कर्मचारियों और अन्य को ऋण परिशोधित लागत पर लिए गए हैं।

11.2 प्रासंगिक पार्टियों (निदेशकों) से बकाया ऋण की राशि कंपनी के निदेशकों द्वारा उनके निदेशक-पद में योग के पूर्व कर्मचारी के रूप में लिए गए गृह निर्माण ऋण की राशि है। इन ऋणों पर आगे की सूचना टिप्पणी-39 प्रासंगिक पार्टी प्रकटन में निर्दिष्ट है।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
प्रतिभूति जमा	10.37	13.14
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10.37	13.14

ख. चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) प्रतिभूति जमा [टिप्पणी 12.2 का संदर्भ लें]	—	151.00
(ख) कर्मचारियों को अग्रिम	0.12	—
(ग) बीमा दावा प्राप्य और अन्य	9.56	10.44
(घ) व्युत्पन्न परिसंपत्तियाँ - अग्रस्थ ठेका	—	(0.44)
सकल - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9.68	161.00
घटाएं: खराब और संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ते		
बीमा दावे	8.45	8.45
कुल खराब और संदिग्ध-अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते	8.45	8.45
कुल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1.23	152.55

टिप्पणी:

12.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ परिशोधित लागत पर ली गई हैं।

12.2 गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (जीएमडीसी) के साथ संयुक्त रूप से गुजरात में एल्यूमिना परिशोधक की स्थापना के समझौते को पारस्परिक रूप से रद्द कर दिया गया है एवं जीएमडीसी के पास अग्रिम राशि के रूप में भुगतान की गई ₹151 करोड़ की जमा राशि वर्ष के दौरान वसूल की गई है।

13. चालू कर आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
आय कर	51.26	33.66
कुल चालू कर आस्तियाँ	51.26	33.66

14. अन्य आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) पूँजी अग्रिम	222.57	153.83
(ख) पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
सार्वजनिक निकायों के पास अग्रिम		
(1) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पत्तन न्यास आदि	226.86	230.68
(2) आयकर प्राधिकारी के पास जमा	268.06	293.27
(3) अन्य सरकारी प्राधिकारी	2.65	4.59
(ग) अन्य		
पूर्व भुगतान किए गए व्यय		
(1) पट्टा-युक्त भूमि के लिए प्रीमियम	377.35	136.17
(2) आस्थगित कर्मचारी लाभ	19.66	25.66
सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	1,117.15	844.20
घटाएँ: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु भत्ते		
(क) पूँजी अग्रिम	0.27	0.27
कुल खराब एवं संदिग्ध अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते	0.27	0.27
कुल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	1,116.88	843.93

14. अन्य आस्तियाँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

ख. चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) सांविधिक प्राधिकारियों के पास दावे		
(1) निर्यात प्रोत्साहन दावे	29.87	34.23
(2) नवीकरणीय स्रोत से सृजित विद्युत पर सृजन आधारित प्रोत्साहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	2.73	7.27
(3) वेट, सेनवेट एवं जीएसटी क्रेडिट वसूलीयोग्य	302.78	258.27
(4) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	8.94	33.62
(ख) पूर्व भुगतान किए गए व्यय		
(1) पट्टायुक्त भूमि के लिए प्रीमियम	12.95	7.68
(2) आस्थगित कर्मचारी लाभ	4.21	4.57
(3) अन्य पूर्व प्रदत्त व्यय	6.65	4.12
(ग) हाथ में स्वर्ण मुद्राएँ एवं डाक टिकटें	0.08	0.07
(घ) अन्य प्राप्य	2.08	1.90
(ङ) अन्य अग्रिम		
(i) कर्मचारियों को अग्रिम	24.16	23.91
(ii) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा-प्रदाताओं को अग्रिम	304.40	312.51
(iii) अन्य	7.47	5.72
सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	706.32	693.87
घटाएँ: खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते		
(क) वेट एवं सेनवेट क्रेडिट वसूलीयोग्य	200.09	200.27
(ख) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे	6.39	7.74
(ग) अन्य प्राप्य	1.26	0.98
(घ) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	1.81	2.38
(ङ) अन्य	2.00	2.64
खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए कुल भत्ते	211.55	214.01
कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	494.77	479.86

टिपणी:

14.1 पट्टायुक्त भूमि के अधिग्रहण पर पूर्व प्रदत्त पट्टा प्रीमियम की वस्तु स्थिति निम्नानुसार है:

प्रारंभिक अपरिशोधित ऋण राशि	वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पट्टा प्रीमियम	वर्ष के दौरान ऋण परिशोधन	अंतिम अग्रेनीत अपरिशोधित ऋण राशि
143.85	321.97	75.52	390.30

14.2 कंपनी के पास 1624.18 एकड़ की पट्टायुक्त भूमि है, जिसके लिए पट्टा अधिकार-पत्र का निष्पादन किया जाना है। हालांकि कंपनी को उक्त भूमि पर अपने प्रचालन को जारी रखने के लिए संबंधित प्राधिकारियाँ से अनुमित दी गई है।

14.3 कंपनी ने खनन पट्टा के विस्तारीकरण को प्राप्त करने के प्रयोजन से अंतरीय स्टाम्प शुल्क के भुगतान हेतु, यदि भारतीय स्टाम्प (ओड़िशा संशोधन) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में देय हो, एक आश्वासन दाखिल किया है, इस संबंध में विवाद न्यायालय में अभी भी लम्बित है। ऐसी वचनबद्धता और साथ ही बाहरी कानूनी विशेषज्ञ की राय जो संसाधनों के बहिर्भाव की संभावना के सूचक है, के कारण, ओड़िशा सरकार द्वारा की गई मांग के तहत ₹191.72 करोड़ की स्टाम्प शुल्क देनदारी, जो अभी तक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया था, को पट्टायुक्त परिसंपत्तियों के मूल्य में तदनुरूपी संयोजन के साथ ₹20.25 करोड़ के पंजीकरण शुल्क सहित देनदारी के रूप में मान्यता दी गई है।

₹62.44 करोड़ की राशि जो 20 वर्षों की कुल पट्टा अवधि में 31.03.2018 तक की समाप्त हो चुकी पट्टा अवधि के अनुरूप है, को वर्ष के दौरान वर्तमान वर्ष के लिए ₹10.60 करोड़ की परिशोधन राशि के अलावा परिसंपत्ति में उक्त संयोजन के परिशोधन के रूप में प्रभारित किया गया है।

15. मालसूचियाँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क)	कच्चे माल	125.55	161.07
(ख)	कोयला एवं ईंधन तेल	199.97	188.64
(ग)	तैयार उत्पाद	122.29	143.21
(घ)	कार्बन एनोड (मध्यवर्ती वस्तुएँ)	141.12	77.76
(ङ)	प्रगति में कार्य	246.95	284.33
(च)	भंडार और कल-पुर्जे	361.10	319.48
(छ)	स्क्रैप एवं निपटानयोग्य वस्तुएँ	13.03	19.59
कुल मालसूचियाँ		1,210.01	1,194.08
ऊपर शामिल, मार्गस्थ मालः			
(i)	कच्चे माल	9.26	17.23
(ii)	कोयला एवं ईंधन तेल	13.87	8.47
(iii)	भंडार और कल पुर्जे	12.15	12.88
कुल मार्गस्थ माल		35.28	38.58

टिप्पणी:

15.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत ₹4516.36 करोड़ है (पिछले वर्षः ₹4143.52 करोड़).

15.2 व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत में गैर-सचल वस्तुओं के लिए मालसूची के बट्टे खाते डाले जाने के संबंध में ₹3.52 करोड़ (पिछले वर्षः ₹5.47 करोड़) शामिल है।

15.3 ये मालसूचियाँ कैश-क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध बन्धक/वचनबद्ध हैं।

15.4 मालसूचियों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति 3.10 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में वर्णित है।

16.क. नकद और नकद समतुल्य

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क)	बैंक में शेष			
	(1)	अनुसूचित बैंकों में शेष		
		(i) चालू खाते में	171.60	25.35
कुल नकद एवं नकद समतुल्य			171.60	25.35

16.ख. बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)

		31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क)	जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3-12 महीने के बीच वाले)	2,972.65	2,586.88
	मूलधन	2,880.00	2,532.00
	प्रोद्भूत ब्याज	92.65	54.88
(ख)	अनुसूचित बैंक में निश्चित किए गए शेष	352.10	156.72
कुल अन्य बैंक शेष		3,324.75	2,743.60

टिप्पणी :

16.ख.1 अनुसूचित बैंकों में निश्चित किए गए शेष, विवादित विद्युत प्रभार के लिए न्यायालय के अनुदेश के तहत ₹ 3.27 करोड़ की दावाहीन लाभांश राशि (पिछला वर्ष ₹1.70 करोड़) एवं ₹ 348.83 करोड़ (पिछला वर्षः ₹155.02 करोड़) की जमा (प्रोद्भूत ब्याज समेत) बाबत जमा की गई राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

16.ख.2 चालू वर्ष के अंत में निवेशक की शिक्षण और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए देय राशि ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

17. शेयर पूँजी

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
अधिकृत शेयर पूँजी :		
₹ 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	**3,000.00**
जारी और अभिदत्त पूँजी में शामिल है:		
₹ 5 प्रत्येक के 1,86,56,17,498 पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर (31.03.2018 को यथा: ₹ 5 प्रत्येक 1,93,29,28,884 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	932.81	966.46
	932.81	**966.46**

17.1 इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान

	शेयरों की संख्या	राशि करोड़ ₹ में
31.03.2017 को यथा शेष	**1,93,29,28,884**	**966.46**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2018 को यथा शेष	**1,93,29.28,884**	**966.46**
शेयरों की वापस खरीद	(6,73,11,386)	(33.65)
31.03.2019 को यथा शेष	**1,86,56,17,498**	**932.81**

(i) कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिसके प्रत्येक का मूल्य ₹ 5 के समान है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक के पास एक मत प्रति शेयर का अधिकार है एवं उनकी धारिता पर आधारित कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का समानुपातिक अधिकार इस पर है।

(ii) वापस खरीदः वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने ₹5 प्रत्येक के 64,43,09,628 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस ख़रीद की जिससे इक्विटी शेयर पूँजी ₹1,288.62 करोड़ से घटकर ₹966.46 करोड़ रह गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने फिर से ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पूँजी ₹966.46 करोड़ से पुनः घटकर ₹ 932.81 करोड़ रह गई।

(iii) विनिवेशः वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने 27,77,65,383 संख्यक पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर (ओएफएस के माध्यम से 17,80,69,927 संख्यक, कर्मचारी प्रस्ताव के माध्यम से 76,17,057 संख्यक एवं ईटीएफ के माध्यम से 9,20,78,399 संख्यक), जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2017 को 1,44,14,82,490 संख्यक (74.58%) से घटकर 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.2%) रह गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने फिर से ईटीएफ के माध्यम से 8,89,86,323 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया है। 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा ईटीएफ के माध्यम से शेयरों की वापस खरीद एवं अंतरण के कारण भारत सरकार की धारिता 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.20%) से घटकर 31.03.2019 को 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) रह गई।

17.2 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा		31.03.2018 को यथा	
	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %
पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर				
भारत सरकार	97,00,81,517	51.99%	1,16,37,17,107	60.20%
भारतीय जीवन बीमा निगम	9,34,35,272	5.00%	15,84,31,120	8.20%
अन्य	80,21,00,709	42.99%	61,07,80,657	31.60%
कुल	**1,86,56,17,498**	**100.00%**	**1,93,29,28,884**	**100.00%**

18. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) पूँजी मोचन आरक्षित	355.81	322.16
(ख) सामान्य आरक्षित	8,112.98	8,620.41
(ग) प्रतिधारित आय	1,082.91	595.78
कुल	9,551.70	9,538.35

18.1 अन्य इक्विटी में संचलन

राशि करोड़ ₹ में

अन्य इक्विटी	आरक्षित एवं अधिशेष			
	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
31.03.2017 को यथा शेष	**322.16**	**8,620.41**	**296.76**	**9,239.33**
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	1,342.41	1,342.41
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	50.03	50.03
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**1,392.44**	**1,392.44**
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर प्रीमियम	—	—	—	—
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर व्यय	—	—	—	—
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	—	—	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	—	—
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(908.48)	(908.48)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(184.94)	(184.94)
31.03.2018 को यथा शेष	**322.16**	**8,620.41**	**595.78**	**9,538.35**
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	1,732.40	1,732.40
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(0.15)	(0.15)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**1,732.25**	**1,732.25**
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर प्रीमियम	—	(471.18)	—	(471.18)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर व्यय (कर लाभ का शुद्ध)	—	(2.60)	—	(2.60)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	33.65	(33.65)	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(193.29)	(193.29)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	(39.73)	(39.73)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(839.53)	(839.53)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(172.57)	(172.57)
31.03.2019 को यथा शेष	**355.81**	**8,112.98**	**1,082.91**	**9,551.70**

18.2 कंपनी ने 26 सितम्बर, 2016 को प्रीमियम राशि सहित ₹ 2,834.97 करोड़ की राशि के सामान्य आरक्षित में से अपने निजी इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की और परिणामस्वरूप इस प्रकार वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर की राशि ₹ 322.16 करोड़ का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 की शर्तों के अनुसार पूँजी मोचन आरक्षित खाता में हस्तांतरित किया गया।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 4 दिसंबर, 2018 को ₹75 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की खरीद की है। एकीकृत भुगतान किया गया मूल्य ₹504.83 करोड़ था। पुनः खरीद के बाद कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी में ₹33.65 करोड़ की कमा आई है जो ₹966.46 करोड़ से घटकर ₹932.81 करोड़ रह गई। प्रीमियम राशि ₹471.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से ली गई है। शेयर 7 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो गई एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ₹33.65 करोड़ की राशि सामान्य आरक्षित निधि से पूँजी विमोचन आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।

18.3 वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 4.50 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से कुल ₹839.53 करोड़ की राशि के अंतरिम लाभांश एवं वर्ष 2017-18 के लिए, ₹1 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से कुल ₹193.29 करोड़ की राशि के अंतिम लाभाश का भुगतान किया है। पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 908.48 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। लाभांश की इन संबंधित राशियों पर ₹ 172.57 करोड़, ₹ 39.73 करोड़ एवं ₹ 184.94 करोड़ के लाभांश कर का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया है।

18.4 बोर्ड ने आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु ₹233.20 करोड़ के ₹ 1.25 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश (प्रत्येक ₹ 5 के इक्विटी शेयर पर 25%) का प्रस्ताव दिया है। लागू लाभांश वितरण कर के विचार से लाभांश भुगतान राशि ₹281.14 करोड़ निकाली गई है।

19. उधारी

राशि करोड़ ₹ में

चालू (परिशोधित लागत पर सुरक्षित)	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
छूट दिए गए बिलों की देनदारियाँ	66.79	44.99
कुल अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ	66.79	44.99

20. व्यापारिक लेखा-देय

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क.	गैर-चालू			
	(1)	आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
		— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
		— अन्य	21.14	15.63
	कुल गैर-चालू कारोबार देय		21.14	15.63
ख.	चालू			
	(1)	आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
		— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	2.22	4.53
		— अन्य	435.38	507.50
	(2)	उपार्जित मजदूरी और वेतन	848.17	449.71
	कुल चालू कारोबार देय		1,285.77	961.74

टिप्पणी:

20.1 01.01.2017 से प्रभावी, कंपनी के गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के संबंध में दीर्घमियादी मजदूरी वर्ष के दौरान अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है। समझौते की अनुपालन में, 31.03.2019 तक वेतन संशोधन के लिए देयता ₹530 करोड़ रहा है। अनुमानित लागत पर पिछले वर्ष ₹275 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। ₹255 करोड़ की अंतरीय राशि वर्तमान वर्ष में प्रदान की गई है।

20.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्ष की पहचान के तहत किया गया है। व्यापारिक लेखा-देय (टिप्पणी-20) एवं अन्य वित्तीय देनदारियों (टिप्पणी-21) में सम्मिलित ऐसे बकायों के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसरण में प्रकटन निम्नवत् है :

विवरण		31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
i)	बकाया मूलधन	2.69	5.82
ii)	बकाया मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन	शून्य	शून्य
iv)	भुगतान में विलंब (जो भुगतान किया गया, परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) की अवधि के लिए देय ब्याज राशि परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज राशि जोड़े बिना	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज की राशि एवं भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
vi)	शेष देय ब्याज की राशि और बाद के वर्षों की ऐसी तिथि तक देय जब उपर्युक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अन्तर्गत कटौतीयोग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यमों को वस्तुतः भुगतान किया गया है।	शून्य	शून्य

21. अन्य वित्तीय देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क.	गैर-चालू			
	(1)	आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
		— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
		— अन्य	6.70	2.85
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ		6.70	2.85
ख.	चालू			
	(क)	अदत्त लाभांश	3.27	1.70
	(ख)	अन्य देयताओं के लिए लेनदार		
		(1) पूँजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
		— सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	0.47	1.29
		— अन्य	299.35	397.38
		(2) ग्राहकों से प्रतिभूति जमा	1.78	2.24
		(3) ग्राहकों को बकाये की वापसी	7.84	15.41
		(4) ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएँ	98.00	94.69
		(5) कर्मचारी वसूली	0.15	0.16
	कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएँ		410.86	512.87

22. प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क.	गैर-चालू			
(क)	कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान			
	(1)	**सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व**		
		(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	117.22	116.35
		(ii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	19.52	1.82
		(iii) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	2.45	2.32
		(iv) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	11.56	10.27
		(v) सेवानिवृत्ति उपहार	6.79	6.45
	(2)	**अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ**		
		(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	315.57	249.77
		(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कार	9.31	9.10
		(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	17.01	16.06
(ख)	अन्य प्रावधान			
	(1)	परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व/विखंडन	31.12	23.57
	(2)	अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	0.38	0.38
कुल गैर-चालू प्रावधान			530.93	436.09

			31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
ख.	चालू			
(क)	कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान			
	(1)	**सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व**		
		(i) ग्रैचुइटी (वित्त पोषित)	57.40	271.05
		(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	6.22	10.18
		(iii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	2.90	0.45
		(iv) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	0.59	1.30
		(v) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	0.34	3.37
		(vi) सेवानिवृत्ति उपहार	0.14	0.63
	(2)	**अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ**		
		(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	31.69	23.29
		(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कार	1.05	0.99
		(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	5.57	5.55
(ख)	अन्य प्रावधान			
	(1)	परिधीय विकास व्यय की बाबत	31.53	32.64
	(2)	अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व की बाबत	28.08	26.43
कुल चालू प्रावधान			165.51	375.88

22. प्रावधान (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

ग. प्रावधानों का संचलन

(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व का संचलन [टिप्पणी 31 का संदर्भ लें]

(2) कर्मचारी लाभों का संचलन

	क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	लम्बी सेवा के पुरस्कार	एनईएफएफएआरएस
31.03.2017 को यथा शेष	230.83	9.50	27.79
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	56.08	1.21	8.17
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(93.54)	(2.47)	(14.35)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	79.69	1.86	—
31.03.2018 को यथा शेष	273.06	10.10	21.61
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	108.68	1.26	18.06
भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ	(76.91)	(1.51)	(17.09)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	42.43	0.51	—
31.03.2019 को यथा शेष	347.26	10.36	22.58

(3) अन्य प्रावधानों का संचलन	परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व	कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	परिधीय विकास व्यय
31.03.2017 को यथा शेष	21.70	18.15	33.36
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.09	8.65	—
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	—	—	(0.72)
छूट का फैलाव	1.78	0.02	-
31.03.2018 को यथा शेष	23.57	26.82	32.64
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	5.23	3.87	—
भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ		(2.28)	(1.05)
छूट का फैलाव	2.32	0.05	—
31.03.2019 को यथा शेष	31.12	28.46	31.59

टिप्पणी:

22.1 सेवानिवृत्ति एवं अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधान ग्रेचुइटी अधिनियम के अनुसार ग्रेचुइटी एवं कंपनी नियमों के अनुसार अन्य लाभ के लिए प्रदान किए गए। इनके लिए स्वतंत्र बीमांकक के बीमांकिक आकलन के आधार पर देयता की स्वीकृति दी गई है।

22.2 परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व एवं रचनात्मक दायित्व के लिए प्रावधान क्रमशः इंड एएस 16 एवं इंड एएस 37 के अनुरूप प्रबंधन के आकलन के आधार पर किया गया है।

22.3 परिधीय विकास व्यय के लिए प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 के आगमन से पूर्व कंपनी का अव्ययित विकास दायित्व है।

23. आस्थगित कर देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
आस्थगित कर देयताएँ	1,560.12	1,501.72
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	429.45	350.27
	1,130.67	**1,151.45**

2017-18	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2018 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,463.93)	(19.00)	—	(1,482.93)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(22.93)	25.78		2.85
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(19.01)	—	(2.63)	(21.64)
आस्थगित कर देयताएँ	(1,505.87)	6.78	(2.63)	(1,501.72)

23. आस्थगित कर देयताएँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2018 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँः				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	92.79	1.71	—	94.50
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	57.11	31.44	—	88.55
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	84.86	5.36	—	90.22
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	—	60.12	—	60.12
एमएटी क्रेडिट अधिकार	17.46	(4.95)		12.51
अन्य	8.07	(3.70)	—	4.37
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**260.29**	**89.98**	**—**	**350.27**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**(1,245.58)**	**96.76**	**(2.63)**	**(1,151.45)**

2018-19	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2019 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँः				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,482.93)	(62.13)		(1,545.06)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.85	0.09		2.94
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(21.64)	—	3.64	(18.00)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,501.72)**	**(62.04)**	**3.64**	**(1,560.12)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँः				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	94.50	26.85		121.35
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	88.55	(0.38)		88.17
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	90.22	0.02		90.24
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	60.12	65.15		125.27
एमएटी क्रेडिट अधिकार	12.51	(12.51)		—
अन्य	4.37	0.04		4.42
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**350.27**	**79.17**	**—**	**429.45**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**(1,151.45)**	**17.13**	**3.64**	**(1,130.67)**

24. अन्य देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क. गैर-चालू		
(i) एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	67.89	62.04
कुल अन्य गैर-चालू देयताएँ	**67.89**	62.04

24. अन्य देयताएँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
ख. चालू		
(i) अग्रिम में प्राप्त राजस्व	57.72	53.06
(ii) सांविधिक एवं अन्य बकाये		
(क) विद्युत प्रभार [टिप्पणी: 24.1 का संदर्भ लें]	385.90	192.01
(ख) स्रोत पर कर कटौती एवं संग्रह	24.38	40.91
(ग) एनईपीएफ न्यास एवं एनपीएस में अंशदान	35.58	47.40
(घ) स्टाम्प शुल्क बाबत विवादित बकाया	212.78	-
(ङ) अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि)	78.28	53.53
(iii) नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व [टिप्पणी : 24.2 का संदर्भ लें]	162.71	146.87
(iv) एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	17.64	10.69
(v) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुदान	0.56	0.58
(vi) अन्य ऋण शेष	0.64	0.40
कुल अन्य चालू देयताएँ	**976.19**	**545.45**

टिप्पणी:

24.1 ओड़िशा सरकार के ऊर्जा विभाग ने दिनांक 12 मई, 2017 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से विद्युत प्रभार की दर को प्रति इकाई खपत के लिए ₹0.30 पैसे प्रति इकाई से बढ़ाकर ₹0.55 पैसे प्रति इकाई कर दिया है। उक्त अधिसूचना से असंतुष्ट होकर, ग्रहीत विद्युत संयंत्र के संघ, ओड़िशा, जिसकी कंपनी एक सदस्य है, ने ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी है। अंतरिम उपाय के तौर पर, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.06.2017 के अपने आदेश में याचिकाकर्ता को अंतरणीय विद्युत प्रभार को एक पृथक ब्याज भारित बैंक खाता में जमा करने का निर्देश दिया है जो कि समादेश याचिका के परिणाम के अधीन होगा। इसी अनुसार, कंपनी ने वर्धित दर पर विद्युत प्रभार व्यय के लिए प्रावधान किया है एवं न्यायालय के निर्देशानुसार एक पृथक ब्याज भारित बैंक खाता में राशि जमा की गई। ऐसी जमा राशि पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। परंतु अदत्त वर्धित विद्युत प्रभार के साथ देयता के रूप में ली गई है। ऐसे विवादित देयता के विरुद्ध रिपोर्टिंग तिथि को जमा के रूप में पड़ी हुई राशि ₹348.83 करोड़ (पिछला वर्ष ₹155.02 करोड़) है [टिप्पणी 16.ख.1 देखें]।

24.2 दिनांक 1 अगस्त, 2015 की ओड़िशा विद्युत नियामक आयोग (ओईआरसी) अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार एक दायित्वशील संगठन होने के कारण कंपनी के पास नवीकरणीय स्रोतों से अपनी कुल खपत के 9.5% (पिछले वर्ष 7.5%) के बराबर बिजली उत्पादन का दायित्व है, जिसमें सौर नवीकरणीय स्रोत से 4.5% (पिछले वर्ष 3%) एवं गैर सौर नवीकरणीय स्रोत से 5% (पिछले वर्ष 4.5%) शामिल है।

₹ 1,500 (पिछले वर्ष ₹ 1,500) प्रति प्रमाणपत्र पर मूल्यांकित 1,83,642 (पिछले वर्ष 1,09,444) नग गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) बाबत दिनांक 31.03.2019 को संचयी गैर-सौर दायित्व ₹27.57 करोड़ (दिनांक 31.03.2018 को ₹16.42 करोड़) है। वर्ष के दौरान नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन में 1,67,964 नग (पिछले वर्ष 1,49,829 नग) गैर-सौर आरईसी कंपनी द्वारा प्रतिधारित किए गए हैं।

सौर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से अपेक्षित मात्रा में बिजली उत्पादन के दायित्व को पूरा न कर पाने के कारण कंपनी ने ₹ 2,000 (पिछले वर्ष ₹ 3,500) प्रति प्रमाणपत्र पर मूल्यांकित 6,75,716 (पिछले वर्ष 3,72,716) नग सौर आरईसी के बाबत ₹ 135.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 130.45 करोड़) के लिए दिनांक 31.03.2019 तक संचयी देयता प्रदान किया है।

25. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
क. सांविधिक प्राधिकारी से मांग		
1. एसटी/सीएसटी/वीएटी	376.55	366.17
2. उत्पाद शुल्क	418.32	100.68
3. सीमा शुल्क	102.77	102.77
4. सेवा कर	21.92	18.11
5. आय कर	670.09	706.40
6. प्रवेश कर एवं सड़क कर	224.48	232.28
7. भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	46.98	35.49
8. स्टाम्प ड्यूटी	0.00	204.53
9. खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	136.32
10. खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	92.45	93.10
11. जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	119.24
12. सरकार से दावा (एनजीटी)	6.00	—
13. पीएसयू से दावा	50.12	—
ख. ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे		
1. ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	506.34	436.99
कुल	**2,771.59**	**2552.08**

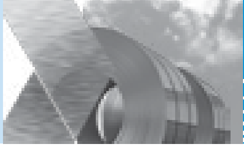

25. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक) (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हुए हैं, में शामिल है :

i. आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी प्रभार की बाबत विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से मांग की लड़ाई कर रही हैं। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन-परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

ii. सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए विवाचन/न्यायालयों के पास ठेकेदार के लम्बित दावे व्यवसाय की सामान्य कार्य-प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी यथा संगत यह आशा करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ जब अंतिम रूप में निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगी, तो कंपनी के पक्ष में रहेंगी और कंपनी के प्रचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

25.1 आकस्मिक देयताओं का संचलन

			31.03.2018 को यथा शेष	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के दौरान संयोजन	31.03.2019 को यथा शेष
क.	सांविधिक प्राधिकारी से मांग					
	1.	एसटी/सीएसटी/वीएटी	366.17	(1.57)	11.95	376.55
	2.	उत्पाद शुल्क	100.68	(87.21)	404.85	418.32
	3.	सीमा शुल्क	102.77	-	-	102.77
	4.	सेवा कर	18.11	(0.51)	4.32	21.92
	5.	आय कर	706.40	(86.87)	50.56	670.09
	6.	प्रवेश कर एवं सड़क कर	232.28	(7.80)	-	224.48
	7.	भूमि अधिग्रहण एवं इस पर ब्याज	35.49	-	11.49	46.98
	8.	स्टाम्प ड्यूटी	204.53	(204.53)	-	0.00
	9.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	-	-	136.32
	10.	खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	93.10	(0.65)	-	92.45
	11.	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	-	-	119.24
	12.	सरकार से दावा (एनजीटी)	-	-	6.00	6.00
	13.	पीएसयू से दावा	-	-	50.12	50.12
ख.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं और अन्य द्वारा दावे					
	1.	ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	436.99	(3.84)	73.19	506.34
	कुल		2,552.08	(392.98)	612.48	2,771.59

26. वचनबद्धताएँ

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क)	पूँजी खाते में अनुबंध की अनुमानित लागत, जिनका निष्पादन अभी किया जाना है एवं प्रदान नहीं की गई है		829.92	297.02
ख)	अन्य वचनबद्धताएँ			
	(1)	उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक के आबंटन के लिए भारत सरकार को देय राशि, मगर अभी भुगतान के लिए नियत नहीं हुआ है।	18.11	18.11
	(2)	निर्यात प्रोत्साहन पूँजी वस्तु योजना के अधीन पूँजी वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व	168.75	107.80
	कुल		1016.78	422.93

27. प्रचालनों से राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क समेत)		
1) निर्यात :		
i) एल्यूमिना	4,222.41	3,047.36
ii) एल्यूमिनियम	570.30	1,028.10
2) घरेलू :		
i) एल्यूमिना	212.67	152.01
ii) एल्यूमिनियम	6,253.33	5,188.28
(ख) विद्युत की बिक्री		
i) तापज विद्युत	1.57	3.40
ii) पवन विद्युत	126.04	85.97
(ग) अन्य प्रचालन आय		
1) निर्यात प्रोत्साहन		
i) एल्यूमिना	45.91	33.06
ii) एल्यूमिनियम	16.72	30.24
2) नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन		
i) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	39.37	33.84
ii) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	8.53	6.94
3) आंतरिक रूप से प्रयुक्त/पूँजीकृत स्वयं निर्मित वस्तुएँ	2.47	9.11
प्रचालनों से राजस्व	11,499.32	9,618.31

टिप्पणी :

27.1 वर्ष 2017-18 के दौरान एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की घरेलू बिक्री में 30.06.2017 तक विवेचित क्रमशः ₹ 4.22 करोड़ एवं ₹ 124.74 करोड़ की राशि का उत्पाद शुल्क शामिल है ।

27.2 01.07.2017 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन संग्रहित वस्तु एवं सेवा कर बिक्री में शामिल नहीं है।

28. अन्य आय

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) ब्याज आय		
(i) वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं हुई है :		
— बैंक जमा	224.28	171.89
— कर्मचारियों को ऋण	9.69	12.46
— परिशोधित मूल्य पर वहन की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3.17	0.44
(ii) आय कर वापसी के बाबत अर्जित ब्याज आय	—	—
(ख) लाभांश आय		
— चालू निवेशों से लाभांश	30.61	33.65
(ग) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध लाभ/(हानि)		
(घ) विदेशी मुद्रा शुद्ध लाभ/(हानि)	8.62	(2.55)
(ङ) एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)	(2.16)	2.96
(च) अन्य गैर-चालू निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	-	13.91
(छ) देयताओं के पुनरांकन की अब आवश्यकता नहीं [टिप्पणी: 28.1 का संदर्भ लें]	12.04	20.56
(ज) आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप से आय	19.47	22.68
(झ) अन्य	20.15	23.65
कुल अन्य आय	325.87	299.65

टिप्पणी:

28.1 रिपोर्टिंग की तिथि को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बहियों में पड़ी हुई दावाहीन देयता पुनरांकित हुई हैं एवं आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

29. खपत की हुई सामग्री की लागत

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क.	कच्चे माल		
	(1) कॉस्टिक सोड़ा	941.02	795.39
	(2) सी.पी. कोक	645.43	403.70
	(3) सी.टी पिच	176.41	127.80
	(4) एल्यूमिनियम फ्लूओराइड	75.43	62.67
	(5) चूना	50.00	45.06
	(6) अन्य	31.39	30.69
	खपत किए गए कच्चे माल का योग	1,919.68	1,465.31
ख.	विद्युत एवं ईंधन		
	(1) कोयला [टिप्पणी 29.1 का संदर्भ लें]	1,525.72	1,757.22
	(2) ईंधन तेल	708.06	523.66
	(3) निजी उत्पादन पर शुल्क [टिप्पणी: 24.1 का संदर्भ लें]	406.51	400.70
	(4) विद्युत क्रय	283.64	60.36
	(5) विद्युत पारेषण प्रभार	3.19	5.98
	खपत किए गए विद्युत और ईंधन का योग	2,927.12	2,747.92

टिप्पणी:

29.1 दिनांक 30 मई, 2018 के परिपत्र के माध्यम से जीएसटी बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण के फलस्वरूप कंपनी ने कोयले पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बाबत 01.07.2017 से बकाया समेत धन वापसी का दावा किया है। 31.03.2019 तक दावा की गई कुल राशि ₹231.58 करोड़ है जिसे वर्तमान वर्ष के कोयला व्यय के विरुद्ध समायोजित किया गया है।

30. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
तैयार माल		
प्रारंभिक स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	9.20	3.07
(2) रसायन	114.18	154.15
(3) एल्यूमिनियम	19.83	41.52
प्रारंभिक स्टॉक	**143.21**	**198.74**
जोड़ें : उत्पाद शुल्क		
(1) बॉक्साइट	—	—
(2) रसायन	—	18.22
(3) एल्यूमिनियम	—	5.76
प्रारंभिक स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	—	23.98
तैयार माल के प्रारंभिक स्टॉक का योग	143.21	222.72
घटाएँ :		
अंतिम स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	18.12	9.20
(2) रसायन	91.48	114.18
(3) एल्यूमिनियम	12.68	19.83
अंतिम स्टॉक	**122.28**	**143.21**
जोड़ें : उत्पाद शुल्क		
(1) बॉक्साइट	—	—
(2) रसायन	—	—
(3) एल्यूमिनियम	—	—
अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	—	—
तैयार माल के अंतिम स्टॉक का योग	122.28	143.21
तैयार माल में (अभिवृद्धि)/कमी	20.93	79.51

30. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
मध्यवर्ती उत्पाद		
प्रारंभिक स्टॉक		
एनोड	66.75	82.97
अन्य	10.99	10.65
मध्यवर्ती उत्पादों के प्रारंभिक स्टॉक का योग	77.74	93.62
घटाएं : अंतिम स्टॉक		
एनोड	122.16	66.75
अन्य	18.97	10.99
मध्यवर्ती उत्पादों के अंतिम स्टॉक का योग	141.13	77.74
मध्यवर्ती उत्पादों में (अभिवृद्धि)/कमी	(63.39)	15.88
चल रहे कार्य		
प्रारंभिक स्टॉक	284.33	236.37
घटाएं : अंतिम स्टॉक	246.95	284.33
चल रहे कार्य में (अभिवृद्धि)/कमी	37.38	(47.96)
मालसूची में (अभिवृद्धि)/कमी का योग	(5.08)	47.43

31. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) बोनस सहित वेतन और मजदूरी	1,718.22	1,659.81
(ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		
1) भविष्य निधि	102.91	100.89
2) उपदान	45.32	301.91
3) रोजगार उपरांत पेंशन योजना	95.59	88.07
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	110.24	110.52
कर्मचारी लाभ व्यय का योग	2,072.28	2,261.20

टिप्पणी :

31.क. कर्मचारी लाभ

01.01.2017 से प्रभावी, कंपनी के गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के संबंध में दीर्घमियादी वेतन समझौता का अंतिमीकरण वर्ष के दौरान कर लिया गया है। समझौता की शर्तों के अनुसार 31.03.2019 तक वेतन संशोधन के लिए देयता ₹530 करोड़ निर्दिष्ट हुई है। अनुमानित आधार पर पूर्ववर्ती वर्ष में ₹275 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। ₹255 करोड़ की अंतरीय राशि वर्तमान वर्ष में प्रदान की गई है।

31.ख. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

31.ख.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क) भविष्य निधि: कंपनी एक अलग ट्रस्ट को, पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है। अंशदान पर, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर अदा करना पड़ता है।

ख) पेंशन निधि: कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अनुसार बीमाकर्ता के पास राशि को निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित रहती है।

31.ख.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) उपदान: उपदान के भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को अधिकतम ₹20,00,000/- के अधीन उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। योजना के तहत उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ख) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभः** ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग) **बंदोबस्ती लाभः** सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना के विकल्प लिए हैं, तो यात्रा भत्ता का अंतर, अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को देय होता है। व्यक्तिगत परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

घ) **नालको हितकारी निधि योजनाः** कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹ 30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर अंशदान किया जाएगा एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाएगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ङ) **नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजनाः** कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹ 10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

च) **सेवानिवर्त्तन उपहार योजनाः** कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹ 25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

31.ख.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

क) **क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँः** संचित अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और बीमारी अवकाश अलग होने पर, कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अनुसार सर्वाधिक अनुमत सीमा के अधीन देय है। सेवा अवधि के दौरान, संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियमानुसार अनुमेय है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) **लम्बी सेवा का पुरस्कारः** जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, वे लम्बी सेवा का पुरस्कार पाने के अधिकारी होते हैं जो एक महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के बराबर होता है। इस देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग) **एनईएफएफएआरएसः** अशक्तता/मृत्यु के मामले में, कंपनी कर्मचारी/नामित को उनके विकल्प के अनुसार मासिक लाभ का भुगतान करती है एवं वैचारिक सेवानिवर्तन की तारीख तक योजना के अधीन निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित राशि जमा करती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

कर्मचारी लाभ योजनाएँ कंपनी को विशिष्ट रूप से बीमांकिक जोखिमों जैसे कि बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, ब्याज जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के सम्मुख ले आती हैंः-

i. **बीमांकिक जोखिमः** यह एक ऐसा जोखिम है जिसके कर्मचारी लाभ अपेक्षा से अधिक होंगे। यह निम्नलिखित किसी भी एक कारण से हो सकता हैः

क. **प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभवः** अनुमानित वेतन वृद्धि की तुलना में ज्यादा परिमाण में वेतन बढ़ोतरी से अपेक्षा से अधिक उच्च दर पर दायित्व में वृद्धि आएगी।

ख. **मृत्यु दर में विविधता :** अनुमानित मृत्यु दर आकलन से यदि वास्तविक मृत्यु दर अधिक होती है, तो अपेक्षा से पहले ही उपदान लाभ का भुगतान किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर प्रदान करने की कोई शर्तें नहीं है, नकद प्रवाह में वृद्धि आने से बीमांकिक हानि या लाभ की स्थिति बनेगी जो कि अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के संबंधित मूल्यों पर निर्भर है।

ग. **आहरण दरों में विविधताः** यदि अनुमानित आहरण दर आकलन की तुलना में वास्तविक आहरण दर अधिक रहती है, तो उपदान लाभ का भुगतान अपेक्षित समय से पूर्व किया जाएगा। इसका प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या लाभ पद त्याग की तारीख को प्रदान किया गया है।

ii. **निवेश जोखिमः** परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु बीमाकर्ताओं पर निर्भर रहनेवाली निधिबद्ध योजनाओं के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता के समर्थन में प्रपत्रों का सही मूल्य नहीं भी रह सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भावी छूट दर से स्वतंत्र होता है। इसके फलस्वरूप, यदि अन्तर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, तो निवल देयता या निधिबद्ध वस्तुस्थिति में भारी अस्थिरता आ सकती है।

iii. **ब्याज जोखिमः** परिभाषित लाभ देयता की गणना सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर छूट दर पर की जाती है। यदि ऋणपत्र (बॉण्ड) के मूल्य में गिरावट आती है, तो परिभाषित लाभ देयता बढ़ जाएगी।

iv. **दीर्घायु जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण, सेवा के दौरान एवं उपरांत योजना भागीदारों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के प्रत्याशित जीवन काल में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

v. **वेतन जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण योजना भागीदारों के भावी वेतन के संदर्भ में किया जाता है। ऐसे में योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त मुख्य आकलन निम्नानुसार हैं :

	मूल्यांकन	
	31/03/2019	31/03/2018
छूट दर(रों)	7.50%	7.50%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर(रों)	8%	6%
मृत्युदर	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट
अपघर्षण दर	1%	1%

31. कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत राशियाँ निम्नानुसार हैं :

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्यः		
— चालू सेवा मूल्य	(48.58)	(35.47)
— समझौतों से विगत सेवा लागत एवं (लाभ)/हानि	6.21	(225.93)
— शुद्ध ब्याज व्यय	(29.38)	(28.89)
लाभ या हानि में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	(71.75)	(290.29)
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर प्रतिफल	(10.98)	(0.88)
वित्तीय आकलनों में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(17.24)	71.41
अनुभव आकलनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	28.28	(17.89)
अन्य (बताएँ)		
परिभाषित लाभ संपत्ति पर प्रतिबंधों के लिए समायोजन		
अन्य विशद आय में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	0.06	52.64
कुल	(71.69)	(237.65)

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में संस्था के दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न तुलन पत्र में सम्मिलित राशि निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
31 मार्च, 2018						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(126.52)	(2.27)	(3.62)	(13.64)	(7.08)	(573.53)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—					302.48
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	(126.52)	(2.27)	(3.62)	(13.64)	(7.08)	(271.05)
31 मार्च, 2019						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(123.44)	(22.42)	(3.04)	(11.90)	(6.93)	(604.90)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—					547.80
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	(123.44)	(22.42)	(3.04)	(11.90)	(6.93)	(57.10)

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	**(64.31)**	**(2.41)**	**(3.86)**	**(13.84)**	**(7.34)**	**(314.03)**
चालू सेवा मूल्य	—	(0.41)	—	—	—	(35.06)
ब्याज मूल्य	(4.66)	(0.16)	(0.26)	(0.97)	(0.54)	(22.30)
पुनःमापन						
जनांकिक आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—		—
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	5.76	0.03	0.04	0.18	0.13	65.27
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/ हानि	16.52	0.23	(0.30)	(0.72)	0.26	(33.88)
कटौती पर हानि / (लाभ) समेत विगत सेवा लागत	(84.10)	—	—	—		(267.07)
समझौतों के अनुसार समाप्त देयताएँ	—	—	—	—		—
किसी व्यवसाय संयोजन में ग्रहीत देयताएँ	—	—	—	—		—

31. कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—	—	—	—	—	—
लाभ भुगतान किया गया	4.27	0.45	0.76	1.71	0.41	33.54
अन्य	—	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2018 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	(126.52)	(2.27)	(3.62)	(13.64)	(7.08)	(573.53)
चालू सेवा मूल्य	—	(3.35)	—	—	—	(45.23)
ब्याज मूल्य	(9.29)	(0.15)	(0.25)	(0.96)	(0.50)	(40.96)
पुनःमापन						
जनांकिक आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	—
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	(17.24)
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	7.07	2.96	0.27	0.96	(0.16)	17.18
कटौती पर हानि/(लाभ) सहित विगत सेवा मूल्य	—	(20.16)	—	—	—	—
समझौतों के रूप में समाप्त हो चुकी देयताएँ	—	—	—	—	—	—
किसी व्यवसाय संयोजन में ग्रहीत देयताएँ	—	—	—	—	—	—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—	—	—	—	—	—
प्रदत्त लाभ	5.31	0.55	0.56	1.74	0.81	54.88
अन्य (बताएँ)	—	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2019 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	(123.43)	(22.42)	(3.04)	(11.90)	(6.93)	(604.90)

योजना परिसंपत्तियों के सही मूल्य में संचलन निम्नानुसार हैं :	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2017 को योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक सही मूल्य	302.10
ब्याज आय	22.64
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	(0.88)
अन्य (बताएँ)	(0.25)
नियोक्ता से अंशदान	12.40
प्रदत्त लाभ	(33.53)
31 मार्च, 2018 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	302.48
ब्याज आय	22.73
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	(10.98)
अन्य (बताएँ)	0.59
नियोक्ता से अंशदान	287.86
योजना भागीदार से अंशदान	—
समझौतों पर वितरित परिसंपत्तियाँ	—
किसी व्यवसाय संयोजन में अर्जित परिसंपत्तियाँ	—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—
प्रदत्त लाभ	(54.88)
अन्य (बताएँ)	—
31 मार्च, 2019 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	547.80

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य निम्नानुसार है :

	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नानुसार है	
	31/03/2019	31/03/2018
निधियों में निवेशः		
1. बीमा कंपनियाँ	547.80	302.48
योग	547.80	**302.48**

31 कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

31.ग. परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक आकलन हैं छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, संघर्षण दर एवं मृत्यु दर। सभी अन्य आकलनों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटित संबंधित आकलनों के यथा संगत संभावी परिवर्तनों के आधार पर निम्न संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया है।

संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2017-18	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	3.87	3.74	0.07	0.07	0.08	0.07
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	3.06%	2.95%	3.19%	3.02%	2.14%	2.07%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.00	0.00	—	—	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	—	—	—	—
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.07	0.15	—	—	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.05%	0.12%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.73	0.81	0.01	0.01	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.58%	0.64%	0.51%	0.51%	0.03%	0.03%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2017-18	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.39	0.37	0.27	0.26	17.74	16.77
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.86%	2.71%	3.82%	3.62%	3.09%	2.92%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	4.27	4.31
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	—	—	0.74%	0.75%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.01	0.01	—	—	0.49	0.49
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.09%	0.09%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	—	—	—	—	3.49	3.49
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.61%	0.61%

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2018-19	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	3.57	3.64	0.65	0.66	0.08	0.08
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.15	0.15	0	0	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.57	0.57	0.10	0.10	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

संवेदनशीलता विश्लेषण (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2018-19	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.32	0.33	0.19	0.19	20.06	18.84
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.32%	3.11%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	3.22	3.67
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.53%	0.61%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.02	0.02	—	—	0.10	0.10
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.02%	0.02%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	—	—	—	—	0.63	0.63
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.10%	0.10%

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तिवक परिवर्तन का प्रस्तुतीकरण नहीं भी रह सकता है, क्योंकि इसकी संभावना कम है कि एक-दूसरे से अलगाव पर आकलनों में परिवर्तन आ पाएगा क्योंकि कुछ आकलन परस्पर संबंधित हो सकते हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रस्तुत करते समय, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परियोजित एकक क्रेडिट विधि के प्रयोग से की गई है जो तुलन पत्र में स्वीकृत परिभाषित लाभ दायित्व देयता की गणना में प्रयोग की गई है।

संवेदनशीलता विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त विधियों एवं आकलनों में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है।

32. वित्त लागत

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
वित्त लागत		
क. ब्याज लागत	2.38	1.95
कुल वित्त लागत	2.38	**1.95**

33. अन्य व्यय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
(क)	भंडार और कलपुर्जों की खपत	365.52	344.52
(ख)	निम्न से संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव		
	(1) भवन	49.11	38.75
	(2) मशीनरी	166.14	155.94
	(3) अन्य	31.44	24.82
(ग)	अन्य निर्माणजनित व्यय		
	(1) जल प्रभार	29.37	26.71
	(2) रॉयल्टी	147.36	127.70
	(3) जिला खनिज निधि एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को अंशदान	47.16	40.88
	(4) सतत तकनीकी सहयोग व्यय	10.54	8.76
	(5) अन्य	80.13	72.35
(घ)	माल भाड़ा एवं संचालन खर्च		
	(1) आवक सामग्री (एल्यूमिना)	120.01	113.45
	(2) जावक सामग्री	146.45	152.97
(ङ)	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक एवं फुटकर व्यय		
	(i) लेखापरीक्षक के रूप में	0.35	0.26
	(ii) कराधान विषयवस्तुओं के लिए	0.06	0.08
	(iii) अन्य सेवाओं के लिए	0.29	0.22
	(iv) व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.20	0.12
(च)	लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान	0.03	0.03
(छ)	सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय	133.90	117.77
(ज)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी 33.1 का संदर्भ लें]	30.35	29.01
(झ)	प्रशासिनक एवं सामान्य व्यय	118.86	109.90
(ञ)	नवीकरणीय क्रय दायित्व	55.22	120.37
(ट)	विवादित सरकारी देय एवं अन्य के लिए प्रावधान	0.05	7.06
(ठ)	विक्रय एवं वितरण व्यय	23.01	28.16
(ड)	मालसूची, दावे आदि का बट्टे खाते में डालना	12.52	15.98
(ढ)	खराब एवं संदिग्ध प्रावधान (पुनरांकन)	(3.51)	13.43
(ण)	अन्य	128.23	40.90
	कुल अन्य व्यय	**1,692.79**	**1,590.14**

टिप्पणी :

33.1 निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय :

क) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई सकल राशि ₹ 27.38 करोड़ है (31 मार्च, 2018 ₹ 27.88 करोड़)

ख) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

i)	परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण	₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)
ii)	उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन पर	₹ 30.35 करोड़ ((पिछले वर्ष ₹29.01 करोड़)
	कुल	**₹ 30.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹29.01 करोड़)**

34. अपवादिक मदें

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
अपवादिक मदें		
क. जल प्रभार पर विवादित ब्याज के विरुद्ध प्रावधान का पुनरांकन	—	(785.71)
ख. बॉक्साइट निष्कर्षण पर डीएमएफ के अंशदान बाबत देयता का व्युत्क्रमण	—	(18.32)
ग. कोयला के क्रय पर डीएमएफ अंशदान की वापसी का दावा	—	(22.37)
घ. ब्याज सब्सिडी के रूप में रोजगार लाभ	—	46.44
ङ. उपर्युक्त (घ) के बाबत कर्मचारियों के अग्रिम पर संदिग्ध प्रावधान का पुनरांकन	—	(44.12)
कुल अपवादिक मदें	—	(824.08)

35. आय कर

राशि करोड़ ₹ में

35.1 लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	998.36	521.99
पूर्व वर्षों के संबंध में	26.29	271.19
	1,024.65	793.18
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	(17.13)	(101.71)
अन्य (एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र)	—	4.95
	(17.13)	(96.76)
चालू वर्ष में स्वीकृत आय कर व्यय का योग	1,007.52	696.42

वर्ष के लिए आय कर व्यय को लेखांकन लाभ में निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है :

कर पूर्व लाभ	2,739.92	2,038.83
उस पर आय कर व्यय @ 34.944% :(पिछले वर्ष @34.608%) :	957.44	705.60
कर का प्रभाव -		
i) कराधान से मुक्त आय	(10.70)	(23.71)
ii) अस्वीकार योग्य व्यय (स्थायी अंतर)	13.23	9.89
iii) व्ययित व्यय से अतिरिक्त स्वीकार योग्य व्यय	(14.25)	(12.53)
iv) रियायत का प्रभाव (अनुसंधान एवं विकास और अन्य भत्ते)	—	(12.95)
v) दीर्घकालीन पूँजी लाभ के लिए अंतर	—	8.54
vi) पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन	26.29	29.16
vii) अन्य	35.51	(7.58)
लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर व्यय	1,007.52	696.42

35.2 इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर		
चालू कर		
शेयरों की पुनर्खरीद लागत	(1.39)	—
इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर	(1.39)	—

35. आयकर (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

35.3 अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ देयता के पुनः मापन लाभ या हानि पर कर		
— चालू कर	3.85	—
— आस्थगित कर	(3.64)	2.63
अन्य विशद आय में स्वीकृत कुल आय कर	0.21	2.63
अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर का विभाजन जिनमें है :		
मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाएंगी	—	—
मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	0.21	2.63

36. खंड की सूचना

36.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

स्रोत आबंटन एवं खंड के कार्य प्रदर्शन के आकलन के प्रयोजन हेतु मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) को रिपोर्ट की गई सूचना प्रेषित वस्तुओं के प्रकारों पर केन्द्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के इर्द-गिर्द कंपनी का व्यवस्थापन किया है। कंपनी में रिपोर्ट योग्य खंडों को प्राप्त करने में किसी भी रिपोर्टिंग खंड को एकीकृत नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इण्ड एएस 108-प्रचालन खंडों के अन्तर्गत कंपनी का रिपोर्ट योग्य खंड निम्नानुसार है :

i) रसायन खंड

ii) एल्यूमिनियम खंड

कंपनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख प्रचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गॉट्स, वायर रॉड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य सम्बंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

36.2 खंड राजस्व एवं परिणाम

रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा प्रचालनों से कंपनी के राजस्व एवं परिणामों का विश्लेषण निम्नवत हैः

राशि करोड़ ₹ में

प्रचालन खंड	खंड राजस्व 31.03.2019 को समाप्त वर्ष	 31.03.2018 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	5,680.07	4,339.76
एल्यूमिनियम खंड	6,875.72	6,323.93
अनाबंटित	173.95	126.75
प्रचालनों का योग	12,729.74	10,790.44
घटाएँ : अंतरखंड राजस्व	1,230.42	1,172.13
प्रचालनों से राजस्व	11,499.32	9,618.31

प्रचालन खंड	खंड परिणाम 31.03.2019 को समाप्त वर्ष	 31.03.2018 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	1,819.81	783.46
एल्यूमिनियम खंड	778.38	370.30
अपवादिक मदें, ब्याज और कर से पूर्व खंड परिणाम	2,598.19	1,153.76
अपवादिक आय /(व्यय)	—	824.08
ब्याज और वित्त प्रभार	2.37	1.95
ब्याज और लाभांश आय	256.34	240.37
अनाबंटित व्यय को छोड़कर अन्य अनाबंटित आय	(112.24)	(177.43)
कर-पूर्व लाभ	2,739.92	2,038.83

36.3 खंड परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	खंड परिसंपत्तियाँ		खंड देयताएँ	
	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
रसायन खंड	4,040.88	4,041.84	1806.17	1041.48
एल्यूमिनियम खंड	5,579.21	5,117.43	1337.01	1606.60
खंड परिसंपत्तियों और देयताओं का योग	9,620.09	9,159.27	3,143.18	2,648.08
अनाबंटित	5,526.87	5,454.53	388.60	309.46
परिसंपत्तियों और देयताओं का योग	15,146.96	14,613.80	3,531.78	2,957.54

36.4 अन्य खंड की सूचना

राशि करोड़ ₹ में

	मूल्यह्रास एवं परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में संयोजन	
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	180.03	174.36	250.77	256.64
एल्यूमिनियम खंड	236.18	248.31	53.23	(119.74)
अनाबंटित	59.89	57.74	137.94	161.24
प्रचालनों का योग	476.10	480.40	441.94	298.14

	गैर-नकद व्यय वाली सामग्री	
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
	66.96	45.70
रसायन खंड	52.82	85.53
एल्यूमिनियम खंड	2.26	7.56
अनाबंटित	122.04	138.79

राशि करोड़ ₹ में

36.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
अपने प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के निरंतर प्रचालन कार्यों से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नवत् है :		
रसायन खंड (हाईड्रेट एवं एल्यूमिना)	4,435.08	3,199.37
एल्यूमिनियम खंड (एल्यूमिनियम)	6,823.63	6,216.38
	11,258.71	9,415.75

36.6 भौगोलिक सूचना

राशि करोड़ ₹ में

कंपनी का प्रचालन मुख्यतया प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र - भारत (अधिवास देश) एवं देश के बाहर है।

	बाह्य ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
भारत	6,466.00	5,340.29	9,546.26	9,104.32
भारत के बाहर	4,792.71	4,075.46	—	—
योग	11,258.71	9,415.75	9,546.26	9,104.32

36.6 भौगोलिक सूचना (जारी)

टिप्पणी:

i) कंपनी ने लागत आधार पर खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से माल भाड़ा छोड़कर औसत निर्यात बिक्री वसूली से एल्यूमिना के अंतर खंड अंतरण के लिए एवं आवधिक औसत क्रय मूल्य से विद्युत के अंतरखंड अंतरण के लिए, अंतरखंड लेनदेनों के मूल्य में परिवर्तन किया है। खंड राजस्व एवं परिणामों के मापन में वृद्धि (+) या ह्रास (-) लानेवाले ऐसे परिवर्तन का प्रभाव नीचे दिया गया है:

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
खंड राजस्व:		
— रसायन खंड	(-) 1628.33	(-) 822.26
— एल्यूमिनियम खंड	(-) 48.24	(-) 84.88
खंड परिणाम:		
कर, अपवादिक मदों एवं ब्याज पूर्व लाभ		
— रसायन खंड	(-) 1580.09	(-) 737.37
— एल्यूमिनियम खंड	(+) 1580.1	(+) 737.37

ii) राजस्व एवं व्यय को प्रचालन गतिविधियों में उनके संबंध के आधार पर खंडों के लिए चिह्नित किया गया है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं जो समग्र रूप में उद्यम से सम्बंधित हैं और तर्कसंगत के आधार पर आबंटन-योग्य नहीं हैं, को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

37. प्रति शेयर आय

राशि करोड़ ₹ में

37.1 मूल आय प्रति शेयर (₹)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
कुल प्रचालनों से	9.06	6.94
कुल मूल आय प्रति शेयर	9.06	6.94

37.2 मूल आय प्रति शेयर

मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय एवं भारित औसत संख्या निम्नानुसार है :

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को आरोप्य वर्ष के लाभ	1,732.40	1,342.41
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय	1,732.40	**1,342.41**
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	191.17	**193.29**

38. वित्तीय प्रपत्र

राशि करोड़ ₹ में

38.1 वित्तीय प्रपत्रों की श्रेणियाँ	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
लाभ या हानि के माध्यम से सही मूल्य पर आकलित (एफवीटीपीएल)		
(क) अनिवार्य रूप से आकलित :		
(i) म्यूच्युअल फंड में निवेश	80.81	592.96
(ii) विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण संविदा	शून्य	(0.44)
परिशोधित मूल्य पर आकलित		
(क) नकद एवं बैंक शेष	171.60	25.35
(ख) परिशोधित मूल्य पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,853.14	3,389.72
	4,105.55	4,007.59
वित्तीय देयताएँ		
परिशोधित मूल्य पर आकलित	1,791.26	1,538.08

38.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

अपने व्यवसाय के क्रम में, कंपनी को मुख्यतया विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी मूल्यों, नकदीकरण एवं ऋण जोखिम की अस्थिरता से गुजरना पड़ा है, जिससे इनसे वित्तीय प्रपत्रों के सही मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिम को संरक्षित रखती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं से सम्बंधित अन्य जोखिमों जैसे कि ब्याज दर जोखिम एवं ऋण जोखिमों को भी सुरक्षा प्रदान करती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ ये सभी सुनिश्चित करते हैं:

i) वित्तीय स्थायित्व के साथ धारणीय व्यवसाय वृद्धि ;

ii) जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना समेत रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी भौतिक जोखिम घटक तुलन पत्र में एवं इससे इतर चिह्नित, आकलित परिमाणित किए जाए, यथा उपयुक्त न्यूनीकृत एवं व्यवस्थित किए जाए तथा

iv) प्रचालनों की प्रकृति, आकार एवं जटिलता की उपयुक्तता के तहत सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपद्धतियों के ऐच्छिक अंगीकरण द्वारा कंपनी की ओर से उपयुक्त विनियमनों, जहाँ भी प्रयोज्य पड़े, का अनुपालन सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन को मूल्यांकित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण टीम जिम्मेदार होगी। यह अपने जाँच परिणामों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष हर तिमाही को रखेगी। कंपनी के जोखिम प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। अतएव, बोर्ड अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन नीति एवं इसमें किसी संशोधन को अनुमोदित करेगा एवं इसका सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

38.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वसूली योग्य सही मूल्य (आर्थिक मूल्य) में भावी अर्जन (विस्तार) में या भावी नकद प्रवाह में, कोई नुकसान का जोखिम है जो कि वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन से होता है। ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, नकदीकरण एवं अन्य बाजार दरों में हुए परिवर्तन से वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन आ सकता है। बिक्री प्रक्रियाओं एवं उठायी गई निधियों एवं ऋण-चुकौती/पूर्वचुकौती के फलस्वरूप नकद प्रवाह की विसंगति से कंपनी नकदीकरण जोखिम के भी अधीन रहती है। बाजार के भावी विशिष्ट संचलनों का साधारणतया यथा उपयुक्त सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

38.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से कंपनी की आय को सुरक्षित रखना ही मुद्रा जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से संरक्षित रखती है। मुद्रा घटकों की यह सुरक्षा समरूप मुद्रा की क्षतिपूरक या समतुल्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के माध्यम से प्राकृतिक रूप से या इसकी अनुपस्थिति में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न प्रपत्रों के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित होगी। मुद्रा जोखिम का निर्धारण, कंपनी की प्रचालन मुद्रा अर्थात आईएनआर की तुलना में सम्बंधित मुद्राओं में खुली परिस्थितियों के तहत किया जाता है। मुद्रा असंगति के कारण आए अंतर का पता लगाने के लिए मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।
विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव आय विवरण एवं इक्विटी पर पड़ सकता है, जहाँ एक से अधिक मुद्रा में लेनदेन का संदर्भ मिलता है या संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा की बजाए किसी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ/देयताएँ मूल्य अंकित हुई हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा के मूल्य में लेनदेन करती है, फलस्वरूप विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अग्रेषित विदेशी विनिमय संविदाओं का उपयोग करते हुए अनुमोदित नीति मानकों के तहत विनिमय दर संचालित होती हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित एवं मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं की वहन राशि निम्नानुसार है:-

	देयताएँ		परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
यूएसडी	0.81	33.96	241.69	173.98
यूरो	15.34	15.13	—	—

38.4.1 विदेशी मुद्रा का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिमों में अपनी उपस्थिति के आकलन द्वारा विदेशी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों का उपयोग करते हुए इन जोखिमों के आंशिक हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर की सूक्ष्मग्राहिता का निर्धारण किसी मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर की उपस्थिति और साथ ही प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में समानान्तर विदेशी विनिमय दरों में 10% परिवर्तन के एकीकरण द्वारा किया जाता है।

प्रासंगिक तुलन पत्र की तिथियों को सकल विद्यमानता के आधार पर निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के रुपान्तरण के कारण आय विवरण में इसकी कोई विद्यमानता नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2019 एवं 31 मार्च, 2018 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रभावन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करती है:

	यूएसडी का प्रभाव		यूरो का प्रभाव	
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए लाभ या हानि पर प्रभाव	**24.1**	**14.0**	**1.53**	**1.51**

38.5 अन्य मूल्य जोखिम

38.5.1 इक्विटी मूल्य का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी प्रपत्रों के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिम के दायरे में नहीं है क्योंकि सारे इक्विटी निवेश व्यवसाय उद्देश्यों की बजाय रणनीतिक प्रयोजन से धारित है।

38.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह वित्तीय हानि जोखिम है जो अनुबंधित शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा ऋण को चुकाने में अनुत्तीर्ण रहने से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम में चूक स्वरूप प्रत्यक्ष जोखिम एवं ऋण पात्रता के क्षीण होने से संबंधित जोखिम और साथ ही संकेन्द्रण जोखिम शामिल है। ग्राहक से अग्रिम संग्रह होने के कारण कोई महत्वपूर्ण ऋण विद्यमानता नहीं है।

वित्तीय प्रपत्र जो ऋण जोखिम के संकेन्द्रण के अधीन हैं, उनमें मुख्यतया ऋण एवं प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों के रूप में वर्गीकृत निवेश संलग्न है। कंपनी के किसी भी वित्तीय प्रपत्र से ऋण जोखिम का भौतिक संकेन्द्रण नहीं हुआ है।

38.7 नकदीकरण जोखिम प्रबंधन

नकदीकरण जोखिम का तात्पर्य उस जोखिम से है जिससे कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। नकदीकरण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है पर्याप्त नकदीकरण को बनाये रखना एवं यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध हैं।

कंपनी की अल्पमियादी, मध्यावधि एवं दीर्घमियादी निधि संबंधी नकदीकरण प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए कंपनी ने एक उपयुक्त नकदीकरण जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। पूर्वानुमानी एवं वास्तविक नकद प्रवाह पर निरंतर निगरानी रखते हुए एवं वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के परिपक्वता स्वरूप को मिलाते हुए कंपनी पर्याप्त आरक्षित निधि एवं बैंकिंग सुविधाओं के व्यवस्थापन द्वारा नकदीकरण जोखिम का प्रबंध करती है।

39. संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

39.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः

I) पूर्णकालिक निदेशक

(क)	डॉ. टी.के. चान्द	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(ख)	श्री के सी सामल	निदेशक (वित्त) (31.08.2018 तक)
(ग)	श्री व्ही बालसुब्रमण्यम	निदेशक (उत्पादन)
(घ)	श्री बी के ठाकुर	निदेशक (मा.सं.)
(ङ)	श्री एस के रॉय	निदेशक (परि. एवं तक.)
(च)	श्री पी के मिश्र	निदेशक (वाणिज्य)
(छ)	श्री एस पात्र	निदेशक (वित्त) (01.09.2018 से प्रभावी)
	अन्य	
	श्री एन के महान्ति	कंपनी सचिव

II) अंशकालिक सरकारी निदेशक : (भारत सरकार के मनोनीत):

(क) डॉ. के राजेश्वर राव, आईएएस
(ख) श्री अनिल कुमार नायक, आईओएफएस

III) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकः

(क) सुश्री किरण घई सिन्हा
(ख) श्री एन एन शर्मा
(ग) श्रीमती अचला सिन्हा
(घ) श्री दीपंकर महन्त
(ङ) श्री एस. शंकररमण
(च) श्री प्रभात केशरी नायक
(छ) श्री महेश्वर साहु
(ज) प्रो. दामोदर आचार्य

ख. संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी

(क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.
(ख) एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि.
(ग) जीएसीएल नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.

ग. रोजगार उपरांत लाभ योजना

(क) नालको कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
(ख) नालको कर्मचारी समूह उपदान न्यास

घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में (क) में चिह्नित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित संस्था

(क) नालको फाउंडेशन

ङ. सरकार जिनके पास नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है :

(क) भारत सरकार

च. संस्थाएँ जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई के साथ कंपनी का प्रमुख व्यावसायिक लेनदेन है।

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

क) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
ख) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
घ) महानदी कोलफील्ड्स लि.
ङ) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
च) सिंगरेनी कोलियरीज़ लि.
छ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
ज) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
झ) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.
ञ) भारत अर्थमूवर्स लि.
ट) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि.
ठ) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.
ड) बामर लॉरी एण्ड कं.
ढ) पूर्व तट रेलवे
ण) विशाखापत्तनम् पोर्ट ट्रस्ट
त) मेकॉन लिमिटेड
थ) इंजिनियर्स इंडिया लि.

ii) **वस्तुओं का विक्रय**

क) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन (एनएसआईसी)

ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.

ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.

घ) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि.

39.2 संबंधित पक्ष के लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

राशि करोड़ ₹ में

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
— वेतन	3.79	3.22
— भविष्य निधि में अंशदान	0.24	0.21
— चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
— अन्य लाभ	0.03	0.03
रोजगार उपरांत लाभ #	(0.09)	(0.01)
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.09	0.03
कुल	**4.07**	**3.49**

चूंकि रोजगार-उपरांत लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया गया है, इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए ये व्यय समानुपातिक आधार पर विवेचित हैं।

प्रमुख प्रबंथकीय कार्मिक से देय ऋण/अग्रिम

विवरण	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
वर्ष के अंत में बकाया	0.01	0.01
वर्ष के दौरान किसी भी समय सर्वाधिक देय राशि	0.01	0.07

II. संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियाँ

वर्ष के दौरान कंपनी ने सं.उ. (संयुक्त उद्यम) के साथ निम्नलिखित लेनदेन किया है

राशि करोड़ ₹ में

सं.उ./सहयोगी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.	इक्विटी अंशदान (राइट्स इश्यू)	—	1.52
जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी अंशदान (अधिमान्य इश्यू)	—	48.53
जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी अंशदान (राइट्स इश्यू)	58.20	28.00
जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	प्राप्य - जनशक्ति सहयोग एवं अन्य व्यय	0.64	0.03

रिपोर्टिंग दिन के अंत में शेष

राशि करोड़ ₹ में

सं.उ./सहयोगी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि..	इक्विटी में निवेश	16.22	16.22
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि.	इक्विटी में निवेश	—	0.03
जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	159.53	101.33
जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	प्राप्य - जनशक्ति सहयोग	0.64	0.51

III. रोजगार उपरांत लाभ योजना

वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान	333.12	332.99
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि में कमी	270.75	12.6

वर्ष के अंत में बकाया शेष

राशि करोड़ ₹ में

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान देय	26.59	38.45
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि में कमी के लिए देय	57.4	271.05

IV. नालको फाउंडेशन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
नि.सा.उ. ट्रस्ट में अंशदान	9.61	21.50

V. भारत सरकार : वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
शेयरों की पुनर्खरीद	260.70	—
अंतिम लाभांश-2017-18	193.29	—
अंतरिम लाभांश-2018-19	839.53	—
अंतरिम लाभांश-2017-18	—	546.95

VI. सीपीएसई/सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रम से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	3007.70	2747.90
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री	1245.97	1147.49

वर्ष के अंत में बकाया शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए देय	137.78	195.03
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री के लिए प्राप्य	—	—

40. पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनः वर्गीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए पुनः वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए. डॉ. बी.एस.कुंडु)
साझेदार (एम. नं.: 051221)

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए. अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम. नं.: 057820)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस सं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 1	वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण	— कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं एवं इंड एएस 1 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अधीन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं। — वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त मापन आधार एवं अपनायी गई लेखांकन नीतियों को प्रकट किया गया है। — इंड एएस की अपेक्षानुसार जानकारी (संबंधित इंड एएस के तहत नीचे भी वर्णन किया गया है) जो वित्तीय विवरण में अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, को इसकी टिप्पणियों में प्रकट किया गया है। वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ वो सूचना भी प्रदान करती हैं जो वित्तीय विवरण में कहीं अन्य प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु उनमें से किसी को भी समझने के लिए प्रासंगिक है।
इंड एएस 2	मानसूचियाँ	— मालसूचियों को मापने में ग्रहीत लेखांकन नीति के साथ प्रयुक्त लागत फॉर्मूला वित्तीय विवरण की टिप्पणी 3 में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.10 में प्रकट किया गया है। — मालसूचियों के वर्गीकरण एवं उनकी वहन राशि के संबंध में, प्रकटन व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की राशि, व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूचियों की कोई पुनरांकन राशि एवं गिरवी रखी गई मालसूची टिप्पणी 15 में किया गया है।
इंड एएस 7	नकद प्रवाह विवरण	— अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, लाभ या हानि के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के इस्तेमाल से नकद प्रवाह विवरण का किसी गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन विगत या भावी प्रचालन नकद रसीद या भुगतान के किसी विलंबन या संचयन एवं नकद प्रवाहों में निवेश करने या वित्त प्रबंध करने से संबंधित आय या व्यय के मदों के प्रभाव के लिए समायोजन किया गया है। — नकद प्रवाह को प्रचालन, निवेशन एवं वित्त प्रबंधन गतिविधियों के रूप में पृथक किया गया है।
इंड एएस 8	लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन आकलनों एवं त्रुटियों में परिवर्तन	— लेखांकन नीति में कोई भी परिवर्तन, अव्यवहार्य न होने की स्थिति में पूर्व-व्याप्ति के साथ प्रयोग किया गया है, पूर्व अवधि में प्रस्तुत इक्विटी के लिए प्रत्येक प्रभावी अवयव की प्रारंभिक शेष राशि एवं पूर्व में प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए प्रकट की गई अन्य तुलनात्मक राशि का समायोजन किया गया। — लेखांकन आकलन में कोई परिवर्तन जो परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन लाते हैं या इक्विटी के किसी मद से संबंध रखते है, को परिवर्तन की अवधि में संबंधित परिसंपत्ति, देयता या इक्विटी मद की वहन राशि के समायोजन द्वारा स्वीकृति दी गई है। — किसी पूर्व अवधि(यों) की त्रुटि का पता चलने पर, जिस पर अवधि के दौरान ₹50 करोड़ का प्रभाव है, के लिए मानक द्वारा निर्देशित अनुसार पूर्व व्याप्ति के साथ संशोधित किया गया है।
इंड एएस 10	रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ	— कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजित घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, अपने वित्तीय विवरणों में राशियों को समायोजित किया है। — रिपोर्टिंग अवधि के बाद घोषित लाभांश अवधि के अंत में देयता के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, इस प्रभाव का उपयुक्त प्रकटन टिप्पणीः 18.4 में किया गया है।
इंड एएस 11	निर्माण अनुबंध	— ठेकेदारों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह मानक प्रयोज्य है जो निर्माण व्यवसाय में है। किसी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए ठेकेदार नहीं रहने पर, इंड एएस 11 कंपनी को लागू नहीं है।
इंड एएस 12	आयकर	— कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच के संबंध को टिप्पणी 35 में कर व्यय एवं लागू कर दर से गुणा करते हुए लेखांकन लाभ के गुणन फल के बीच सांख्यिकी मिलान के माध्यम से वर्णन किया गया है। — अन्य विशद आय में एवं प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में स्वीकृत मदों से संबंधित वर्तमान कर एवं आस्थगित कर को क्रमशः अन्य विशद आय एवं इक्विटी में स्वीकृत किए गए हैं। प्रकटन टिप्पणी 35 में किया गया है।
इंड एएस 16	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	— प्रत्येक श्रेणी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुरक्षित मापन आधार, उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.4 में वर्णन किया गया है। — वर्ष के दौरान संयोजन, निपटान एवं मूल्यह्रास व्यय व्यक्त करने वाले प्रारंभिक वहन मूल्य एवं अंतिम वहन मूल्य के बीच के मिलान को टिप्पणी 5 में दिया गया है।
इंड एएस 17	पट्टे	— कंपनी के पास कोई परिसंपत्ति नहीं है, जिसे वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। — प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति की मूल्यह्रास राशि को सीधी रेखा के आधार पर पट्टे के जीवनकाल पर परिशोधित किया गया है।
इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	— दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को तीन प्रमुख शीर्ष अर्थात परिभाषित अंशदान योजनाओं, परिभाषित लाभ योजनाओं एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं पेन्शन निधि में कंपनी ने अंशदान को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी गई है जबकि सेवानिवर्त्तन पर उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, बंदोबस्ती लाभ, नालको हितकारी निधि योजना, नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना को परिभाषित लाभ योजना के रूप में स्वीकृति दी गई है। क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, लम्बी सेवा पुरस्कार एवं एन.ई.एफ. एफ.ए.आर.एस. के लिए भुगतान दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप से स्वीकार किया गया है।

इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	— परिभाषित लाभ योजनाओं एवं दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के बाबत कंपनी की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है एवं इसी अनुसार व्यय/आय की स्वीकृति दी गई है। — जनांकिक एवं वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण सेवा लागत, ब्याज व्यय/आय, लाभ या हानि का पुनःमापन दर्शानेवाले प्रत्येक परिभाषित लाभ देयताओं के लिए प्रारंभिक देयता एवं अंतिम देयता के बीच मिलान टिप्पणी 31.ख. में प्रकट किया गया है। — बीमांकिक धारणाओं का संवेदनशील विश्लेषण जो दर्शाता है कि किस प्रकार प्रासंगिक बीमांकिक धारणाओं के परिवर्तन द्वारा परिभाषित लाभ देयता प्रभावित हुआ है, को टिप्पणी 31.ग. में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 20	सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन एवं सरकारी सहयोग का प्रकटन	— परिसंपत्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस विषय में लेखांकन नीति अनुच्छेद 3.15 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 21	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव	— विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.7 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 23	उधारी लागत	— कंपनी उधारी लागतों को पूँजीकृत करती है जो परिसंपत्ति की लागत के अंश के तौर पर अर्हता परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है। इस संबंध में प्रकटीकरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.14 में किया गया है।
इंड एएस 24	संबंधित पार्टी प्रकटन	— संबंधित पार्टियों के नाम, उनके साथ एकीकृत बिक्री एवं क्रय लेनदेन, उनके विरुद्ध कोई बकाया शेष एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को भुगतान किए गए लाभ एवं उनके विरुद्ध ऋण बकाया को टिप्पणी 39 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 27	पृथक वित्तीय विवरण	— संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेश को पृथक वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रस्तुत किया गया है।
इंड एएस 28	सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश	— कंपनी इक्विटी विधि का इस्तेमाल करते हुए अपने समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की वहन राशि के साथ सहायक कंपनियों के लाभ या हानि में लाभ के अंश को समायोजित करती है।
इंड एएस 29	अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ व्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग	— यह मानक कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि इसकी कार्यात्मक मुद्रा किसी भी अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ-व्यवस्था की मुद्रा नहीं है।
इंड एएस 32	वित्तीय साधनों का प्रस्तुतीकरण	— परिसंपत्तियों एवं देयताओं के सभी मद मानक में निर्देशित परिभाषाओं के आधार पर वित्तीय एवं अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं में पृथकीकृत किए गए हैं एवं अनुसूची III में अपेक्षानुसार प्रस्तुत किए गए हैं।
इंड एएस 33	प्रति शेयर आय	— कंपनी ने कोई संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है। अतएव मूल एवं मंदित ईपीएस दोनों वही रहे। — ईपीएस की गणना में प्रयुक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं आय के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 37 में किया गया है।
इंड एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	— एक सूचीबद्ध संस्था होने के कारण, कंपनी तिमाही आधार पर इस मानक में निर्देशित मान्यता एवं मापन सिद्धांतों के अनुसार सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार अपने अंतरिम वित्तीय बौरे तैयार करती है।
इंड एएस 36	परिसंपत्ति की क्षति	— विभिन्न परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों नें संबंधित अनुच्छेदों में प्रकट किया गया है। — प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिसंपत्ति के वहन मूल्यों की समीक्षा करता है एवं आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा सूचक है कि मानक के अनुसार परिसंपत्ति की क्षति हो सकती है।
इंड एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं परिसंपत्तियाँ	— प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं परिसंपत्तियों के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.8 में व्यक्त किया गया है। — विगत गतिविधियों, कानूनी या रचनात्मक के फलस्वरूप जब कंपनी के पास वर्तमान देयता है जिसके लिए देयता के निपटान हेतु संसाधनों के बहिःभाव की आवश्यकता है तब प्रावधान को स्वीकृति दी गई है एवं गतिविधि से पूरे जोखिमों एवं अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए विश्वसनीय रूप से आकलित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का संचलन टिप्पणी 22(ग) में प्रकट किया गया है। — अन्य देयताओं के मामले में, जो विगत गतिविधियों से उत्पन्न हुई है एवं जिनकी विद्यमानता एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी गतिविधियों के घटने या न घटने, जो पूर्णरूप से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है, के द्वारा पुष्टि की जाएगी, आकस्मिक देयताओं को टिप्पणी 25 में प्रकट किया गया है एवं अनुसूची III की आवश्यकता के अनुपालन में है। — आकस्मिक परिसंपत्तियों को स्वीकृति नहीं दी गई है, परन्तु प्रकट की गई है, जहाँ आर्थिक लाभों के अन्तर्प्रवाह की संभावना है।
इंड एएस 38	अमूर्त परिसंपत्ति	— इस संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.5 में उल्लेख की गई है। — कंपनी आर एवं डी गतिविधियों पर व्यय, एनपीवी बाबत भुगतान, समूह परियोजनाओं पर व्यय एवं सॉफ्टवेयर पर व्यय को स्वीकृति देती है जो अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मानक में निर्देशित मान्यताओं के लिए शर्तों को पूरा करती है। — संयोजन, घटाव एवं परिशोधन को दर्शाने वाले अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक वहन राशि एवं अंतिम वहन राशि का मिलान टिप्पणी 7 में दिया गया है।

इंड एएस 40	निवेश संपत्ति	कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 41	कृषि	कंपनी के पास कोई कृषि गतिविधि नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 101	भारतीय लेखांकन मानकों का पहली बार अभिग्रहण	कंपनी ने वर्ष 2016-17 में इंड एएस को अपनाया है और इसलिए यह मानक लागू नहीं होता है।
इंड एएस 102	शेयर आधारित भुगतान	— वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ जिसमें शेयर-आधारित भुगतान है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 103	व्यवसाय संयोग	— यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 104	बीमा ठेके	— यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 105	विक्रय एवं विच्छिन्न प्रचालनों के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	— कंपनी के पास कौई निपटान ग्रुप नहीं है, अतएव कोई प्रकटन नहीं किया गया है।
इंड एएस 106	खनिज संसाधनों के लिए अन्वेषण एवं मूल्यांकन	— कंपनी ने खनिज संसाधनों के अन्वेषण एवं मूल्यांकन पर कोई व्यय नहीं किया है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 107	वित्तीय प्रपत्रों का प्रकटन	— वित्तीय प्रपत्रों के वर्गीकरण, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रपत्रों से उत्पन्न जोखिम की प्रकृति एवं विस्तार के संबंध में मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी 37 में किया गया है।
इंड एएस 108	प्रचालन खंड	— कंपनी ने अपने प्रचालन को दो खंडों अर्थात रसायन खंड एवं एल्यूमिनियम खंड में वर्गीकृत किया है जो मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) के दृष्टिकोण पर आधारित है जो वे कंपनी के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा के लिए अपनाते हैं। — खंड राजस्व, परिणाम, परिसंपत्ति एवं देयताएँ प्रमुख उत्पादों से राजस्व, भौगोलिक सूचनाएँ एवं अन्य खंड सूचनाएँ टिप्पणी 35 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 109	वित्तीय प्रपत्र	— म्युच्युअल फंड में निवेश एवं विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण ठेका को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधित लागत पर पाया गया है एवं टिप्पणी 37 में प्रकट किये गए हैं।
इंड एएस 110	समेकित वित्तीय विवरण	— समेकित वित्तीय विवरण समेकन की इक्विटी विधि का अनुपालन करते हुए कंपनी की संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों पर विचार करते हुए तैयार किए गए हैं।
इंड एएस 111	संयुक्त व्यवस्थाएँ	— कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित व्यवस्थाओं में अपने हित की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक में निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करती है।
इंड एएस 112	अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटन	— कंपनी के पास दो संयुक्त उद्यम हैं जिसकी संक्षेप में प्रस्तुत वित्तीय सूचनाएँ एवं ब्याज की वहन राशि के साथ इसके मिलान टिप्पणी 9 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 113	सही मूल्य मापन	— कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मापते समय मानक में निर्देशित अनुसार सही मूल्य मापन के सिद्धांतों को अपनाया है। — इस विषय में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 4.2.6 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 114	नियामक स्थगन लेखें	— कंपनी किसी दर नियंत्रण के अधीन नहीं है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 115	ग्राहकों के साथ ठेके से राजस्व	— ग्राहकों के साथ ठेके के संबंध में अपनी सभी निष्पादन देयता के समापन पर कंपनी राजस्व को स्वीकृति देती है।

वर्ष 2018-19
हेतु
समेकित वित्तीय परिणाम

सेवा में,
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड** (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य विशद आय समेत), इक्विटी परिवर्तन का समेकित विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी समेत समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी (इसके बाद आगे "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अपेक्षानुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरण अपेक्षित जानकारी देते हैं एवं संशोधित अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की समरूपता में, 31 मार्च, 2019 की स्थिति को कंपनी के मामलों की समेकित यथा स्थिति एवं इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अन्य विशद आय सहित इसके समेकित लाभ, इसके समेकित नकद प्रवाह एवं इक्विटी में समेकित परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

हमारे अभिमत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखापरीक्षण पर मानकों (एसए) के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में विस्तार से वर्णित है। भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ नीतिगत आवश्यकताओं जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है, के अनुसार हम कंपनी एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से स्वतंत्र हैं एवं हमने उन आवश्यकताओं एवं नैतिक संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तु

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएँ वो विषयवस्तुएँ हैं जो हमारे पेशेवर विचार में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रही थीं। इन विषयवस्तुओं का समग्र रूप में एवं इस पर हमारे राय व्यक्त करने में समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा की प्रासंगिकता में समाधान किया गया था एवं इन विषयवस्तुओं पर हम पृथक राय प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान वर्ष में लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ जो हमने चिह्नित की हैं, वो निम्नानुसार हैं :

लेखापरीक्षा विषयक प्रमुख विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया था
1. अमूर्त संपत्तियों एवं प्रक्रियाधीन कार्यों की लागत पूँजी समेत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का वहन मूल्य	
(टिप्पणी 5) ₹7109.37 करोड़ (2017-18 : ₹7019.38 करोड़) के संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, प्रक्रियाधीन कार्यों की लागत पूँजी कार्य (टिप्पणी 6) ₹843.91 करोड़ (2017-18 : ₹825.83 करोड़) एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 7) कुल ₹176.41 करोड़ (2017- 18 : ₹120.08 करोड़) समेकित वित्तीय स्थिति के विवरण में दर्ज किए गए महत्वपूर्ण शेष राशि को दर्शाते हैं। कंपनी ने टिप्पणी 3.4, 3.5 एवं 3.6 में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, पूंजी कार्य प्रगति में एवं अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का वर्णन किया है। इन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय के प्रत्याशित भावी नकद प्रवाह एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियों की उपयोगिता को समर्थन देनेवाले प्रमुख धारणाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ प्रबंधन का निर्णय संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि एवं उनके मूल्यह्रास स्वरूप को प्रभावित करता है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत; नीति में परिवर्तनों के प्रभाव समेत परिसंपत्ति के जीवन काल की समीक्षा; निर्माण के दौरान परिसंपत्तियों से अंतरण की समयसीमा पर निर्णय शामिल है।	हमने अवशिष्ट मूल्य एवं उपयोगी जीवनकाल के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाओं का मूल्यांकन किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये इंड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और इंड एएस 38 अमूर्त परिसंपत्तियों के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। हमने प्रबंधन के निर्णय को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवनकाल एवं अवशेष मूल्यों की तुलना के माध्यम से चुनौती देते हुए आकलन किया है कि क्या उपयोगी जीवनकाल एवं अवशेष मूल्य यथा संगत थे। हमने पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में प्रत्येक श्रेणी की परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल की तुलना की है ताकि यह निर्धारित कर सकें कि क्या परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन है एवं व्यवसाय और उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर परिवर्तनों की प्रासंगिकता पर विचार किया। हमने आकलन किया है कि क्या कमजोरी के सूचक व्यवसाय एवं उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर 31 मार्च, 2019 को मौजूद थे; हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की नियंत्रण व्यवस्था का परीक्षण किया, पूंजीकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों पर विवरण के परीक्षणों का निष्पादन किया एवं निर्माण के चरण में परिसंपत्तियों के अंतरण की समयसीमा एवं परिसंपत्तयों के जीवन काल के प्रयोग का आकलन किया।

लेखापरीक्षा विषयक प्रमुख विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया था
	इन विषयगत प्रक्रियाओं के निष्पादन में, हमने पूंजीकृत मूल लागत की प्रकृति, मूल्यह्रास एवं परिशोधन की गणना में प्रयुक्त परिसंपत्ति के जीवनकाल की उपयुक्तता; एवं कमजोरी के प्रसंग में यदि ज़रूरत पड़े, तो त्वरित मूल्यह्रास/परिशोधन के लिए आवश्यकता के आकलन समेत प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों का अकलन किया है। हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के आकलन को प्रासंगिक पाया है।
2. मालसूची का मूल्यांकन	
टिप्पणी 3.10 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति) एवं टिप्पणी 15 (मालसूची) में वर्णित अनुसार कमतर लागत एवं शुद्ध वसूली मूल्य पर मालसूची का वहन किया गया है एवं 31 मार्च, 2019 के अनुसार ₹1210.01 करोड़ (2017-18 : ₹1194.08 करोड़) की मालसूची है। अवधि के आधार पर अप्रचलन के लिए प्रावधान किया गया है जिसके लिए मद अचल के रूप में रहता है। यह कार्यविधि मालसूची अवशेषों पर लागू उपयुक्त प्रावधानीकरण के निर्धारण में की गई धारणाओं पर निर्भर है।	मालसूची के मूल्यांकन के संबंध में हमें एक विस्तृत सहमति प्राप्त हुई है एवं स्थापित नियंत्रणों की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। एक एकक से दूसरे एकक में कच्चे सामान के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु तैयार उत्पाद के अंतरण पर प्रबंधन के नियंत्रण की उपयुक्तता पर हमने आश्वासन प्राप्त किया है एवं उत्पादन प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने के लिए मानक स्तर की तुलना में वर्ष के अंत में प्रक्रियाधीन स्टॉक के वास्तविक स्तर का आकलन किया है एवं अस्वाभाविक मालसूची प्रयोग से जुड़े कार्यकलापों को चिह्नित करने के लिए आंकड़ा विश्लेषक का उपयोग किया है। हमने अत्यंत गहराई से मालसूची प्रावधानी नीति का आकलन किया है जिसमें अति पुरानी मालसूची एवं उनकी संचलन स्थिति पर विशेष विचार किया है। हमने मालसूची मदों के एक नमूने की जाँच की है कि क्या वे निम्नतर लागत एवं शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर हैं। हम प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनुसार मालसूची के मूल्य पर सहमति देते हैं।
3. कर्मचारी के परिभाषित लाभ देयताओं एवं अन्य दीर्घमियादी लाभों का मूल्यांकन	
दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ देयता के लिए ₹380.20 करोड़ (2017-18 : ₹304.76 करोड़) एवं परिभाषित लाभ दायित्वों (निधिबद्ध उपदान दायित्व के तहत योजना परिसंपत्ति का शुद्ध मूल्य) के लिए ₹225.13 करोड़ (2017-18 : ₹424.19 करोड़) की स्वीकृति दी है एवं समेकित वित्तीय विवरणों को टिप्पणी 3.16 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति) एवं टिप्पणी 22 एवं 31 में वर्णित किया है। कर्मचारी लाभ देयता का मूल्यांकन बाजार की स्थितियों एवं की गई धारणाओं पर निर्भर है। प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख धारणाओं से संबंधित हैः छूट दर, मुद्रा स्फीति प्रत्याशाओं एवं अपेक्षित जीवन की धारणाओं। इन धारणाओं का व्यवस्थापन जटिल है एवं तृतीय पक्ष के बीमांकिक सहयोग से महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है।	मूल्यांकन के परीक्षण में, वित्तीय एवं जनसांख्यिकीय दोनों में प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक धारणाओं की समीक्षा के लिए हमने वाह्य बीमांकिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट की जाँच की है एवं इन धारणाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कार्यविधियों को विवेचित किया, इसके अलावा, परिभाषित लाभ देयताओं के मूल्याकन के प्रमुख धारणाओं पर अतिसंवेदनशील विश्लेषण की जाँच की है। हम संतुष्ट हैं कि देयताओं के निर्धारण के संबंध में इस्तेमाल की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।
4. आकस्मिक देयताओं के संबंध में निश्चयन, प्रकटन एवं प्रावधानीकरण	
टिप्पणी 4.2.5 (महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय एवं अनिश्चितता आकलन के प्रमुख स्रोत) में वर्णित अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 25 में ₹2771.59 करोड़ (2017-18 : ₹2552.08 करोड़) की आकस्मिक देयता प्रकट की गई है। कुल ₹1814.14 करोड़ (2017-18 : ₹1526.41 करोड़) की मांग से संलग्न विवाद के अधीन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों में अनिश्चित कर विषयवस्तु से संबंधित सामग्री है, जिसके लिए इन विवादों के संभावी परिणाम के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यता है।	हमने इंड एएस 37 *प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों* के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटन एवं प्रावधान करने के संबंध में एक विस्तृत सहमति प्राप्त की है एवं स्थापित नियंत्रणों की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर आकस्मिक देयताओं के विषय में, हमने निम्नलिखित सिद्धांत एवं लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन किया हैः — कर मुकदमे एवं लम्बित प्रशासनिक कार्यवाहियों को चिह्नित करने के लिए कार्य-प्रक्रियाओं का आकलन एवं प्रासंगिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया गया। — समरूप मामलों में कानूनी अग्रता एवं अन्य नियमों पर विचार करते हुए कर विभाग द्वारा निष्पादित संभावी कर जोखिमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त धारणाओं का आकलन।

लेखापरीक्षा विषयक प्रमुख विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया था
इसके साथ, ₹957.45 करोड़ (2017-18 : ₹1025.67 करोड़) की कुल मांग से संश्लिष्ट राज्य सरकार द्वारा एवं ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गठित ओड़िशा सरकार या अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न दावों के संबंध में अन्य प्रक्रियारत कानूनी विषयवस्तुएँ हैं जिसके लिए संभावित परिणाम निर्धारित करने हेतु प्रबंधन निर्णय के उपयोग की जरूरत पड़ती है।	— सबसे महत्वपूर्ण विवादों की वस्तुस्थिति के विषय में प्रबंधन के साथ चर्चा एवं प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखीकरण की जाँच। — कर विशेषज्ञों से प्राप्त राय का विश्लेषण, जहाँ उपलब्ध हो। — समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकटनों के पर्याप्तता की समीक्षा। अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में कंपनी की संभावी अरक्षितता के आकलन में, हमने: — ज्ञात अरक्षितता की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों के स्वरूप एवं कार्यान्वयन का आकलन किया; — विवेचना के अधीन क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए बोर्ड एवं बैठक के अन्य कार्यवृत्त का संदर्भ लिया; — समेकित वित्तीय विवरणों को प्रभावित करनेवाली चालू एवं संभावी कानूनी विषयवस्तुओं को समझने में कंपनी के अंदरूनी कानूनी लेखापरीक्षकों से सलाह ली गई; — विशेषज्ञों से उपलब्ध कानूनी परामर्शों की समीक्षा; और — वास्तविक और संभावी कानूनी देयताओं के प्रस्तावित लेखांकन एवं प्रकटन की समीक्षा की। हम सहमति देते हैं कि प्रक्रियाधीन कानूनी विषयवस्तुओं के संबंध में लेखांकन एवं प्रकटन उपयुक्त हैं।
5. परिसंपत्ति के रूप में सतत मुकदमे के अधीन कर विषयवस्तुओं के संबंध में अग्रिम एवं जमा	
31 मार्च, 2019 की स्थिति को, अन्य परिसंपत्तियों (टिप्पणी 14) में शामिल है ₹597.61 करोड़ (2017-18 : ₹581.95 करोड़) राशि के लिए जीएसटी, वीएटी एवं सेनवेट उधार समेत प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर जमा (प्रावधान का शुद्ध) के वसूलीयोग्य दावे जो लम्बित समायोजन/अधिनिर्णय में है। इन अरक्षितता एवं उनके लेखांकन और प्रकटन आवश्यकताओं की प्रकृति के आकलन में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता पड़ती है।	हमारी लेखा परीक्षा की कार्यविधि में हमें प्रबंधन से पूरे किए गए कर आकलनों एवं मांग तथा अपील अधिकारी के अपील आदेश का विवरण प्राप्त करना था। हमने कर देयता एवं विवादों के संभावी परिणाम के आकलन में प्रबंधन की अंतर्निहीत धारणाओं को चुनौती देने के लिए हमारे आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया था। हमारे आंतरिक विशेषज्ञों ने भी इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की परिस्थिति के मूल्यांकन में कानूनी प्रधानता एवं अन्य नियमावलियों पर विचार किया। इसके अलावा, हमने वसूली योग्य राशि, संधारणीयता एवं अंतिम समाधान पर संभाव्य वसूली क्षमता की प्रकृति की समीक्षा करने हेतु यथा उपलब्ध, कानूनी एवं कर विशेषज्ञों की राय पर विचार किया है। वसूली योग्य के रूप में विवेचित दावा राशि में प्रबंधन के निर्धारण के साथ हम सहमति रखते हैं।
6. आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन	
कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को टिप्पणी 23 में ₹1130.67 करोड़ (2017-18 : ₹1151.45 करोड़) की आस्थगित कर देयता (आस्थगित कर परिसंपत्ति का शुद्ध) प्रकट किया है। बहु आयकर प्रावधानों के प्रयोग से सन्निहित गतिविधियों का संचालन हुआ है। समयांतर के फलस्वरूप उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता के मूल्यांकन का आकलन एवं अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रावधान हमारी लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गणना जटिल प्रकृति की है एवं संवेदी और निर्णयात्मक धारणाओं पर निर्भर है। इनमें, अन्य के साथ दीर्घमियादी भावी लाभकारिता एवं स्थानीय वित्तीय विनियम एवं विकास शामिल हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में अन्य के साथ शामिल है आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की संपूर्णता एवं सटीकता का निर्धारण करना एवं अनिश्चित कर स्थितियों को स्वीकृति देना। हमने चिह्नित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली क्षमता एवं आस्थगित कर देयताओं के संबंध में भावी नकद प्रवाहों की संभाव्यता पर प्रबंधन के आकलन को चुनौती दी एवं जाँच-पड़ताल की। हमने सांविधिक आयकर दर में परिवर्तनों के संबंध में एवं सीमाबद्धता विधान से संबंधित लागू स्थानीय वित्तीय विनियमों एवं विकासों का भी आकलन किया है क्योंकि ये आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के अंतर्निहीत मूल्यांकन की प्रमुख धारणाएँ है। हमने कर स्थितियों का विश्लेषण किया एवं प्रयुक्त धारणाओं एवं कार्यविधियों का मूल्यांकन किया। इसके अलावा, हमने प्रयुक्त आस्थगित परिसंपत्तियों/देयताओं पर इंड एएस 12 आयकर के अनुसार कंपनी के प्रकटन की पर्याप्तता पर भी ध्यान केन्द्रित किया। हम संतुष्ट हैं कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं के संबंध में प्रयोग की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।

अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में शामिल है नि.सा.उ. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट समेत निदेशक रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय पर रिपोर्ट, इस पर संलग्न निगम अभिशासन पर रिपोर्ट में निहीत सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न अन्य सूचना, परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण एवं इस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत ये रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय अन्य सूचना को शामिल नहीं करती है एवं इस पर निष्कर्ष के तौर किसी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करेगी।

समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के सिलसिले में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर चिह्नित अन्य सूचना का पठन करना है, जब यह हमें उपलब्ध करायी जाती है एवं ऐसा करते हुए हम विचार करते हैं कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी में भौतिक रूप से असंगत है या फिर भौतिक रूप से गलत बयानबाजी प्रकट करते हैं।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, तब यदि हमें पता चलता है कि इसमें भौतिक गलत बयानबाजी है, तब इस अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को इस विषयवस्तु की सूचना हमें प्रदान करनी पड़ती है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों समेत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कंपनी और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के निदेशक के संबंधित बोर्ड के दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का व्यवस्थापन भी शामिल है जो संबंधित कंपनी कि संपत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग, तर्क एवं आकलन देने, जो यथासंगत एवं विवेकपूर्ण हैं; एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे, समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं एवं भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो जो उपरोक्त अनुसार कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने के प्रयोजन से प्रयोग किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, कंपनी के निदेशक मंडल एवं इसकी संयुक्त संस्था एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने में क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का लागू अनुसार प्रकट करने एवं लेखांकन की चालू संस्था आधार पर इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार है, बशर्ते कि कंपनी का प्रबंधन या संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था या तो समाप्त करना चाहता है या कार्य-परिचालनों को रोकना चाहता है या ऐसा करने के अलावा यथार्थ रूप से कोई और विकल्प नहीं है।

कंपनी के निदेशक मंडल एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है युक्ति संगत आश्वासन प्राप्त करना कि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से गलत बयानबाजी से मुक्त हैं चाहे वो जालसाजी या त्रुटि के कारण हो एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। युक्तिसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु इसकी सुनिश्चितता नहीं है कि एसए के अनुसार संचालित एक लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी भौतिक गलत बयानबाजी, जब यह विद्यमान हो, का पता लगा पाएगी। गलत बयानबाजी किसी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है एवं तभी महत्वपूर्ण माना जाता है, जब व्यक्तिगत या समेकित रूप में, उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की युक्तिसंगत अपेक्षा रहती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के अंश के तौर पर, हम पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं पेशेवर संशयवाद का पालन करते हैं। हमारे कार्य में ये भी शामिल हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणियों की गलत बयानबाजी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करना, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना एवं निष्पादन करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। किसी जालसाजी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी गलत बयानबाजी का पता न चल पाने का जोखिम, किसी चूक से उत्पन्न जोखिम से अधिक होता है क्योंकि जालसाजी में साँठ-गाँठ, धोखाधड़ी, जानबूझकर विलोपन, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल रह सकते हैं।
- लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रिया को तैयार करने हेतु लेखापरीक्षा के संगत में आंतरिक नियंत्रण के तात्पर्य को प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(झ) के अंतर्गत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है एवं ये नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हैं।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन आकलनों के औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- संस्था में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना एवं प्राप्त लेखा साक्ष्य के आधार पर देखना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जो कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं को चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम किसी भौतिक अनिश्चितता की उपस्थिति का निष्कर्ष देते हैं, तो समेकित वित्तीय विवरणियों में संबंधित प्रकटीकरण की हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इस पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता पड़ती है या इस प्रकार का प्रकटीकरण अपर्याप्त रहने पर, हमारी राय में हम परिवर्तन लाते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था को एक चालू संस्था के रूप जारी रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण समेत समेकित वित्तीय विवरणियों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करना एवं क्या समेकित वित्तीय विवरण इस रूप में अंतनिर्हीत लेनदेन की घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं जिनसे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्राप्त होता है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए संस्थाओं की वित्तीय सूचना या कंपनी एवं इसकी संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं की व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करना। शामिल की गई इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए हम जिम्मेदार हैं।

हम समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित कंपनी एवं ऐसी अन्य संस्थाओं के अभिशासन से प्रभारित जनों जिसके हम स्वतंत्र निदेशक हैं, को अन्य विषयवस्तुओं के साथ-साथ लेखापरीक्षा के सुनियोजित क्षेत्र एवं समयसूची और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा चिह्नित अन्य महत्वपूर्ण कमियों की सूचना देते हैं।

हम अभिशासन से प्रभारित जनों को एक विवरण के साथ यह भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के विषय में संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया हैं एवं हमारी स्वतंत्रता एवं जहाँ प्रयोज्य हो, संबंधित हिफाजत पर यथा संगत विचार किए जानेवाले सभी संबंधों एवं अन्य विषयवस्तुओं की सूचना देते हैं।

अभिशासन से प्रभारित जन को सूचित की गई विषयवस्तुओं में हम उन विषयवस्तुओं का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे एवं इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएं हैं। हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयवस्तुओं का वर्णन करते हैं, बशर्ते कि विषयवस्तु के सार्वजनिक प्रकाशन से कानून या विनियम द्वारा रोका न गया है या जब अति दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी विशिष्ट विषयवस्तु को सूचित नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके प्रतिकूल परिणाम से ऐसी सूचना के सार्वजनिक हित लाभों पर प्रभाव पड़ने की यथासंगत अपेक्षा रहती है।

अन्य विषयवस्तु

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमने नहीं की है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विवेचित अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की भागीदारीवाली ₹1.29 करोड़ का निवल लाभ समेकित वित्तीय विवरण में शामिल है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें दी गई है एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर हमने अपनी राय, जहाँ तक संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के बारे में सम्मिलित राशियों और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराएँ (3) एवं (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट जहाँ तक संयुक्त रूप से नियंत्रित उपर्युक्त संस्थाओं से संबंधित है, पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और किए जा चुके कार्य के क्षेत्र में निर्भरता के संदर्भ में उपरोक्त विषयों के संदर्भ में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के अनुदेशों के अनुपालन में, हम वहाँ विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के अनुलग्नक “क” में एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

   क. हमने वो सभी जानकारी और व्याख्या मांगी है एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

ख. हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों एवं अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, कानून के अपेक्षानुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यथोचित लेखा-बहियों का रखरखाव किया गया है।

ग. इस रिपोर्ट से सम्बंधित समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण एवं समेकित नकद प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन हेतु अनुरक्षित लेखा बहियों के सुसंगत हैं।

घ. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

ङ. जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है एवं भारत में गठित इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुपालन में 31 मार्च, 2018 की स्थिति को संयुक्त रूप से नियंत्रित इन संस्थाओं के किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में अयोग्य नहीं किया गया।

च. कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के सूचनार्थ अनुलग्नक “ख” में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

छ. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिकः

  i. कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं के पास लंबित मुकदमे हैं जिसके संबंध में देयताएँ या तो प्रदान किए गए हैं या आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किए गए हैं - वित्तीय विवरण की टिप्पणी 25 का संदर्भ लें। कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पर इनके लंबित मुकदमे का प्रभाव उनके न्यायिक परिणाम के अधीन है।

  ii. कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं के पास व्युत्पन्न संविदाओं समेत कोई दीर्घमियादी संविदाएँ नहीं हैं, जिसके लिए पहले से ही भौतिक पूर्वाभासी क्षतियाँ थी।

  iii. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं द्वारा कोई राशि अंतरित किए जाने में कोई देर नहीं हुईः है।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.	**कृते पाल एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल	सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई	एफआरएन: 310100ई
(सीए डॉ. बी.एस कुण्डु)	**(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)**
साझेदार	**साझेदार**
सदस्यता सं. 051221	सदस्यता सं. 057820

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2019

अनुलग्नक "क"

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट" के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 1 के संदर्भ में)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत निर्देशों पर रिपोर्ट

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और कंपनी के बहियों एवं रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. आईटी प्रणाली के जरिए सभी लेखांकन लेनदेनों की प्रक्रिया हेतु कंपनी के पास एसएपी प्रणाली की व्यवस्था है। चूंकि आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिए आईटी प्रणाली के बाहर प्रक्रिया किए गए लेखांकन लेनदेनों के वित्तीय प्रभाव एवं लेखों की सत्यनिष्ठा पर मंतव्य करने का सवाल नहीं उठता है।
2. कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है एवं इसलिए उधारदाता द्वारा ऋण की पुनर्संरचना का सवाल नहीं उठता है।
3. वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी भी योजना के लिए केन्द्र/राज्य एजेंसियों से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए निधि की प्राप्ति का लेखांकन एवं इस पर इसकी उपयोगिता नियम और शर्तों के अनुसार सवाल नहीं उठता है।

नेशनल एल्यूमिनियम कं. लि. के समेकित वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं सं संबंधित है, जिस पर अधिनियम की धारा 143(5) लागू है, वो ऐसी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखा परीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्ट एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित ऐसी संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि., कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित एक संस्था एक सरकारी कंपनी नहीं है एवं इसलिए धारा 143(5) इस पर लागू नहीं हैं।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए डॉ. बी.एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

कृते पाल एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं. 057820

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2019

अनुलग्नक "ख"

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड(i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (इसके बाद "कम्पनी" के रूप में संदर्भित) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ की है एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं जो आज की तिथि में भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया।

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमारे पास जमा की गई है एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इन संस्थाओं के विषय में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटनों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इन संस्थाओं से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराएं (3) एवं (11) के अनुपालन में हमारी रिपोर्ट मुख्यतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

भारत में संयुक्त रूप से नियंत्रित निगमित कंपनियों से संबंधित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता से संबंधित हमारी उक्त रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143(3)(झ) के अंतर्गत कंपनी के तत्संबंधी लेखा परीक्षकों के अनुरूपी रिपोर्ट पर आधारित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के तहत आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कम्पनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना एवं बनाए रखना जो कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारण योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी ("अनुदेश टिप्पणी") एवं लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुआ एवं नीचे अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की उनकी रिपोर्ट के अनुसरण में उनसे जो लेखा साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के सम्बन्ध में है जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती हैं, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित हैं एवं कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वसान प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण करने वाले मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणओं के किसी मूल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, भारत में निगमित, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था एवं कंपनियों के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त, आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2019 को यथा, प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 302039ई

(सीए डॉ. बी.एस कुण्डु)
साझेदार
सदस्यता सं. 051221

कृते पाल एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं. 057820

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.05.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकगण अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 30 मई, 2019 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्त किया हुआ बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, मैंने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6)(क) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, परन्तु सहयोगी कंपनी एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड एवं संयुक्त उद्यम कंपनी अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। **इसके अलावा, जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक निजी क्षेत्र की संस्था होने के कारण उनकी सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए अधिनियम की धारा 139(5) एवं 143(6)(क) लागू नहीं है। इसी अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है।** यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कम्पनी के कर्मचारियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं प्राप्त हुआ है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा
लेखापरीक्षक और उनकी ओर से

(सुपर्णा देब)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड – I
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 08 जुलाई, 2019

समेकित तुलन पत्र
मार्च 31, 2019 को यथा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
परिसंपत्तियाँ			
(1) **गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5	7,109.37	7,019.38
(ख) पूंजी कार्य प्रगति में	6	843.91	825.83
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	176.41	120.08
(घ) विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	38.80	89.39
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	176.21	116.75
(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	—	-
(iii) ऋण	11	74.74	74.96
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	10.37	13.14
(च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	14	1,116.88	843.93
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		9,546.69	**9,103.46**
(2) **चालू परिसंपत्तियाँ**			
(क) मालसूची	15	1,210.01	1,194.08
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	80.81	592.96
(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	240.52	258.13
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	16	171.60	25.35
(iv) ऊपर (iii) के अलावा बैंक शेष	16	3,324.75	2,743.60
(v) ऋण	11	25.75	29.29
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	1.23	152.55
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	51.26	33.66
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	494.77	479.86
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		5,600.70	**5,509.48**
कुल परिसंपत्तियाँ		15,147.39	**14,612.94**
इक्विटी एवं देनदारियाँ			
(1) **इक्विटी**			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	932.81	966.46
(ख) अन्य इक्विटी	18	9,552.13	9,537.49
कुल इक्विटी		10,484.94	**10,503.95**
देनदारियाँ			
(2) **गैर-चालू देनदारियाँ**			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) व्यापारिक देय			
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देय	20	—	—
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	20	21.14	15.63
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	6.70	2.85
(ख) प्रावधान	22	530.93	436.09
(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	23	1,130.67	1,151.45
(घ) अन्य गैर-चालू देनदारियाँ	24	67.89	62.04
कुल गैर-चालू देनदारियाँ		1,757.33	**1,668.06**
(3) **चालू देनदारियाँ**			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधारी	19	66.79	44.99
(ii) व्यापारिक देय			
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देय	20	2.22	4.53
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	20	1,283.55	957.21
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	410.86	512.87
(ख) अन्य चालू देनदारियाँ	24	976.19	545.45
(ग) प्रावधान	22	165.51	375.88
कुल चालू देनदारियाँ		2,905.12	**2,440.93**
कुल देनदारियाँ		4,662.45	**4,108.99**
कुल इक्विटी एवं देनदारियाँ		15,147.39	**14,612.94**

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-42) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(श्रीधर पात्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डॉ. टी.के. चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई
(सीए डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार (एम.न.:051221)

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई
(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम.नं.:057820)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

समेकित लाभ और हानि का विवरण
31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए

राशि ₹ करोड़ में

		टिप्पणियाँ	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालन से राजस्व	27	11,499.32	9,618.31
II	अन्य आय	28	325.87	299.65
III	कुल आय (I + II)		11,825.19	**9,917.96**
IV	व्यय			
	(क) खपत हुए कच्चे माल की लागत	29	1,919.68	1,465.31
	(ख) खपत हुए विद्युत एवं ईंधन की लागत	29	2,927.12	2,747.92
	(ग) तैयार माल के मालसूची एवं चालू कार्य में परिवर्तन	30	(5.08)	47.43
	(घ) कर्मचारी परिलाभ व्यय	31	2,072.28	2,261.20
	(ङ) वित्त लागत	32	2.38	1.95
	(च) मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	5 & 7	476.10	480.40
	(छ) उत्पाद शुल्क		—	108.86
	(ज) अन्य व्यय	33	1,692.79	1,590.14
	कुल व्यय (IV)		9,085.27	**8,703.21**
V	विशिष्ट मदों एवं कर-पूर्व लाभ /(हानि) (III - IV)		2,739.92	**1,214.75**
VI	विशिष्ट मद	34	—	**(824.08)**
VII	संयुक्त उद्यमों के लाभ/(हानि) का अंश		1.29	**(0.22)**
VIII	कर के पूर्व लाभ /(हानि) (V - VI+VII)		2,741.21	**2,038.61**
IX	कर व्यय			
	(1) चालू कर	35	1,024.65	793.18
	(2) आस्थगित कर	35	(17.13)	(96.76)
X	इस अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VIII - IX)		1,733.69	**1,342.19**
XI	अन्य विशद आय			
	(i) लाभ या हानि को पुनवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मद			
	- परिभाषित परिलाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ /(हानि)		0.06	52.66
	(ii) लाभ या हानि को पुनर्वगीकृत नहीं किए जाने वाले मदों से संबंधित आयकर	35	0.21	2.63
	इस अवधि के लिए अन्य विशद आय (करों का शुद्ध) (XI)		(0.15)	**50.03**
XII	इस अवधि के लिए कुल विशद आय (X+XI) (लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य विशद आय को समाविष्ट करके)		1,733.54	**1,392.22**
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आय			
	(1) मूल (₹ में)	37	9.07	6.94
	(2) मंदित (₹ में)	37	9.07	6.94

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-42) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(श्रीधर पात्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डॉ. टी.के. चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई
(सीए डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार (एम.न.:051221)

कृते पाल एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई
(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम.नं.:057820)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

राशि ₹ करोड़ में

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31.03.2017 को यथा शेष	966.46
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	—
31.03.2018 को यथा शेष	966.46
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद	(33.65)
31.03.2019 को यथा शेष	932.81

ख. अन्य इक्विटी

राशि ₹ करोड़ में

	आरक्षित एवं अधिशेष			
अन्य इक्विटी	पूंजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
31.03.2017 को यथा शेष	322.16	8,620.41	296.76	9,239.33
वर्ष के लिए लाभ	—	—	1,342.41	1,342.41
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	50.03	50.03
वर्ष के लिए कुल विशय आय	—	—	1,392.44	1,392.44
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(908.48)	(908.48)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(184.94)	(184.94)
31.03.2018 को यथा शेष	322.16	8,620.41	595.78	9,538.35
वर्ष के लिए लाभ	—	—	1,732.40	1,732.40
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(0.15)	(0.15)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	1,732.25	1,732.25
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर प्रीमियम		(471.18)	—	(471.18)
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर व्यय (कर लाभ का शुद्ध)		(2.60)	—	(2.60)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	33.65	(33.65)	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(193.29)	(193.29)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर			(39.73)	(39.73)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(839.53)	(839.53)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(172.57)	(172.57)
31.03.2019 को यथा शेष	355.81	8,112.98	1,082.91	9,551.70

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(श्रीधर पात्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डॉ. टी.के. चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार (एम.न.:051221)

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम.नं.:057820)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

राशि ₹ करोड़ में

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
क.	प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	अवधि के लिए लाभ	1,732.40	1,342.41
	निम्न के लिए समायोजन:		
	लाभ या हानि में मान्य आय कर व्यय	1,007.52	696.42
	संयुक्त उद्यमों के लाभ का अंश	(1.29)	0.22
	लाभ या हानि में स्वीकृत वित्तीय लागत	2.38	1.95
	लाभ या हानि में स्वीकृत ब्याज आय	(237.14)	(184.79)
	लाभ या हानि में स्वीकृत लाभांश आय	(30.61)	(33.65)
	गैर-चालू निवेशों की बिक्री से शुद्ध (लाभ)/हानि	—	(13.91)
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	7.50	(0.44)
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अधिदेशात्मक रूप से मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर उपजे शुद्ध (लाभ) / हानि	2.16	(2.96)
	अन्य परिसंपत्तियों पर स्वीकृत क्षति की हानि	(3.51)	13.43
	स्टोर्स, स्पेयर्स का मालभंडार बट्टे खाते डाला गया	12.52	15.98
	गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और ऋण-परिशोधन	476.10	480.40
	पट्टा प्रीमियम का परिशोधन	75.52	1.87
	शुद्ध विदेशी मुद्रा (लाभ/हानि)	(8.62)	2.55
	कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	3,036.22	2,319.26
	कार्यकारी पूँजी में संचलन:		
	माल-भंडार में (वृद्धि)/कमी	(28.37)	(54.62)
	व्यापारिक प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	17.61	(73.88)
	ऋणों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	157.85	14.62
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	6.08	98.89
	व्यापारिक देय में वृद्धि/(कमी)	338.16	110.75
	अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	(4.73)	6.25
	अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	30.00	(766.01)
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(123.08)	417.56
	प्रचालनों से सृजित (में प्रयुक्त) नगदी	3,429.74	2,072.82
	भुगतान किया गया आय कर	(1,020.89)	(482.49)
	प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	2,408.85	1,590.33
ख.	निवेशन गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(48.00)	(420.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से आमदनी	560.98	1,065.03
	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी अधिग्रहण हेतु भुगतान	(58.20)	(78.05)
	बैंक के पास सावधि जमा में निवेश	(385.77)	(326.27)
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	30.61	33.65
	बैंकों एवं अन्य से प्राप्त ब्याज	237.14	184.79
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूँजी अग्रिम सहित) के लिए भुगतान	(749.49)	(790.78)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से आय	8.56	11.82
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(18.49)	(46.57)
	पट्टाधारी संपत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान	(109.19)	(123.07)
	निवेशन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	(531.85)	(490.16)
ग.	वित्तपोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी के लिए भुगतान	(504.83)	—
	शेयर वापस-क्रय लागत के लिए भुगतान (कर का शुद्ध)	(2.60)	—
	अल्पावधि उधारी से आमदनी	21.80	(6.10)
	भुगतान की गई वित्तपोषण लागत	(0.00)	(0.13)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	(1,032.82)	(908.48)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए गए लाभांश पर कर	(212.30)	(184.94)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	(1,730.75)	(1,099.65)
	नगद या नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि या(कमी)	146.25	0.52
	वर्ष के आरम्भ में नगद और नगद समतुल्य	25.35	24.83
	वर्ष के अन्त में नगद और नगद समतुल्य [टिप्पणी सं. 16.क देखें]	171.60	25.35

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े नगदी बहिर्प्रवाह/आय हैं, जैसा कि मामला हो।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(श्रीधर पात्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डॉ. टी.के. चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01710900

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए डॉ. बी.एस. कुंडु)
साझेदार (एम.न.:051221)

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम.नं.:057820)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 30, 2019

टिप्पणी सं. 1 निगम पृष्ठभूमि

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (के.सा.क्षे.उ.) है, जो कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निगमित हुई है और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है। यह कंपनी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में संलग्न है। कंपनी ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में अवस्थित 22.75 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र और ओड़िशा के अनुगुल में 4.60 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिनियम प्रद्रावक का प्रचालन कर रही है। कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधन संयंत्र के पास कंपनी की एक ग्रहीत बॉक्साइट खान है और प्रद्रावक की विद्युत खपत को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के पास एक 1200 मेगावाट का ग्रहीत तापज विद्युत संयंत्र है। साथ ही, कंपनी की अक्षय ऊर्जा का दोहन करने और पुनर्नवीकरणीय खरीद अनुबंध का अनुपालन करने के लिए 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ चार पवन विद्युत संयंत्र प्रचालित हैं जो आन्ध्रप्रदेश (गण्डीकोटा), राजस्थान (जैसलमेर और देवीकोट) तथा महाराष्ट्र (सांगली) में अवस्थित है। कंपनी ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दो संयुक्त उद्यम कंपनियाँ यथा अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि. एवं गुजरात अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. में कार्यनीतिक निवेश किया है।

टिप्पणी सं. 2. अनुपालन का विवरण

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015 (संशोधित अनुसार) के अंतर्गत निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी एवं अधिसूचित सभी भारतीय लेखांकन मानकों और जो कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों पर वर्ष के लिए लागू एवं प्रासंगिक हैं, को कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय बिना किसी अपवाद के विवेचित किया गया है एवं अनुपालन किया गया है।

टिप्पणी सं. 3. उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

3.1 तैयारी का आधार

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम के समेकित वित्तीय विवरण इंड एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

जैसा कि नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़ कर, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य में मापे जाते हैं, ये समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

3.2 अनुमानों का उपयोग

ये समेकित वित्तीय विवरण इंड एएस के मान्य और मापन सिद्धांतों की संपुष्टि में अनुमानों और धारणाओं, जहाँ भी आवश्यक हुए हैं, के प्रयोग से तैयार किए गए हैं।

अनुमान और अन्तर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में, यदि कोई संशोधन है, तो उनका संशोधन के वर्ष में लेखाकरण किया गया है।

आकलन की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकते हैं, टिप्पणी संख्या 4 में वर्णित है।

3.3 सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

एक सहयोगी एक संस्था होती है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक के वित्तीय और परिचालन नीति के फैसले में भाग लेने की शक्ति है लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

एक संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण की हिस्सेदारी करने के लिए संविदात्मक सहमति है, जो केवल तब ही मौजूद रहती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के फैसले के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी करनेवाले पक्षों की एकमत से सहमति की जरूरत होती है।

सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के परिणाम,परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ इन समेकित वित्तीय विवरणों में लेखाकरण की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके समाविष्ट किए गए हैं, इसके अलावा कि जब निवेश या इसका कोई भाग, बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत किया गया हो, उस मामले में इसका लेखांकन इंड ए.एस. 105 के अनुसार किया जाता है। इक्विटी पद्धति में, किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश आरम्भ में समेकित तुलन-पत्र में लागत पर मान्य किया जाता है और इसके बाद समायोजन हेतु कंपनी के लाभ या हानि और सहयोगी या संयुक्त उद्यम की अन्य विशद आय में मान्य किया जाता है।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम से प्राप्त वितरणों से निवेश की वहन राशि कम हो जाती है। जब किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम की हानि के कंपनी का हिस्सा उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के हित से अधिक हो जाता है (जिसमें कोई दीर्घावधि हित शामिल हों, वस्तुतः जो उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के शुद्ध निवेश का भाग रूप हो), कंपनी आगे और हानि को अपने हिस्से की मान्यता देना बन्द कर देती है। अतिरिक्त हानियाँ केवल उसी सीमा तक मान्य की जाती हैं, कि कंपनी को कानूनी या रचनात्मक दायित्व वहन करना हो, या सहयोगी या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम किसी निवेश का उस तारीख से, जिससे निवेशी एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनता है, इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकन किया जाता है। किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के अधिग्रहण पर, निवेशी की अभिज्ञेय परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के कंपनी के अंश पर निवेश की लागत के अतिरिक्त को साख के रूप में मान्य किया जाता है, जो निवेश की वहन राशि के अंदर शामिल किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के बाद, निवेश की लागत पर अभिज्ञेय परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के कंपनी के अंश के किसी अतिरिक्त को सीधे इक्विटी में पूँजी आरक्षित के रूप में उसी अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वह अधिगृहीत हुई है।

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के लागू होने के बाद, कंपनी निश्चित करती है कि क्या किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में शुद्ध निवेश की आरंभिक मान्यता के बाद हुई एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुगत साक्ष्य मिला है और उस घटना (या घटनाओं) के शुद्ध निवेश से अनुमानित भावी नगदी प्रवाह पर कोई प्रभाव पड़ा है जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सके। यदि ऐसी हानि का कोई वस्तुगत साक्ष्य हो, तब सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के निवेश के संबंध में क्षति हानि को मान्य करना आवश्यक होता है।

जब आवश्यक हो, निवेश के समग्र वहन मूल्य इंड ए.एस. 36 के अनुसरण में, एक एकल परिसंपत्ति के रूप में परिसंपत्तियों की हानि को इसकी वसूलीयोग्य राशि (प्रयोग में उच्चतर मूल्य में से निपटान की लागत को घटाकर) इसकी वहन राशि से तुलना करके हानि का परीक्षण किया जाता है। कोई क्षति हानि मान्य होती है तो वह निवेश की वहन राशि का भाग होती है। उस क्षति हानि का कोई व्युत्क्रमण इंड ए.एस. 36 के अनुसरण में इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि निवेश की वसूलीयोग्य राशि बाद में बढ़ती है।

जिस तारीख से कोई निवेश एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बने रहने की समाप्ति हो जाती है, या जब निवेश बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत हो जाता है, उस तारीख से कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग करना बन्द कर देती है। जब कंपनी पूर्व सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कोई हित रखती है और धारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति होता है, तो कंपनी धारित हित को उस तारीख को उचित मूल्य पर मापती है और इंड ए.एस. 109 के अनुसरण में उस उचित मूल्य को इसकी आरंभिक मान्यता पर इसका उचित मूल्य माना जाता है। इक्विटी पद्धति बन्द होने की तारीख को सहयोगी या संयुक्त उद्यम की वहन राशि और किसी धारित हित के बीच अंतर और सहयोगी या संयुक्त उद्यम में आंशिक हित के निपटान से हुई किसी आमदनी को सहयोगी या संयुक्त उद्यम के निपटान पर लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी उस सहोयगी या संयुक्त उद्यम से संबंधित अन्य विशद आय में पहले से मान्य की गई सभी राशि को उसी आधार पर लेखांकन करती है जैसा कि सहयोगी या संयुक्त उद्यम को संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों के सीधे निपटान पर आवश्यक होता।

कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रखती है, जब सहयोगी में कोई निवेश संयुक्त उद्यम में निवेश बन जाता है या किसी संयुक्त उद्यम में निवेश सहयोगी में निवेश बन जाता है। मालिकाना हितों में ऐसे परिवर्तनों पर उचित मूल्य का कोई पुनर्मापन नहीं होता।

जब कंपनी किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में अपना मालिकाना हित कम करती है किन्तु कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रखती है, तो कंपनी उस मालिकाना हित में कमी से संबंधित अन्य विशद आय में मान्य किए गए पिछले लाभ या हानि के अनुपात का लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत करती है, यदि वह लाभ या हानि संबंधित परिसंपत्तियों या देनदारियों के निपटान पर लाभ या हानि में उस लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत किया गया हो।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण-स्वामित्व भूमि के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हेतु लागत, घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित दुर्बलता हानि पर वर्णित होते हैं। पूर्ण-स्वामित्व भूमि, जब तक बिगड़ी न हो, लागत पर वर्णित होती है।

3.4.1 आरंभिक मापन

प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, उधारी लागत, यदि कोई हो, संपत्ति को अपने स्थान पर वापस लाने और इसके लिए जरूरी स्थिति लगाने के लिए किया हुआ खर्च जो प्रबंधन के द्वारा अपेक्षित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो और किसी भी परिसंपत्ति के पुनर्स्थापना दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक अनुमानों या अनिवार्य रूप से बंद करने और विखण्डन लागत शामिल है।

भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूर्ण-स्वामित्व भूमि के विकास पर किए गए व्यय को पूँजीकृत किया गया है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स के आबंटन एवं सीधे आरोप्य उधारी लागत, यदि कोई हो, शामिल है।

₹ 5 लाख से अधिक मूल्य प्रति एकक वाले स्पेयर-पुर्जे, जो उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग के लिए धारित हैं एवं एक से अधिक अवधि के दौरान प्रयोग के लिए अपेक्षित हैं, वे संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य होते हैं। महत्वपूर्ण प्रकृति के स्पेयर्स और अनियमित उपयोग में हों, जिसे किसी विशेष उपकरण के लिए पहचाना जा सकता है और ₹ 1 लाख से अधिक प्रति एकक मूल्य के हों, वे भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं।

3.4.2 परवर्ती व्यय

परिसंपत्तियों के पुर्जों को बदलने की लागत एवं संपूर्ण जाँच-मरम्मत लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहाँ यह संदर्भ हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान कंपनी को उपलब्ध होंगे, का पूँजीकरण किया जाता है और बदले गए चिह्नित पुर्जों की धारक राशि को अमान्य किया जाता है।

3.4.3 पूँजी कार्य-प्रगति में

निर्माण चरण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों को प्रगति में पूँजीगत कार्य के अधीन शामिल किया जाता है एवं किसी भी मान्यताप्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत में लिया जाता है। ऐसे प्रगतिरत पूँजी कार्य, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित संवर्ग में स्थानांतरित किए जाते हैं।

निवेश का निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए खर्च को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। निवेश के निर्णय के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगतिरत पूँजीगत कार्य के तहत रखा जाता है और बाद में उसका पूँजीकरण किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण/निर्माण पर, निर्दिष्ट स्थान पर इसे लाए जाने एवं प्रबंधन द्वारा अपेक्षित विधि में इसे प्रचालन योग्य बनाए जाने हेतु आवश्यक स्थिति में लाए जाने तक आरोपित कोई भी प्रत्यक्ष लागत प्रगतिरत पूँजीगत कार्य का हिस्सा माना जाता है।

3.4.4 मूल्यह्रास और ऋणशोधन

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, उनके उपयोगी जीवनकाल पर एक सीधी रेखा के तहत प्रदान किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II या जहाँ भी आवश्यक विवेचित हो, प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन से अधिक नहीं हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक, उस लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है, यदि इसका उपयोगी जीवनकाल संपत्ति के घटन से अलग होता है। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम ने 'पॉट रिलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में ₹ 1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जो कि इसकी निहित प्रकृति और उपयोगी जीवनकाल के कारण प्रत्येक 'इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट' के अंश के रूप में माना जाता है।

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण और मृतिका ढोने वाले उपकरण, रेलवे सुविधाओं, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टर के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत के 5% पर और सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य को शून्य के रूप में माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है एवं परिवर्तन का प्रभाव, यदि कोई है, तो भविष्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के लिए विचार में ली गई संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल नीचे वर्णित हैं :

(क) बॉक्साइट खान में अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण खान की पट्टा अवधि तक है।

(ख) ग्रहीत तापज विद्युत उत्पादन संयंत्र यथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) वाष्प विद्युत संयंत्र (वा.वि.सं.) को 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्यूमिना परिशोधक में लाल पंक के तालाब और राख तालाब एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र में राख के तालाब के उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन अवधि-वार किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया गया है।

(ङ) बॉक्साइट खानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टेदार भूमि पर स्थापित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को शेष पट्टे की अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के रूप में माना जाता है।

जो भूमि कंपनी के स्वामित्व की नहीं है, उस पर स्थापित संपत्ति का मूल्यह्रास, उस तारीख से उपयोगी जीवन काल तक किया जाता है, जिस तारीख को वह संपत्ति प्रबंधन की अपेक्षानुसार प्रचालन में सक्षम हो, जब तक कि लम्बे/छोटे जीवनकाल तक निर्णीत न हो।

10,000/- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहरास किया जाता है जिसमें उसका इस्तेमाल करना है।

ऊपर उल्लिखित के अलावा, अन्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण निम्नलिखित उपयोगी जीवनकाल के अधीन हैं।

क्रम सं.	परिसंपत्ति संवर्ग के विवरण (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)	वर्षों में उपयोगी जीवनकाल की सीमा
1	भवन	30 - 60
2	संयंत्र और मशीनरी	15 - 40
3	वाहन	08 - 10
4	फर्नीचर और जोड़नार	08 - 10
5	कम्प्यूटर उपकरण	06

3.4.5 परिसंपत्तियों का गैर-मान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की उसके निपटान पर या जब संपत्ति के उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द होने पर होने वाले किसी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.4.6 पुर्जे अलग करने की लागत:

सतह खनन में पुर्जे अलग करने की लागत एक परिसंपत्ति के रूप में पहचानी जाती है जब वे अयस्क तक महत्वपूर्ण उन्नत पहुँच का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते सभी निम्न शर्तें पूरी होती हैं:

(क) यह संभावित है कि पुर्जे अलग करने की गतिविधि के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी;

(ख) अयस्क वस्तु का अंश जिसके लिए पहुँच में सुधार हुआ है उसे पहचाना जा सकता है; तथा

(ग) उन्नत पहुँच के साथ जुड़ी, पुर्जे अलग करने की गतिविधि से संबंधित लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

उत्पादन चरण के दौरान व्यय की गई पुर्जे अलग करने की लागत को "पुर्जे अलग करने की लागत परिसंपत्ति" में जोड़ा जाता है, जो वर्तमान अवधि के पुर्जे अलग करने की लागत का अनुपात परियोजित पुर्जे अलग करने की लागत के अनुपात से अधिक है।

"पुर्जे अलग करने की गतिविधि की संपत्ति" का बाद में, पुर्जे अलग करने की गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हुई अयस्क वस्तु के अंश के जीवनकाल के आधार पर उत्पादन की एक इकाई पर मूल्यह्रास किया जाता है और लागत में से संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षति हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

3.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

3.5.1 अलग से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत से संचित ऋणशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्ज किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्ति का ऋणशोधन उनके अनुमानित जीवनकाल पर किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और ऋणशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, और अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.5.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति - अनुसंधान और विकास व्यय

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माना गया पूँजी व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्ति मान्य होती है, यदि और केवल यदि, "इंड ए.एस. 38 - अमूर्त परिसंपत्ति" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हों।

3.5.3 खनन अधिकार

खनन अधिकारों की लागत में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए भुगतान की गई राशि और नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित संबंधित भुगतान एवं अग्रिम धनराशि शामिल हैं।

खनन अधिकारों की लागत का ऋणशोधन खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक भंडारों पर किया जाता है और हानि की समीक्षा के अधीन हैं।

3.5.4 खान विकास व्यय

व्यावसायिक उत्पादन से पहले खानों के विकास के लिए किए गए व्यय अर्थात, भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय का पूँजीकरण तब तक होता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम नहीं हो।

3.5.5 उपयोगकर्ता अधिकार:

भविष्य के आर्थिक लाभ वाले क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना उपयोगकर्ता के अधिकार के रूप में पूँजीकृत की गई हैं।

3.5.6 सॉफ्टवेयर

अलग से अधिग्रहीत ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर (आर.डी.बी.एम.एस., साईबेस, ईआरपी / एसएपी) सॉफ्टवेयर के रूप में पूँजीकृत हुए हैं।

3.5.7 लाइसेंस और फ्रेंचाइज

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस और फ्रेंचाइज" शीर्षक के अंतर्गत पूँजीकृत किया गया है।

3.5.8 अमूर्त आस्तियों की मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर रद्द कर दी जाती है, जब उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं हो। निपटान/गैर-मान्यता के उन्मूलन से पैदा होने वाले लाभ या हानि को, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.5.9 ऋणशोधन

अमूर्त संपत्ति के परिशोधन का आधार निम्नानुसार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारियों की प्रकृति में लाइसेंस जो कि संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवनकाल के लिए उपलब्ध हैं, दस वर्षों की अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ख) अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत सॉफ़्टवेयर 3 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल रखते हैं एवं उक्त अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ग) खनन अधिकार और खान विकास के खर्च को आरक्षित की उपलब्धता की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता हैं।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोक्ता अधिकार, चालू होने की तारीख से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित होता है।

3.6 मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, यह निर्धारित करने के लिए मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति की धारक राशि की समीक्षा की जाती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में क्षति की हानि हुई है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (यानी उचित मूल्य के उच्चतर में लागत घटाकर बेचने और और उपयोग-में-मूल्य) का अनुमान लगाकर क्षति से हानि, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित की जाती है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो उस परिसंपत्ति की नकद-सृजक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। यदि सीजीयू की वसूली योग्य अनुमानित राशि वहन राशि से कम कम होती है, तो सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि और वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7 कार्यात्मक और विदेशी मुद्राएँ

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल मद प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है अर्थात् भारतीय रुपये जिसमें कंपनी या इसके संयुक्त उद्यमों का संचालन होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन अर्थात संस्था की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं, को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उस तारीख में प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अंतरण किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर, को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.8 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

3.8.1 प्रावधान

किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को पहचाना जाता है और यह संभव है ("नहीं की तुलना में अधिक संभावना") कि दायित्व निपटाने के लिए इसकी आवश्यकता है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए दायित्वों के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए आवश्यक विवेचन का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहाँ वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए अनुमानित नकद बहिर्वाह का उपयोग करके एक प्रावधान मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्वाहों का वर्तमान मूल्य है।

3.8.2 पुनर्स्थापना, पुनर्वास और डीकमिशनिंग

जब विकास या किसी खदान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरण बिगड़ने की घटना होती है तो पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागत का खर्च करने के लिए एक दायित्व उत्पन्न होता है। सांविधिक अधिदेश के मुताबिक दायित्व बहाली, पुनर्वास और निधि देनदारी को समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।

इस तरह की लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाता है और प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक समान राशि का पूँजीकरण किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल में मूल्यह्रास और रियायती दायित्व को खोलने के माध्यम से और लाभ या हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। लागत अनुमानों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और ज्ञात विकास कार्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिनका लागत अनुमान या प्रचालनों के जीवनकाल पर असर पड़ सकता है। अद्यतन लागत अनुमान, प्रचालन-काल में परिवर्तन, नई बाधाओं और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में हुए बदलावों के लिए संबंधित परिसंपत्ति की लागत को समायोजित किया जाता है। परिसंपत्तियों की समायोजित लागत का उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल पर संभावित रूप से मूल्यह्रास होता है जिससे वे संबंधित हैं। लाभ या हानि के विवरण में छूट के खोलने को वित्त और अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

3.8.3 पर्यावरणीय उत्तरदायित्व

पर्यावरणीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या सुधारात्मक निष्पादन करने के लिए कानूनी तौर पर या रचनात्मक तौर पर बाध्य होते हैं।

3.8.4 कानूनी बाध्यताएं

एक बार यह स्थापित होने के बाद कि रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध जिस सूचना के विवेचन पर आधारित कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व है, प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

3.8.5 प्रासंगिक देनदारियाँ

आकस्मिक देनदारियाँ संभवत: पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने की पुष्टि हो, जो से पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं हों या वर्तमान दायित्व परंतु भुगतान संभाव्य नहीं है या राशि विश्वसनीय रूप से नहीं मापी जा सकती है। प्रासंगिक देनदारियाँ समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट होती हैं जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है।

3.8.6 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ समेकित वित्तीय विवरण में मान्य नहीं की गई हैं, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है तो उनका खुलासा किया जाता है।

3.9 पट्टे

किसी पट्टे के आरम्भ के समय, पट्टा-व्यवस्था की विषय-वस्तु के आधार पर पट्टे की व्यवस्था या तो वित्त पट्टा या ऑपरेटिंग पट्टा के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

3.9.1 वित्त पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियाँ

वित्तीय पट्टे वे हैं जो पट्टेदार को परिसंपत्तियों के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और पुरस्कार को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करते हैं।

वित्त पट्टों को पट्टा के प्रारंभ में, संपत्ति के उचित मूल्य के निचले हिस्से में या न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य में पूँजीकृत किया जाता है। पट्टादाता के लिए, अनुरूपी देयता को वित्तीय पट्टा दायित्व के रूप में तुलन-पत्र में शामिल किया गया है।

पट्टे के भुगतान को वित्त प्रभार और पट्टे के दायित्व में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष अंश पर ब्याज की निरंतर दर उपलब्ध हो सके। वित्त प्रभार सीधे पट्टे की अवधि के दौरान आय के विरुद्ध प्रभारित किए जाते हैं।

3.9.2 परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियाँ

वित्त पट्टों के अलावा अन्य पट्टे, प्रचालन पट्टे होते हैं और उन पट्टा परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसके बदले प्रचालन पट्टों के तहत किए जाने वाले अपफ्रंट पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि पर विभाजित किया जाता है एवं लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। परिचालन पट्टों पर ली गई संपत्ति / सुविधाओं के लिए किराया और रखरखाव प्रभार का भुगतान उस अवधि में राजस्व के लिए लिया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

3.10 माल-भंडार

कोयला और ईंधन तेल जैसी थोक सामग्री सहित कच्चे माल की सूची, जहाँ कहीं भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट की लागत नेट में कम मूल्य पर एवं शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करने वाली वस्तुओं के अलावा स्टोर और पुर्जों को जहाँ भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट के लागत-नेट में मूल्यांकन किया जाता है।

धारित स्टोर और पुर्जों को (संपत्ति, प्लांट और उपकरण के रूप में माने जाने वाले प्रमुख पुर्जों के अलावा), लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किए गए हैं, लागत के 5% पर मूल्यांकन किया जाता है।

उत्पादन में उपयोग के लिए सामग्री और अन्य आपूर्तियों (गैर-चल के रूप में माने जाने वाले के अलावा) को लागत से नीचे नहीं डाला जाता है, यदि तैयार माल, जिसमें उनका उपयोग शामिल हो, और उपरोक्त लागत या उससे अधिक पर बिक्री होने की आशा हो।

ऊपर बताए गए अनुसार कच्चे माल, भंडार और पुर्जों की लागत, भारित औसत मूल्य के संचलन पर निर्धारित होती है।

तैयार माल, अर्द्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पाद तथा प्रगतिरत प्रक्रिया के माल-भंडार और प्रक्रिया स्क्रैप सहित इनकी लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है। आम तौर पर लागत का निर्धारण माल की संचलित भारित औसत कीमत, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ओवरहेड्स पर होता है। शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध व्यापार के सामान्य प्रक्रियाक्रम में बिक्री करने के लिए जरूरी अनुमानित लागत घटाकर अनुमानित बिक्री मूल्य है।

आंतरिक रूप से सृजित स्क्रैप का मालभंडार, शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होता है।

3.11 व्यापारिक प्राप्य

व्यापार प्राप्तियाँ व्यापार के सामान्य क्रम में बेचे गए सामान या सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशि हैं। यदि बकाया रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों या उससे कम अवधि के भीतर भुगतान के लिए नियत है, तो उन्हें मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इनका अनुबंध में अंतर्निहित महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन न हो।

3.12 वित्तीय उपस्करण

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधनों के संविदागत प्रावधानों का पक्ष बनती है। व्यापारिक प्राप्य एवं देय को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत को, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य होती है, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.12.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क. नकद या नकद समतुल्य

सभी अल्पकालिक बैंक जमा राशि को तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि को नकद और नकद समकक्ष माना जाता है। बैंक में 3 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा को अन्य बैंक बैलेंस के रूप में माना जाता है।

ख. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

व्यापार प्राप्य सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक होते हैं, वो तदुपरांत परिशोधित लागत पर किए गए माप के अनुसार वर्गीकृत होती हैं एवं इसी अनुसार प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए मापी जाती हैं यदि वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल में रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों को नकद प्रवाह में वृद्धि लाती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

ग. अन्य विशद आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य विशद आय के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक कारोबारी मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना है एवं इन वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तों के द्वारा निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

घ. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इसे अन्य विशद आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत न किया गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लेनदेन लागत लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्य होती है।

3.12.2 वित्तीय देयता

व्यापारिक देय को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसमें संविदा में समाविष्ट एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्यपरक समायोजन संलग्न न किया जाए।

व्यापारिक देय सहित वित्तीय देनदारियाँ जिसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक संलग्न है, को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित मूल्य पर तदुपरांत मापा जाता है।

3.12.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्तियों की केवल तब मान्यता रद्द होती है, जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह में अनुबंधित अधिकार समाप्त होते हैं या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम एवं लाभ दूसरे पक्ष को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित होते हैं।

3.12.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है या नहीं।

यदि एक वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है। यदि उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है।

रिपोर्टिंग तारीख को हानि भत्ता को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (या व्युत्क्रमण) की मात्रा को लाभ और हानि के विवरण में एक क्षति लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी गई है।

3.12.5 वित्तीय देनदारी की मान्यता रद्द करना

वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब रद्द होती है जब और केवल जब दायित्वों को मुक्त कर दिया जाता है, रद्द कर किया जाता है या समाप्त हो जाता है।

नकदीकृत क्षतियों के लिए बहाली के मामले में, ठेका अंतिम रूप से तय कर लिए जाने/समाप्त होने पर, यदि नकदीकृत क्षति आरोप्य है, तो बहाल की गई राशि वापस ली जाती है एवं पूँजी संविदाओं को छोड़कर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ नकदीकृत क्षति सीधे परिसंपत्ति के मूल्य में बढ़ती/वृद्धि में आरोप्य है। ऐसे मामले में, बहाल की गई राशि परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित की जाती है।

3.12.6 वित्तीय साधनों को ऑफसेट करना

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ ऑफसेट हैं और तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि है, जब मान्यताप्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर अधिकार लागू होता है एवं शुद्ध आधार पर समझौता करने या एक साथ परिसंपत्ति की वसूली करने और दायित्व तय करने का अभिप्राय होता है। कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए एवं व्यापार के सामान्य क्रम में अवश्य लागू होना चाहिए।

3.13 संजात

संजात साधन यथा-आगे विदेशी मुद्रा संविदाओं को संजात संविदाओं के दर्ज होने की तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य के लिए फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के बयान में मान्यता दी जाती है।

3.14 उधार लागत

उधार लेने की लागत सीधे उन संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जो उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

3.15 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

सरकारी अनुदान तब मान्य है जब उचित आश्वासन होता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा एवं अनुदान प्राप्त हो पाएगा।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक स्थिति यह है कि कंपनी को गैर-चालू संपत्ति खरीदना, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान स्थापित करके मान्यता दी गई है और लाभ या हानि में व्यवस्थित रूप से संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है।

आय से जुड़े सरकारी अनुदान उन समयावधि पर लागत के साथ मिलान करने के लिए क्रमबद्ध आधार पर होते हैं, जिसके लिए वे आय के रूप में स्वीकृत क्षतिपूर्ति हेतु अभीष्ट हैं।

3.16 कर्मचारी लाभ

3.16.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ

मजदूरी और वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलनेवाले लाभों के लिए एक दायित्व या देनदारी मान्य है जो संबंधित अवधि में की गई सेवा हेतु अपेक्षित छूट-रहित भुगतानयोग्य लाभ की राशि पर किया जाता है।

3.16.2 नियुक्ति-पश्चात् और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

3.16.3 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत एक अलग इकाई के लिए निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। परिभाषित योगदान में अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ एक व्यय के रूप में मान्य होती हैं, जब कर्मचारी ने इस तरह के अंशदान के लिए हकदार बनाने वाली सेवा प्रदान की है।

3.16.4 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत, प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन लाभ और हानि अन्य विशद आय में तुरंत मान्य की जाती है। सेवा लागत को, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर ब्याज छोड़कर व्यय के रूप में माना जाता है।

पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब कोई भी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ मान्यता प्राप्त होते हैं।

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ-दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है जो कि योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य द्वारा घटा हुआ होता है।

3.16.5 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताएँ रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भावी नकद बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य में मापी जाती है। परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए उपयोग की गई एक ही लेखांकन पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अपेक्षित लागत, रोजगार की अवधि में उपार्जित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा इन दायित्वों का सालाना मूल्यांकन किया जाता है।

3.17 राजस्व मान्यता

कंपनी को राजस्व मूलतः एल्यूमिना, एल्यूमिनियम जैसे उत्पाद की बिक्री एवं विद्युत की बिक्री से प्राप्त होता है। जब किसी ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं के स्थानांतरण द्वारा निष्पादन देयता पूरी होती है, तब राजस्व को स्वीकृति दी जाती है।

3.17.1 माल की बिक्री

कारखाने से / स्टॉकयार्ड से बिक्री पर प्राप्त राजस्व को नियत सांविधिक अनुपालन के साथ वाणिज्यिक बिल सहित कारखाने/स्टॉकयार्ड में वस्तुओं के सौंपे जाने पर स्वीकृति दी जाती है। एफओबी आधार पर बिक्री को शिपिंग बिल तैयार करने एवं शिपर को वस्तुएँ सौंपने के बाद स्वीकृति दी जाती है। सीआईएफ आधार पर बिक्री के मामले में, बंदरगाह में लदान पर वस्तु रखे जाने एवं इन्कोटर्म (पूर्व-निर्धारित वाणिज्यिक शर्तों) के अनुसार पोत परिवहन के कागजात तैयार करने पर स्वीकृति दी जाती है।

3.17.2 ऊर्जा की बिक्री

पवन ऊर्जा की बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित कीमत पर डिस्कोम्स को प्रेषित ऊर्जा के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से विद्युत की बिक्री को राज्य के ग्रिड को इंजेक्टेड मात्रा के आधार पर माना जाता है जिसमें परिशोधक को व्हीलिंग करने को छोड़कर, लेकिन उचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कीमत पर अनिश्चित ऊर्जा इंजेक्शन भी शामिल है।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व मान्यता प्राप्त है अगर

(क) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(ख) यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के पास प्रवाहित होंगे;

(ग) विवेचन की वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

3.17.3 लाभांश और ब्याज से आय

3.17.4 लाभांश

लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश को मान्य किया जाता है।

3.17.5 ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय मान्य की जाती है, जब यह संभाव्य है कि कंपनी एवं इसके संयुक्त उद्यमों को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रमुख बकाया और प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में, ब्याज आय समय के आधार पर अर्जित किया जाता है।

3.17.6 सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन से आय

प्रभार वापस लेने की प्रकृति में सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन और निर्यात पर पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमईआईएस) और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के निर्माण पर प्रोत्साहनों को इसके अंतर्गत प्रदान की गई शर्तों के अनुपालन में संबंधित क़ानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

3.18 आय कर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की योग राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.18.1 वर्तमान कर

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान कर व्यय वर्ष के लिए कर-योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान कर देयताएँ (परिसंपत्तियाँ) कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए भुगतानयोग्य (या वापस वसूली) की अपेक्षित राशि में मापा जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हुए हैं और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन में शामिल हैं।

3.18.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर-व्यय या आय समेकित वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर-आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर-संपत्ति और देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है, जिनकी गणना उस अवधि के लिए होती है जब परिसंपत्ति मान्य हो जाती है या देनदारी का निर्धारण हो जाता है, कर-दरों और कर-कानूनों के आधार पर जो अधिनियमित या वास्तविक रूप से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किए गए हैं। अन्य विशद आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित कर विशद आय के विवरण का हिस्सा है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक समायोजन किया जाता है कि यह संभावित हो जाए कि परिसंपत्ति की वसूली करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

3.19 असाधारण मद

असाधारण मद साधारण गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय और व्यय के सामान हैं लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटनाओं के कारण अर्जित वित्तीय निष्पादन के बेहतर स्पष्टीकरण के लिए जिनका प्रकटीकरण जरुरी है।

3.20 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकद प्रवाह के विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

3.21 महत्वपूर्ण भूल/चूक का पुनःविवरण

भूलों और चूकों को इस अभिप्राय में लिया जाता है कि यदि पूर्वावधि आय/व्यय का कुल प्रभाव ₹50 करोड़ से अधिक हो गया है तो परिसंपत्तियों और देनदारियों एवं इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनर्व्यक्त किया जाए।

टिप्पणी सं.4. महत्वपूर्ण लेखा निर्णय और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उन मामलों के बारे में जो अंतर्निहित रूप से अनिश्चित हैं,जटिल और / या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाए। ये अनुमान और धारणाएँ रिपोर्ट की अवधि के दौरान संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की मात्रा के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों और संपत्तियों के प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान और संबद्ध मान्यताएँ पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। उस अनुमानित अवधि में लेखा अनुमानों को मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय:

निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय है, उन अनुमानों के अलावा, जो कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में बनाए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि कंपनी एवं इसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग अपने व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और कंपनी एवं इसके संयुक्त उद्यमों के सकारात्मक इरादे और संविदागत नकदी प्रवाह को जमा करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने की क्षमता की पुष्टि कर दी है।

4.2 अनिश्चितता आकलन के मुख्य स्रोत:

भविष्य के बारे में निम्नलिखित प्रमुख धारणाएँ हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन माता में महत्वपूर्ण समायोजन पैदा करने का एक बड़ा जोखिम हो सकता है।

4.2.1 क्षति

एसोसिएट्स और अन्य निवेशों में निवेश, ऋण और अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से वसूली योग्य या कम से कम वार्षिक रूप से नहीं हो सकता है।

नगदी सृजन करनेवाले एककों के भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, जो परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, भविष्य के प्रचालनों के बारे में उम्मीदों पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की माता, वस्तु की कीमतों, भंडार और संसाधनों, पुनर्वास व संचालन की लागत और पूंजीगत व्यय के अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगिता अवधि

कंपनी एवं इसके संयुक्त उद्यम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करते हैं। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण भविष्य में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

4.2.3 खनन भंडार का आकलन:

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन जहाँ संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल परियोजना के जीवनकाल तक सीमित हैं, जो बदले में आरक्षित की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवनकाल तक सीमित है, मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्षण, भूविज्ञान और भंडार निर्धारण में विशेषज्ञों द्वारा खानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान लगाया जाता है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम) को पेश की गई अनुमोदित खनन योजना पर आधारित है।

4.2.4 नियुक्ति पश्चात् लाभ देयता के लिए देनदारी

नियक्ति पश्चात् लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ की देनदारी, बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर होती है, जो कि यथार्थवादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी ब्याज, शुल्क सहित, दायित्वों के चतुर्दिक जोखिम और अनिश्चितताओं को हिसाब में लेते हुए संबंधित देनदारियों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विचारों का सबसे अच्छा अनुमान हैं। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम अपनी देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन करते हैं, जो उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, आकस्मिकताओं और अन्य उपयुक्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।

4.2.6 उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उचित मूल्य माप के लिए विचारयोग्य इनपुट के स्तर एवं अपने स्वरूप में पूरी तरह उचित मूल्य माप के लिए इनपुट के महत्व पर आधारित होते हैं, जिनका निम्नलिखित अनुसार वर्णन किया गया है:

- स्तर 1 निविष्टियाँ समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में भाव बोली के मूल्य (असंजित) हैं, जिन तक माप की तारीख पर कंपनी एवं संयुक्त उद्यम की पहुँच हो सकती है;
- स्तर 2 की निविष्टियां वे इनपुट हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल बोली लगाई गई कीमतों के अलावा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन किया जा सकता है; तथा;
- स्तर 3 के इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन नहीं की जा सकने वाली निविष्टियाँ हैं।

5. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
निम्न की राशि को लेकरः		
पूर्ण स्वामित्व की भूमि	86.41	84.33
भवन	578.17	591.68
संयंत्र और उपकरण	6,346.37	6,245.74
फर्नीचर और जोड़नार	9.63	8.91
कार्यालय उपकरण	24.21	23.64
वाहन	16.63	13.06
रेलवे साइडिंग	47.95	52.02
	7,109.37	7,019.38

	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर एवं जोड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	कुल
लागत या मानी हुई लागत								
31.03.2017 को यथा शेष	84.33	638.51	7,078.92	12.03	15.51	14.44	53.68	7,897.42
जोड़	—	63.78	372.57	3.97	20.54	6.75	10.67	478.28
निपटान	—	(0.03)	(33.06)	—	(0.04)	(0.03)	—	(33.16)
31.03.2018 को यथा शेष	84.33	702.26	7,418.43	16.00	36.01	21.16	64.35	8,342.54
जोड़	2.08	20.97	531.58	3.43	8.40	6.60	(0.16)	572.90
निपटान	—	(0.08)	(28.12)	(0.04)	(0.02)	(0.44)	(0.03)	(28.73)
31.03.2019 को यथा शेष	86.41	723.15	7,921.89	19.39	44.39	27.32	64.16	8,886.71
संचित मूल्यह्रास और क्षति								
31.03.2017 को यथा शेष	—	73.88	778.23	4.38	8.19	5.51	8.60	878.79
मूल्यह्रास व्यय	—	36.73	416.18	2.71	4.21	2.59	3.73	466.15
निपटान	—	(0.03)	(21.72)	—	(0.03)	—	—	(21.78)
31.03.2018 को यथा शेष	—	110.58	1,172.69	7.09	12.37	8.10	12.33	1,323.16
मूल्यह्रास व्यय	—	34.42	415.25	2.69	7.83	2.77	3.89	466.85
निपटान	—	(0.02)	(12.42)	(0.02)	(0.02)	(0.18)	(0.01)	(12.67)
31.03.2019 को यथा शेष	—	144.98	1,575.52	9.76	20.18	10.69	16.21	1,777.34
वहन राशि								
31.03.2017 को यथा शेष	84.33	564.63	6,300.69	7.65	7.32	8.93	45.08	7,018.63
जोड़	—	63.78	372.57	3.97	20.54	6.75	10.67	478.28
निपटान	—	—	(11.34)	—	(0.01)	(0.03)	—	(11.38)
मूल्यह्रास व्यय	—	36.73	416.18	2.71	4.21	2.59	3.73	466.15
31.03.2018 को यथा शेष	84.33	591.68	6,245.74	8.91	23.64	13.06	52.02	7,019.38
जोड़	2.08	20.97	531.58	3.43	8.40	6.60	(0.16)	572.90
निपटान	—	(0.06)	(15.70)	(0.02)	—	(0.26)	(0.02)	(16.06)
मूल्यह्रास व्यय	—	34.42	415.25	2.69	7.83	2.77	3.89	466.85
31.03.2019 को यथा शेष	86.41	578.17	6,346.37	9.63	24.21	16.63	47.95	7,109.37

टिप्पणी:

5.1. 64.78 एकड़ भूमि को छोड़कर ओड़िशा सरकार के माध्यम से अधिग्रहीत पूर्ण-स्वामित्व की भूमि के स्वत्वाधिकार विलेख कार्यान्वित हो चुके हैं। कंपनी पूर्ण-स्वामित्व की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है और इस मामले को राजस्व प्राधिकारियों के साथ हाथ में लिया गया है।

5.2. ₹5.50 करोड़ वहन मूल्य के कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोलकाता में खरीदे गए 6,459 वर्गफीट के कार्यालय स्थान (भवन) के संबंध में पंजीकरण औपचारिकताएँ प्रगति में है।

5.3 निवर्तमान पट्टे के मानक इंड एएस 17 पट्टे को इंड एएस 116 से बदला जाएगा। इंड एएस 116 में पट्टेधारी एवं पट्टेदाता दोनों के लिए, पट्टे की स्वीकृति, मापन, प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटन हेतु सिद्धांत निर्दिष्ट की गई है। यह पट्टेधारी के लिए, एकल तुलन पत्र पट्टा लेखांकन ढांचा पेश करता है। एक पट्टाधारी होने के कारण पर्याप्त रूप से पट्टा भूमि धारित करनेवाली कंपनी अंतर्निहीत परिसंपत्ति के इस्तेमाल के अधिकार को प्रदर्शित करनेवाली परिसंपत्ति के उपयोगाधिकार एवं पट्टे का भुगतान करनेवाली इसकी देयता को प्रदर्शित करनेवाली पट्टा देनदारी को मान्यता देगी। कंपनी 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली रिपोर्टिंग अवधि से इंड एएस 116 को अंगीकार करेगी।

6. प्रक्रियाधीन कार्य की लागत पूँजी (सीडब्ल्यूआईपी)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
पूंजी कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)	809.59	702.91
मार्गस्थ समेत निर्माण सामग्री	34.32	124.16
	843.91	827.07
घटाएंः क्षति का प्रावधान	—	(1.24)
प्रक्रियाधान कार्य की लगात पूँजी	843.91	825.83

6.1. प्रगति में पूंजी कार्य की राशि में कोयला खान प्रभाग को आरोप्य आधारभूत संरचनात्मक विकास व्यय के बाबत ₹41.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹43.98 करोड़) की राशि शामिल है।

7. अमूर्त आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
निम्न की राशि को लेकर:		
उपभोक्ता अधिकार	72.51	9.99
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	2.24	2.08
खनन अधिकार [टिप्पणी 8.1 का संदर्भ लें]	99.13	103.58
लाइसेंस	2.53	4.43
	176.41	120.08

राशि करोड़ ₹ में

	उपभोक्ता अधिकार	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	खनन अधिकार	लाइसेंस	कुल अमूर्त आस्तियाँ
लागत या मानी हुई लागत					
31.03.2017 को यथा शेष	15.43	4.66	121.11	10.25	151.45
जोड़	—	2.32	6.21	—	8.53
निपटान	—	—	(0.35)	—	(0.35)
31.03.2018 को यथा शेष	15.43	6.98	126.97	10.25	159.63
जोड़	64.36	1.35	3.37	—	69.08
निपटान					—
31.03.2019 को यथा शेष	79.79	8.33	130.34	10.25	228.71
संचित मूल्यह्रास एवं क्षति					
31.03.2017 को यथा शेष	3.62	2.98	15.17	3.88	25.65
मूल्यह्रास व्यय	1.82	1.92	8.57	1.94	14.25
निपटान	—	—	(0.35)	—	(0.35)
31.03.2018 को यथा शेष	5.44	4.90	23.39	5.82	39.55
मूल्यह्रास व्यय	1.84	1.19	7.82	1.90	12.75
निपटान	—	—	—	—	—
31.03.2019 को यथा शेष	7.28	6.09	31.21	7.72	52.30
वहन राशि					
31.03.2017 को यथा शेष	11.81	1.68	105.94	6.37	125.80
जोड़/समायोजन	—	2.32	6.21	—	8.53
निपटान	—	—	(0.35)	—	(0.35)
मूल्यह्रास व्यय	1.82	1.92	8.57	1.94	14.25
31.03.2018 को यथा शेष	9.99	2.08	103.58	4.43	120.08
जोड़	64.36	1.35	3.37	—	69.08
निपटान	—	—	—	—	—
मूल्यह्रास व्यय	1.84	1.19	7.82	1.90	12.75
31.03.2019 को यथा शेष	72.51	2.24	99.13	2.53	176.41

टिप्पणी:

7.1 कंपनी ओड़िशा सरकार द्वारा मंजूरीप्राप्त पट्टे पर आधारित पंचपटमाली बॉक्साइट खान में अपनी खनन गतिविधियाँ प्रचालित कर रही है। भूमि पट्टा नवीकरण के संबंध में, कंपनी ने एन.पी.वी. एवं प्रासंगिक भुगतानों को अदा किया है जिसे खनन अधिकारों के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीगत किया गया है और कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी रेखा आधार पर परिशोधन किया गया।

7.2 कंपनी ने दो अन्य पक्षों के साथ संयुक्त रूप से लागत सहकारिता आधार पर अक्टूबर, 2013 में लक्ष्मीपुर में 220 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण किया, चूंकि जिस भूमि पर परिसंपत्ति का निर्माण किया गया है या वह कंपनी की नहीं है, इसलिए ₹17.98 करोड़ के सहभागी मूल्य को उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत एक अमूर्त आस्ति के रूप में लिया गया था। हालांकि लक्ष्मीपुर से दामनजोड़ी तक 220 केवी ट्रान्समिशन लाइन एवं दामनजोड़ी में स्विचयार्ड समापन के लिए लंबित रहने की वजह से, आस्ति से कंपनी लाभ लेने में असमर्थ रही थी, इसलिए पूर्व के लेखांकन मानक के अनुसरण में, 10 वर्षों के अधिकतम जीवनकाल की धारणा पर आस्ति का मूल्यह्रास किया गया था। वर्ष के दौरान ट्रान्समिशन लाइन एवं स्विचयार्ड का निर्माण पूरा कर लिया गया है एवं लक्ष्मीपुर में सब-स्टेशन के साथ इस्तेमाल के लिए रखा गया। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट विद्युत संचरण प्रणाली के जीवनकाल के अनुसार 30 वर्षों की अवधि के लिए, ट्रान्समिशन लाइन एवं स्विचयार्ड के ऋण परिशोधन के लिए जीवनकाल ग्रहण किया है। इसी अनुसार, सब-स्टेशन के जीवन को संशोधित करते हुए 30 वर्ष किया गया है ताकि आस्ति के शेष जीवन काल में आस्ति की वहन राशि का परिशोधन किया जा सके।
लक्ष्मीपुर में सब-स्टेशन से दामनजोड़ी के समापन स्विचयार्ड तक विद्युत संचरण लाइन (220 केवी), जो परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए मेसर्स ओड़िशा पावर ट्रान्समिशन कं.लि. (ओपीटीसीएल) को स्थानांतरित किया गया है, को उपभोक्ता अधिकार में शामिल किया गया है।

8. विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
खनन अधिकार	38.8	39.49
उपभोक्ता अधिकार	—	49.90
	38.80	**89.39**

टिप्पणी:

8.1 विकासाधीन खनन अधिकार में कोयला ब्लॉक के आबंटन, एनपीवी एवं कोयला ब्लॉक की वन्यजीवन प्रबंधन योजना एवं संबंधित कार्यों के लिए सांविधिक प्राधिकारियों को किया गया भुगतान शामिल है।

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क. गैर चालू		
क.1 इक्विटी साधनों में निवेश		
क.1.1 सहयोगियों में निवेश		
अनुद्धृत निवेश		
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड (पूर्ण प्रदत्त ₹ 10 प्रत्येक के 26,000 शेयर)	—	0.02
सहयोगियों में कुल निवेश	—	0.02

सहयोगियों के विवरण

अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक सहयोगी का विवरण निम्नवत् है :

सहयोगी का नाम	प्रधान गतिविधि एवं कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार	
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड	नाभिकीय विद्युत का विकास, काकरापाड़ा, गुजरात	0%	26%

टिप्पणी : न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के बोर्ड एवं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के बोर्ड ने सहयोगी कंपनी को भुगतान करने के लिए क्रमशः 20 मार्च, 2017 एवं 2 मार्च, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया है। तदुपरांत दिनांक 14.03.2019 को आयोजित इसकी बैठक में एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के अनुमोदन एवं दिनांक 22.03.2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में शायरधारकों के अनुमोदन के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अधीन कंपनी के नाम को हटाने के लिए आवेदन दिनांक 29.03.2019 को दर्ज किया गया है। एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड के अनुमोदित लेखा विवरण दिनांक 14.03.2019 की तिथि के अनुसार न तो कोई आस्ति और न कोई देनदारी दर्शाते हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, वर्ष के दौरान ₹2,60,000 की निवेश राशि (समान अंशदान) को बट्टे खाते डाला गया।

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क.1.2 संयुक्त उद्यमों में निवेश		
अनुद्धृत निवेश		
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2019 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर, 31.03.2018 को यथा: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर)	17.38	16.91
कुल	17.38	16.91
जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2019 को यथा: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 15,95,30,934 शेयर, 31.03.2018 को यथाः ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 10,13,30,934 शेयर)।	158.80	99.79
कुल	158.80	99.79
वर्ष के दौरान जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी को ₹ 10 प्रत्येक के 5,82,00,000 संख्यक पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर जारी किए।		
संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश	176.18	116.70

संयुक्त उद्यमों के विवरण

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक **संयुक्त उद्यम** का विवरण निम्नवत् है :

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि एवं कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार	
(क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	एल्यूमिनियम विशिष्ट अनुप्रवाह को ओड़िशा, भुवनेश्वर एवं ओड़िशा में प्रोत्साहन देना	49.00%	49.00%
(ख) जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	कास्टिक सोड़ा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात	40.00%	40.00%

संयुक्त उद्यम जो व्यक्तिगत रूप से भौतिक नहीं है, की वित्तीय सूचना

	जीएनएएल		एएपीपीएल	
विवरण	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	398.21	210.22	4.35	3.92
चालू परिसंपत्तियाँ	87.07	47.93	43.93	42.24
गैर-चालू देनदारियाँ	—	—	12.21	11.18
चालू देनदारियाँ	40.12	8.67	0.59	0.45

	जीएनएएल		एएपीपीएल	
विवरण	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
परिसंपत्तियों और देनदारियों की उपर्युक्त राशियों में शामिल हैं :				
नकद एवं नकद समतुल्य	49.76	37.87	0.43	0.03
चालू वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय एवं प्रावधान छोड़कर)	38.53	1.14	0.22	0.23
गैर-चालू वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय एवं प्रावधान छोड़कर)	48.13	—	—	11.18
राजस्व	5.59	2.63	1.38	1.17
निरंतर प्रचालनों से लाभ या हानि	2.05	(1.34)	0.95	0.66
वर्ष के लिए अन्य विशद आय	—	—	—	—
वर्ष के लिए कुल विशद आय	2.05	(1.34)	0.95	0.66
वर्ष के लिए उपर्युक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	0.10	0.01	—	—
ब्याज आय	1.86	2.63	1.38	1.17
ब्याज व्यय	—	—	—	—
आयकर व्यय (आय)	1.59	0.73	0.37	0.23
समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यताप्राप्त सं.उ. में ब्याज की वहन राशि में उपर्युक्त सारयुक्त वित्तीय सूचना का पुनर्मिलानः				
संयुक्त उद्यम की शुद्ध परिसंपत्ति	397.04	249.48	35.47	34.52
सं.उ. में समूह के स्वामित्व ब्याज का समानुपात (%)	40%	40%	49%	49%
सं.उ. में समूह के स्वामित्व ब्याज का समानुपात (आईएनआर)	158.80	99.79	17.38	16.91
जोड़ें:- इक्विटी के विरूद्ध शेयर वारंट/अग्रिम का अतिरिक्त अंशदान				
जोड़ें:- अधिग्रहण पर साख	—	—	—	—
घटाएं:- वसूल नहीं हुए लाभ	—	—	—	—
सं.उ. की शुद्ध परिसंपत्ति में समूह का अंश	**158.80**	**99.79**	**17.38**	**16.91**
सं.उ. में समूह के ब्याज की वहन राशि	**158.80**	**99.79**	**17.38**	**16.91**

क.1.3 **अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश**

अनुद्धृत निवेश		
ओड़िशा कैपिटल मार्केट एण्ड एन्टरप्राइजेस लिमिटेड (₹ 1 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 2,89,000 शेयर)	0.03	0.03
कुल - अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश	0.03	**0.03**
कुल - इक्विटी साधनों में निवेश	176.21	**116.75**
कुल गैर-चालू निवेश	176.21	**116.75**
अतिरिक्त सूचना		
उद्धृत निवेशों का सकल बही मूल्य एवं इसका बाजार मूल्य	—	—
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि	176.21	116.75
निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि	—	—

राशि करोड़ ₹ में

9. निवेश

ख. चालू		31.03.2019 को यथा		31.03.2018 को यथा
म्युचुअल फंड में निवेश	'000 में एकक	राशि करोड़ ₹ में	Units in '000	'000 में एकक
उद्धृत निवेश				
बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड	130	13.01	899	90.09
बीओआई एएक्सए टीए फंड	—	—	2,012	202.61
केनड़ा रोबेको लिक्विड	80	8.01	747	75.08
आईडीबीआई लिक्विड फंड	—	—	998	100.06
एसबीआई लिक्विड फंड डायरेक्ट डेली डिविडेंड	80	8.01	—	—
एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी-31 (365 दिन)	250	25.77	—	—
यूनियन केबीसी लिक्विड	110	11.00	450	45.05
यूटीआई लिक्विड कैश प्लान - डायरेक्ट डेली डिविडेन्ड रिइन्वेस्टमेंट	150	15.01	—	—
यूटीआई मनी मार्केट फंड	—	—	798	80.07
कुल - अन्य चालू निवेश		80.81		592.96

अतिरिक्त सूचना		
उद्धृत निवेशों का सकल वही मूल्य और इनका बाजार मूल्य	80.81	592.96
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि	—	—
निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि	—	—

संवर्ग-वार वर्गीकरण

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियों (उद्धृत निवेश) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से परिमित (एफवीटीपीएल)	80.81	592.96
	80.81	592.96

10. व्यापारिक प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) अच्छा माना गया - सुरक्षित	—	—
(ख) अच्छा माना गया - असुरक्षित	—	—
(ग) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	—	—
(घ) ऋण क्षति	37.11	37.11
घटाएं: संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते (अपेक्षित ऋण हानि भत्ते)	37.11	37.11
निवल गैर-चालू व्यापारिक प्राप्य	—	—
ख. चालू	**As at 31.03.2019**	**As at 31.03.2018**
(क) अच्छा माना गया - सुरक्षित	—	—
(ख) अच्छा माना गया - असुरक्षित	240.52	258.13
(ग) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	—	—
(घ) ऋण क्षति	—	—
घटाएं: संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते	—	—
निवल चालू व्यापारिक प्राप्य	240.52	258.13

10. व्यापारिक प्राप्य (जारी)

टिप्पणियाँ:

10.1 माल (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण-पत्र के विरुद्ध की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम को बिक्री पर समायोजित किया जाता है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए औसत उधारी अवधि मीटरिंग की तिथि से 30 दिनों की होती है, जिसे संग्रह अवधि माना जाता है। ग्रहीत विद्युत संयंत्र में सृजित अनिश्चित तापज विद्युत की बिक्री के लिए कोई व्यावसायिक व्यवस्था नहीं है। यह संयंत्र की जरूरत की दृष्टि से चक्रीय व्यवस्था के साथ जोड़ी गई है। ऐसी विद्युत बिक्री के खाते में प्राप्य राशि को निपटाने में लंबी अवधि लगती है। ऐसी बिक्री के लिए कोई प्राप्य नहीं है क्योंकि उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए ग्रिड से आहरित विद्युत की क्रय लागत ऐसी बिक्री की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक है।

10.2 ग्राहक जो व्यक्तिगत रूप से 31.03.2019 को यथा कुल व्यापारिक प्राप्य के 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं :

	ग्राहक	व्यापारिक प्राप्य का %	ग्राहक की श्रेणी
क.	ग्लेनकोर इंटरनेशनल एजी	36%	एल्यूमिना
ख.	एपीएसपीडीसीएल	15%	पवन विद्युत
ग.	आरडीपीपीसी, देवीकोट, राजस्थान	9%	पवन विद्युत

10.3 मामले से मामले के आधार पर व्यापारिक प्राप्य के लिए आशान्वित ऋण हानि भत्ते के संगणन के द्वारा कंपनी ने एक व्यावहारिक तरीका अपनाया है। चूँकि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई उधारी अवधि नहीं है और बिक्री या तो अग्रिम के विरुद्ध की जाती है या ग्राहक द्वारा दिए गए साख-पत्र (एलसी) की मदद से की जाती है, ऐसे प्राप्यों के लिए कोई उधारी हानि अपेक्षित नहीं है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए, हालांकि कोई उधारी व्यवस्था नहीं है, परंतु कंपनी ने उधारी हानि अनुभव के आधार पर और अग्रदर्शी सूचना के आधार पर उधारी हानि का आकलन किया है।

10.4 **प्राप्यों की अवधि**

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम		
0-30 दिन	167.36	225.30
3-6 महीने	—	—
6 महीने से अधिक	37.11	37.11
	204.47	**262.41**
पवन ऊर्जा		
0-3 महीने	14.50	18.90
3-6 महीने	9.89	3.83
6 महीने से अधिक	48.77	10.10
	73.16	**32.83**

11. ऋण

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) कर्मचारियों को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	62.60	64.44
असुरक्षित, अच्छा माना गया	11.90	10.12
(ख) अन्य को ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.24	0.40
कुल गैर-चालू ऋण	74.74	**74.96**

ख. चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) कर्मचारियों को ऋण		
अच्छा माना गया-सुरक्षित	17.88	18.74
अच्छा माना गया-असुरक्षित	7.16	10.27
(ख) संबंधित पार्टियों को ऋण		
अच्छा माना गया-सुरक्षित [टिप्पणी 11.2 का संदर्भ लें]	0.01	0.01
(ग) अन्य को ऋण		
अच्छा माना गया-सुरक्षित	0.70	0.27
कुल चालू ऋण	25.75	**29.29**

टिप्पणी:

11.1 कर्मचारियों और अन्य को ऋण परिशोधित लागत पर लिए गए हैं।

11.2 प्रासंगिक पार्टियों (निदेशकों) से बकाया ऋण की राशि कंपनी के निदेशकों द्वारा उनके निदेशक-पद में योग के पूर्व कर्मचारी के रूप में लिए गए गृह निर्माण ऋण की राशि है। इन ऋणों पर आगे की सूचना टिप्पणी-39 प्रासंगिक पार्टी प्रकटन में निर्दिष्ट है।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
प्रतिभूति जमा	10.37	13.14
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10.37	13.14

ख. चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) प्रतिभूति जमा [टिप्पणी 12.2 का संदर्भ लें]	—	151.00
(ख) कर्मचारियों को अग्रिम	0.12	—
(ग) बीमा दावा प्राप्य और अन्य	9.56	10.44
(घ) व्युत्पन्न परिसंपत्तियाँ - अग्रस्थ ठेका	—	(0.44)
सकल - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9.68	161.00
घटाएं: खराब और संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ते		
बीमा दावे	8.45	8.45
कुल खराब और संदिग्ध-अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते	8.45	8.45
कुल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1.23	152.55

टिप्पणी:

12.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ परिशोधित लागत पर ली गई हैं।

12.2 गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (जीएमडीसी) के साथ संयुक्त रूप से गुजरात में एल्यूमिना परिशोधक की स्थापना के समझौते को पारस्परिक रूप से रद्द कर दिया गया है एवं जीएमडीसी के पास अग्रिम राशि के रूप में भुगतान की गई ₹151 करोड़ की जमा राशि वर्ष के दौरान वसूल की गई है।

13. चालू कर आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
आय कर	51.26	33.66
कुल चालू कर आस्तियाँ	51.26	33.66

14. अन्य आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) पूंजी अग्रिम	222.57	153.83
(ख) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
सार्वजनिक निकायों के पास अग्रिम		
(1) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पत्तन न्यास आदि	226.86	230.68
(2) आयकर प्राधिकारी के पास जमा	268.06	293.27
(3) अन्य सरकारी प्राधिकारी	2.65	4.59
(ग) अन्य		
पूर्व भुगतान किए गए व्यय		
(1) पट्टा-युक्त भूमि के लिए प्रीमियम	377.35	136.17
(2) आस्थगित कर्मचारी लाभ	19.66	25.66
सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	1,117.15	844.20
घटाएँ: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु भत्ते		
(क) पूंजी अग्रिम	0.27	0.27
कुल खराब एवं संदिग्ध अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते	0.27	0.27
कुल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	1,116.88	843.93

14. अन्य आस्तियाँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

ख. चालू	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) सांविधिक प्राधिकारियों के पास दावे		
(1) निर्यात प्रोत्साहन दावे	29.87	34.23
(2) नवीकरणीय स्रोत से सृजित विद्युत पर सृजन आधारित प्रोत्साहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	2.73	7.27
(3) वेट, सेनवेट एवं जीएसटी क्रेडिट वसूलीयोग्य	302.78	258.27
(4) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	8.94	33.62
(ख) पूर्व भुगतान किए गए व्यय		
(1) पट्टायुक्त भूमि के लिए प्रीमियम	12.95	7.68
(2) आस्थगित कर्मचारी लाभ	4.21	4.57
(3) अन्य पूर्व प्रदत्त व्यय	6.65	4.12
(ग) हाथ में स्वर्ण मुद्राएँ एवं डाक टिकटें	0.08	0.07
(घ) अन्य प्राप्य	2.08	1.90
(ङ) अन्य अग्रिम		
(i) कर्मचारियों को अग्रिम	24.16	23.91
(ii) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा-प्रदाताओं को अग्रिम	304.40	312.51
(iii) अन्य	7.47	5.72
सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	706.32	693.87
घटाएँ: खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते		
(क) वेट एवं सेनवेट क्रेडिट वसूलीयोग्य	200.09	200.27
(ख) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे	6.39	7.74
(ग) अन्य प्राप्य	1.26	0.98
(घ) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	1.81	2.38
(ङ) अन्य	2.00	2.64
खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए कुल भत्ते	211.55	214.01
कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	494.77	479.86

टिपणी:

14.1 पट्टायुक्त भूमि के अधिग्रहण पर पूर्व प्रदत्त पट्टा प्रीमियम की वस्तु स्थिति निम्नानुसार है:

प्रारंभिक अपरिशोधित ऋण राशि	वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पट्टा प्रीमियम	वर्ष के दौरान ऋण परिशोधन	अंतिम अग्रेनीत अपरिशोधित ऋण राशि
143.85	321.97	75.52	390.30

14.2 कंपनी के पास 1624.18 एकड़ की पट्टायुक्त भूमि है, जिसके लिए पट्टा अधिकार-पत्र का निष्पादन किया जाना है। हालांकि कंपनी को उक्त भूमि पर अपने प्रचालन को जारी रखने के लिए संबंधित प्राधिकारियाँ से अनुमित दी गई है।

14.3 कंपनी ने खनन पट्टा के विस्तारीकरण को प्राप्त करने के प्रयोजन से अंतरीय स्टाम्प शुल्क के भुगतान हेतु, यदि भारतीय स्टाम्प (ओड़िशा संशोधन) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में देय हो, एक आश्वासन दाखिल किया है, इस संबंध में विवाद न्यायालय में अभी भी लम्बित है। ऐसी वचनबद्धता और साथ ही बाहरी कानूनी विशेषज्ञ की राय जो संसाधनों के बहिर्भाव की संभावना के सूचक है, के कारण, ओड़िशा सरकार द्वारा की गई मांग के तहत ₹191.72 करोड़ की स्टाम्प शुल्क देनदारी, जो अभी तक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया था, को पट्टायुक्त परिसंपत्तियों के मूल्य में तदनुरूपी संयोजन के साथ ₹20.25 करोड़ के पंजीकरण शुल्क सहित देनदारी के रूप में मान्यता दी गई है।

₹62.44 करोड़ की राशि जो 20 वर्षों की कुल पट्टा अवधि में 31.03.2018 तक की समाप्त हो चुकी पट्टा अवधि के अनुरूप है, को वर्ष के दौरान वर्तमान वर्ष के लिए ₹10.60 करोड़ की परिशोधन राशि के अलावा परिसंपत्ति में उक्त संयोजन के परिशोधन के रूप में प्रभारित किया गया है।

15. मालसूचियाँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2019 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	कच्चे माल	125.55	161.07
(ख)	कोयला एवं ईंधन तेल	199.97	188.64
(ग)	तैयार उत्पाद	122.29	143.21
(घ)	कार्बन एनोड (मध्यवर्ती वस्तुएँ)	141.12	77.76
(ङ)	प्रगति में कार्य	246.95	284.33
(च)	भंडार और कल-पुर्जे	361.10	319.48
(छ)	स्क्रैप एवं निपटानयोग्य वस्तुएँ	13.03	19.59
कुल मालसूचियाँ		1,210.01	1,194.08
ऊपर शामिल, मार्गस्थ मालः			
(i)	कच्चे माल	9.26	17.23
(ii)	कोयला एवं ईंधन तेल	13.87	8.47
(iii)	भंडार और कल पुर्जे	12.15	12.88
कुल मार्गस्थ माल		35.28	38.58

टिप्पणी:

15.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत ₹4516.36 करोड़ है (पिछले वर्षः ₹4143.52 करोड़)।

15.2 व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत में गैर-सचल वस्तुओं के लिए मालसूची के बट्टे खाते डाले जाने के संबंध में ₹3.52 करोड़ (पिछले वर्षः ₹5.47 करोड़) शामिल है।

15.3 ये मालसूचियाँ कैश-क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध बन्धक/वचनबद्ध हैं।

15.4 मालसूचियों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति 3.10 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में वर्णित है।

16.क. नकद और नकद समतुल्य

राशि करोड़ ₹ में

				31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क)	बैंक में शेष				
	(1)	अनुसूचित बैंकों में शेष			
		(i)	चालू खाते में	171.60	25.35
कुल नकद एवं नकद समतुल्य				171.60	25.35

16.ख. बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)

		31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क)	जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3-12 महीने के बीच वाले)	2,972.65	2,586.88
	मूलधन	2,880.00	2,532.00
	प्रोद्भूत ब्याज	92.65	54.88
(ख)	अनुसूचित बैंक में निश्चित किए गए शेष	352.10	156.72
कुल अन्य बैंक शेष		3,324.75	2,743.60

टिप्पणी :

16.ख.1 अनुसूचित बैंकों में निश्चित किए गए शेष, विवादित विद्युत प्रभार के लिए न्यायालय के अनुदेश के तहत ₹ 3.27 करोड़ की दावाहीन लाभांश राशि (पिछला वर्ष ₹1.70 करोड़) एवं ₹ 348.83 करोड़ (पिछला वर्षः ₹155.02 करोड़) की जमा (प्रोद्भूत ब्याज समेत) बाबत जमा की गई राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

16.ख.2 चालू वर्ष के अंत में निवेशक की शिक्षण और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए देय राशि ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

17. शेयर पूंजी

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
अधिकृत शेयर पूँजी :		
₹ 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	3,000.00
जारी और अभिदत्त पूंजी में शामिल है:		
₹ 5 प्रत्येक के 1,86,56,17,498 पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर (31.03.2018 को यथा: ₹ 5 प्रत्येक 1,93,29,28,884 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	932.81	966.46
	932.81	966.46

17.1 इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान

	Number of shares	Amount ₹ in Crore
31.03.2017 को यथा शेष	1,932,928,884	966.46
वर्ष के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2018 को यथा शेष	1,932,928,884	966.46
शेयरों की वापस खरीद	(67,311,386)	(33.65)
31.03.2019 को यथा शेष	1,865,617,498	932.81

(i) कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिसके प्रत्येक का मूल्य ₹ 5 के समान है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक के पास एक मत प्रति शेयर का अधिकार है एवं उनकी धारिता पर आधारित कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का समानुपातिक अधिकार इस पर है।

(ii) वापस खरीदः वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने ₹5 प्रत्येक के 64,43,09,628 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस ख़रीद की जिससे इक्विटी शेयर पूंजी ₹1,288.62 करोड़ से घटकर ₹966.46 करोड़ रह गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने फिर से ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पूंजी ₹966.46 करोड़ से पुनः घटकर ₹ 932.81 करोड़ रह गई।

(iii) विनिवेशः वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने 27,77,65,383 संख्यक पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर (ओएफएस के माध्यम से 17,80,69,927 संख्यक, कर्मचारी प्रस्ताव के माध्यम से 76,17,057 संख्यक एवं ईटीएफ के माध्यम से 9,20,78,399 संख्यक), जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2017 को 1,44,14,82,490 संख्यक (74.58%) से घटकर 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.2%) रह गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने फिर से ईटीएफ के माध्यम से 8,89,86,323 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया है। 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा ईटीएफ के माध्यम से शेयरों की वापस खरीद एवं अंतरण के कारण भारत सरकार की धारिता 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.20%) से घटकर 31.03.2019 को 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) रह गई।

17.2 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा		As at 31.03.2018	
	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %
पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर				
भारत सरकार	97,00,81,517	51.99%	1,16,37,17,107	60.20%
भारतीय जीवन बीमा निगम	9,34,35,272	5.00%	15,84,31,120	8.20%
अन्य	80,21,00,709	42.99%	61,07,80,657	31.60%
कुल	1,86,56,17,498	100.00%	1,93,29,28,884	100.00%

18. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) पूँजी मोचन आरक्षित	355.81	322.16
(ख) सामान्य आरक्षित	8,113.10	8,620.53
(ग) प्रतिधारित आय	1,083.22	594.80
कुल	9,552.13	9,537.49

18.1 अन्य इक्विटी में संचलन

राशि करोड़ ₹ में

अन्य इक्विटी	आरक्षित एवं अधिशेष			कुल
	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
31.03.2017 को यथा शेष	322.16	8,620.53	296.00	9,238.69
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	1,342.19	1,342.19
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	50.03	50.03
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	1,392.22	1,392.22
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर प्रीमियम	—	—	—	—
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर व्यय	—	—	—	—
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	—	—	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	—	—
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(908.48)	(908.48)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(184.94)	(184.94)
31.03.2018 को यथा शेष	322.16	8,620.53	594.80	9,537.49
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	1,733.69	1,733.69
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(0.15)	(0.15)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	1,733.54	1,733.54
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर प्रीमियम	—	(471.18)	—	(471.18)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर व्यय (कर लाभ का शुद्ध)	—	(2.60)	—	(2.60)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	33.65	(33.65)	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(193.29)	(193.29)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	(39.73)	(39.73)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(839.53)	(839.53)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(172.57)	(172.57)
31.03.2019 को यथा शेष	355.81	8,113.10	1,083.22	9,552.13

18.2 कंपनी ने 26 सितम्बर, 2016 को प्रीमियम राशि सहित ₹ 2,834.97 करोड़ की राशि के सामान्य आरक्षित में से अपने निजी इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की और परिणामस्वरूप इस प्रकार वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर की राशि ₹ 322.16 करोड़ का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 की शर्तों के अनुसार पूँजी मोचन आरक्षित खाता में हस्तांतरित किया गया।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 4 दिसंबर, 2018 को ₹75 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की खरीद की है। एकीकृत भुगतान किया गया मूल्य ₹504.83 करोड़ था। पुनः खरीद के बाद कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी में ₹33.65 करोड़ की कमा आई है जो ₹966.46 करोड़ से घटकर ₹932.81 करोड़ रह गई। प्रीमियम राशि ₹471.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से ली गई है। शेयर 7 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो गई एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ₹33.65 करोड़ की राशि सामान्य आरक्षित निधि से पूंजी विमोचन आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।

18.3 वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 4.50 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से कुल ₹839.53 करोड़ की राशि के अंतरिम लाभांश एवं वर्ष 2017-18 के लिए, ₹1 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से कुल ₹193.29 करोड़ की राशि के अंतिम लाभाश का भुगतान किया है। पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 908.48 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। लाभांश की इन संबंधित राशियों पर ₹ 172.57 करोड़, ₹ 39.73 करोड़ एवं ₹ 184.94 करोड़ के लाभांश कर का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया है।

18.4 बोर्ड ने आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु ₹233.20 करोड़ के ₹ 1.25 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश (प्रत्येक ₹ 5 के इक्विटी शेयर पर 25%) का प्रस्ताव दिया है। लागू लाभांश वितरण कर के विचार से लाभांश भुगतान राशि ₹281.14 करोड़ निकाली गई है।

19. उधारी

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
चालू (परिशोधित लागत पर सुरक्षित)		
छूट दिए गए बिलों की देनदारियाँ	66.79	44.99
कुल अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ	66.79	**44.99**

20. व्यापारिक लेखा-देय

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क. गैर-चालू		
(1) आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
— अन्य	21.14	15.63
कुल गैर-चालू कारोबार देय	21.14	**15.63**
ख. चालू		
(1) आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	2.22	4.53
— अन्य	435.38	507.50
(2) उपार्जित मजदूरी और वेतन	848.17	449.71
कुल चालू कारोबार देय	1,285.77	**961.74**

टिप्पणी:

20.1 01.01.2017 से प्रभावी, कंपनी के गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के संबंध में दीर्घमियादी मजदूरी वर्ष के दौरान अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है। समझौते की अनुपालन में, 31.03.2019 तक वेतन संशोधन के लिए देयता ₹530 करोड़ रहा है। अनुमानित लागत पर पिछले वर्ष ₹275 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। ₹255 करोड़ की अंतरीय राशि वर्तमान वर्ष में प्रदान की गई है।

20.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्ष की पहचान के तहत किया गया है। व्यापारिक लेखा-देय (टिप्पणी-20) एवं अन्य वित्तीय देनदारियों (टिप्पणी-21) में सम्मिलित ऐसे बकायों के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसरण में प्रकटन निम्नवत् है :

विवरण		31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
i)	बकाया मूलधन	2.69	5.82
ii)	बकाया मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन	शून्य	शून्य
iv)	भुगतान में विलंब (जो भुगतान किया गया, परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) की अवधि के लिए देय ब्याज राशि परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज राशि जोड़े बिना	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज की राशि एवं भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
vi)	शेष देय ब्याज की राशि और बाद के वर्षों की ऐसी तिथि तक देय जब उपर्युक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अन्तर्गत कटौतीयोग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यमों को वस्तुतः भुगतान किया गया है।	शून्य	शून्य

21. अन्य वित्तीय देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क. गैर-चालू		
(1) आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
— अन्य	6.70	2.85
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ	**6.70**	**2.85**
ख. चालू		
(क) अदत्त लाभांश	3.27	1.70
(ख) अन्य देयताओं के लिए लेनदार		
(1) पूँजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
— सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	0.47	1.29
— अन्य	299.35	397.38
(2) ग्राहकों से प्रतिभूति जमा	1.78	2.24
(3) ग्राहकों को बकाये की वापसी	7.84	15.41
(4) ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएँ	98.00	94.69
(5) कर्मचारी वसूली	0.15	0.16
कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	**410.86**	**512.87**

22. प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क. गैर-चालू		
(क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	117.22	116.35
(ii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	19.52	1.82
(iii) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	2.45	2.32
(iv) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	11.56	10.27
(v) सेवानिवृत्ति उपहार	6.79	6.45
(2) अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ		
(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	315.57	249.77
(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कार	9.31	9.10
(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	17.01	16.06
(ख) अन्य प्रावधान		
(1) परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व/विखंडन	31.12	23.57
(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	0.38	0.38
कुल गैर-चालू प्रावधान	**530.93**	**436.09**

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
ख. चालू		
(क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
(i) ग्रैचुइटी (वित्त पोषित)	57.40	271.05
(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	6.22	10.18
(iii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	2.90	0.45
(iv) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	0.59	1.30
(v) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	0.34	3.37
(vi) सेवानिवृत्ति उपहार	0.14	0.63
(2) अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ		
(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	31.69	23.29
(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कार	1.05	0.99
(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	5.57	5.55
(ख) अन्य प्रावधान		
(1) परिधीय विकास व्यय की बाबत	31.53	32.64
(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व की बाबत	28.08	26.43
कुल चालू प्रावधान	**165.51**	**375.88**

22. प्रावधान (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

ग. प्रावधानों का संचलन

(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व का संचलन [टिप्पणी 31 का संदर्भ लें]

(2) कर्मचारी लाभों का संचलन

	क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	लम्बी सेवा के पुरस्कार	एनईएफएफएआरएस
31.03.2017 को यथा शेष	230.83	9.50	27.79
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	56.08	1.21	8.17
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(93.54)	(2.47)	(14.35)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	79.69	1.86	—
31.03.2018 को यथा शेष	273.06	10.10	21.61
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	108.68	1.26	18.06
भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ	(76.91)	(1.51)	(17.09)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	42.43	0.51	—
31.03.2019 को यथा शेष	347.26	10.36	22.58

(3) अन्य प्रावधानों का संचलन	परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व	कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	परिधीय विकास व्यय
31.03.2017 को यथा शेष	21.70	18.15	33.36
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.09	8.65	—
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	—	—	(0.72)
छूट का फैलाव	1.78	0.02	-
31.03.2018 को यथा शेष	23.57	26.82	32.64
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	5.23	3.87	—
भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ		(2.28)	(1.05)
छूट का फैलाव	2.32	0.05	—
31.03.2019 को यथा शेष	31.12	28.46	31.59

टिप्पणी:

22.1 सेवानिवृत्ति एवं अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधान ग्रेचुइटी अधिनियम के अनुसार ग्रेचुइटी एवं कंपनी नियमों के अनुसार अन्य लाभ के लिए प्रदान किए गए। इनके लिए स्वतंत्र बीमांकक के बीमांकिक आकलन के आधार पर देयता की स्वीकृति दी गई है।

22.2 परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व एवं रचनात्मक दायित्व के लिए प्रावधान क्रमशः इंड एएस 16 एवं इंड एएस 37 के अनुरूप प्रबंधन के आकलन के आधार पर किया गया है।

22.3 परिधीय विकास व्यय के लिए प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 के आगमन से पूर्व कंपनी का अव्ययित विकास दायित्व है।

23. आस्थगित कर देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
आस्थगित कर देयताएँ	1,560.12	1,501.72
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	429.45	350.27
	1,130.67	**1,151.45**

2017-18	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2018 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,463.93)	(19.00)	—	(1,482.93)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(22.93)	25.78	—	2.85
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(19.01)	—	(2.63)	(21.64)
आस्थगित कर देयताएँ	(1,505.87)	6.78	(2.63)	(1,501.72)

23. आस्थगित कर देयताएँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2018 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	92.79	1.71	—	94.50
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	57.11	31.44	—	88.55
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	84.86	5.36	—	90.22
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	—	60.12	—	60.12
एमएटी क्रेडिट अधिकार	17.46	(4.95)		12.51
अन्य	8.07	(3.70)	—	4.37
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	260.29	89.98	—	350.27
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	(1,245.58)	96.76	(2.63)	(1,151.45)
2018-19	**01.04.2018 को प्रारंभिक शेष**	**लाभ या हानि में स्वीकृत**	**अन्य विशद आय में स्वीकृत**	**31.03.2019 को अंतिम शेष**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,482.93)	(62.13)		(1,545.06)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.85	0.09		2.94
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(21.64)	—	3.64	(18.00)
आस्थगित कर देयताएँ	(1,501.72)	(62.04)	3.64	(1,560.12)
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	94.50	26.85		121.35
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	88.55	(0.38)		88.17
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	90.22	0.02		90.24
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	60.12	65.15		125.27
एमएटी क्रेडिट अधिकार	12.51	(12.51)		—
अन्य	4.37	0.04		4.42
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	350.27	79.17	—	429.45
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	(1,151.45)	17.13	3.64	(1,130.67)

24. अन्य देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क. गैर-चालू		
(i) एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	67.89	62.04
कुल अन्य गैर-चालू देयताएँ	67.89	**62.04**

24. अन्य देयताएँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
ख. चालू		
(i) अग्रिम में प्राप्त राजस्व	57.72	53.06
(ii) सांविधिक एवं अन्य बकाये		
(क) विद्युत प्रभार [टिप्पणी: 24.1 का संदर्भ लें]	385.90	192.01
(ख) स्रोत पर कर कटौती एवं संग्रह	24.38	40.91
(ग) एनईपीएफ न्यास एवं एनपीएस में अंशदान	35.58	47.40
(घ) स्टाम्प शुल्क बाबत विवादित बकाया	212.78	-
(ङ) अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि)	78.28	53.53
(iii) नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व [टिप्पणी : 24.2 का संदर्भ लें]	162.71	146.87
(iv) एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	17.64	10.69
(v) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुदान	0.56	0.58
(vi) अन्य ऋण शेष	0.64	0.40
कुल अन्य चालू देयताएँ	**976.19**	**545.45**

टिप्पणी:

24.1 ओड़िशा सरकार के ऊर्जा विभाग ने दिनांक 12 मई, 2017 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से विद्युत प्रभार की दर को प्रति इकाई खपत के लिए ₹ 0.30 पैसे प्रति इकाई से बढ़ाकर ₹0.55 पैसे प्रति इकाई कर दिया है। उक्त अधिसूचना से असंतुष्ट होकर, ग्रहीत विद्युत संयंत्र के संघ, ओड़िशा, जिसकी कंपनी एक सदस्य है, ने ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी है। अंतरिम उपाय के तौर पर, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.06.2017 के अपने आदेश में याचिकाकर्ता को अंतरणीय विद्युत प्रभार को एक पृथक ब्याज भारित बैंक खाता में जमा करने का निर्देश दिया है जो कि समादेश याचिका के परिणाम के अधीन होगा। इसी अनुसार, कंपनी ने वर्धित दर पर विद्युत प्रभार व्यय के लिए प्रावधान किया है एवं न्यायालय के निर्देशानुसार एक पृथक ब्याज भारित बैंक खाता में राशि जमा की गई। ऐसी जमा राशि पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। परंतु अदत्त वर्धित विद्युत प्रभार के साथ देयता के रूप में ली गई है। ऐसे विवादित देयता के विरुद्ध रिपोर्टिंग तिथि को जमा के रूप में पड़ी हुई राशि ₹348.83 करोड़ (पिछला वर्ष ₹155.02 करोड़) है [टिप्पणी 16.ख.1 देखें]।

24.2 दिनांक 1 अगस्त, 2015 की ओड़िशा विद्युत नियामक आयोग (ओईआरसी) अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार एक दायित्वशील संगठन होने के कारण कंपनी के पास नवीकरणीय स्रोतों से अपनी कुल खपत के 9.5% (पिछले वर्ष 7.5%) के बराबर बिजली उत्पादन का दायित्व है, जिसमें सौर नवीकरणीय स्रोत से 4.5% (पिछले वर्ष 3%) एवं गैर सौर नवीकरणीय स्रोत से 5% (पिछले वर्ष 4.5%) शामिल है।

₹ 1,500 (पिछले वर्ष ₹ 1,500) प्रति प्रमाणपत्र पर मूल्यांकित 1,83,642 (पिछले वर्ष 1,09,444) नग गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) बाबत दिनांक 31.03.2019 को संचयी गैर-सौर दायित्व ₹27.57 करोड़ (दिनांक 31.03.2018 को ₹16.42 करोड़) है। वर्ष के दौरान नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन में 1,67,964 नग (पिछले वर्ष 1,49,829 नग) गैर-सौर आरईसी कंपनी द्वारा प्रतिधारित किए गए हैं।

सौर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से अपेक्षित मात्रा में बिजली उत्पादन के दायित्व को पूरा न कर पाने के कारण कंपनी ने ₹ 2,000 (पिछले वर्ष ₹ 3,500) प्रति प्रमाणपत्र पर मूल्यांकित 6,75,716 (पिछले वर्ष 3,72,716) नग सौर आरईसी के बाबत ₹ 135.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 130.45 करोड़) के लिए दिनांक 31.03.2019 तक संचयी देयता प्रदान किया है।

25. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
क. सांविधिक प्राधिकारी से मांग		
1. एसटी/सीएसटी/वीएटी	376.55	366.17
2. उत्पाद शुल्क	418.32	100.68
3. सीमा शुल्क	102.77	102.77
4. सेवा कर	21.92	18.11
5. आय कर	670.09	706.40
6. प्रवेश कर एवं सड़क कर	224.48	232.28
7. भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	46.98	35.49
8. स्टाम्प ड्यूटी	0.00	204.53
9. खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	136.32
10. खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	92.45	93.10
11. जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	119.24
12. सरकार से दावा (एनजीटी)	6.00	—
13. पीएसयू से दावा	50.12	—
ख. ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे	—	—
1. ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	506.34	436.99
कुल	**2,771.59**	2552.08

25. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक) (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हुए हैं, में शामिल है :

i. आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी प्रभार की बाबत विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से मांग की लड़ाई कर रही हैं। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन-परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

ii. सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए विवाचन/न्यायालयों के पास ठेकेदार के लम्बित दावे व्यवसाय की सामान्य कार्य-प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी यथा संगत यह आशा करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ जब अंतिम रूप में निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगी, तो कंपनी के पक्ष में रहेंगी और कंपनी के प्रचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

25.1 आकस्मिक देयताओं का संचलन

		31.03.2018 को यथा शेष	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के दौरान संयोजन	31.03.2019 को यथा शेष
क.	सांविधिक प्राधिकारी से मांग				
1.	एसटी/सीएसटी/वीएटी	366.17	(1.57)	11.95	376.55
2.	उत्पाद शुल्क	100.68	(87.21)	404.85	418.32
3.	सीमा शुल्क	102.77	—	—	102.77
4.	सेवा कर	18.11	(0.51)	4.32	21.92
5.	आय कर	706.40	(86.87)	50.56	670.09
6.	प्रवेश कर एवं सड़क कर	232.28	(7.80)	—	224.48
7.	भूमि अधिग्रहण एवं इस पर ब्याज	35.49	—	11.49	46.98
8.	स्टाम्प ड्यूटी	204.53	(204.53)	—	0.00
9.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	—	—	136.32
10.	खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	93.10	(0.65)	—	92.45
11.	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	—	—	119.24
12.	सरकार से दावा (एनजीटी)	—	—	6.00	6.00
13.	पीएसयू से दावा	—	—	50.12	50.12
ख.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं और अन्य द्वारा दावे				
1.	ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	436.99	(3.84)	73.19	506.34
	कुल	2,552.08	(392.98)	612.48	2,771.59

26. वचनबद्धताएँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क)	पूँजी खाते में अनुबंध की अनुमानित लागत, जिनका निष्पादन अभी किया जाना है एवं प्रदान नहीं की गई है	829.92	297.02
ख)	अन्य वचनबद्धताएँ		
(1)	उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक के आबंटन के लिए भारत सरकार को देय राशि, मगर अभी भुगतान के लिए नियत नहीं हुआ है।	18.11	18.11
(2)	निर्यात प्रोत्साहन पूँजी वस्तु योजना के अधीन पूंजी वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व	168.75	107.80
	कुल	1,016.78	422.93

27. प्रचालनों से राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क)	उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क समेत)			
	1)	निर्यात :		
		i) एल्यूमिना	4,222.41	3,047.36
		ii) एल्यूमिनियम	570.30	1,028.10
	2)	घरेलू :		
		i) एल्यूमिना	212.67	152.01
		ii) एल्यूमिनियम	6,253.33	5,188.28
(ख)	विद्युत की बिक्री			
		i) तापज विद्युत	1.57	3.40
		ii) पवन विद्युत	126.04	85.97
(ग)	अन्य प्रचालन आय			
	1)	निर्यात प्रोत्साहन		
		i) एल्यूमिना	45.91	33.06
		ii) एल्यूमिनियम	16.72	30.24
	2)	नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन		
		i) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	39.37	33.84
		ii) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	8.53	6.94
	3)	आंतरिक रूप से प्रयुक्त/पूँजीकृत स्वयं निर्मित वस्तुएँ	2.47	9.11
प्रचालनों से राजस्व			11,499.32	9,618.31

टिप्पणी :

27.1 वर्ष 2017-18 के दौरान एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की घरेलू बिक्री में 30.06.2017 तक विवेचित क्रमशः ₹ 4.22 करोड़ एवं ₹ 124.74 करोड़ की राशि का उत्पाद शुल्क शामिल है ।

27.2 01.07.2017 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन संग्रहित वस्तु एवं सेवा कर बिक्री में शामिल नहीं है।

28. अन्य आय

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क)	ब्याज आय			
	(i)	वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं हुई है :		
		— बैंक जमा	224.28	171.89
		— कर्मचारियों को ऋण	9.69	12.46
		— परिशोधित मूल्य पर वहन की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3.17	0.44
	(ii)	आय कर वापसी के बाबत अर्जित ब्याज आय	—	—
(ख)	लाभांश आय			
	—	चालू निवेशों से लाभांश	30.61	33.65
(ग)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध लाभ/(हानि)			
(घ)	विदेशी मुद्रा शुद्ध लाभ/(हानि)		8.62	(2.55)
(ङ)	एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)		(2.16)	2.96
(च)	अन्य गैर-चालू निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)		-	13.91
(छ)	देयताओं के पुनरांकन की अब आवश्यकता नहीं [टिप्पणी: 28.1 का संदर्भ लें]		12.04	20.56
(ज)	आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप से आय		19.47	22.68
(झ)	अन्य		20.15	23.65
कुल अन्य आय			325.87	299.65

टिप्पणी:

28.1 रिपोर्टिंग की तिथि को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बहियों में पड़ी हुई दावाहीन देयता पुनरांकित हुई हैं एवं आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

29. खपत की हुई सामग्री की लागत

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
क.	कच्चे माल		
	(1) कॉस्टिक सोड़ा	941.02	795.39
	(2) सी.पी. कोक	645.43	403.70
	(3) सी.टी पिच	176.41	127.80
	(4) एल्यूमिनियम फ्लूओराइड	75.43	62.67
	(5) चूना	50.00	45.06
	(6) अन्य	31.39	30.69
	खपत किए गए कच्चे माल का योग	1,919.68	1,465.31
ख.	विद्युत एवं ईंधन		
	(1) कोयला [टिप्पणी 29.1 का संदर्भ लें]	1,525.72	1,757.22
	(2) ईंधन तेल	708.06	523.66
	(3) निजी उत्पादन पर शुल्क [टिप्पणी: 24.1 का संदर्भ लें]	406.51	400.70
	(4) विद्युत क्रय	283.64	60.36
	(5) विद्युत पारेषण प्रभार	3.19	5.98
	खपत किए गए विद्युत और ईंधन का योग	2,927.12	2,747.92

टिप्पणी:

29.1 दिनांक 30 मई, 2018 के परिपत्र के माध्यम से जीएसटी बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण के फलस्वरूप कंपनी ने कोयले पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बाबत 01.07.2017 से बकाया समेत धन वापसी का दावा किया है। 31.03.2019 तक दावा की गई कुल राशि ₹231.58 करोड़ है जिसे वर्तमान वर्ष के कोयला व्यय के विरुद्ध समायोजित किया गया है।

30. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
तैयार माल		
प्रारंभिक स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	9.20	3.07
(2) रसायन	114.18	154.15
(3) एल्यूमिनियम	19.83	41.52
प्रारंभिक स्टॉक	**143.21**	**198.74**
जोड़ें : उत्पाद शुल्क		
(1) बॉक्साइट	—	—
(2) रसायन	—	18.22
(3) एल्यूमिनियम	—	5.76
प्रारंभिक स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	—	23.98
तैयार माल के प्रारंभिक स्टॉक का योग	143.21	222.72
घटाएँ :		
अंतिम स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	18.12	9.20
(2) रसायन	91.48	114.18
(3) एल्यूमिनियम	12.68	19.83
अंतिम स्टॉक	**122.28**	**143.21**
जोड़ें : उत्पाद शुल्क		
(1) बॉक्साइट	—	—
(2) रसायन	—	—
(3) एल्यूमिनियम	—	—
अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	—	—
तैयार माल के अंतिम स्टॉक का योग	122.28	143.21
तैयार माल में (अभिवृद्धि)/कमी	20.93	79.51

30. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
मध्यवर्ती उत्पाद		
प्रारंभिक स्टॉक		
एनोड	66.75	82.97
अन्य	10.99	10.65
मध्यवर्ती उत्पादों के प्रारंभिक स्टॉक का योग	77.74	93.62
घटाएं : अंतिम स्टॉक		
एनोड	122.16	66.75
अन्य	18.97	10.99
मध्यवर्ती उत्पादों के अंतिम स्टॉक का योग	141.13	77.74
मध्यवर्ती उत्पादों में (अभिवृद्धि)/कमी	(63.39)	15.88
चल रहे कार्य		
प्रारंभिक स्टॉक	284.33	236.37
घटाएं : अंतिम स्टॉक	246.95	284.33
चल रहे कार्य में (अभिवृद्धि)/कमी	37.38	(47.96)
मालसूची में (अभिवृद्धि)/कमी का योग	(5.08)	47.43

31. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
(क) बोनस सहित वेतन और मजदूरी	1,718.22	1,659.81
(ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		
1) भविष्य निधि	102.91	100.89
2) उपदान	45.32	301.91
3) रोजगार उपरांत पेंशन योजना	95.59	88.07
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	110.24	110.52
कर्मचारी लाभ व्यय का योग	2,072.28	2,261.20

टिप्पणी :

31.क. कर्मचारी लाभ

01.01.2017 से प्रभावी, कंपनी के गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के संबंध में दीर्घमियादी मजदूरी समझौता का अंतिमीकरण वर्ष के दौरान कर लिया गया है। समझौता की शर्तों के अनुसार 31.03.2019 तक वेतन संशोधन के लिए देयता ₹530 करोड़ निर्दिष्ट हुआ है। अनुमानित आधार पर पूर्ववर्ती वर्ष में ₹275 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। ₹255 करोड़ की अंतरीय राशि वर्तमान वर्ष में प्रदान की गई है।

31.ख. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

31.ख.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क) भविष्य निधि: कंपनी एक अलग ट्रस्ट को, पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है। अंशदान पर, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर अदा करना पड़ता है।

ख) पेंशन निधि: कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अनुसार बीमाकर्ता के पास राशि को निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित रहती है।

31.ख.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) उपदान: उपदान के भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को अधिकतम ₹20,00,000/- के अधीन उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। योजना के तहत उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ख) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभः** ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग) **बंदोबस्ती लाभ:** सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना के विकल्प लिए हैं, तो यात्रा भत्ता का अंतर, अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को देय होता है। व्यक्तिगत परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

घ) **नालको हितकारी निधि योजनाः** कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹ 30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर अंशदान किया जाएगा एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाएगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ङ) **नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजनाः** कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹ 10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

च) **सेवानिवर्त्तन उपहार योजनाः** कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹ 25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

31.ख.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

क) **क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँः** संचित अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और बीमारी अवकाश अलग होने पर, कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अनुसार सर्वाधिक अनुमत सीमा के अधीन देय है। सेवा अवधि के दौरान, संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियमानुसार अनुमेय है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) **लम्बी सेवा का पुरस्कारः** जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, वे लम्बी सेवा का पुरस्कार पाने के अधिकारी होते हैं जो एक महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के बराबर होता है। इस देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग) **एनईएफएफएआरएसः** अशक्तता/मृत्यु के मामले में, कंपनी कर्मचारी/नामित को उनके विकल्प के अनुसार मासिक लाभ का भुगतान करती है एवं वैचारिक सेवानिवर्तन की तारीख तक योजना के अधीन निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित राशि जमा करती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

कर्मचारी लाभ योजनाएँ कंपनी को विशिष्ट रूप से बीमांकिक जोखिमों जैसे कि बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, ब्याज जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के सम्मुख ले आती हैं:-

i. **बीमांकिक जोखिमः** यह एक ऐसा जोखिम है जिसके कर्मचारी लाभ अपेक्षा से अधिक होंगे। यह निम्नलिखित किसी भी एक कारण से हो सकता हैः

क. **प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभवः** अनुमानित वेतन वृद्धि की तुलना में ज्यादा परिमाण में वेतन बढ़ोतरी से अपेक्षा से अधिक उच्च दर पर दायित्व में वृद्धि आएगी।

ख. **मृत्यु दर में विविधता :** अनुमानित मृत्यु दर आकलन से यदि वास्तविक मृत्यु दर अधिक होती है, तो अपेक्षा से पहले ही उपदान लाभ का भुगतान किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर प्रदान करने की कोई शर्तें नहीं है, नकद प्रवाह में वृद्धि आने से बीमांकिक हानि या लाभ की स्थिति बनेगी जो कि अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के संबंधित मूल्यों पर निर्भर है।

ग. **आहरण दरों में विविधताः** यदि अनुमानित आहरण दर आकलन की तुलना में वास्तविक आहरण दर अधिक रहती है, तो उपदान लाभ का भुगतान अपेक्षित समय से पूर्व किया जाएगा। इसका प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या लाभ पद त्याग की तिथि को प्रदान किया गया है।

ii. **निवेश जोखिमः** परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु बीमाकर्ताओं पर निर्भर रहनेवाली निधिबद्ध योजनाओं के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता के समर्थन में प्रपत्रों का सही मूल्य नहीं भी रह सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भावी छूट दर से स्वतंत्र होता है। इसके फलस्वरूप, यदि अन्तर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में उल्लेखनीय परिवतर्न होता है, तो निवल देयता या निधिबद्ध वस्तुस्थिति में भारी अस्थिरता आ सकती है।

iii. **ब्याज जोखिम:** परिभाषित लाभ देयता की गणना सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर छूट दर पर की जाती है। यदि ऋणपत्र (बॉण्ड) के मूल्य में गिरावट आती है, तो परिभाषित लाभ देयता बढ़ जाएगी।

iv. **दीर्घायु जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण, सेवा के दौरान एवं उपरांत योजना भागीदारों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के प्रत्याशित जीवन काल में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

v. **वेतन जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण योजना भागीदारों के भावी वेतन के संदर्भ में किया जाता है। ऐसे में योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त मुख्य आकलन निम्नानुसार हैं :

	मूल्यांकन	
	31/03/2019	31/03/2018
छूट दर(रों)	7.50%	7.50%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर(रों)	8%	6%
मृत्युदर	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट
अपघर्षण दर	1%	1%

31. कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत राशियाँ निम्नानुसार हैं :

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्यः		
— चालू सेवा मूल्य	(48.58)	(35.47)
— समझौतों से विगत सेवा लागत एवं (लाभ)/हानि	6.21	(225.93)
— शुद्ध ब्याज व्यय	(29.38)	(28.89)
लाभ या हानि में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	(71.75)	**(290.29)**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर प्रतिफल	(10.98)	(0.88)
वित्तीय आकलनों में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(17.24)	71.41
अनुभव आकलनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	28.28	(17.89)
अन्य (बताएँ)		
परिभाषित लाभ संपत्ति पर प्रतिबंधों के लिए समायोजन		
अन्य विशद आय में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	0.06	**52.64**
कुल	(71.69)	**(237.65)**

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में संस्था के दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न तुलन पत्र में सम्मिलित राशि निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
31 मार्च, 2018						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(126.52)	(2.27)	(3.62)	(13.64)	(7.08)	(573.53)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—	—	—	—	—	302.48
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	(126.52)	(2.27)	(3.62)	(13.64)	(7.08)	(271.05)
31 मार्च, 2019						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(123.44)	(22.42)	(3.04)	(11.90)	(6.93)	(604.90)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—					547.80
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	**(123.44)**	**(22.42)**	**(3.04)**	**(11.90)**	**(6.93)**	**(57.10)**

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	**(64.31)**	**(2.41)**	**(3.86)**	**(13.84)**	**(7.34)**	**(314.03)**
चालू सेवा मूल्य	—	(0.41)	—	—	—	(35.06)
ब्याज मूल्य	(4.66)	(0.16)	(0.26)	(0.97)	(0.54)	(22.30)
पुनःमापन						
जनांकिक आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	—
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	5.76	0.03	0.04	0.18	0.13	65.27
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	16.52	0.23	(0.30)	(0.72)	0.26	(33.88)
कटौती पर हानि / (लाभ) समेत विगत सेवा लागत	(84.10)	—	—	—	—	(267.07)
समझौतों के अनुसार समाप्त देयताएँ	—	—	—	—	—	—
किसी व्यवसाय संयोजन में ग्रहीत देयताएँ	—	—	—	—	—	—

31. कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—	—	—	—	—	—
लाभ भुगतान किया गया	4.27	0.45	0.76	1.71	0.41	33.54
अन्य	—	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2018 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	(126.52)	(2.27)	(3.62)	(13.64)	(7.08)	(573.53)
चालू सेवा मूल्य	—	(3.35)	—	—	—	(45.23)
ब्याज मूल्य	(9.29)	(0.15)	(0.25)	(0.96)	(0.50)	(40.96)
पुनःमापन						
जनांकिक आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	—
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	(17.24)
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	7.07	2.96	0.27	0.96	(0.16)	17.18
कटौती पर हानि/(लाभ) सहित विगत सेवा मूल्य	—	(20.16)	—	—	—	—
समझौतों के रूप में समाप्त हो चुकी देयताएँ	—	—	—	—	—	—
किसी व्यवसाय संयोजन में ग्रहीत देयताएँ	—	—	—	—	—	—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—	—	—	—	—	—
प्रदत्त लाभ	5.31	0.55	0.56	1.74	0.81	54.88
अन्य (बताएँ)	—	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2019 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	(123.43)	(22.42)	(3.04)	(11.90)	(6.93)	(604.90)

योजना परिसंपत्तियों के सही मूल्य में संचलन निम्नानुसार हैं :	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2017 को योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक सही मूल्य	302.10
ब्याज आय	22.64
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	(0.88)
अन्य (बताएँ)	(0.25)
नियोक्ता से अंशदान	12.40
प्रदत्त लाभ	(33.53)
31 मार्च, 2018 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	302.48
ब्याज आय	22.73
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	(10.98)
अन्य (बताएँ)	0.59
नियोक्ता से अंशदान	287.86
योजना भागीदार से अंशदान	-
समझौतों पर वितरित परिसंपत्तियाँ	-
किसी व्यवसाय संयोजन में अर्जित परिसंपत्तियाँ	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-
प्रदत्त लाभ	(54.88)
अन्य (बताएँ)	-
31 मार्च, 2019 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	547.80

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य निम्नानुसार है :

	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नानुसार है	
	31/03/2019	31/03/2018
निधियों में निवेशः		
1. बीमा कंपनियाँ	547.80	302.48
योग	547.80	**302.48**

31 कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

31.ग. परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक आकलन हैं छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, संघर्षण दर एवं मृत्यु दर। सभी अन्य आकलनों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटित संबंधित आकलनों के यथा संगत संभावी परिवर्तनों के आधार पर निम्न संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया है।

संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2017-18	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	**3.87**	**3.74**	**0.07**	**0.07**	**0.08**	**0.07**
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	3.06%	2.95%	3.19%	3.02%	2.14%	2.07%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	**0.00**	**0.00**	—	—	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	—	—	—	—
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	**0.07**	**0.15**	—	—	—	—
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.05%	0.12%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	**0.73**	**0.81**	**0.01**	**0.01**	-	-
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.58%	0.64%	0.51%	0.51%	0.03%	0.03%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2017-18	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	**0.39**	**0.37**	**0.27**	**0.26**	**17.74**	**16.77**
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.86%	2.71%	3.82%	3.62%	3.09%	2.92%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	-	-	-	-	**4.27**	**4.31**
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	-	-	0.74%	0.75%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	**0.01**	**0.01**	-	-	**0.49**	**0.49**
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.09%	0.09%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	-	-	-	-	**3.49**	**3.49**
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.61%	0.61%

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2018-19	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	3.57	3.64	0.65	0.66	0.08	0.08
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	-	-	-	-	-	-
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.15	0.15	0	0	-	-
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.57	0.57	0.10	0.10	0	0
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

संवेदनशीलता विश्लेषण (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2018-19	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.32	0.33	0.19	0.19	20.06	18.84
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.32%	3.11%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	3.22	3.67
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.53%	0.61%
संघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.02	0.02	0	0	0.10	0.10
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.02%	0.02%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	—	—	—	—	0.63	0.63
संवेदनशीलता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.10%	0.10%

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तिवक परिवर्तन का प्रस्तुतीकरण नहीं भी रह सकता है, क्योंकि इसकी संभावना कम है कि एक-दूसरे से अलगाव पर आकलनों में परिवर्तन आ पाएगा क्योंकि कुछ आकलन परस्पर संबंधित हो सकते हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रस्तुत करते समय, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परियोजित एकक क्रेडिट विधि के प्रयोग से की गई है जो तुलन पत्र में स्वीकृत परिभाषित लाभ दायित्व देयता की गणना में प्रयोग की गई है।

संवेदनशीलता विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त विधियों एवं आकलनों में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है।

32. वित्त लागत

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
वित्त लागत		
क. ब्याज लागत	2.38	1.95
कुल वित्त लागत	2.38	**1.95**

33. अन्य व्यय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
(क)	भंडार और कलपुर्जों की खपत	365.52	344.52
(ख)	निम्न से संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव		
	(1) भवन	49.11	38.75
	(2) मशीनरी	166.14	155.94
	(3) अन्य	31.44	24.82
(ग)	अन्य निर्माणजनित व्यय		
	(1) जल प्रभार	29.37	26.71
	(2) रॉयल्टी	147.36	127.70
	(3) जिला खनिज निधि एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को अंशदान	47.16	40.88
	(4) सतत तकनीकी सहयोग व्यय	10.54	8.76
	(5) अन्य	80.13	72.35
(घ)	माल भाड़ा एवं संचालन खर्च		
	(1) आवक सामग्री (एल्यूमिना)	120.01	113.45
	(2) जावक सामग्री	146.45	152.97
(ङ)	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक एवं फुटकर व्यय		
	(i) लेखापरीक्षक के रूप में	0.35	0.26
	(ii) कराधान विषयवस्तुओं के लिए	0.06	0.08
	(iii) अन्य सेवाओं के लिए	0.29	0.22
	(iv) व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.20	0.12
(च)	लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान	0.03	0.03
(छ)	सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय	133.90	117.77
(ज)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी 33.1 का संदर्भ लें]	30.35	29.01
(झ)	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	118.86	109.90
(ञ)	नवीकरणीय क्रय दायित्व	55.22	120.37
(ट)	विवादित सरकारी देय एवं अन्य के लिए प्रावधान	0.05	7.06
(ठ)	विक्रय एवं वितरण व्यय	23.01	28.16
(ड)	मालसूची, दावे आदि का बट्टे खाते में डालना	12.52	15.98
(ढ)	खराब एवं संदिग्ध प्रावधान (पुनरांकन)	(3.51)	13.43
(ण)	अन्य	128.23	40.90
	(1) किराया	79.31	5.68
	(2) दर एवं कर	8.01	3.35
	(3) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	7.50	(0.44)
	(4) बीमा प्रभार	11.81	6.69
	(5) अन्य विविध व्यय	21.60	25.62
कुल अन्य व्यय		1,692.79	1,590.14

टिप्पणी :

33.1 निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय :

क) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई सकल राशि ₹ 27.38 करोड़ है (31 मार्च, 2018 ₹ 27.88 करोड़)

ख) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

i)	परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण	₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)
ii)	उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन पर	₹ 30.35 करोड़ ((पिछले वर्ष ₹29.01 करोड़)
	कुल	₹ 30.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹29.01 करोड़)

34. अपवादिक मदें

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
अपवादिक मदें		
क. जल प्रभार पर विवादित ब्याज के विरुद्ध प्रावधान का पुनरांकन	—	(785.71)
ख. बॉक्साइट निष्कर्षण पर डीएमएफ के अंशदान बाबत देयता का व्युत्क्रमण	—	(18.32)
ग. कोयला के क्रय पर डीएमएफ अंशदान की वापसी का दावा	—	(22.37)
घ. ब्याज सब्सिडी के रूप में रोजगार लाभ	—	46.44
ङ. उपर्युक्त (घ) के बाबत कर्मचारियों के अग्रिम पर संदिग्ध प्रावधान का पुनरांकन	—	(44.12)
कुल अपवादिक मदें	—	**(824.08)**

35. आय कर

राशि करोड़ ₹ में

35.1 लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	Year ended 31.03.2018
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	**998.36**	**521.99**
पूर्व वर्षों के संबंध में	**26.29**	**271.19**
	1,024.65	**793.18**
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	(17.13)	(101.71)
अन्य (एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र)	—	4.95
	(17.13)	**(96.76)**
चालू वर्ष में स्वीकृत आय कर व्यय का योग	1,007.52	**696.42**

वर्ष के लिए आय कर व्यय को लेखांकन लाभ में निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है :

कर पूर्व लाभ	2,741.21	**2,038.61**
उस पर आय कर व्यय @ 34.944% :(पिछले वर्ष @34.608%) :	**957.89**	**705.52**
कर का प्रभाव -		
i) कराधान से मुक्त आय	(11.13)	(23.63)
ii) अस्वीकार योग्य व्यय (स्थायी अंतर)	13.23	9.89
iii) व्ययित व्यय से अतिरिक्त स्वीकार योग्य व्यय	(14.25)	(12.53)
iv) रियायत का प्रभाव (अनुसंधान एवं विकास और अन्य भत्ते)	—	(12.95)
v) दीर्घकालीन पूंजी लाभ के लिए अंतर	—	8.54
vi) पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन	26.29	29.16
vii) अन्य	35.51	(7.58)
लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर व्यय	1,007.54	**696.42**

35.2 इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर		
चालू कर		
शेयरों की पुनर्खरीद लागत	**(1.39)**	—
इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर	(1.39)	—

35. आयकर (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

35.3 अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ देयता के पुनः मापन लाभ या हानि पर कर		
— चालू कर	3.85	—
— आस्थगित कर	(3.64)	2.63
अन्य विशद आय में स्वीकृत कुल आय कर	0.21	2.63
अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर का विभाजन जिनमें है :		
मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाएंगी	—	—
मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	0.21	2.63

36. खंड की सूचना

36.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

स्रोत आबंटन एवं खंड के कार्य प्रदर्शन के आकलन के प्रयोजन हेतु मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) को रिपोर्ट की गई सूचना प्रेषित वस्तुओं के प्रकारों पर केन्द्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के इर्द-गिर्द कंपनी का व्यवस्थापन किया है। कंपनी में रिपोर्ट योग्य खंडों को प्राप्त करने में किसी भी रिपोर्टिंग खंड को एकीकृत नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इण्ड एएस 108-प्रचालन खंडों के अन्तर्गत कंपनी का रिपोर्ट योग्य खंड निम्नानुसार है :

i) रसायन खंड

ii) एल्यूमिनियम खंड

कंपनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख प्रचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गॉट्स, वायर रॉड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य सम्बंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

36.2 खंड राजस्व एवं परिणाम

रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा प्रचालनों से कंपनी के राजस्व एवं परिणामों का विश्लेषण निम्नवत है:

राशि करोड़ ₹ में

	खंड राजस्व	
प्रचालन खंड	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	Year ended 31.03.2018
रसायन खंड	5,680.07	4,339.76
एल्यूमिनियम खंड	6,875.72	6,323.93
अनाबंटित	173.95	126.75
प्रचालनों का योग	12,729.74	10,790.44
घटाएँ : अंतरखंड राजस्व	1,230.42	1,172.13
प्रचालनों से राजस्व	11,499.32	9,618.31

	खंड परिणाम	
प्रचालन खंड	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	1,819.81	783.46
एल्यूमिनियम खंड	778.38	370.30
अपवादिक मदें, ब्याज और कर से पूर्व खंड परिणाम	2,598.19	1,153.76
अपवादिक आय /(व्यय)	—	824.08
ब्याज और वित्त प्रभार	2.37	1.95
ब्याज और लाभांश आय	256.34	240.37
अनाबंटित व्यय को छोड़कर अन्य अनाबंटित आय	(112.24)	(177.43)
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का अंश	1.29	(0.22)
कर-पूर्व लाभ	2,741.21	2038.61

36.3 खंड परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	खंड परिसंपत्तियाँ		खंड देयताएँ	
	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
रसायन खंड	4,040.88	4,041.84	1806.17	1,041.48
एल्यूमिनियम खंड	5,579.21	5,117.43	1,337.01	1,606.60
खंड परिसंपत्तियों और देयताओं का योग	9,620.09	9,159.27	3,143.18	2,648.08
अनाबंटित	5,527.30	5,453.67	388.60	309.46
परिसंपत्तियों और देयताओं का योग	15,147.39	14,612.94	3,531.78	2,957.54

36.4 अन्य खंड की सूचना

राशि करोड़ ₹ में

	मूल्यह्रास एवं परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में संयोजन	
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	180.03	174.36	250.77	256.64
एल्यूमिनियम खंड	236.18	248.31	53.23	(119.74)
अनाबंटित	59.89	57.74	139.23	161.24
प्रचालनों का योग	476.10	480.40	443.23	298.14

	गैर-नकद व्यय वाली सामग्री	
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	66.96	45.70
एल्यूमिनियम खंड	52.82	85.53
अनाबंटित	2.26	7.56
	122.04	138.79

36.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

अपने प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के निरंतर प्रचालन कार्यों से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नवत् है :

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड (हाईड्रेट एवं एल्यूमिना)	4,435.08	3,199.37
एल्यूमिनियम खंड (एल्यूमिनियम)	6,823.63	6,216.38
	11,258.71	9,415.75

36.6 भौगोलिक सूचना

कंपनी का प्रचालन मुख्यतया प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र - भारत (अधिवास देश) एवं देश के बाहर है।

राशि करोड़ ₹ में

	बाह्य ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
भारत	6,466.00	5,340.29	9,546.69	9,103.46
भारत के बाहर	4,792.71	4,075.46	—	—
योग	11,258.71	9,415.75	9,546.69	9,103.46

टिप्पणी:

i) कंपनी ने लागत आधार पर खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से माल भाड़ा छोड़कर औसत निर्यात बिक्री वसूली से एल्यूमिना के अंतर खंड अंतरण के लिए एवं आवधिक औसत क्रय मूल्य से विद्युत के अंतरखंड अंतरण के लिए, अंतरखंड लेनदेनों के मूल्य में परिवर्तन किया है। खंड राजस्व एवं परिणामों के मापन में वृद्धि (+) या ह्रास (-) लानेवाले ऐसे परिवर्तन का प्रभाव नीचे दिया गया है:

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
खंड राजस्व:		
— रसायन खंड	(-) 1628.33	(-) 822.26
— एल्यूमिनियम खंड	(-) 48.24	(-) 84.88
खंड परिणामः		
कर, अपवादिक मदों एवं ब्याज पूर्व लाभ		
— रसायन खंड	(-) 1580.09	(-) 737.37
— एल्यूमिनियम खंड	(+) 1580.1	(+) 737.37

ii) राजस्व एवं व्यय को प्रचालन गतिविधियों में उनके संबंध के आधार पर खंडों के लिए चिह्नित किया गया है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं जो समग्र रूप में उद्यम से सम्बंधित हैं और तर्कसंगत के आधार पर आबंटन-योग्य नहीं हैं, को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

37. प्रति शेयर आय

37.1 मूल आय प्रति शेयर (₹)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (₹ प्रति शेयर)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (₹ प्रति शेयर)
कुल प्रचालनों से	9.07	6.94
कुल मूल आय प्रति शेयर	9.07	6.94

37.2 मूल आय प्रति शेयर

मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय एवं भारित औसत संख्या निम्नानुसार है :

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को आरोप्य वर्ष के लाभ	1,733.69	1,342.19
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय	1,733.69	**1,342.19**
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	191.17	**193.29**

38. वित्तीय प्रपत्र

राशि करोड़ ₹ में

38.1 वित्तीय प्रपत्रों की श्रेणियाँ

	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
लाभ या हानि के माध्यम से सही मूल्य पर आकलित (एफवीटीपीएल)		
(क) अनिवार्य रूप से आकलित :		
(i) म्यूच्युअल फंड में निवेश	80.81	592.96
(ii) विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण संविदा	Nil	(0.44)
परिशोधित मूल्य पर आकलित		
(क) नकद एवं बैंक शेष	171.60	25.35
(ख) परिशोधित मूल्य पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,853.57	3,388.86
	4,105.98	**4,006.73**
वित्तीय देयताएँ		
परिशोधित मूल्य पर आकलित	**1,791.26**	**1,538.08**

38.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

अपने व्यवसाय के क्रम में, कंपनी को मुख्यतया विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी मूल्यों, नकदीकरण एवं ऋण जोखिम की अस्थिरता से गुजरना पड़ा है, जिससे इनसे वित्तीय प्रपत्रों के सही मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिम को संरक्षित रखती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं से सम्बंधित अन्य जोखिमों जैसे कि ब्याज दर जोखिम एवं ऋण जोखिमों को भी सुरक्षा प्रदान करती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ ये सभी सुनिश्चित करते हैं:

i) वित्तीय स्थायित्व के साथ धारणीय व्यवसाय वृद्धि ;

ii) जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना समेत रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी भौतिक जोखिम घटक तुलन पत्र में एवं इससे इतर चिह्नित, आकलित परिमाणित किए जाए, यथा उपयुक्त न्यूनीकृत एवं व्यवस्थित किए जाए तथा

iv) प्रचालनों की प्रकृति, आकार एवं जटिलता की उपयुक्तता के तहत सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपद्धतियों के ऐच्छिक अंगीकरण द्वारा कंपनी की ओर से उपयुक्त विनियमनों, जहाँ भी प्रयोज्य पड़े, का अनुपालन सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन को मूल्यांकित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण टीम जिम्मेदार होगी। यह अपने जाँच परिणामों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष हर तिमाही को रखेगी। कंपनी के जोखिम प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। अतएव, बोर्ड अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन नीति एवं इसमें किसी संशोधन को अनुमोदित करेगा एवं इसका सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

38.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वसूली योग्य सही मूल्य (आर्थिक मूल्य) में भावी अर्जन (विस्तार) में या भावी नकद प्रवाह में, कोई नुकसान का जोखिम है जो कि वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन से होता है। ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, नकदीकरण एवं अन्य बाजार दरों में हुए परिवर्तन से वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन आ सकता है। बिक्री प्रक्रियाओं एवं उठायी गई निधियों एवं ऋण-चुकौती/पूर्वचुकौती के फलस्वरूप नकद प्रवाह की विसंगति से कंपनी नकदीकरण जोखिम के भी अधीन रहती है। बाजार के भावी विशिष्ट संचलनों का साधारणतया यथा उपयुक्त सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

38.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से कंपनी की आय को सुरक्षित रखना ही मुद्रा जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से संरक्षित रखती है। मुद्रा घटकों की यह सुरक्षा समरूप मुद्रा की क्षतिपूरक या समतुल्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के माध्यम से प्राकृतिक रूप से या इसकी अनुपस्थिति में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न प्रपत्रों के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित होगी। मुद्रा जोखिम का निर्धारण, कंपनी की प्रचालन मुद्रा अर्थात आईएनआर की तुलना में सम्बंधित मुद्राओं में खुली परिस्थितियों के तहत किया जाता है। मुद्रा असंगति के कारण आए अंतर का पता लगाने के लिए मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव आय विवरण एवं इक्विटी पर पड़ सकता है, जहाँ एक से अधिक मुद्रा में लेनदेन का संदर्भ मिलता है या संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा की बजाए किसी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ/देयताएँ मूल्य अंकित हुई हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा के मूल्य में लेनदेन करती है, फलस्वरूप विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अग्रेषित विदेशी विनिमय संविदाओं का उपयोग करते हुए अनुमोदित नीति मानकों के तहत विनिमय दर संचालित होती हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित एवं मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं की वहन राशि निम्नानुसार है:-

	देयताएँ		परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019 को	31.03.2018 को
यूएसडी	0.81	33.96	241.69	173.98
यूरो	15.34	15.13	—	—

38.4.1 विदेशी मुद्रा का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिमों में अपनी उपस्थिति के आकलन द्वारा विदेशी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों का उपयोग करते हुए इन जोखिमों के आंशिक हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर की सूक्ष्मग्राहिता का निर्धारण किसी मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर की उपस्थिति और साथ ही प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में समानान्तर विदेशी विनिमय दरों में 10% परिवर्तन के एकीकरण द्वारा किया जाता है।

प्रासंगिक तुलन पत्र की तिथियों को सकल विद्यामानता के आधार पर निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के रुपान्तरण के कारण आय विवरण में इसकी कोई विद्यमानता नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2019 एवं 31 मार्च, 2018 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रभावन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करती है:

	यूएसडी का प्रभाव		यूरो का प्रभाव	
	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए लाभ या हानि पर प्रभाव	24.1	14.0	1.53	1.51

38.5 अन्य मूल्य जोखिम

38.5.1 इक्विटी मूल्य का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी प्रपत्रों के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिम के दायरे में नहीं है क्योंकि सारे इक्विटी निवेश व्यवसाय उद्देश्यों की बजाय रणनीतिक प्रयोजन से धारित है।

38.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह वित्तीय हानि जोखिम है जो अनुबंधित शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा ऋण को चुकाने में अनुत्तीर्ण रहने से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम में चूक स्वरूप प्रत्यक्ष जोखिम एवं ऋण पात्रता के क्षीण होने से संबंधित जोखिम और साथ ही संकेन्द्रण जोखिम शामिल है। ग्राहक से अग्रिम संग्रह होने के कारण कोई महत्वपूर्ण ऋण विद्यमानता नहीं है।

वित्तीय प्रपत्र जो ऋण जोखिम के संकेन्द्रण के अधीन हैं, उनमें मुख्यतया ऋण एवं प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों के रूप में वर्गीकृत निवेश संलग्न है। कंपनी के किसी भी वित्तीय प्रपत्र से ऋण जोखिम का भौतिक संकेन्द्रण नहीं हुआ है।

38.7 नकदीकरण जोखिम प्रबंधन

नकदीकरण जोखिम का तात्पर्य उस जोखिम से है जिससे कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। नकदीकरण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है पर्याप्त नकदीकरण को बनाये रखना एवं यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध हैं।

कंपनी की अल्पमियादी, मध्यावधि एवं दीर्घमियादी निधि संबंधी नकदीकरण प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए कंपनी ने एक उपयुक्त नकदीकरण जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। पूर्वानुमानी एवं वास्तविक नकद प्रवाह पर निरंतर निगरानी रखते हुए एवं वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के परिपक्वता स्वरूप को मिलाते हुए कंपनी पर्याप्त आरक्षित निधि एवं बैंकिंग सुविधाओं के व्यवस्थापन द्वारा नकदीकरण जोखिम का प्रबंध करती है।

39. संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

39.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः

I) पूर्णकालिक निदेशक

(क)	डॉ. टी.के. चान्द	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(ख)	श्री के सी सामल	निदेशक (वित्त) (31.08.2018 तक)
(ग)	श्री व्ही बालसुब्रमण्यम	निदेशक (उत्पादन)
(घ)	श्री बी के ठाकुर	निदेशक (मा.सं.)
(ङ)	श्री एस के रॉय	निदेशक (परि. एवं तक.)
(च)	श्री पी के मिश्र	निदेशक (वाणिज्य)
(छ)	श्री एस पात	निदेशक (वित्त) (01.09.2018 से प्रभावी)
	अन्य	
	श्री एन के महान्ति	कंपनी सचिव

II) अंशकालिक सरकारी निदेशक : (भारत सरकार के मनोनीत):

(क) डॉ. के राजेश्वर राव, आईएएस
(ख) श्री अनिल कुमार नायक, आईओएफएस

III) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकः

(क) सुश्री किरण घई सिन्हा
(ख) श्री एन एन शर्मा
(ग) श्रीमती अचला सिन्हा
(घ) श्री दीपंकर महन्त
(ङ) श्री एस. शंकररमण
(च) श्री प्रभात केशरी नायक
(छ) श्री महेश्वर साहु
(ज) प्रो. दामोदर आचार्य

ख. रोजगार उपरांत लाभ योजना

(क) नालको कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
(ख) नालको कर्मचारी समूह उपदान न्यास

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में (क) में चिह्नित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित संस्था

(क) नालको फाउंडेशन

घ. सरकार जिनके पास नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है :

(क) भारत सरकार

ङ. संस्थाएँ जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई के साथ कंपनी का प्रमुख व्यावसायिक लेनदेन है।

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

क) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
ख) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
घ) महानदी कोलफील्ड्स लि.
ङ) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
च) सिंगरेनी कोलियरीज़ लि.
छ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
ज) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
झ) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.
ञ) भारत अर्थमूवर्स लि.
ट) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि.
ठ) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.
ड) बामर लॉरी एण्ड कं.
ढ) पूर्व तट रेलवे
ण) विशाखापत्तनम् पोर्ट ट्रस्ट
त) मेकॉन लिमिटेड
थ) इंजिनियर्स इंडिया लि.

ii) वस्तुओं का विक्रय

क) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन (एनएसआईसी)
ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.

ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.

घ) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि.

39.2 संबंधित पक्ष के लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

राशि करोड़ ₹ में

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
— वेतन	3.79	3.22
— भविष्य निधि में अंशदान	0.24	0.21
— चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
— अन्य लाभ	0.03	0.03
रोजगार उपरांत लाभ #	(0.09)	(0.01)
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.09	0.03
कुल	**4.07**	**3.49**

चूँकि रोजगार-उपरांत लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया गया है, इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए ये व्यय समानुपातिक आधार पर विवेचित हैं।

प्रमुख प्रबंथकीय कार्मिक से देय ऋण/अग्रिम

विवरण	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
वर्ष के अंत में बकाया	0.01	0.01
वर्ष के दौरान किसी भी समय सर्वाधिक देय राशि	0.01	0.07

II. रोजगार उपरांत लाभ योजना

वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान	333.12	332.99
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि में कमी	270.75	12.6

वर्ष के अंत में बकाया शेष

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2019 को यथा	31.03.2018 को यथा
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान देय	26.59	38.45
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि में कमी के लिए देय	57.4	271.05

III. नालको फाउंडेशन

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
नि.सा.उ. ट्रस्ट में अंशदान	9.61	21.50

IV. भारत सरकार : वर्ष के दौरान लेनदेन

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
शेयरों की पुनर्खरीद	260.70	—
अंतिम लाभांश-2017-18	193.29	—
अंतरिम लाभांश-2018-19	839.53	—
अंतरिम लाभांश-2017-18	—	546.95

V. **सीपीएसई/सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन**

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**
सीपीएसई/सरकारी उपक्रम से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	3,007.70	2,747.90
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री	1,245.97	1,147.49

वर्ष के अंत में बकाया शेष

विवरण	31.03.2019 को यथा	**31.03.2018 को यथा**
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए देय	137.78	195.03
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री के लिए प्राप्य	—	—

40. पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनः वर्गीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए पुनः वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

41 अतिरिक्त सूचना का प्रकटन:

राशि ₹ करोड़ में

(a) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

	निवल परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल देयताएँ निकाल कर कुल परिसंपत्तियाँ		लाभ एवं हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
समूह में संस्था का नाम	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
सहयोगियों (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
संयुक्त उद्यम (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.34%	35.47	0.03%	0.47	0.00%	0.00	0.03%	0.47
जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	3.79%	397.04	0.05%	0.82	0.00%	0.00	0.05%	0.82
योग	**4.13%**	**432.51**	**0.07%**	**1.29**	**0.00%**	**–**	**0.07%**	**1.29**

(ख) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एवं को

	निवल परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल देयताएँ निकाल कर कुल परिसंपत्तियाँ		लाभ एवं हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
समूह में संस्था का नाम	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
सहयोगियों (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
- भारतीय								
एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लिमिटेड	0.0%	0.06	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00
संयुक्त उद्यम (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
- भारतीय								
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.33%	34.52	0.02%	0.32	0.00%	0.00	0.02%	0.32
जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	2.38%	249.48	-0.04%	(0.54)	0.00%	–	-0.04%	(0.54)
योग	**2.70%**	**284.06**	**-0.02%**	**(0.21)**	**0.00%**	**–**	**-0.02%**	**(0.21)**

42. सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों की प्रमुख विशेषताएँ

सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं से संलग्न विवरण (फॉर्म एओसी-1)

भाग "ख": सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

	सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों के नाम	संयुक्त उद्यम	
		अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि	31.03.2019	31.03.2019
2.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर		
	सं.	16,223,900	159,530,934
	सहयोगियों/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹)	162,239,000	1,595,309,340
	धारिता का %	49.00%	40.00%
3.	विवरण कि किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव है	[टिप्पणी 42.2 देखें]	[टिप्पणी 42.2 देखें]
4.	कारण कि क्यों सहयोगी/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किया गया है	—	—
5.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता में आरोप्य निवल संपत्ति (₹)	173,802,323	1,588,142,800
6.	वर्ष के लिए लाभ /(हानि) (₹)		
	i. समेकन में विवेचित	4,651,633	8,210,400
	ii. समेकन में अविवेचित	—	—

टिप्पणी :

42.1 किसी भी सहयोगी या संयुक्त उद्यम ने प्रचालन शुरू नहीं किया है।

42.2 धारित इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार वोटिंग अधिकार।

कृते गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-302039ई

(सीए डॉ. बी एस कुंडु)
साझेदार (एम नं.:051221)

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
एफआरएन-310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम नं:057820)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई, 2019

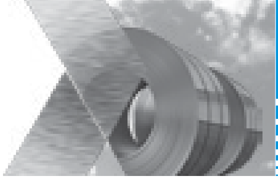

5 वर्षों का कार्य-निष्पादन एक नजर में

वास्तविक

क्रम स.	विवरण	एकक	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	उत्पादनः						
	बॉक्साईट	मे.टन	72,30,546	70,25,109	68,25,000	63,40,142	57,39,120
	एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.टन	21,52,500	21,05,500	21,00,100	19,53,000	18,51,000
	एल्यूमिनियम	मे.टन	4,40,242	4,25,515	3,87,422	3,72,183	3,27,070
	विद्युत (शुद्ध)	मे.यू.	6,256	6,547	6,066	5,841	5,131
	पवन ऊर्जा	मे.यू.	330	243	198	156	175
2	निर्यात बिक्रीः						
	एल्यूमिना	मे.टन	12,44,256	12,76,775	12,43,103	11,74,224	11,84,595
	एल्यूमिनियम	मे.टन	38,463	75,847	1,00,591	94,671	60,752
3	देशीय बिक्री:						
	एल्यूमिना, हाईड्रेट एवं अन्य रसायन	मे.टन	73,377	60,641	51,797	45,702	40,048
	एल्यूमिनियम	मे.टन	4,02,134	3,50,469	2,84,926	2,77,753	2,65,328
	विद्युत (शुद्ध)	मे.यू.	11	24	30	31	28
	पवन ऊर्जा	मे.यू.	330	243	198	156	175

वित्तीय

(₹ करोड़ में)

क्रम स.	विवरण	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
क	आय का विवरणः					
1	निर्यात	4,792.71	4,075	3,625	3,247	3,307
2	देशीय बिक्री	6,593.61	5,429.66	4,308	3,910	4,464
3	सकल बिक्री (1+2)	11,386	9,505	7,933	7,157	7,771
4	घटाएँ: उत्पाद शुल्क	0	128.96	495	454	509
5	निवल बिक्री (3 - 4)	11,386	9,376	7,438	6,703	7,262
6	अन्य आय :					
7	प्रचालनगत	113	113.19	117	113	121
8	गैर-प्रचालनगत	325.87	299.65	408	537	673
9	प्रचालन व्यय	8,606.79	8,092	6,476	5,879	5,677
10	प्रचालन लाभ (5+7-9)	2,893	1,397	1,080	937	1,706
11	अपवादिक मदों	0	(824)	40	(54)	(148)
12	ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व आय (ईबीआईडीटी)(10+8 -11)	3,218	2,521	1,447.77	1,528	2,527
13	ब्याज एवं वित्तपोषण प्रभार	2.38	1.95	3	1	—
14	मूल्यह्रास एवं कर पूर्व आय (ईबीडीटी) (12- 13)	3,216	2,519	1,445	1,527	2,527
15	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	476.1	480	480	424	414
16	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (14-15)	2,740	2,039	965	1,103	2,113
17	कर के लिए प्रावधान	1, 007.52	696.42	296	372	791
18	शुद्ध लाभ (पीएटी) (16 - 17)	1,732.40	1,342.41	669	731	1,322
ख	तुलन पत्रः					
19	इक्विटी पूँजी	932.81	966	966	1,289	1,289
20	आरक्षित एवं अधिशेष	9,551.70	9,538	9,239	11,618	11,508
21	निवल मूल्य (19+20)	10,485	10,505	10,206	12,907	12,797
ग	अनुपात :					
22	प्रचालन लाभ अंतर (ओपीएम) (%) (10 / 5*100)	25.40	14.90	14.51	13.98	23.50
23	निवल लाभ अंतर (%) (18 / 5 *100)	15.21	14.32	8.99	10.91	18.21
24	निवल मूल्य पर प्रतिफल (आरओएनडब्ल्यू)(%) (18/21*100)	16.52	12.78	6.55	5.66	10.33
घ	अन्य					
25	₹ 5 प्रत्येक का प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	56.20	54.35	52.80	50.08	49.65
26	प्रति शेयर आय (₹ में)	9.06	6.94	2.98	2.84	5.13
27	प्रति शेयर लाभांश (₹ में)	5.75	5.70	2.80	2.00	1.75

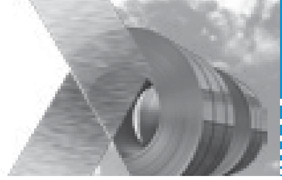

वर्ष 2018-19 के लिए प्रकाशित तिमाही (पुनरीक्षित) वित्तीय परिणामों एवं वार्षिक (लेखापरीक्षित) वित्तीय परिणामों का पुनर्मिलान

(क्रम सं. 11 एवं 12 के अलावा करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	प्रथम तिमाही (पुनरीक्षित)	द्वितीय तिमाही (पुनरीक्षित)	तिमाही (पुनरीक्षित)	चतुर्थ तिमाही (पुनरीक्षित)	चारों तिमाहियों का योग	पूर्ण वर्ष (लेखापरीक्षित)	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रचालनों से राजस्व (सकल)	2,973.31	3,040.93	2,718.88	2,766.20	11,499.32	11,499.32	—
2	अन्य आय	62.11	90.27	75.80	97.69	325.87	325.87	—
3	मूल्यह्रास को छोड़कर कुल व्यय	1,962.79	2,190.61	2,206.52	2,249.25	8,609.17	8,609.17	—
4	मूल्यह्रास एवं प्रावधान	121.70	115.98	118.11	120.31	476.10	476.10	—
5	कर पूर्व लाभ एवं अपवादिक मदें	950.93	824.61	470.05	494.33	2,739.92	2,739.92	—
6	अपवादिक मदें	(91.01)	—	—	91.01	—	—	—
7	कर पूर्व लाभ	1,041.94	824.61	470.05	403.32	2,739.92	2,739.92	—
8	कर के लिए प्रावधान	354.89	314.61	168.29	169.73	1,007.52	1,007.52	—
9	शुद्ध लाभ (पीएटी)	687.05	510.00	301.76	233.59	1,732.40	1,732.40	—
10	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी	966.46	966.46	932.81	932.81	932.81	932.81	—
11	प्रति शेयर आय (₹) (वार्षिकीकृत नहीं)	3.55	2.64	1.58	1.25	9.06	9.06	—
12	गैर-प्रोमोटर शेयरधारिता का कुल योग							
	शेयरों की संख्या	84,71,88,863	83,91,00,604	80,65,49,658	89,55,35,981			
	शेयरधारण का प्रतिशत	43.83%	43.41%	43.23%	48%			

टिप्पणी : वार्षिक प्रति शेयर आय वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान शेयरधारण की औसत संख्या के भार पर आधारित है।

नालको के विभिन्न उत्पादन एकक, उनकी अवस्थिति और उत्पादन क्षमता

1.	बॉक्साइट खान	पंचपटमाली	68,25,000 टन प्रति वर्ष
2.	एल्यूमिना परिशोधक	दामनजोड़ी	22,75,000 टन प्रति वर्ष*
3.	प्रद्रावक संयंत्र	अनुगुल	4,60,000 टन प्रति वर्ष
4.	ग्रहीत विद्युत संयंत्र	अनुगुल	1,200 मेगावाट
5.	पत्तन सुविधाएँ	विशाखापटनम्	14,00,000 टन प्रति वर्ष (एल्यूमिना निर्यात / कास्टिक सोड़ा घोल आयात)
6.	पवन विद्युत	गण्डीकोटा, आन्ध्र प्रदेश	50.4 मेगावाट
		लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान	47.6 मेगावाट
		देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान	50.0 मेगावाट
		सांगली, महाराष्ट्र	50.4 मेगावाट

*21,00,000 टन प्रति वर्ष (मानक क्षमता)

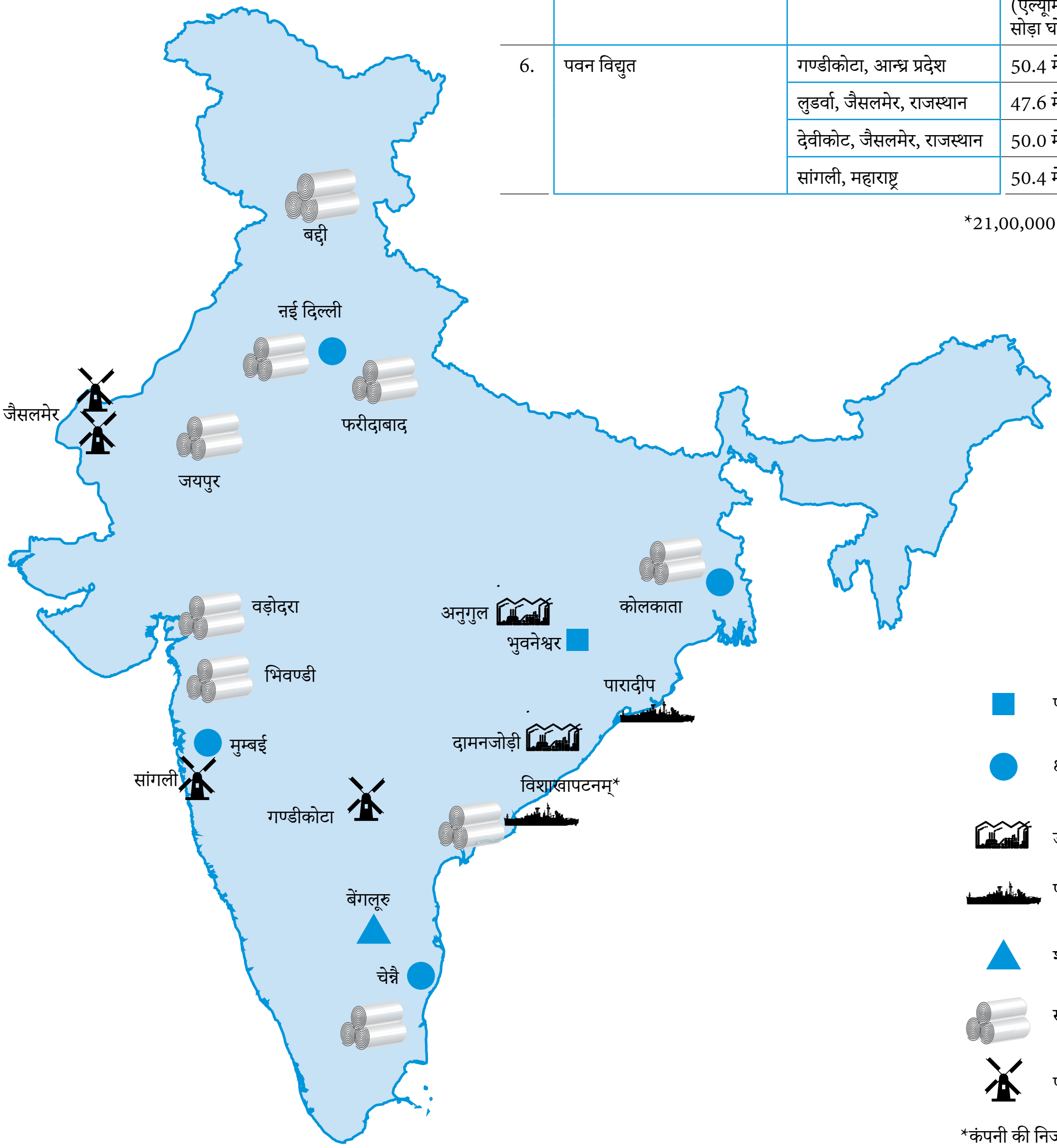

*कंपनी की निजी पत्तन सुविधाएँ

वैश्विक विस्तार

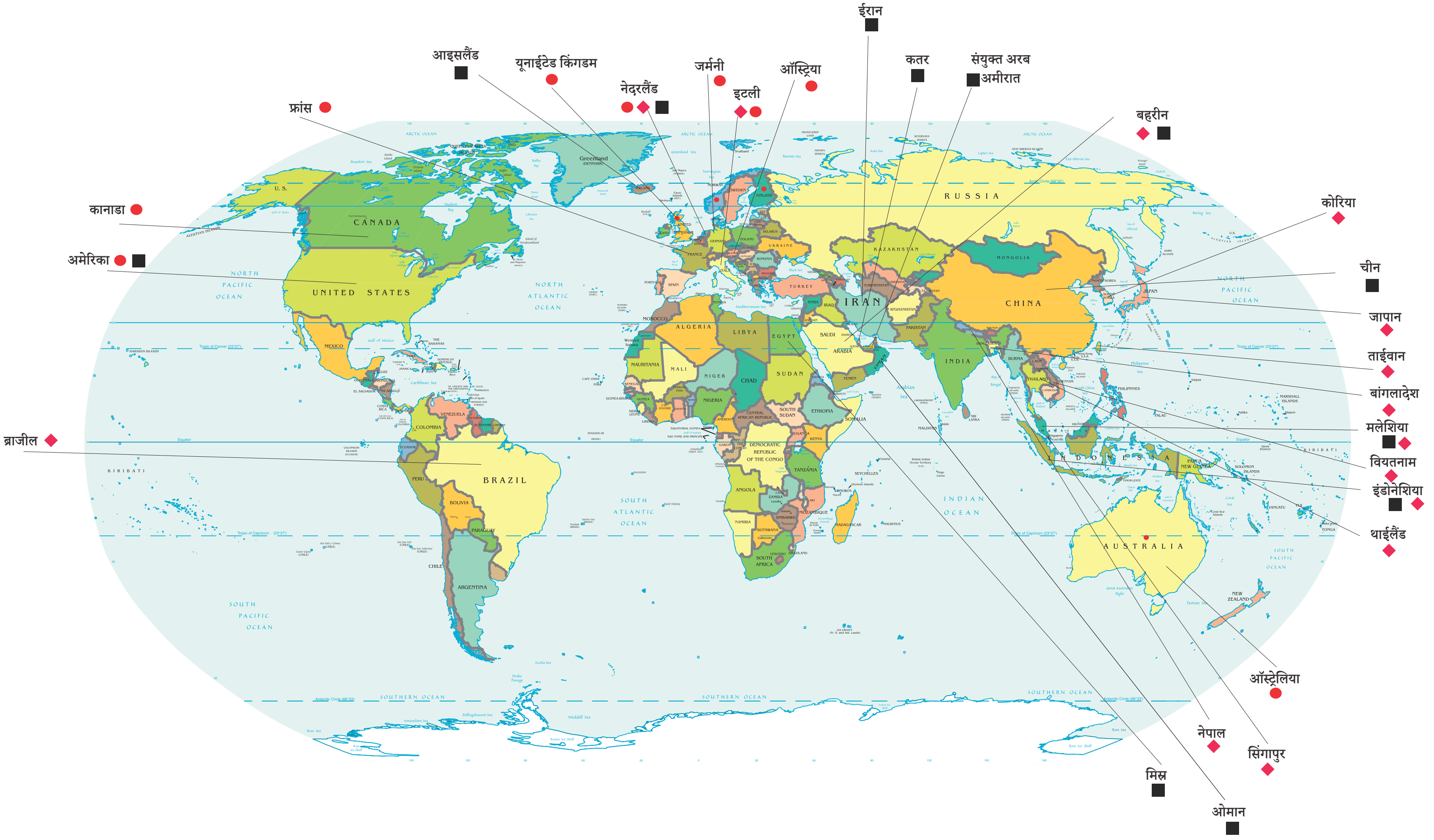

● प्रौद्योगिकी सहयोगी ■ एल्यूमिना निर्यात ◆ एल्यूमिनियम निर्यात

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013, ओड़िशा
सीआईएनः L27203OR198GOI000920

NALCO Website | NALCO Twitter | @NALCO_India | @CMDNalco | fb.com/nalcoindia | www.nalcoindia.com

Designed & Produced by 'SOBHAGYA'.
Printed at Thomson Press.